वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

G20 भारत 2023 INDIA | 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

अवसंरचना विकास को गति
नागर विमानन का रूपान्तरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

"भारत का विमानन क्षेत्र काफी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम विमानन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बल दे रहे हैं।"

श्री नरेंद्र मोदी
भारत के माननीय प्रधानमंत्री

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
मा. केन्द्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री

जनरल वी. के. सिंह
मा. केन्द्रीय नागर विमानन एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री

श्री राजीव बंसल,भाप्रसे
सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

श्री संजीव कुमार,भाप्रसे
अध्यक्ष, भाविप्रा

टिप्पणियों हेतु

विषय सूची

4
भाविप्रा के बारे में

7
बोर्ड सदस्य,
सीवीओ एवं केएमपी

13
बोर्ड रिपोर्ट

29
प्रबन्धक विचार विमर्श
एवं विश्लेषण (एमडी एवं ए)

53
निगमित
अभिशासन रिपोर्ट

61
पूंजीगत योजनाओं का
विवरण (क्षेत्र वार)

77
सीएसआर गतिविधियों पर
वार्षिक रिपोर्ट

89
संधारणीयता रिपोर्ट

95
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ

155
चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
लिमिटेड की लेखापरीक्षित
वित्तीय विवरणियाँ

217
भाविप्रा कार्गो लॉजिस्टिक्स एवं अलाइड सर्विसेस
कंपनी लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भाविप्रा के बारे में

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया। भाविप्रा को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है। देश भर के हवाई अड्डों पर हवाई यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालन क्षेत्रों और कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए इसे तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिलाकर बनाया गया है।

भाविप्रा के मुख्य कार्य

- इकाओ द्वारा स्वीकृत देश की क्षेत्रीय सीमाओं से परे भारतीय हवाई क्षेत्र (विशेष उपयोगकर्ता हवाई क्षेत्र को छोड़कर) का नियंत्रण और प्रबंधन।
- संचार, दिक्चालन और निगरानी उपकरणों का प्रावधान।
- प्रचालन क्षेत्रों अर्थात रनवे, एप्रन, टैक्सी वे आदि का विस्तार और सुदृढ़ीकरण और प्रचालन क्षेत्र में हवाई जहाजों और वाहनों के यातायात के लिए जमीन आधारित लैंडिंग और संचलन नियंत्रण उपकरणों का प्रावधान।
- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, प्रचालन और रखरखाव।
- यात्री टर्मिनलों में यात्री सुविधाओं और सूचना प्रणाली का प्रावधान।

उद्देश्य

विश्व का अग्रणी हवाई अड्डा विकासकर्ता, प्रचालक और विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता बनना।

ध्येय

देश भर में हवाई संपर्क बढ़ाना और लागत प्रभावी, आधुनिक, सुरक्षित हवाई अड्डा प्रचालन एवं विमान दिक्चालन सेवाओं के लिए अत्याधुनिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके पर्यावरण के प्रति जागरूक संधारणीय संगठन बनना ।

निगमित मुख्यालय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राजीव गांधी भवन ,सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष : +91-11-24632950, फैक्स : +91-11-24632990

उत्तरी क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एन ए टी एस भवन, इंदिरागांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट, टी–3 रोड,नई दिल्ली -110037 दूरभाष :011-25656514, फैक्स :011-25656451, ई-मेल : red_nr@aai.aero

पूर्वी क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एन.एस.सी.बी.आई. हवाई अड्डा, कोलकाता-700052, दूरभाष :033-25119616/25119944 फैक्स :033-25118873, ई–मेल: reder@aai.aero

पश्चिमी क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नया एकीकृत प्रचालन कार्यालय कॉम्प्लेक्स, पारसीवाड़ा के सामने, सहार रोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-400099. दूरभाष :022-29217402, ई-मेल : redwr@aai.aero

दक्षिणी क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एटीएस कॉम्पलेक्स, चेन्नई हवाईअड्डा, चेन्नई -600027, दूरभाष :044-22561234/22561515, फैक्स :044-22561010 ई-मेल : redsr@aai.aero

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एल जी बी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा ,गुवाहाटी -781015 दूरभाष:0361-2840223, फैक्स :0361-2840042 ई-मेल : redner@aai.aero

133 हवाई अड्डे

23 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (3 अंतरराष्ट्रीय सिविल एन्क्लेव सहित)

100 अंतर्देशीय हवाई अड्डे (22 घरेलू सिविल एन्क्लेव सहित)

10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे (4 सिविल एन्क्लेव सहित)

बोर्ड की संरचना

(30.11.2022 को)

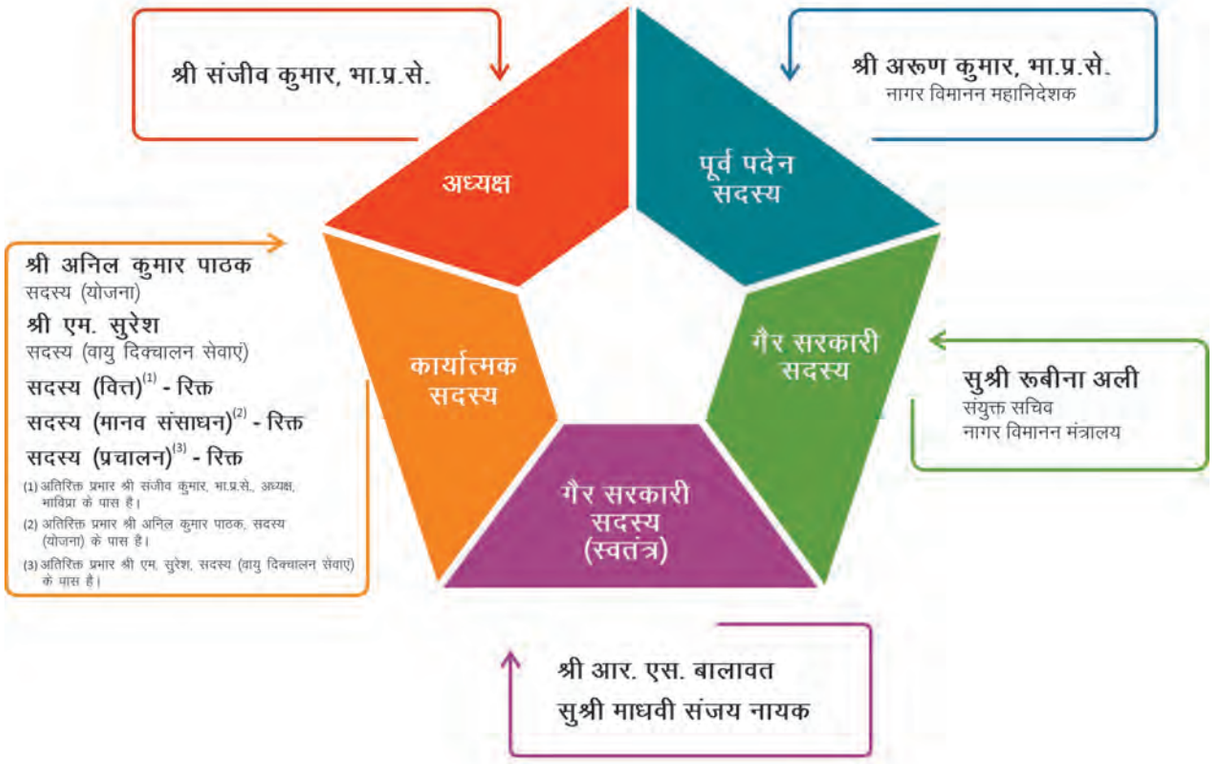

श्री अमल गर्ग, भा.रा.से.
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.)

श्री धर्मेन्द्र भोजवानी
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री जे. बी. सैनी
कार्यपालक निदेशक (पीएमक्यूए / निगमित मामले)

अध्यक्ष

श्री संजीव कुमार, 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ने 07.04.2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रुड़की) से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) में स्नातक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (आईआईटी, कानपुर) से संचार इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।

उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में भी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। भाविप्रा में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वह महाराष्ट्र सरकार में राज्य आयुक्त–जीएसटी के रूप कार्यरत थे। श्री कुमार को महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रचर) और वित्तीय सेक्टर का व्यापक अनुभव है। वे चार वर्षों से भी अधिक समय तक भारत की सबसे बड़ी बिजली वितरक कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के सीएमडी थे। उन्होंने एम एस ई डी सी एल में प्रचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करते हुए बड़ी संख्या में जनहितैषी उपायों को लागू किया परिणामस्वरूप कंपनी को चार वर्षों तक निरंतर लाभ होता रहा।

2005 में वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के आरंभिक कठिन समय में राज्य के माल कराधान विभाग के विभिन्न पदों पर श्री कुमार ने पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया।

श्री कुमार ने महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग में कार्य किया है। उन्होंने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में संयुक्त सीईओ के रूप में कार्य किया है और महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं।

भारत सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के "सभी के लिए आवास" परियोजना में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने इस पद पर रहते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) को अभिकल्पित और शुभारंभ किया। उन्होंने विद्युत मंत्रालय में निदेशक, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के प्रभारी के रूप में कार्य किया।

पदेन सदस्य

श्री अरुण कुमार, नागर विमानन निदेशालय प्रमुख, 1989 बैच के हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी तथा गणित मे स्नातक हैं।

भारत के उत्तर में स्थित हरियाणा राज्य में लगभग 22 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर यथा ''पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन यूटिलिटीज्'' में प्रबंध निदेशक, राज्य कर प्रशासन प्रमुख, राज्य परिवहन उपक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग एवं खान निदेशक तथा पर्यावरण निदेशक तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य–सचिव के पद पर कार्य किया है।

वे चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश के उपायुक्त और हरियाणा राज्य में रोहतक, झज्जर तथा फरीदाबाद के जिला कलेक्टर के पद पर रहे हैं।

लगभग साढ़े छह वर्षो से वे नागर विमानन मंत्रालय में हैं। मंत्रालय मे संयुक्त सचिव तत्पश्चात अपर सचिव के पद पर रहते हुए हवाई अड्डों, एयरलाइन्स, नागर विमानन महानिदेशालय, द्विपक्षीय अनुबंध एवं संसदीय कार्यों की देखरेख करते रहे हैं। द्विपक्षीय अनुबंधों की देखरेख के प्रभारी कार्यों के दौरान उन्होंने अनेक विमान सेवा वार्ताओं का नेतृत्व किया है तथा भारत सरकार की ओर से अनेक देशों के साथ लगभग 40 अनुबंध/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जून, 2019 से उन्हे नागर विमानन महानिदेशक के पद का कार्यभार सौंपा गया।

भारत तथा विदेश में आयोजित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वे प्रतिभागिता कर चुके हैं तथा साथ ही उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, नेशनल लॉ स्कूल, इंटरनेशल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अनेक अल्पकालिक व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है।

सरकारी नामिती

सुश्री रुबीना अली इतिहास में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा – 1991 बैच की केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) उत्तीर्ण की। तब से, वह वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और खान मंत्रालय जैसे विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर रही हैं और वर्तमान में नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

सदस्य (योजना)

श्री अनिल कुमार पाठक एसीआई–इकाओ द्वारा प्रमाणित इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोफेशनल (आईएपी) हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री रखते हैं।

उनके पास अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल हवाई अड्डे के टर्मिनल और रनवे, एप्रन आदि जैसे एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने, डिजाइन करने उनके वित्तीय मूल्यांकन, विनियामक मंजूरी, निविदा और अवार्ड प्रक्रियाओं का समृद्ध अनुभव है और वे भारत भर में विभिन्न ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं के निष्पादन से भी जुड़े हुए हैं।

सदस्य (एएनएस)

श्री एम. सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एचआर) में स्नातकोत्तर हैं। वे इकाओ प्रमाणित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोफेशनल–आईएपी भी हैं।

श्री सुरेश ने वर्ष 1991 में इलैक्ट्रॉनिक अधिकारी के रूप में भा.वि.प्रा. में कार्य भार ग्रहण किया तथा उन्हें क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तर–पूर्वी क्षेत्र), कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा), विमानपत्तन निदेशक, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जम्मू एवं मदुरै के रूप में कार्य करते हुए विमानन क्षेत्र का 31 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने भा. वि.प्रा. के निगमित एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों में विभिन्न विभागों में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भा.वि.प्रा. की संरक्षा प्रबंधन नीति को विकसित और अनुरक्षित करते हुए विमानक्षेत्र प्रचालनों एवं वायु दिक्चालन सेवाओं में संरक्षा सुनिश्चित करने के रणनीतिक कार्यों का निस्पादन किया है।.

वे एक वायु दिक्चालन सेवा तकनीकी विषेशज्ञ हैं और उन्हें भारत में हवाई अड्डों में सीएनएस सुविधाओं, हवाई अड्डा प्रणाली सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं की योजना, प्रावधान, संचालन और रखरखाव का व्यापक अनुभव है।

सदस्य (एएनएस) के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से उन्होंने विमानन संरक्षा, ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों पर ए एन एस सुविधाओं के प्रावधानों, हवाईअड्डों पर सी एन एस एवं ऑटोमेशन सुविधाओं के तकनीकी उन्नयन, रणनीतिक वैश्विक विमानन साझेदारों के साथ भारतीय विमानन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, वायुक्षेत्र के लचीले प्रयोग के कार्यान्वयन तथा भारत सरकार की अन्य पहलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

श्री रविन्द्र सिंह बालावत, आयु 50 वर्ष, जालौर जिला (राजस्थान) के निवासी हैं तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से विधि स्नातक हैं। वह एक अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान हैं। वह पिछले 34 वर्षों से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कानून है।

स्वतंत्र सदस्य

सुश्री माधवी संजय नायक व्यवसाय से अधिवक्ता हैं। विधि महाविद्यालय, ठाणे में अतिथि व्याख्याता होने के अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत महिला संबंधी विषयों और विधिक विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं। उन्होंने आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) पर उद्घोषक के रूप में भी काम किया है और विभिन्न लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और कार्टून धारावाहिक – जंगल बुक में पार्श्व स्वर कलाकार रही हैं। वह विभिन्न पदों का निर्वहन करते हुए विभिन्न शैक्षिक समितियों और गैर–सरकारी संगठनों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सेवाएँ दी हैं।

स्वतंत्र सदस्य

श्री अमल गर्ग (आईआरएस आईटीः 1995) को 21 अक्टूबर 2020 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीवीओ, रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें आयकर विभाग के जांच स्कन्ध में कार्य करने का विस्तृत अनुभव है, जो अन्वेषण और अधिग्रहण अभियान चलाता है। उन्होंने आयकर विभाग के कंप्यूटर सिस्टम के कार्यक्षेत्र में भी काफी समय तक कार्य किया है, जहां उन्होंने आयकर रिटर्न की ई–फाइलिंग सहित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वित्त मंत्री से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री अमल गर्ग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के निदेशक (वित्त) रूप में काम किया।

उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रुड़की) से मैकेनिकल स्ट्रीम (बीई) में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ से एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की है। हाल ही में, उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली से लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (एपीपीपीए) को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

भाविप्रा में सम्मिलित होने से पूर्व, वे आयकर आयुक्त (अपील), मुरादाबाद के रूप में कार्यरत थे।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री धर्मेंद्र भोजवानी एक वाणिज्य स्नातक हैं और भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान के एक सहयोगी सदस्य हैं। उन्हें 33 से अधिक वर्षों का वृहत अनुभव है और उन्होंने भाविप्रा में विभिन्न पदों पर सेवाएँ दी हैं। अपने वर्तमान पद पर, वे कॉर्पोरेट खातों, बाजार ऋण, पूंजीगत बजट, वित्तीय सहमति आदि का कार्य देख रहे हैं।

कार्यपालक निदेशक (पीएमक्यूए/सीए)

श्री जे बी सैनी वाणिज्य स्नातक, एमबीए (वित्त), एमबीए (एचआर) और चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं।

श्री सैनी अप्रैल 1998 में एएआई में प्रबंधक (वित्त) के रूप में शामिल हुए और उन्हें वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से वित्त, लेखा और कंपनियों के वैधानिक अनुपालन में 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है।

उन्होंने 1 जुलाई 2022 को कार्यकारी निदेशक (पीएमक्यूए/कॉरपोरेट अफेयर्स) के पद का कार्यभार संभाला है। ईडी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% सहायक कंपनी) के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में 2 साल के लिए और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक सहायक कंपनी) के संस्थापक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम किया है।

लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी
LAL BAHADUR SHASTRI INTERNATIONAL AIRPORT VARANASI
प्रस्थान DEPARTURE

वाराणसी हवाई अड्डा

बोर्ड की रिपोर्ट

कुशीनगर हवाई अड्डा

वर्ष 2021-22 के लिए सदस्यों की रिपोर्ट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा वि प्रा) की 31मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 27 वीं बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता है।

मुख्य वित्तीय बिन्दु (वित्तीय वर्ष 2021-22)

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
प्रचालन से प्राप्त राजस्व (वैमानिकी और गैर–वैमानिकी राजस्व)	6333.72	4335.42
अन्य आय	507.57	531.62
कुल राजस्व	**6841.29**	**4867.04**
वित्त लागत और मूल्यह्रास के अतिरिक्त कुल व्यय	5670.96	6178.40
वित्त लागत	69.67	45.01
कर और मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	**1100.66**	**(1356.37)**
मूल्यह्रास और परिशोधन	1904.38	1819.75
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ / (हानि)	**(803.72)**	**(3176.12)**
असाधारण मदें (नीचे नोट 1 देखें)	(836.48)	(409.11)
कर पूर्व लाभ	**32.76**	**(2767.01)**
कर व्यय		
वर्तमान कर	0.00	(0.27)
आस्थगित कर	24.00	(804.68)
कर पश्चात लाभ	**8.76**	**(1962.06)**
लाभांश के रूप में संवितरित राशिः		
(i) अंतरिम लाभांश और लाभांशकर	-	-
(ii) अंतिम लाभांश और लाभांश कर (कृपया नोट 2 देखें)	-	-
आरक्षित निधियों में अंतरितः		
(i) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	-	-
(ii) हवाई अड्डा विकास आरक्षित निधि	-	-
(iii) सामान्य आरक्षित निधि	8.76	-

***नोट 1**: – वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए असाधारण मदें क्रमशः रूपए 409.11 करोड़ की राशि के पुनर्वास व्यय के प्रावधान की वापसी और रुपए 836.48 करोड़ एयर इंडिया के हस्तांतरण के कारण संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को दर्शाती हैं।*

भारतीय नागर विमानन और पर्यटन क्षेत्र कोविड–19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल यात्री यातायात में 66% की गिरावट देखी गई, जबकि 2019–20 अर्थात कोविड–पूर्व अवधि की तुलना में कुल विमानों की आवाजाही में 54% की गिरावट आई। कोविड–19 का प्रभाव वर्ष 2021–22 के दौरान भारत में हवाई यातायात को प्रभावित करता रहा। वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल यात्री यातायात में 45% की गिरावट देखी गई, जबकि 2019–20 अर्थात कोविड–पूर्व अवधि की तुलना में कुल विमानों की आवाजाही में 32% की गिरावट रही है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भाविप्रा का प्रोद्भूत राजस्व केवल 6841.29 करोड़ रुपए था और व्यय रूपए 7645. 01 करोड़ का रहा था। एअर इंडिया के संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों के प्रतिलेखन से संबंधित असाधारण मद को समायोजित करने के बाद, कर पूर्व लाभ रु.32.76 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 24 करोड़ रुपए के आस्थगित कर देयता के समायोजन के बाद लाभ 8.76 करोड़ रुपए रहा है।

भाविप्रा की वित्तीय स्थिति पर अधिक ब्यौरा "व्यापार सिंहावलोकन" के अंतर्गत प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण में देखा जा सकता है, जो **अनुलग्नक 1** के रूप में इस रिपोर्ट का एक भाग है।

आरक्षित निधियों में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 8.76 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किए गए हैं।

लाभांश

वित्त मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिनांक 27/5/2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ संख्या 5/2/2016–नीति के अनुसार, पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सी पी एस सी कोपीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को भुगतान करना आवश्यक है।

भाविप्रा द्वारा एअर इंडिया बकाए को बट्टे खाते में डालने के संबंध में वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश (138. 57 करोड़ रुपए), वित्त वर्ष 2020–21 के लिए देय कुल लाभांश (671.70 करोड़ रुपए) और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अनुमानित देय लाभांश (607.23 करोड़ रुपए) के भुगतान से आवश्यक सीमा तक भाविप्रा को छूट देने के लिए दिनांक 24.01.2022 के कार्यालय ज्ञापन (डीआईपीएएम) द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन पर विचार करते हुए, दिनांक 24.02.2022 के यूओ नोट के माध्यम से ना.वि.म. को एक प्रस्ताव भेजा गया था ।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए खातों को अंतिम रूप देने तक, लाभांश की छूट के संबंध में कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भाविप्रा द्वारा भारत सरकार को रुपए 638.56 करोड़ के कुल लाभांश का विनियोजन (निवल मूल्य का 5%) भारत की सामान्य आरक्षित निधियों से किया गया था।

परिणामस्वरूप, सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए गठित समिति (सीएमसीडीसी) ने दिनांक 03.08.2022 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपरोक्त लाभांश के भुगतान से छूट दी।

पूंजी विन्यास,दीर्घावधि ऋण और अन्य महत्वपूर्ण मदों में परिवर्तन

पूंजी विन्यास: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 100% सरकारी स्वामित्व वाला वैधानिक निगम है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भाविप्रा की पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह दिनांक 31 मार्च, 2022 को 656.56 करोड़ रु. थी।

दीर्घावधि ऋण: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, भाविप्रा ने एक्सिस बैंक से मई और जून 2021 माह में दो किश्तों में सुरक्षित आवधिक ऋण लिया था। इसके साथ, दिनांक 31.03.2022 को एक्सिस बैंक से कुल बकाया आवधिक ऋण 2098.01 करोड़ रु. था।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, भाविप्रा ने एस बी आई से 625 करोड़ रुपए का सुरक्षित रूपया आवधिक ऋण और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य वाणिज्यिक ऋण भी लिया।

अल्पावधि ऋण: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, भाविप्रा ने अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रु. (2000 करोड़ रु की स्वीकृत सीमा में से) की निधि आधारित कार्यशील पूंजी प्राप्त की। भाविप्रा ने पिछले वर्ष 2020–21 उक्त सीमा में से 1400 करोड़ रुपए लिए थे और 150 करोड़ रुपए का भुगतान वापस किया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भाविप्रा ने 1650 करोड़ रुपए का भुगतान वापस किया। दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि केवल 200 करोड़ रुपए थी।

उपरोक्त ऋणों की ब्याज दर, अवधि, समय सारणी और भाविप्रा द्वारा दी गई प्रतिभूति के बारे में जानकारी भाविप्रा के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 4 और 7 से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक मंडल, बोर्ड समितियां और बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निगमित अभिशासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-2** के रूप में शामिल है। निदेशक मंडल, बोर्ड समितियों और बैठकों का विवरण उक्त अनुलग्नक में प्रदान किया गया है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों में परिवर्तन

पिछले बोर्ड की रिपोर्ट के बाद से, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं: –

क. **अध्यक्ष**- प्राधिकरण के अध्यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ख. **कार्यात्मक सदस्य**

1. **सदस्य (मा.सं.)** - श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मा.सं.) के कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण 22 अप्रैल 2021 को हुए आकस्मिक निधन के परिणामस्वरूप, ना.वि.मं. ने अपने दिनांक 30 अप्रैल 2021 के आदेश के माध्यम से श्री अनिल कुमार पाठक, सदस्य (योजना), भाविप्रा को उनके अपने कर्तव्यों के अलावा सदस्य (मा.सं.), भाविप्रा के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। तब से ना.वि.मं. द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अपने आदेशों के द्वारा श्री ए. के. पाठक को सदस्य (मा.सं.) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता रहा है।
2. **सदस्य (प्रचालन)** - श्री आई. एन. मूर्ति ने सदस्य (प्रचालन), भाविप्रा के रूप में अपना 05

साल का कार्यकाल दिनांक 22.11.2021 को पूरा किया। ना. वि. मं. ने अपने आदेश संख्या एवी–24011/17/2020–एएआई–एमओसीए (189566) दिनांक 31 दिसंबर 2021 के माध्यम से श्री संजीव कुमार, आईएएस, अध्यक्ष, भाविप्रा को 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सदस्य (प्रचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन की सूचना दी।

बाद में ना. वि. मं. ने दिनांक 24 मई 2022 के अपने समसंख्यक आदेश के द्वारा श्री एम. सुरेश, सदस्य (एएनएस) को 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सदस्य (प्रचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा तदनुसार, श्री एम. सुरेश ने दिनांक 24.05.2022 को पदभार ग्रहण किया और श्री संजीव कुमार, आईएएस, अध्यक्ष, भाविप्रा को उक्त तिथि से अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया।

3. **सदस्य (वित्त)** - दिनांक 31.10.2022 को भाविप्रा के सदस्य (वित्त) श्री के. विनायक राव की सेवा निवृत्ति के परिणाम स्वरूप, ना.वि.मं. ने अपने आदेश संख्या एवी–24011/8/2021–भाविप्रा–एमओसीए दिनांक 01 नवंबर 2022 को श्री संजीव कुमार, आईएएस, अध्यक्ष, भाविप्रा को तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात 01.11.2022 से 28.01.2023 तक या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सदस्य (वित्त) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

ग. सरकारी निदेशक

1. ना. वि. मं. ने अपनी अधिसूचना संख्या एवी – 24015/2/2015–एएआई–एमओसीए (84261) दिनांक 20 जनवरी 2022 के माध्यम से सुश्री रुबीना अली, संयुक्त सचिव, ना.वि.मं. के भाविप्रा के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में के कार्यकाल को 11.02.2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया। उनका तीन साल का पिछला कार्यकाल 10.02.2022 को समाप्त हो रहा था।

2. श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ना. वि. मं. ने भाविप्रा के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में अपना 03 साल का कार्यकाल दिनांक 25.10.2022 को पूरा किया। तदनुसार वे उक्त तिथि से भाविप्रा के बोर्ड सदस्य नहीं रहे। 30.11.2022 तक उक्त पद को भरने के लिए नागर विमानन मंत्रालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

घ. स्वतंत्र निदेशक

1. श्री रवींद्र सिंह बालावत और सुश्री माधवी संजय नाइक को ना.वि.मं. की अधिसूचना संख्या 24011/12/2019–एएआई–एमओसीए (166781) दिनांक क्रमशः 21.01.2022 और 29.03.2022 के माध्यम से भाविप्रा के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र सदस्य (अंशकालिक) के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था।

2. श्री जी. सेकर ने भाविप्रा के बोर्ड में गैर–सरकारी (अंशकालिक) सदस्य के रूप में अपना 03 साल का कार्यकाल दिनांक 21.07.2022 को पूरा किया और तदनुसार, वह उक्त तिथि से भाविप्रा के बोर्ड सदस्य नहीं रहे। भाविप्रा के बोर्ड सदस्य के रूप में उनकी सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप, भाविप्रा में स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों की संख्या अब घटकर 02 (दो) रह गई है।

भाविप्रा के साथ अपनी सबद्धता के दौरान पूर्व–बोर्ड सदस्यों के समर्थन, मार्गदर्शन और योगदान के लिए बोर्ड सराहना करता है।

30.11.2022 को, भाविप्रा के बोर्ड में अध्यक्ष, डी जी सी ए (पदेन सदस्य), 02 कार्यात्मक सदस्य, नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले 01 नामिती और 02 अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) सदस्य शामिल हैं।

उपरोक्त दिनांक तक (ए) सदस्य (मा.सं.); (बी) सदस्य (प्रचालन); (सी) सदस्य (वित्त); (डी) नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले 01 नामित सदस्य; और (इ) 02 गैर–सरकारी (स्वतंत्र) सदस्यों के पद पर नियुक्ति और उन्हें भरने के लिए नागर विमानन मंत्रालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रमुख घटनाएं, जिनके कारण वर्ष के दौरान प्राधिकरण का लाभ प्रभावित हुआ हो

यह भाग कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले उन भौतिक परिवर्तनों और प्रतिबद्धताओं, यदि कोई हो, का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत जिससे यह वित्तीय सारणी संबंधित है और 30.11.2022 के बीच घटित हुए हों।

ए. **कोविड - 19 महामारी** - कोविड–19 वायरस सीमाओं से निरपेक्ष दुनिया भर में फैल गया।इसने विनाशकारी आर्थिक और वित्तीय नुकसान और गहन अनिश्चितताओं के साथ सभी उद्योगों, सभी क्षेत्रों और हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया।

निम्नलिखित चित्र दुनिया भर में विमानन उद्योग पर कोविड 19 के प्रभाव को दर्शाता है:

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए इस "सदी में एक बार" संकट ने भारतीय विमानन उद्योग को भी प्रभावित किया, जिस पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इससे वर्ष 2024 तक उबरने की उम्मीद है। कोविड–19 से उत्पन्न झटके ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र द्वारा प्राप्त मजबूत विकास के लंबे दौर को बाधित कर दिया।

कोविड–19 की दूसरी लहर और ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण तीसरी लहर के दौरान कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण भारत में वित्त वर्ष 2021–22 में पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई। उपरोक्त कारकों के कारण, भाविप्रा

चित्र 1- विश्व यात्री यातायात विकास, 1945-2022

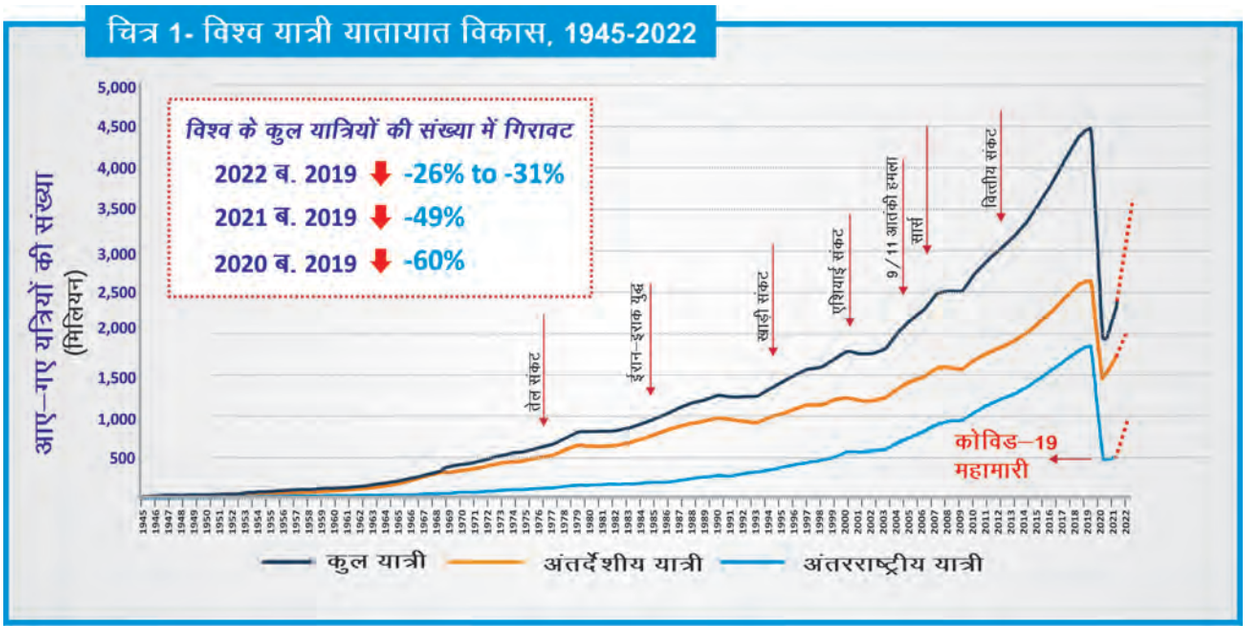

स्रोतः इकाओ

ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अपने राजस्व में भारी गिरावट देखी।

बी. **जेवीसी हवाई अड्डों (डायल और मियाल) के संबंध में हवाई अड्डा पट्टा राजस्व**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मियाल) भाविप्रा को उनके द्वारा देय मासिक वार्षिक शुल्क के संबंध में ओएमडीए (कोविड 19 प्रभाव के कारण) के फोर्समेजर प्रावधानों का उपयोग करते हुए संबंधित माध्यस्थम में चले गए हैं। अतः इन हवाई अड्डों से एयरपोर्ट पट्टा राजस्व वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी बुरी तरह प्रभावित रहा।

मियाल - दैनिक आधार पर आय खाते में प्राप्त वास्तविक राजस्व के आधार पर राजस्व साझा करने के लिए मियाल और भा वि प्रा द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसार, माध्यस्थम के अंतिम परिणाम और एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन के अधीन वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान मियाल से 1027.67 करोड़ रुपए की राशि नकद आधार पर भा वि प्रा को प्राप्त हुई।

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	भा वि प्रा शुल्क (26.11.2020 तक)	153.00
2	भा वि प्रा शुल्क (27.11.2020 से 21.12.2021)	630.30
3	भा वि प्रा शुल्क (22.12.2021 से 31.03.2022 तक)	244.37
31-03-2022 तक प्राप्त कुल एमएएफ		**1027.67**
4	सावधि जमा के रूप में रखे गए 153 करोड़ रुपए पर ब्याज (माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसार)	4.17

यद्यपि, वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए मियाल लेखापरीक्षित वित्तीय, सकल राजस्व, मासिक वार्षिक शुल्क (एमएएफ) के आधार पर देय और वास्तविक प्राप्त एमएएफ निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मियाल के वार्षिक लेखा के अनुसार		वास्तविक प्राप्त एमएएफ		प्राप्य शेष
	कुल राजस्व	एमएएफ देय	2020 - 2021	2021 - 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(3)-(4)-(5)]
2020–2021 (दिसंबर 20 तक भुगतान)	1,826.64	627.18	26.92	379.50	220.76
2021 – 2022	2,144.11	722.38	NIL	648.17	74.21
कुल	**3,970.75**	**1,349.56**	**26.92**	**1,027.67**	**294.97**

डायल- मार्च–अप्रैल 2022 माह में, डायल और भाविप्रा ने अप्रैल 2022 से भाविप्रा को डायल द्वारा एमएएफ के भुगतान के लिए अंतरिम व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता निष्पादित करने पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की, जो कि माध्यस्थम अधिकरण में लंबित है। डायल द्वारा भा वि प्रा को जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए किसी मासिक वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

यद्यपि, वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए डायल के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर, सकल राजस्व, देय मासिक वार्षिक शुल्क (एमएएफ) और वास्तविक प्राप्त एमएएफ निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	डायल के वार्षिक लेखा के अनुसार		वास्तविक प्राप्त एमएएफ		शेष प्राप्य
	सकल राजस्व	एमएएफ देय	2020 – 2021	2021- 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(3)-(4)-(5)]
2020 – 2021	2,522.07	768.69	446.21	NIL	322.48
2021 – 2022	3,057.34	989.59	NIL	NIL	989.59
कुल	**5,579.41**	**1,758.28**	**446.21**	**NIL**	**1,312.07**

डायल और मियाल से वार्षिक शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को 'आकस्मिक देयता' के रूप में माना गया है और वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान डायल और मियाल से प्राप्त होने वाली राशि को 'आकस्मिक संपत्ति' के रूप में माना गया है।

डायल और मियाल के मामले में वार्षिक शुल्क के संबंध में माध्यस्थम की विस्तृत स्थिति को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए भाविप्रा के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी के नोट संख्या 37 (ए) (iv) में संदर्भित किया जा सकता है।

सी. पीपीपी हवाई अड्डों से आय का अंश

वित्तीय वर्ष 2021–22 में तीन पीपीपी हवाई अड्डों अर्थात गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को रियायतग्राहियों को सौंप दिया गया था। गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) क्रमशः 08.10.2021, 11.10.2021 और 14.10.2021 थी।

आरएबी/सीडब्ल्यूआईपी के लिए भा वि प्रा को प्रोद्भूत अग्रिम राशि का विवरण और उन 3 पीपीपी हवाई अड्डों के संबंध में प्रोद्भूत मासिक रियायत शुल्क, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रियायतग्राहियों को सौंप दिया गया है और दिनांक 31.03.2022 को भा वि प्रा के खातों में राजस्व/आस्थगित राजस्व के रूप में वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :

विवरण	राजस्व			आस्थगितराजस्व			कुल		
	तिरुवनंतपुरम	जयपुर	गुवाहाटी	तिरुवनंतपुरम	जयपुर	गुवाहाटी	तिरुवनंतपुरम	जयपुर	गुवाहाटी
आरएबी (एयरो)	3.93	2.39	0.66	420.07	250.61	68.34	424.00	253.00	69.00
आरएबी (नॉन–एयरो)	0.07	0.02	0.12	7.08	2.54	12.59	7.15	2.56	12.71
सीडब्ल्यूआईपी	0.01	0.15	3.36	0.72	15.41	345.66	0.73	15.56	349.02
रियायत शुल्क	29.14	37.83	32.47	-	-	-	29.14	37.83	32.47

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 06 पीपीपी हवाई अड्डों (2020–21 में सौंपे गए मैंगलोर, अहमदाबाद और लखनऊ हवाई अड्डों से मिले रियायत शुल्क सहित) से रियायत शुल्क के रूप में कुल 296.90 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और भाविप्रा की वित्तीय स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

डी. वाणिज्यिक प्रचालनों से आय

कोविड–19 के प्रभाव में धीरे–धीरे कमी आने के साथ, वित्तीय वर्ष 2021–22 के मध्य में हवाई अड्डों का प्रचालन सामान्य होने लगा। हवाई अड्डों पर यात्री यातायात में वृद्धि के साथ, विभिन्न भाविप्रा हवाई अड्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। वित्त वर्ष 2021–22 में गैर–वैमानिक हवाई अड्डा सेवाओं से कुल राजस्व 912.09 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020–21 में यह 885.84 करोड़ रुपए था। यह नोट किया जाए कि भाविप्रा द्वारा व्यावसायिक रियायतग्राहियों को कोविड–19 से उत्पन्न संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रदान की गई रियायतग्राही सहायता योजना पूरे वित्त वर्ष 2021–22 के लिए जारी रखी गई थी।

यह देखा गया कि वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान एफएंडबी और कार पार्क से राजस्व कुछ हद तक बढ़ा था। यद्यपि, खुदरा, विज्ञापन, ड्यूटी फ्री शॉप, मनी एक्सचेंज, और स्पा और कल्याण केंद्र जैसी अन्य संपर्क आधारित सेवाओं जैसी सुविधाओं के लिए व्यावसायिक गतिविधियां अपेक्षाकृत न्यून थीं।

भाविप्रा को आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में भाविप्रा के हवाई अड्डों पर गैर–वैमानिकी हवाई अड्डा सेवाओं से राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मार्च–2022 में अंतरराष्ट्रीय विमानों के प्रचालन पर प्रतिबंध हटाने से भी राजस्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

ई. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है और अल्प सेवित हवाई मार्गों के उन्नयन हेतु क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) का हिस्सा है। 2016 में उड़ान के शुरू होने तक, भारत में अनुसूचित प्रचालन वाले 74 हवाई अड्डे थे। लेकिन, उड़ान के तहत 5 वर्ष के भीतर, आरसीएस–उड़ान के तहत बोली के चार दौर हो चुके हैं और आरसीएस उड़ानों के प्रचालन हेतु 14 वाटर एयरोड्रोम और 36 हेलीपैड सहित 155 आरसीएस हवाई अड्डे चिह्नित हो चुके हैं।

85 असेवित हवाई अड्डों, 20 अल्प सेवित हवाई अड्डों और 14 वाटर एयरोड्रोम को जोड़ने के लिए 31.03.2022 तक विभिन्न एयरलाइनों को 948 वैध आरसीएस मार्ग प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, उड़ान–2.0,4.0 और 4.1 के तहत पहाड़ी राज्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 36 हेलीपैड जोड़े जाने हैं। आरसीएस–उड़ान के माध्यम से 31.03.2021 और 31.03.2022 तक क्रमशः कुल 63.00 लाख और 92.93 लाख घरेलू यात्रियों ने यात्रा की। वर्ष 2021–22 के दौरान चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों (SAO) को आरएसीएफटी द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) दावे के तौर पर लगभग 625.93 करोड़ रुपए वितरित किए गए और वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 241.16 करोड़ रुपए आरसीएस प्रभार एकत्रित किया गया।

अधिक आरसीएस हवाई अड्डों के प्रचालन और उनकी कनेक्टिविटी से हवाई यातायात में वृद्धि हुई और प्राधिकरण के राजस्व में बढ़ोतरी हुई।

प्राधिकरण के प्रकार्यों और लाभप्रदता में सुधार के लिए किए गए उपाय

1. भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की, जिसमें घरेलू क्षेत्र को महामारी के उतार–चढ़ाव के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से खोलना, विशिष्ट देशों के साथ वायु यातायात बबल या वायु यातायात व्यवस्था की शुरुआत, एयर इंडिया का विनिवेश, हवाई अड्डों का निजीकरण और आधुनिकीकरण/विस्तार, हवाई अड्डा अवसंरचना का विकास, क्षेत्रीय संपर्क योजना–उड़ान को बढ़ावा देना, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल

(एमआरओ) प्रचालनों को प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इन सहायक उपायों की मदद से, भारत का विमानन क्षेत्र कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अशांति से धीरे–धीरे उबरने की राह पर है। सरकार और उद्योग द्वारा अपनाए गए त्वरित उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के पुनरुत्थान की उम्मीद है।

वैक्सीन टीकाकरण की त्वरित गति और विश्व स्तर पर यात्रा प्रतिबंधों में ढील के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र ने फिर से वापसी शुरू कर दी है। अक्टूबर 2022 में कुल यात्रियों की संख्या 137.52 लाख तक पहुंच गई जो पूर्व–कोविड स्तर (146.25 लाख) का 94 प्रतिशत है।

2. भाविप्रा के विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्री टर्मिनल भवनों में भीड़ भाड़ को कम करने के उपायों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। तदनुसार, विभिन्न हवाई अड्डों पर स्लॉट आबंटन की समीक्षा की गई और यात्री टर्मिनल भवन में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए एयरलाइनों, हवाई अड्डों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर उपलब्ध टर्मिनल क्षमता के अनुसार व्यस्ततम समय से कम व्यस्त समय तक स्लॉटों को पुनः आबंटित किया गया।

विभिन्न हवाई अड्डों से स्लॉट प्रदर्शन डेटा मांगा गया था और उसका विश्लेषण किया गया था। नियमित रूप से अनुमोदित समय–सारणी का अनुसरण न करने वाली उड़ानों के कारण हवाई अड्डों पर होने वाली भीड़ भाड़ की पहचान की गई। तदनुसार, एयरलाइंस को इसके बारे में सूचित किया गया और अनुमोदित समय सारणी का पालन करने की सलाह दी गई।

3. हवाई अड्डों से यात्रियों का सुरक्षित और सुगम आवागमन

एमओसीए, एमओएचएफडब्लू और एमएचए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भाविप्रा ने अपने हवाई अड्डों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए सभी प्रबंध किए। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू यात्रियों को सुरक्षित आवागमन के लिए हवाई अड्डा प्रचालन, एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों आदि के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए अपने हवाई अड्डों पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कीः

ए. **टर्मिनल बिल्डिंग में और उसके आसपास उचित सफाई, स्वच्छता और स्वच्छताः** प्रबंध सभी भाविप्रा हवाई अड्डों पर टर्मिनल बिल्डिंग और आसपास के क्षेत्रों (वॉशरूम, लिफ्ट, एस्केलेटर, एक्स–रे मशीन, कुर्सियां, काउंटर, रेलिंग, सुरक्षा ट्रे, दरवाजे, हैंडल आदि सहित) के प्रत्येक कोने की सफाई सुनिश्चित की गई। साथ ही, टर्मिनल भवन को नियमित रूप से सनेटाइज किया गया। यात्रियों के सामान और जूतों को प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज किया गया। यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। जहां भी संभव हो हवाई अड्डों पर उचित संवातन सुनिश्चित किया गया।

बी. **सामाजिक दूरी के नियमः** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैठक स्थल पर और प्रवेश बिंदु, चेकइन, सुरक्षा और बोर्डिंग गेट आदि पर पंक्तियों में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया गया। बैठने की व्यवस्था इस तरह की गई कि यात्रियों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे। साथ ही, उपयुक्त स्थानों पर स्टिकर/मार्किंग प्रदान की गई। भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस/डीजीआर स्टाफ के समन्वय से कर्ब एरिया/सिटी साइड ट्रैफिक/कार पार्किंग एरिया की कड़ी निगरानी की गई। आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को विशिष्ट चिन्हित एयरोब्रिज प्रदान किया गया। सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के लिए धूम्रपान लाउंज, शिशु देखभाल कक्ष में न्यूनतम यात्रियों को अनुमति दी गई।

सी. **अन्य सुरक्षा उपायः** उड़ानों को संभालने वाले सभी हवाई अड्डे के कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय प्रदान किए गए। बैगेज ट्रॉलियों का उपयोग कम से कम किया गया। केवल संदिग्ध यात्रियों के लिए आकस्मिक प्राथमिकता क्षेत्र (ट्राइएज एरिया)/आईसोलेशन रूम उपलब्ध कराया गया। यदि किसी संदिग्ध यात्री का पता चला, तो स्वास्थ्य अधिकारी ने उसे दिशा–निर्देशों के अनुसार अस्पताल में स्थानांतरित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचना एवं क्या करें और क्या न करें को उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफआईडीएस) और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया। साथ ही यात्रियों के लिए घोषणा भी की गई। चिकित्सा कर्मियों/चालक दल के लिए डी–गाउनिंग क्षेत्र हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत बचाव उपकरणों को उतारने और उनका निपटान करने के लिए प्रदान किया गया। जैविक खतरनाक कचरा एकत्र करने के लिए अलग–अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए। जैविक खतरनाक कचरे का निस्तारण नियमानुसार किया गया।

डी. आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग

ई. यात्रियों की जागरूकता के लिए उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफआइडिएस), बोर्डों, स्टैंडियों के माध्यम से प्रदर्शित सूचना।

4. भाविप्रा की वित्तीय स्थिति पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिबंध/विदेश/अंतर्देशीय यात्रा पर रोक/ प्रतिबंध, कर्मचारियों को नए ऋण और अग्रिम की स्वीकृति पर रोक/प्रतिबंध, सेवारत कर्मचारियों के मामले में छुट्टी नकदीकरण पर प्रतिबंध, सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों पर व्यय पर प्रतिबंध, विज्ञापन/प्रचार और प्रकाशनों पर खर्च पर प्रतिबंध, कार्यपालकों के आउट ऑफ पॉकेट भत्ता में 50% की कटौती आदि लागू थे।

5. इस संबंध में लागत में कमी सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों के संदर्भ में भाविप्रा के प्रचालन व्यय में लक्षित प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया था जो राजस्व हानि के प्रभाव को कम करेगा।

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुलग्नक-1** पर है जिसमें भाविप्रा की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निम्नलिखित मामलों पर चर्चा शामिल है:

i. उद्योग संरचना और विकासय;
ii. प्रमुख पहलें/उपलब्धियां;
iii. वित्तीय प्रदर्शन सहित व्यापार सिंहावलोकन;
iv. परिदृश्य;
v. जोखिम और चिंताएं;
vi. एसडब्लूओटी विश्लेषण;
vii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता;
viii. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के पटल पर वास्तविक विकास।

पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण, स्वीकृत योजनाओं की मार्च 2022 तक की प्रगति और उत्तर पूर्व क्षेत्र में हवाई अड्डों का विकास

31 मार्च 2022 तक पूरे किए गए कार्यों, भाविप्रा द्वारा स्वीकृत योजनाओं की प्रगति और हवाई अड्डों के विकास (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित क्षेत्रवार) का विवरण **अनुलग्नक-3** में दिया गया है।

उक्त अनुबंध वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भाविप्रा द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की योजना का एक विचार भी प्रदान करता है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कंपनी

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भाविप्रा की सहायक/ जेवी/एसोसिएट कंपनी निम्नलिखित हैं:–

क्रम सं	सहायक/संयुक्त उद्यम का नाम	सहायक/संयुक्त उद्यम
1.	भाविप्रा कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)	सहायक (100%)
2.	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआइएएल)	सहायक (51%)
3.	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	सहायक (51%)
4.	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	सहायक (51%)
5.	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	सहायक (51%)
6.	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	सहायक (51%)
7.	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल)	संयुक्त उद्यम (26%)
8.	मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआइएएल)	संयुक्त उद्यम (26%)
9.	जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआइएएल)	संयुक्त उद्यम (13%)
10.	बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल)	संयुक्त उद्यम (13%)
11.	राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड, गोंदिया	संयुक्त उद्यम (46%)
12.	मिहान इंडिया लिमिटेड, नागपुर	संयुक्त उद्यम (49%)
13.	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम (7.47%)
14.	डिजी यात्रा फाउंडेशन	संयुक्त उद्यम (26%)

उपर्युक्त सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा, भाविप्रा भारतीय विमानन अकादमी (आईएए) में भी भागीदार है, जो विमानन में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य करता है। इकाओ ट्रेनेयर प्लस (टीपीपी) कार्यक्रम का एक पूर्ण सदस्य, अकादमी विमानन के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ अनुभव आधारित शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

निगमित सामाजिक दायित्व

सीएसआर और संधारणीय पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुसार भाविप्रा ने एक सीएसआर समिति गठित की है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में प्रदान की गई हैं, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। भाविप्रा ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति भी तैयार की है, जो भाविप्रा की वेबसाइट https://www-aai-aero/en/corporate/csr&policy पर उपलब्ध है।

भाविप्रा व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को जोड़कर भारत के सतत विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कोविड–19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के साथ–साथ यात्रा प्रतिबंधों ने विमानन उद्योग को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भी आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भाविप्रा के वित्त और आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भाविप्रा पूर्व प्रतिबद्ध ताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण लेने के लिए मजबूर है। इसके अलावा, जिलों और राज्यों के प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति या तो बंद हो गई या धीमी हो गई। इसलिए हितधारकों की ओर से निधियों की मांगों की अपर्याप्तता थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भाविप्रा सीएसआर गतिविधियों पर वर्तमान वर्ष के बजट से केवल 13.79 करोड़ रुपये तथा सीएसआर संबंधित अव्ययित खाते से वर्ष के दौरान केवल 34.83 करोड़ रुपये खर्च कर सका।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान एवम उसके अंतर्गत बनाए गए सुसंगत नियमों, संबंधित नियमों के साथ पठित के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रुपये 17.25 करोड़ की अव्ययित सीएसआर राशि को अनुसूचित बैंक के साथ खोले गए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया गया।

भाविप्रा की सीएसआर पहलों के संबंध में विस्तृत अद्यतन जानकारी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खंड में प्रदान की गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-4** के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सीएजी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक सांविधिक निगम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एकमात्र लेखापरीक्षक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में खातों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों और सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में भाविप्रा को अपने खाते तैयार करने की आवश्यकता है। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद, इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और सीएजी द्वारा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई किसी टिप्पणी या सप्लीमेंट के साथ रखा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भाविप्रा की वित्तीय स्थिति पर महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है जो वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

विदेशी मुद्रा आय और राजस्व और पूंजी मदों के लिए व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
पूंजीगत मद		
पूंजीगत सामान की खरीद	(196.64)	(424.42)
विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान	(2.83)	(2.79)
कलपुर्जे	(28.36)	(14.47)
विदेश यात्रा	(0.21)	(1.87)
परामर्शी	(0.24)	(4.54)
अन्य	(103.44)	(60.63)
सेवाएं	688.24	478.09

व्यय () में दर्शाया गया

वार्षिक एएसक्यू सर्वेक्षण 2021

हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) विश्व प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वैश्विक बेंचमार्किंग कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से यात्रियों की संतुष्टि का आकलन किया जाता है जब वे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद (एसीआई) द्वारा संचालित हवाई अड्डे के माध्यम से यात्रा कर रहे होते हैं।

एसीआई, हवाई अड्डा प्रचालकों का एक वैश्विक गैर–लाभकारी संगठन एक स्वतंत्र एजेंसी है जो हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात अपने प्रतिभागी कार्यक्रम के माध्यम से हवाई अड्डे की अंतरराष्ट्रीय बेंच मार्किंग करता है जिसमें 34 प्रमुख सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं जिनमें 8 प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं जैसे कि एक्सेस, चेक–इन, सुरक्षा, हवाई अड्डे की सुविधाएं, भोजन और पेय, खुदरा और अन्य। एसीआई–एएसक्यू सर्वेक्षण उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत में लगभग 253 हवाई अड्डों पर किया जाता है। एएसक्यू सर्वेक्षण परिणामों की निगरानी ऐरा, नीति आयोग और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भी की जाती है।

एएसक्यू कार्यक्रम यात्रियों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान उपकरण और प्रबंधन जानकारी प्रदान करता है ताकि यात्रियों के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा जा सके और य भी समझा जा सके कि उत्पादों और सेवाओं के दृष्टिकोण से वे हवाईअड्डे से क्या चाहते हैं।

विश्व के ग्राहकों की आवाज संबंधी एसीआई की पहल उन हवाई अड्डों को मान्यता देती है और उनकी पहचान करती है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि 2021 में चल रहे कोविड–19 महामारी के दौरान भी उनकी आवाज सुनी गई।

भा.वि.प्रा. के सात (07) हवाई अड्डों में नामतः चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, पटना, भुवनेश्वर एवं चंडीगढ़, जिन्होंने 2021 में एसीआई–एएसक्यू सर्वेक्षण में भाग लिया, को यात्रियों की आवाज सुनने के लिए चुना गया।

2021 के दौरान, चंडीगढ, गुवाहाटी, जयपुर तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा सहित 10 हवाई अड्डो पर एएसक्यू सर्वे करवाया गया। 2020 की तुलना में वर्ष 2021 के लिए भाविप्रा के हवाई अड्डों की एएसक्यू रेटिंग नीचे दी गई है:

क्रम सं.	हवाई अड्डे का नाम	2021		2020		2020 की तुलना में 2021 की रेटिंग में अंतर
		एएसक्यू रेटिंग	पद	एएसक्यू रेटिंग	पद	
1	चंडीगढ़	4.99	18	4.99	13	0.00
2	त्रिवेंद्रम#	4.91	50	4.91	43	0.00
3	गोवा	4.89	54	4.92	37	-0.03
4	गुवाहाटी#	4.85	65	4.73	71	0.12
5	चेन्नई	4.81	69	4.67	80	0.14
6	जयपुर#	4.79	70	4.72	73	0.07
7	कोलकाता	4.72	78	4.77	63	-0.05
8	पुणे	4.57	92	4.58	97	-0.01
9	भुवनेश्वर	4.55	98	4.31	161	0.24
10	पटना	4.52	104	3.72	333	0.80
11	वाराणसी*	-	-	4.94	29	-
12	अमृतसर*	-	-	4.93	36	-
13	इंदौर*	-	-	4.86	51	-
14	रायपुर*	-	-	4.81	62	-
15	त्रिची*	-	-	4.74	69	-
16	बागडोगरा*	-	-	4.61	93	-
17	श्रीनगर**	-	-	4.83	57	-
18	कालीकट**	-	-	4.81	60	-
19	विजाग**	-	-	4.67	81	-
20	कोयंबटूर**	-	-	4.61	92	-
	भाविप्रा हवाई अड्डों का औसत	**4.76**		**4.71**		**0.05**
	विश्व औसत	**4.38**		**4.37**		**0.01**

** *एसीआई–एएसक्यू सर्वेक्षण केवल क्यू–1 2021 के दौरान आयोजित किया गया था*

* *एसीआई–एएसक्यू सर्वेक्षण 2021 के दौरान आयोजित नहीं किया गया था*

गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे को 2021–22 के दौरान मैसर्स अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को सौंप दिया गया।

समझौता ज्ञापन

कोविड–19 महामारी और भाविप्रा को संभावित नुकसान के कारण, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भाविप्रा को वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ना.वि.म. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी। तदनुसार, भाविप्रा की सहायक कंपनियों को भी भाविप्रा के साथ उक्त वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई थी।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण (प्रोक्योरमेंट)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से 547.33 करोड़ रुपए के माल एवं सेवा का प्रापण किया गया। यह उक्त वित्तीय वर्ष के लिए भाविप्रा के माल एवं सेवा के 1568 करोड़ रुपए के कुल वार्षिक प्रापण लक्ष्य का 35% (लगभग) था। इस प्रकार भाविप्रा ने एमएसई से 25% के अनिवार्य प्रापण लक्ष्य को प्राप्त किया।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) का निगमित सतर्कता विभाग (सीवीडी) नई दिल्ली में निगमित मुख्यालय में स्थित है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर–पूर्वी) में भी इसके कार्यालय हैं। सतर्कता विभाग की भूमिका और कार्य समय–समय पर अद्यतित सीवीसी के सतर्कता नियमावली के अनुरूप है।

भाविप्रा के सतर्कता विभाग का नेतृत्व श्री अमल गर्ग, आईआरएस (आईटीः 1995 बैच) 21.10.2020 से मुख्य सतर्कता अधिकारी, भाविप्रा कर रहे हैं।

भाविप्रा एक सेवा संगठन होने के नाते सतर्कता निदेशालय की भूमिका और कार्य तीन आयामी हैं – (क) निवारक (ख) दंडात्मक और (ग) निगरानी और खुफिया। केन्द्रीय सतर्कता विभाग अपनी निवारक भूमिका में जागरूकता अभियान चलाता है जिसमें दिन–प्रतिदिन के ऐसे मामलो के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जाती है जिसमें कदाचार एवं भ्रष्टाचार की संभावना होती है। इन अभियानों के तहत सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) शामिल है, जो एक वार्षिक कार्यक्रम है और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं, व्याख्यान, सेमिनार आदि जैसे सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। अपनी जासूसी/निगरानी भूमिका में, यह प्रणालीगत विफलता और भष्टाचार और कदाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए आकस्मिक, नियमित और सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की योजना बनाता है और करता है। यह सतर्कता की दृष्टि से कार्रवाइयों को देखने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक संपत्ति विवरणी आदि की भी छानबीन करता है।

अपनी सक्रिय भूमिका के रूप में सीवीडी कई महत्वपूर्ण विभागों से आग्रह करता है कि वे अपनी कार्य प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करें और अपने मैनुअल को संशोधित करें ताकि कार्यस्थल पर पारदर्शिता आए और स्वनिर्णय का अवसर न रहे। कार्यशालाओं और फील्ड निरीक्षणों में हुए विचार–विमर्श के परिणाम के आधार पर सीवीडी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रणालीगत सुधार के लिए प्रबंधन को सुझाव प्रदान करता है।

महिला कर्मचारी की सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसी के अनुरूप एक नीति तैयार की है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का सारांश नीचे दिया गया हैः–

01.04.2021 को शिकायतों की संख्या	01
वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त शिकायतें	02
वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान शिकायतों का निस्तारण	03
31.03.2022 तक लंबित शिकायतें	00

कर्मचारी-नियोक्ता संबंध, हड़तालें आदि।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियोक्ता–कर्मचारी संबंध को बहु–आयामी दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है और यह व्यापक रूप से वैधानिक दायित्वों, नीतियों और विकास–उन्मुख ढांचे के दायरे में संचालित होता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान हड़ताल/अनुपस्थिति एवं तालाबंदी के कारण जनशक्ति दिनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्विपक्षीय चर्चाओं और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के बीच निरंतर आपसी बातचीत के माध्यम से मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान, यदि कोई हो, को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यबल के साथ वार्ता स्थापित करने, बनाए रखने और सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित तरीके से कर्मचारी–नियोक्ता संबंध को प्रोत्साहन और बढ़ावा देता हैः

(i) नीतिगत निर्णय लेने और विभिन्न कल्याण समितियों में प्रबंधन के साथ कामगारों के प्रभावी और व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए, भाविप्रा प्रबंधन बहुसंख्यक श्रमिक संघ को गुप्त मतदान जनमत संग्रह के माध्यम से बातचीत करने हेतु एकमात्र अभिकर्ता के रूप में मान्यता देता है, जो रोजगार की मौलिक शर्तों, सेवा शर्तें, वेतन वार्ता, स्थानांतरण नीति, आवास आवंटन, चिकित्सा लाभ, आदि पर विचार–विमर्श करने के हकदार हैं।

(ii) द्वि–पक्षीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों को प्रबंधन के साथ संवाद करने के लिए मंच सक्षम बनाने के लिए, पांच साल की अवधि में दो बार केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी बैठकें आयोजित की जाती हैं। .

(iii) उपरोक्त के अलावा, एटीसी, सीएनएस, इंजीनियरिंग और बहुसंख्यक प्रतिनिधि चरित्र वाले बहु संवर्गों में कार्यरत अधिकारी संघों को भी पेशेवर के साथ–साथ कल्याणकारी मामलो पर बोलने के लिए प्रतिनिधि संवर्ग–आधारित संघों को अवसर प्रदान करने के लिए मान्यता दी जाती है।

इस प्रकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियोक्ता–कर्मचारी संबंध उच्चतम स्तर की आपसी समझ और कार्यस्थल उत्पादक व्यवहार को सुरक्षित करके मजबूत किया जाता है।

खेलकूद गतिविधियां

भाविप्रा सक्रिय रूप से खेलों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। इसने खेलों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और छात्रवृत्तियों में भाग लेकर या प्रायोजित करके हमेशा खेलों को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया है। भाविप्रा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भी अपनी टीम को मैदान में उतारता है। हालांकि, भाविप्रा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 के प्रभाव और उक्त अवधि के दौरान मितव्ययिता उपायों के लागू होने के कारण कोई खेल गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय खेल प्रतियागिता

i. भाविप्रा महिला खो–खो दल ने मध्य प्रदेश एमेच्योर खो–खो संघ द्वारा दिनांक 26 से 30 दिसंबर 2021 तक जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित 54वीं उच्चतर (सीनियर) राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां भाविप्रा महिला खो खो दल ने उपविजेता ट्रॉफी जीती।

ii. भाविप्रा क्रिकेट दल ने एआईपीएसएससीबी द्वारा दिनांक 20 से 24 दिसंबर 2021 तक गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। भविप्रा क्रिकेट दल ने द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी जीती।

iii. भाविप्रा कैरम दल ने (ए) एलआईसी द्वारा दिनांक 04 से 07 जनवरी 2022 तक जयपुर, राजस्थान में आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र (ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर) कैरम खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, और (बी) अखिल भारतीय कैरम संघ द्वारा मार्च 2022 में मुंबई में आयोजित 49वीं उच्चतर (सीनियर) राष्ट्रीय कैरम प्रतियोगिता में भाग लिया।

iv. भाविप्रा फुटबॉल दल ने दिल्ली सॉकर संघ द्वारा मार्च 2022 माह में नई दिल्ली में आयोजित फुटबॉल दिल्ली 'सी' डिवीजन लीग 2021/22 में भाग लिया।

भाविप्रा अंतर आंचलिक(जोनल) खेल प्रतियोगिता

i. भाविप्रा अंतर आंचलिक (जोनल) क्रिकेट खेल प्रतियोगिता मार्च 2022 में इंदौर में क्षेत्रीय खेल नियंत्रण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया और मध्य क्षेत्र द्वारा जीता गया।

ii. अखिल भारतीय पर्वतारोहण कार्यक्रम फरवरी 2022 में विमानपत्तन खेल नियंत्रण बोर्ड–चेन्नई विमानपत्तन द्वारा कोडाई पर्वतों में आयोजित किया गया।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वर्ष की प्रत्येक तिमाही में निगमित मुख्यालय और सभी स्टेशनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, संगठन में राजभाषा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भाविप्रा के क्षेत्रीय और अधीनस्थ कार्यालयों में नियमित निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार संबंधित कार्यालयों को आवश्यक निर्देश/सुझाव दिए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निगमित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय और फील्ड स्टेशनों पर विभिन्न हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिनमें से 4 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन निगमित मुख्यालय में ही किया गया, जिसमें 44 अधिकारियों एवं 27 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक तिमाही में हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा, 14 से 30 सितंबर 2021 तक निगमित मुख्यालय और प्रत्येक स्टेशन पर हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। पखवाड़े में भाग लेने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागियों को सहभागिता अवार्ड भी दिए गए। इसके अलावा निगमित मुख्यालय के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। भाविप्रा की आंतरिक पत्रिका "अर्पण" प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से प्रकाशित होती है। इसके अलावा नराकास (पीएसयू)–1 की वार्षिक पत्रिका "इन्द्रप्रस्थ स्वर" का प्रकाशन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राजभाषा विभाग के अन्य उल्लेखनीय कार्यों/उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

– राजभाषा संवर्ग की सहायता हेतु राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का संकलन "राजभाषा

नियमावली" 29 जुलाई, 2021 को जारी किया गया।

- 23 दिसंबर, 2021 को भाविप्रा की गृह पत्रिका "अर्पण" को नागर विमानन मंत्रालय से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- निगमित मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों में हिंदी साहित्य पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए "माह का सर्वश्रेष्ठ हिंदी पाठक" योजना लागू की गई।
- निगमित मुख्यालय में प्रमुख स्थानों पर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के प्रमुख उद्धरणों से संबंधित पट्टिकाएं लगाई गईं।
- निगमित मुख्यालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों और विभागों में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय राजभाषा शील्ड योजना लागू की गई है।
- विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भाविप्रा द्वारा अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- 09 जुलाई, 2021 को "विंडोज 10, एमएस वर्ड और मोबाइल की आधुनिक सुविधाओं में हिंदी का प्रयोग" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- अगस्त, 2021 एवं जनवरी, 2022 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित की गईं.
- निगमित मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं तथा कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी की गई।
- विभिन्न विभागों/अनुभागों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को समेकित कर तैयार कर निर्धारित समय सीमा में नागर विमानन मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजा गया।
- भाविप्रा के 18 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण संसदीय समिति की द्वितीय उपसमिति द्वारा किया गया।

सदस्यों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

सदस्य अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पुष्टि करते हैं कि:

(i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया और जहां कहीं भी इस प्रकार की सामग्री का उल्लेख किय गया है वहां उनका उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया गया।

(ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मामलों की स्थिति और उस अवधि के दौरान भाविप्रा के लाभ को सत्य और निपक्ष रूप से दर्शाने के लिए सदस्यों ने इस तरह की लेखाकंन नीतियों का चयन किया और उनका नियमित पालन किया और ऐसे निर्णय व आकलन किए गए जो कि उचित एवं विवेकपूर्ण हो।

(iii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए सदस्यों ने उपयुक्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया।

(iv) सदस्यों ने 'गोइंग कंसर्न बेसिस' पर वार्षिक लेखे तैयार किए।

(v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों ने उचित प्रणाली तैयार की और यह सुनिश्चित किया कि यह व्यवस्था पर्याप्त हो और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

आभार

सदस्य ने नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए, बीसीएएस, डीपीई, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों, ग्राहकों, बैंकरों, विक्रेताओं, व्यापार भागीदार और अन्य एजेंसियां द्वारा विस्तारित समर्थन के लिए उनकी सराहना करते हैं। सदस्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर बैंकाक में इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ–साथ मॉन्ट्रियल में इकाओ मुख्यालय से प्राप्त सहायता और सहयोग की सराहना करते हैं।

सदस्य सभी प्रकार के उत्कृष्ट प्रचालन निष्पादन और विशेष रूप से कोविड–19 जैसी परीक्षा की घडी में निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने हेतु भाविप्रा के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा दर्शाए गए बहुमूल्य योगदान, सतत प्रयासों और समर्पण भावना के लिए ईमानदारीपूर्वक सराहना करते हैं।

कोलकात्ता हवाई अड्डा

अनुलग्नक - 1

प्रबंधन विचार विर्मश और विश्लेषण (एमडीएवंए)

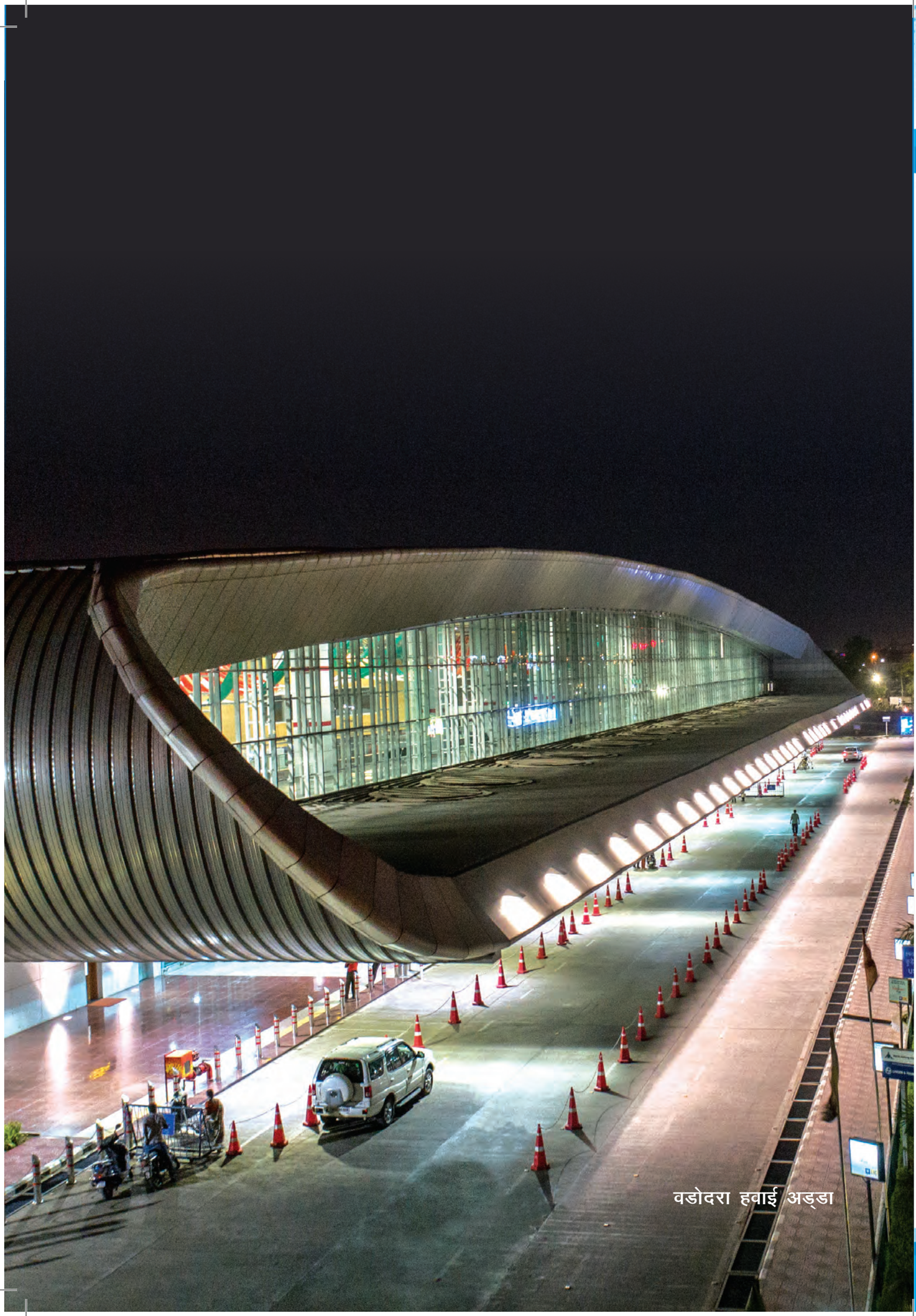

वडोदरा हवाई अड्डा

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में होने वाली घटनाओं और परिवर्तनों, उद्योग और अर्थव्यवस्था, इसकी तकनीक और इसकी समग्र व्यावसायिक कार्यनीतियों को साझा करना और उनके साथ तालमेल रखना है। अन्य बातों के अतिरिक्त, एमडी एंड ए प्रचालन के पिछले वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है और भाविप्रा ने उस समय में कैसा प्रदर्षन किया। यह आगामी वर्ष की रिपोर्ट भी प्रदान करता है, भविष्य के लक्ष्यों और नई परियोजनाओं के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। हम उद्योग की एक सामान्य समीक्षा के साथ आरंभ करते हैं, इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रचालन और वित्तीय विवरण के साथ इसके मानव संसाधन का विवरण भी शामिल है।

भाविप्रा के उद्देश्यों, अनुमानों, अनुमान अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में वक्तव्य "भविश्य उन्मुख कथन" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं। भाविप्रा के प्रचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में देश के भीतर आर्थिक विकास, उद्योग में मांग और आपूर्ति की स्थिति, निवेश मूल्य, सरकारी नियमों में बदलाव, कर कानून और अन्य कारक जैसे महामारी/महामारी, मुकदमेबाजी और औद्योगिक संबंध सम्मिलित हैं।

1. उद्योग संरचना

नगर विमानन उद्योग एक सेवा उद्योग है जो परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। हवाई परिवहन कई विषेशताओं को दर्शाता है जो सेवा उद्योगों के लिए विशिष्ट हैं, जैसे उत्पाद की अमूर्तता और ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क का उच्च महत्व।

एक गतिविधि के रूप में विमानन क्षेत्र, यात्रियों से लेकर उच्च और सामरिक प्रौद्योगिकियों के विक्रेताओं तक व्यापक विविधता वाले हितधारकों को सम्मिलित करता है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक आम यात्री है जिसकी यात्रा करने की आकांक्षा और आवश्यकता समय के साथ गहरी होती जाएगी। उसे ग्राहक सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता के साथ सस्ती, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की आवश्यकता है।

हितधारक और उनके हित

1-1 पायलट, चालक दल के सदस्य और तकनीकविद् नागर विमानन की रीढ़ हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वे उद्योग के आवष्यक हितधारक हैं। सरकार को इस समूह का समर्थन करने के लिए प्रचालन में निरंतर प्रशिक्षण और सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.2 एयरलाइन ऑपरेटर, एसओपी और एनएसओपी, बुनियादी सेवा प्रदाता हैं और इसलिए क्षेत्र का विकास और प्रदर्शन काफी हद तक उन पर निर्भर है। उनकी आशा एक उदार अहस्तक्षेप के माहौल में काम करने की है जहां न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के साथ उचित प्रतिस्पर्धा को पनपने की अनुमति है।

1.3 हवाई अड्डा आपरेटर और विमानन बुनियादी ढांचे के प्रबंधक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो देश में अधिकांश हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़े निजी उद्यमियों का उभरता हुआ वर्ग इस क्षेत्र के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उनकी रुचि उन हवाई अड्डों की सुरक्षा, संरक्षा और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में है जो वे प्रचालित करते हैं।

1.4 रक्षा मंत्रलय एक महत्वपूर्ण हितधारक है क्योंकि यह देश में बड़ी संख्या में हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है जिनका उपयोग नागर प्रचालन के लिए भी किया जाता है। मंत्रालय भारतीय हवाई क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा भी साझा करता है और इसलिए नागरिक प्रचालन के पैमाने को निर्धारित करता है। हमें हवाई क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और प्रचालन प्रक्रियाओं के उपयोग के संदर्भ में सैन्य आवश्यकताओं की प्रमुखता और प्राथमिकता बनाए रखने की आवश्यकता है।

1.5 पर्यावरण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि नागर विमानन का शोर और प्रदूषण के माध्यम से पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियां और प्रदूषण मानदंड विमानन गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। गैर–सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पारिस्थिति की तंत्र का हिस्सा बनते हैं और प्रायः नीति दिशा को प्रभावित करते हैं।

1.6 नियामक जैसे नागर विमानन महानिदशक (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और हवाई अड्डा आर्थिक विनियमन प्राधिकरण (एईआरए) विमानन प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। यूरोपीय संघ, एफएए और आईसीएओ जैसे अंतरराष्ट्रीय नियामक अंतरराष्ट्रीय प्रचालन को विनियमित करते हैं और मानकों को निर्धारित करते हैं जो भारतीय विमानन को भी महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं।

1.7 नियामक सेवा प्रदाता जैसे सीआईएसएफ प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। वे यात्रियों और प्रचालकों के लिए विमानन वातावरण को सुरक्षित बनाने में योगदान करते हैं। वे नागर विमानन प्रतिष्ठानों को महत्वपूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।

1.8 गृह मंत्रालय की सुरक्षा कारणों से नागर विमानन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे सुरक्षा मुद्दों को संभालने के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भी प्रदान करते हैं। उन्हें नागर विमानन मंत्रालय को आपदा प्रबंधन, बचाव कार्यों और पुलिस गतिविधियों में भागीदार बनाने की भी आवश्यकता है।

1.9 जैसा कि समय बीतने के साथ नागर विमानन के क्षेत्र में **एमआरओ** के अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है, इस गतिविधि से संबंधित एजेंसियों के प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरने की संभावना है। उनकी आवश्यकताएं अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी के आसान आयात और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता से संबंधित हैं।

1.10 नागर विमानन क्षेत्र क्षेत्र के विकास में पायलटों के साथ–साथ इंजीनियरिंग तकनीकविदों दोनों के लिए **प्रशिक्षण स्कूलों** का बड़ा योगदान है। तुलनात्मक रूप से अलग वातावरण में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय उड़ान विद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, इन संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन करने हेतु समान वैश्विक वातावरण की आवश्यकता होती है। वे एक गतिशील नियामक व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं जो उद्योग के बदलते प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की जरूरतों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

1.11 नागर विमानन प्रचालन काफी हद तक कुशल ग्राउंड हैंडलिंग पर निर्भर करता है। ग्राउंड **हैंडलिंग एजेंसियां** इस प्रकार प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

1.12 तेल विपणन कंपनियां ईंधन की आपूर्ति के माध्यम से नागर विमानन का बुनियादी सहयोग प्रदान करती हैं। वे उद्योग की प्रचालन आपूर्ति श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

1.13 वित्त मंत्रालय कर व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था तय करता है जिसमें उद्योग संचालित होता है इसलिए वे भी नागर विमानन के विकास और विस्तार में भारी योगदान करते हैं।

1.14 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और नगरपालिका एजेंसियां हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। वे सेवाओं तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं और इसलिए क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख योगदान कारक हैं। वे हवाई अड्डे के निकट बसावटों के विकास और विमान प्रचालन को प्रभावित करने वाले भवन विनियमों के कार्यान्वयन को भी नियंत्रित करते हैं।

1.15 विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता (एएनएसपी) प्रचालन के सभी चरणों (एप्रोच, एयरोड्रम और एन–रूट) के दौरान हवाई यातायात को सेवाएं प्रदान करता है। विशिष्ट अधिदेश के आधार पर, एएनएसपी हवाई क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित में से एक या अधिक सेवाएं प्रदान करता है: –

- विमान यातायात प्रबंधन (एटीएम)
- संचार दिक्चालन और निगरानी प्रणाली (सीएनएस)
- मौसम विज्ञान सेवा (एमईटी)
- खोज और बचाव (एसएआर)
- वैमानिकी सूचना सेवाएं/वैमानिकी सूचना प्रबंधन (एआईएस/एआईएम)।

एएनएसपी के रूप में भाविप्रा प्रत्यायोजित हवाई क्षेत्र में वायु दिक्चालन सेवाओं के प्रावधान के लिए उत्तरदायी है। वायु दिक्चालन सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा के दायरे में भारत के सभी नागर हवाई अड्डे सम्मिलित हैं जिनमें सम्मिलित हैं: –

- संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे
- सार्वजनिक हवाई अड्डे
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
- राज्य सरकार के हवाई अड्डे, और
- निजी हवाई अड्डे
- पीपीपी हवाई अड्डे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दीर्घकालिक और स्थायी आधार पर पर्यावरणीय लाभ के साथ विमान प्रचालन की सुरक्षा, दक्षता, लागत–प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय–समय पर सीएनएस/एटीएम बुनियादी ढांचे का उन्नयन करता है।

1.16 संचार मंत्रालय जो भारतीय पायलटों के लिए वायरलेस परीक्षा आयोजित करता है, एक महत्वपूर्ण हितधारक है, वे वायरलेस कनेक्टिविटी भी प्रदान करते हैं जो हवाई यातायात प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

1.17 विमान और इंजन के निर्माता उद्योग के बुनियादी हार्डवेयर प्रदान करते हैं। वे अपनी मार्केटिंग रणनीतियों और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से दिशा और गति प्रदान करते हैं। वे उस समय प्रचलित कराधान के मुद्दों से प्रभावित होते हैं।

2. उद्योग विकास

2.1 कोविड-19 महामारी

2021–22 में, भले ही देश को कोविड–19 की दूसरी और तीसरी लहर का व्यापक रूप से सामना करना पड़ा, हवाई यात्री यातायात में एक प्रभावशाली सुधार देखा गया है, जो मुख्य रूप से अंतर्देशीय क्षेत्र द्वारा समर्थित है। देश में महामारी के कठिन दौर के दौरान, भारत सरकार ने अपनी निम्नलिखित प्रमुख पहलों द्वारा सहायता प्रदान की: –

(i) अंतर्देशीय/अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का कैलिब्रेटेड ओपनिंग

(ii) महामारी के दौरान अंतर्देशीय क्षेत्र में किराया कैपिंग

(iii) लाइफलाइन उड़ान

(iv) वंदे भारत मिशन (वीबीएम)

(v) "ट्रांसपोर्ट बब्ल्स" या "एयर ब्रिजेज"

वैक्सीनरोल–आउट की त्वरितगति और विश्वस्तर पर यात्रा प्रतिबंधों में ढील (27 मार्च 2022 से प्रभावी अंतरराष्ट्रीय यात्रा को पुनः आरंभ करने सहित) के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र में वापसी आरंभ हो गई है। अक्टूबर 2022 में कुल यात्रियों की संख्या 137.51 लाख तक पहुंच गई है जो पूर्व–कोविड स्तर (146.25 लाख) का 94 प्रतिशत था।

महीने–दर–महीने बढ़ने के अतिरिक्त, विमान कार्गो प्रचालन पहले से ही अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के साथ जोरदार प्रदर्शन कर रहा है, व्यापार विश्वास में एक मजबूत सकारात्मक बदलाव द्वारा समर्थित है, और ई–कॉमर्स के माध्यम से अंतर्देशीय मांग में वृद्धि हुई है।

मार्च, 2019 में कुल विमान कार्गो टन भार 3.09 लाख मीट्रिक टन था, जबकि औसत पूर्व–कोविड स्तर का कार्गो टन भार 2.83 लाख मीट्रिक टन था। अक्टूबर, 2022 के दौरान कार्गो टन भार 2.57 लाख मीट्रिक टन था, जो कि पूर्व–कोविड अवधि 2019–20 में मासिक औसत टन भार का 91.33% है।

भारत का विमानन क्षेत्र कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न अशांति से धीरे–धीरे उबरने की राह पर है। सरकार और उद्योग द्वारा अपनाए गए तेज उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के दीर्घकालिक पुनस्थान की उम्मीद है।

2.2 रूस यूक्रेन संघर्ष

रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव के कारण मुख्य रूप से जून 2022 से अंतर्देशीय यातायात में कमी देखी गई, क्योंकि एटीएफ की उच्च लागत के कारण हवाई टिकट की कीमत में वृद्धि हुई थी। यद्यपि, मार्च, 2022 से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रचालन आरंभ होने के कारण समग्र प्रभाव बहुत कम था।

मार्च– 2022 से अक्टूबर– 2022 तक एक साथ सभी भारतीय हवाईअड्डों पर संचालित कुल यात्री यातायात नीचे दिया गया है:

सभी भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही (लाखों में)

महीना	अंतरराष्ट्रीय	अंतर्देशीय	कुल
मार्च–22	33.12	211.23	244.35
अप्रैल –22	35.14	208.28	243.42
मई–22	40.96	227.57	268.54
जून–22	44.22	208.55	252.77
जुलाई–22	46.79	192.66	239.44
अगस्त–22	45.89	200.93	246.82
सितम्बर 22	44.69	204.76	249.45
अक्टूबर –22	47.79	226.74	274.53

ऑपरेशन गंगा : सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। 1 फरवरी से 11 मार्च 2022 तक लगभग 23500 भारतीय नागरिक यूक्रेन से भारत लौटे। कुल मिलाकर, 14 भारतीय वायु सेना की उड़ानों सहित 90 निकासी उड़ानें "ऑपरेशन गंगा" के अंतर्गत प्रचालित की गईं। छह (6) भारतीय अनुसूचित वाहक अर्थात् एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और गो फर्स्ट यूक्रेन से निकासी उड़ानों के प्रचालन में सम्मिलित थे।

ए. **यूक्रेन के साथ एयर बबल व्यवस्था:** भारत की यूक्रेन के साथ एयर बबल व्यवस्था थी जिसे अक्टूबर 2020 में अंतिम रूप दिया गया था। बबल के अंतर्गत, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस प्रत्येक दिशा में 400 सीटों/सप्ताह का प्रचालन कर रही थी, जबकि भारत–यूक्रेन मार्ग पर कोई भारतीय वाहक नहीं चल रहा था। यद्यपि, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव और विदेश मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद, सीट क्षमता पर प्रतिबंध को हटाने और एयर बबल के अंतर्गत चार्टर उड़ानों की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे यूक्रेन ने 16 फरवरी, 2022 को स्वीकार कर लिया था।

बी. **यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद करना:** यद्यपि, यूक्रेन के विरूद्ध रूस द्वारा विशेष सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को 24 फरवरी, 2022 की सुबह से बंद कर दिया गया था।

सी. "ऑपरेशन गंगा" के तहत शहरों से निकासी उड़ानें: ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत, निकासी उड़ानें कीव (यूक्रेन), बुखारेस्ट और सुकेवा (रोमानिया), बुडापेस्ट (हंगरी), रेज्जो (पोलैंड) और कोसिसे (स्लोवाकिया) से प्रचालित की गईं।

डी. निकासी अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में प्रतिनियुक्त किया गया था: श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (रोमानिया), श्री हरदीप सिंह पुरी (हंगरी), जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह (पोलैंड) और श्री किरेन रिजिजू (स्लोवाकिया)।

ई. निकासी उड़ानों के लिए किराया भुगतान: एयर इंडिया ने 22 फरवरी, 2022 को कीव से नई दिल्ली के लिए एक वाणिज्यिक उड़ान प्रचालित की, जिसके लिए यात्रियों ने टिकट खरीदे थे। "ऑपरेशन गंगा" के अंतर्गत प्रचालित बाद की सभी निकासी उड़ानों की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी।

2.3 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) – भारत सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) नीति के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–25 में मुद्रीकरण के लिए पच्चीस (25) हवाई अड्डों की पहचान की गई है। एनएमपी नीचे निर्दिष्ट चरणों के अनुसार निम्नलिखित हवाई अड्डों के मुद्रीकरण का प्रावधान करता है:

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम
वित्त वर्ष 2021-22 में 6 एयरपोर्ट		**वित्त वर्ष 2023-24 में 6 एयरपोर्ट**	
1	भुवनेश्वर	1	चेन्नई
2.	वाराणसी	2	विजयवाड़ा
3.	अमृतसर	3	तिरुपति
4.	त्रिची	4	वडोदरा
5.	इंदौर	5	भोपाल
6.	रायपुर	6	हुबली
वित्त वर्ष 2022-23 में 8 हवाई अड्डे		**वित्त वर्ष 2024-25 में 5 हवाईअड्डे**	
1	कालीकट	1	इम्फाल
2	कोयंबटूर	2	अगरतला
3	नागपुर*	3	उदयपुर
4	पटना	4	देहरादून
5	मदुर	5	राजमुंदरी
6	सूरत		
7	रांची		
8	जोधपुर**		

ध्यान दें: *नागपुर एक संयुक्त उद्यम हवाई अड्डा है (भाविप्रा के पास 49% और महाराष्ट्र सरकार (जीओएमएच) की 51% इक्विटी है) और हवाईअड्डा जीओएमएच द्वारा पीपीपी की प्रक्रिया के अंतर्गत है ।*

नोट: *जोधपुर एक सिविल एन्क्लेव है। रक्षा मंत्रालय को इस संबंध में कार्रवाई करनी है।*

पीपीपी समझौते के अगले दौर के लिए, भाविप्रा ने चुनिंदा बड़े हवाई अड्डों को छोटे हवाई अड्डों के साथ उपयुक्त रूप से जोड़/युग्मित करके 11 (ग्यारह) हवाईअड्डों की सिफारिश की है।

2.4 कृषि उड़ान योजना 2.0 को अक्टूबर 2021 में छह महीने की पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जो पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चयनित हवाई अड्डों,मुख्य रूप से लगभग एनईआर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के 25 हवाई अड्डे, और अन्य क्षेत्रों में 28 हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय मालवाहकों और यात्री से कार्गो (पी2सी) के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी), और रूट नेविगेशन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) की पूर्ण छूट द्वारा हवाई परिवहन के माध्यम से कृषि–उत्पाद की आवाजाही को सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है।

आगे, कृषि उड़ान 2.0 के मूल्यांकन के बाद पांच और हवाई अड्डों को सम्मिलित किया गया है, इस प्रकार यह 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए 58 हवाई अड्डों में सम्मिलित हो गया है।

संभाला गया पेरिशेबल विमान कार्गो (अखिल भारतीय):

वित्तीय वर्ष	भार टन में (एमटी में)	वृद्धि (:)
2020-21	54,273	-
2021-22	79,501	46%

2.5 भारतीय विमानन उद्योग में अन्य विकासकार्य हैं: -

(i) इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में एआईएल की 100% शेयर धारिता और एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% शेयरधारिता सहित एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश, 27.01.2022 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

(ii) ड्रोन नियम

- 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 की अधिसूचना।
- 30 सितंबर 2021 को ड्रोन के लिए प्रोडक्शन–लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की अधिसूचना

(iii) हवाई अड्डों के आसपास के भवनों की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले वर्तमान ऊंचाई नियमों में संशोधन।

(iv) उड़ान के अंतर्गत अंतिम मील संपर्कता के लिए छोटे विमानों को बढ़ावा देने हेतु नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लघु विमान योजना का शुभारंभ।

(v) हेलीकाप्टर प्रोत्साहन नीति की शुरुआत।

(vi) मई 2022 में 22 मार्च, 2068 तक 30 वर्षों की एक और अवधि के लिए जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ रियायत समझौते का विस्तार ।

(vii) 23 मई, 2068 तक 30 साल की एक और अवधि के लिए बैंगलोर अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के साथ रियायत समझौते का विस्तार

(viii) अगस्त 2022 में एक नई एयरलाइन–अकासा एयर द्वारा प्रचालन आरंभ करना

(ix) एयर बबल अरेंजमेंट्स के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे वाहकों के लिए उचित और समान व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

(x) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से एयरलाइनों को समर्थन जैसे कि करों का युक्तिकरण, एक अनुकूल विमान पट्टा और वित्तपोषण वातावरण का निर्माण, द्विपक्षीय यातायात अधिकारों का प्रभावी उपयोग और विमान दिक्चालन सुविधाओं में सुधार आदि।

(xi) आधुनिक चौड़े आकार वाले विमान खरीदने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन।

(xii) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा और अंतर्देशीय अनुसूचित यात्री एयरलाइन में स्वतः मार्ग के तहत 100% एफडीआई। यद्यपि, 49% से अधिक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

3. देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई अड्डों के विकास सहित भारत में नागर विमानन क्षेत्र के विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहल/उपलब्धियां

यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए भाविप्रा एयरसाइड और टर्मिनल साइड अवसंरचना, विमान दिक्चालन सेवाओं के आधुनिकीकरण और विकास और हवाई अड्डों पर अपनी सेवाओं में सुधार करने में सदैव अग्रणी रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप हवाई सुरक्षा और यात्रियों की संतुष्टि में सुधार हुआ है, जैसा कि यात्री अनुभव सर्वेक्षण परिणामों में परिलक्षित होता है।

वर्तमान में, सामान्य रूप से क्षेत्र और विशेष रूप से भाविप्रा की सर्वोच्च प्राथमिकता देश में हवाई अड्डा अवसंरचना की छवि को बदलना, सर्वश्रेष्ठ ग्राहक–अनुकूल बनना और दुनिया में सबसे अच्छे प्रबंधन वाले हवाई अड्डों के बराबर होना है। हम अपने हवाई अड्डों को अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ सज्जित कर, विमान दिक्चालन सुविधाओं के लिए वैश्विक रुझानों के अनुरूप प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, आकाश और भूमि दोनों में सुरक्षा और प्रचालन दक्षता बढ़ाकर इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

अपने हवाई अड्डों पर सेवाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए भाविप्रा के निरंतर प्रयासों ने इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा किए गए एएसक्यू (हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता) पुरस्कारों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाताओं के बीच रखा है।

भाविप्रा कोविड–19 आपदा का उपयोग विकास पथ पर जारी रखने और मानव पूंजी और भौतिक अवसंरचना दोनों के संदर्भ में प्रणालीगत सुधारों को जारी रखने के अवसर के रूप में कर रहा है। विमानन सेक्टर में मानव संसाधन के संबंध में भाविप्रा द्वारा की गई पहलों को इस रिपोर्ट में एक अलग खंड में पेश किया गया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई अड्डों के विकास सहित भारत में नागर विमानन क्षेत्र के विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए भाविप्रा की पहल/उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

3.1 विकास कार्य:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण और नए हवाई अड्डे, मौजूदा टर्मिनल का विस्तार/संशोधन, नए टर्मिनल, मौजूदा रनवे का विस्तार/सुदृढ़ीकरण, एप्रन, एएनएस कार्य जैसे कंट्रोल टॉवर, तकनीकी ब्लॉक आदि सहित हवाई यातायात/यात्रियों की वृद्धि की आवश्यकता हेतु 25000 करोड़ रुपये से अधिक की कैपेक्स योजना शुरू की है।

इसके अतिरिक्त, भाविप्रा और राज्य सरकार आरसीएस–उडान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों को आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। 30.11.2022 तक, विभिन्न एयरलाइनों को 1096 वैध निर्धारित मार्ग आबंटित किए गए हैं और जिनमें से 70 असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों (9 हेलीपोर्ट और 02 जल हवाई अड्डे सहित) को जोड़ने वाले 451 आरसीएस मार्गों का प्रचालन किया गया है। आरसीएस–उड़ान के जरिए 30.11.2022 तक कुल 110 लाख (लगभग) अंतर्देशीय यात्रियों ने यात्रा की।

नए हवाई अड्डों/सुविधाओं के शिलान्यास/उद्घाटन, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पूरे किए गए कार्यों, स्वीकृत योजनाओं की प्रगति, और 31.03.2022 तक की योजनाधीन कार्यों का विवरण **अनुलग्नक-3** में प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, 01.04.2022 से निम्नलिखित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है:–

– देवघर हवाई अड्डाय
– होलोंगी हवाई अड्डाय

3.2 हवाई अड्डों को लीज़ पर देना:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए छह हवाई अड्डों नामतः अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को 50 वर्ष की लीज़ अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत उच्चतम बोली लगाने वाले यानी मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को दिया है।

अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों के लिए रियायत अनुबंधों पर 14.02.2020 को तथा जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के लिए 19.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए। रियायती अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के 180 दिनों के भीतर रियायतग्राही को हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यद्यपि, कोविड–19 के कारण मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद हवाई अड्डों को क्रमशः 31.10.2020, 02.11.2020, 07.11.2020 को और गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डों को क्रमशः 08.10.2021, 11.10.2021 और 14.10.2021 को रियायतग्राही द्वारा लिया गया था।

3.3 रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एम आर ओ):

नागर विमानन मंत्रालय ने एक नई नीति की घोषणा की है, जिसने क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए खुली निविदाओं के माध्यम से भूमि को पट्टे पर देना और व्यवसाय करने में सुविधा के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एम आर ओ) व्यवसाय के लिए ली जाने वाली रॉयल्टी को समाप्त करना सम्मिलित है ।

एमओसीए द्वारा जारी एमआरओ दिशानिर्देशों के आधार पर, 12 एमआरओ साइटों पर एमआरओ की स्थापना के लिए भाविप्रा द्वारा 5 हवाई अड्डों पर एमआरओ राउंड–1 की खुली निविदा की कार्रवाई आरंभ की गई है। दिनांक 22.02.2022 को भोपाल हवाई अड्डे के साइट–1 एवं साइट–2 हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात, अप्रैल 2022 में 5 हवाई अड्डों पर 13 एमआरओ साइटों के लिए एमआरओ राउंड–2 निविदा कार्रवाई शुरू की गई। चेन्नई के साइट–1, जुहू के साइट–1 और कोलकाता एयरपोर्ट के साइट–1 के लिए 10.10.2022 को आशय पत्र जारी किया गया।

3.4 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ)

एफटीओ की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) एक उदारीकृत एफटीओ नीति लेकर आया है जिसमें विमानपत्तन रॉयल्टी की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि के किराए को युक्तिसंगत बनाया गया है।

30.11.2022 तक, भाविप्रा द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर 15 एफटीओ साइटें आवंटित की गई हैं, जिनमें से 4 (जलगाँव–1, कलबुर्गी–2 और लीलाबाडी–1) पर प्रचालन आरंभ किया जा चुका है।

3.5 डिजिटल स्काई प्लेटफार्म:

इस डिजिटल स्काई परियोजना का उद्देश्य भारत में ड्रोन परितंत्र (इकोसिस्टम) को आरंभ करने के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करना है। इस प्लेटफार्म की परिकल्पना विभिन्न हितधारकों को एक ही मंच पर लाने के लिए सुविधाएँ प्रदान करने हेतु की गई है जिससे मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के लिए निर्माताओं, प्रचालकों, ड्रोन, उड़ान योजना के पंजीकरण और मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के लिए अनुमति, यूएएस की रियल टाइम ट्रैकिंग, मतभेद प्रबंधन और उड़ान लॉग विश्लेषण को सक्षम बनाया जा सके।

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का पहला चरण आरंभ हो गया है। ड्रोन नियम 2021 का अनुपालन करने हेतु सिस्टम में विस्तार किया गया है।

3.6 डिजी यात्रा:

"डिजी यात्रा" का उद्देष्य भारत में अंतर्देशीय हवाई यात्रियों को एक सहज, निर्बाध और कागज रहित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। अत्याधुनिक पहचान प्रबंधन और "चेहरे की पहचान" तकनीकों का उपयोग करते हुए, इसका उद्देश्य टर्मिनल प्रवेश द्वार, चेक–इन/बैग ड्रॉप, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट से हवाई अड्डे के विभिन्न चेक पॉइंट्स पर यात्री प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है।

डिजी यात्रा पहल के एक भाग के रूप में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 04 हवाई अड्डों (कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और वाराणसी) पर बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम (बीबीएस) के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपा गया है और इन हवाई अड्डों पर आवश्यक अवसंरचना स्थापित की गई है। वाराणसी हवाई अड्डे पर एक एयरलाइन का यात्रियों के साथ प्रत्यक्ष ट्रायल चल रहा है।

डिजी यात्रा के साथ, यात्रियों को अब हवाईअड्डे पर कई जांच बिंदुओं पर अपने टिकट/बोर्डिंग पास और अपने पहचान पत्र प्रत्यक्ष रूप से दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पंक्तियों में लगाने वाले प्रतीक्षा समय में कमी आएगी, प्रक्रमण समय में तेजी आएगी और प्रक्रियाएं सरल होंगी।

3.7 एयर सेवा

एयर सेवा नागर विमानन मंत्रालय की एक ऐसी पहल है जिसे यात्रियों को सुविधाजनक और निर्बाध हवाई

यात्रा का अनुभव प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में आरभ किया गया था। एयर सेवा प्लेटफॉर्म हवाई यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए हवाई अड्डों, एयरलाइंस, डीजीसीए, बीसीएएस आदि जैसे विभिन्न विमानन हितधारकों को एक सामूहिक मंच पर लाता है, इस प्रकार यह विमानन क्षेत्र में ऐसे विभिन्न हितधारकों को एकीकृत करता है जिनके साथ एक हवाई यात्री को यात्रा के दौरान संपर्क करना होता है।

संबंधित आईओएस और एंड्रॉइड ऐप के साथ एयरसेवा 3.0 संस्करण का अतिरिक्त सुविधाओं जैसे उड़ान की उन्नत जानकारी और उड़ानों की ट्रैकिंग, सोशल मीडिया एकीकरण, हितधारकों के बीच शिकायत हस्तांतरण, उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायत करने या एसएलए समाप्ति पर, नोडल अधिकारी और सार्वजनिक मंच हेतु विचार–विमर्श के लिए बढ़ी हुई वृहद भूमिकाएं एवं अनुमतियां के साथ शुभारंभ किया गया है ।

3.8 अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) की वैधता में वृद्धि

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 770 (ई) दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से भाविप्रा द्वारा जारी एनओसी की वैधता को आठ वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्माण क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा कर दिया गया है।

3.9 वायु क्षेत्र का इष्टतम उपयोग

भाविप्रा का मानना है कि भारत का वायु क्षेत्र बहुत जटिल है और इससे चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसी ही एक चुनौती वायु क्षेत्र का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जिसके लिए व्यापक योजना और प्रबंधन की आवश्यकता है। भारतीय वायु क्षेत्र के इष्टतम उपयोग से उड़ान समय, ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। वायु सेना के नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने से प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपए की बचत होगी।

वायु क्षेत्र के स्थिति अनुरूप उपयोग (एफयूए) के अंतर्गत, निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैं:

- छियासी (86) सशर्त मार्गों की स्थापना
- एआईपी इंडिया से भारतीय सेना के दस (10) फील्ड फायरिंग रेंज (एफएफआर) को वापस लेना
- दो (02) खतरे वाले क्षेत्रों की ऊपरी सीमा कम की गई
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ), भारतीय नौसेना, तट रक्षक, एचएएल, सिविल एटीसी अधिकारियों और एयरलाइन अधिकारियों के अधिकारियों (कुल 670) के लिए वायु क्षेत्र के स्थिति अनुरूप उपयोग पर पांच (05) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए

एटीएस मार्ग

- बत्तीस (32) अधिक कुशल एटीएस मार्गों की स्थापना और पुनरसंरेखण का कार्य पूरा हुआ
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एटीएस मार्ग संपर्कता का इष्टतमीकरण पूरा किया गया
- तेरह (13) कम उपयोग किए गए एटीएस मार्गों को स्थायी रूप से वापस ले लिया गया

पीबीएन मार्ग

- ग्यारह (11) आरएनपी 2 एटीएस मार्ग स्थापित किए गए
- चार (04) एटीएस मार्गों पर आरएनपी 2 अनुमोदित विमानों के बीच अनुदैर्ध्य पृथक्करण को घटाकर 20 एनएम कर दिया गया

3.10 संचार इकाई

i. एएनएस सुविधाओं की औसत उपयोगिता 99.84% और औसत उपलब्धता 99.74% है। यह उपयोगिता और उपलब्धता विश्व के अन्य अग्रणी वायु दिक्चालन सेवा प्रदाता के समकक्ष है।

ii. ***संचार सुविधाएं***

ए) निम्नलिखित सुविधाओं के लिए डब्ल्यूपीसी (वायरलेस प्लानिंग कमीशन) से 43 निर्णय पत्र (डीएल) और 33 एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) मंजूरी प्राप्त हुई: –

बी) 34 डब्ल्यूपीसी आशय पत्र (वायरलेस प्लानिंग कमीशन लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किए गए हैं।

सी) सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के लिए 12 डब्ल्यूपीसी आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं।

डी) 04 डब्ल्यूओएल (वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस) जारी किए गए हैं।

ई) निम्नलिखित संचार सुविधाएं आरंभ की गई हैं : –

i) देवघर हवाई अड्डे पर वी एच एफ टी एक्स/आर एक्स (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ट्रांसमीटर/रिसीवर), डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर (डी वी आर) और अन्य सहायक सिस्टम ।

ii) नई डेटिस प्रणाली (मेक सिस्टेक) को आरजीआईए, शमशाबाद, हैदराबाद में सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है तथा

iii) मोपा हवाई अड्डे गोवा और पटना हवाई अड्डे पर डीवीआर आरंभ किया गया।

iii. दिक्चालन उपकरण – सुरक्षित उड़ान प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु, भूमि पर एक बिंदु के सापेक्ष सटीक स्थान (लोकेशन), ऊंचाई और दिगंश का निर्धारण करने के लिए विमानों द्वारा दिक्चालन उपकरणों का उपयोग किया

जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित दिक्चालन उपकरणों को स्थापित/प्रतिष्ठापित किया गया है:

ए) डीवीओआर/डीएमई को निम्नलिखित हवाईअड्डों पर प्रचालन/ पुनः आरंभ/आरंभ किया गया:

शिमला हवाई अड्डा; विशाखापत्तनम; हैदराबाद (बेगमपेट); कडप्पा (आंध्र प्रदेश); कांचीपुरम; सकरस; तमिलनाडु में टूथुकुडी (तूतीकोरिन); मोपा (गोवा); बीआईएएल (कर्नाटक); कोचीन; वडोदरा; डिबरूगढ़; होलोंगी;

बी) विजयवाड़ा में आईएलएस–जीपी/एलपीडीएमई

सी) कोलकाता आई एल एस–आर डब्लू वाई 19एल को फिर से प्रचालित किया गया

डी) पंतनगर में एन डी बी (एस ए सी 100)

iv. निगरानी -

ए) नए एडीएस-बी (स्वचालित अवलंबित निगरानी-प्रसारण) को आरंभ करना

हवाई अड्डों पर वायु दिक्चालन सेवाओं की अवसरचना में निरंतर सुधार हेतु, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद, रांची, बीकानेर, धनबाद और जबलपुर हवाई अड्डे पर ग्राउंड बेस्ड ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट (एडीएस–बी सुविधा) (जी ई सी आई/जी टी–280) आरंभ किया है। उपकरण का विनिर्माण मैसर्स जीईसीआई एस्पानोला एसए द्वारा किया जाता है। प्रत्येक साइट पर परियोजना की कुल लागत लगभग 71 लाख रुपए है।

बी) एएसआर-एमएसएसआर का आरंभ

हवाई अड्डों पर वायु दिक्चालन सेवाओं की अवसरचना में निरंतर सुधार हेतु, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बेंगलुरु और जयपुर हवाई अड्डे पर नई ए एस आर–एम एस एस आर सुविधाएं (विमानपत्तन निगरानी राडार–मोनोपल्स माध्यमिक निगरानी राडार) आरंभ की हैं, उपकरणों का विनिर्माण मैसर्स ई एल डी आई एस द्वारा किया जाता है।

v. एटीएम ऑटोमेशन सिस्टम अपग्रेड : - सीएनएस/एटीएम ऑटोमेशन सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायु यातायात प्रबंधन में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कार्य किए गए:

– पीबीसीएस (निष्पादन आधारित संचार और निगरानी) चेन्नई के लिए एसएटी (साइट स्वीकृति परीक्षण) सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

– अनुबंध के लिए भारत एच आई ए एल (HIAL) और बी आई ए एल (BIAL) ऑटोमेशन/ए एस एम जी सी एस (ASMGCS) (एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम) सिस्टम अपग्रेड अतिरिक्त अनुरोध "मैसर्स लियोनार्डो के साथ अनुबंध, बी आई ए एल और एच आई ए एल का कार्य पूरा हुआ।

vi. एटीएसईपी (वायु यातायात सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक) प्रशिक्षण और अन्य संबंधित प्रावधानों के नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना,

ए) 437 एटीएसईपी को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया,

बी) पी ए ए सी एस (PAACS) (प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण और क्षेत्र नियंत्रण सिम्युलेटर) पर विदेशी प्रशिक्षण सिंगापुर में आयोजित किया गया तथा अपने देश में सी ए टी सी एवं गोंदिया में प्रशिक्षण पूरा किया गया,

सी) एटीएसईपी को हैदराबाद में एचटीसी सिम्युलेटर प्रशिक्षण दिया गया है।

डी) एसएसओ प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की गई.

ई) इकाओ दस्तावेज 10057 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार, 4 पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरी तरह से पारंपरिक पद्धति से सी बी टी/ए (CBT/A) (योग्यता आधारित प्रशिक्षण/मूल्यांकन) पद्धति में सम्मिलित कर दिए गए।

एफ) एटीएसईपी से जुड़ी विभिन्न कार्यात्मकताओं पर प्रकाश डालने के लिए कुल 8 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

vii. **सीएनएस सिमुलेशन अध्ययन:**– नए हवाई अड्डों पर सीएनएस सुविधा की स्थापना की व्यवहार्यता के लिए सीएनएस सिमुलेशन अध्ययन और विभिन्न मास्ट, मल्टीपाथ संरचनाओं आदि के अंतर्गत प्रचालन सीएनएस सुविधाओं पर प्रस्तावित संरचना के प्रभाव का आकलन लगभग 84 मामलों के लिए पूरा कर लिया गया है।

viii. वास्तविक समय के आधार पर वायु यातायात प्रबंधन के लिए वायुयान और अन्य एटीएस इकाइयों और बाहरी एजेंसियों के साथ हवाई यातायात नियंत्रकों द्वारा किए गए सभी ध्वनि संचारों को रिकॉर्ड करने के लिए 70 डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर (डीवीआर) खरीदे गए। इस परियोजना की आपूर्ति माह सितम्बर–2021 में पूर्ण कर ली गयी है.

3.11 ओटोमेशन इकाई

i. भाविप्रा ने एचटीसी, हैदराबाद के लिए प्रशिक्षण सिम्युलेटर खरीदा है। प्रतिष्ठापन प्रगति पर है। साइट एक्सेप्टेन्स टेस्ट (एस ए टी) 25.03.2022 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

ii. भाविप्रा ने अप्रैल 2021 में सी ए टी सी प्रयागराज, एच टी सी हैदराबाद और नियताम गोंदिया में भाविप्रा प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ई ए एस ए फ्लाइट नेविगेशन एंड प्रोसीजर ट्रेनर (एफ एन पी टी) मल्टी क्रू कोऑर्डिनेशन (एम सी सी) लेवल 2 के एयरबस 320 परिवार के एयरक्राफ्ट के लिए फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग डिवाइस (एफ एस टी डी) के 03 एस आई टी सी हेतु एक आदेश दिया है। कॉकपिट सिमुलेटर हेतु साइट एक्सेप्टेन्स टेस्ट (एस ए टी) 26.03.2022 को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

iii. सी ए टी सी, नियताम गोंदिया और हैदराबाद प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण और क्षेत्र नियंत्रण सिमुलेटर के लिए क्रय आदेश जारी किया गया है।

iv. **एटीएस मैसेज हैंडलिंग सिस्टम (एएमएचएस)** जिसे पैन–इंडिया आधार पर **एयरोनॉटिकल मैसेज हैंडलिंग सिस्टम** के रूप में भी जाना जाता है, को मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीएस कॉम्प्लेक्स और भारत के विभिन्न स्टेशनों/हवाई अड्डों पर इसके उपयोगकर्ता उपकरणों में स्थापित किया जाएगा। ए एम एच एस को मौसम विज्ञान प्रणाली, अन्य सी एन एस/ए टी ए ओटोमेशन प्रणालियों के साथ भी एकीकृत किया जाएगा। एटीएस मैसेज हैंडलिंग सिस्टम (एएमएचएस) की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

v. **मुंबई, नवी मुंबई, मोपा (एएसएमजीसीएस के बिना), एचआईएएल तथा बीआईएएल के लिए एटीएम ऑटोमेशन सिस्टम और एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम (एसएमआर और एमलैट्स सहित) की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण एवं प्रचालनः** तकनीकी बोली खोली गई। इस परियोजना के लिए बोली के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य जारी है।

3.12 नव-ऐड्सयूनिट

उन स्टेशनों की सूची जहाँ वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नव–ऐड्स उपकरण संस्थापित और चालू किए गए हैं:

सुविधाः एलपी-डीएमई के साथ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस)।			
क्र.सं.	**हवाईअड्डे/स्टेशन**	**संस्थापना की तिथि**	**चालू होने की तारीख**
1	त्रिची	04.08.2021	19.09.2021
2	भोपाल	27.10.2021	09.12.2021
3	एचआईएएल	29.10.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
4	पोर्टब्लेयर (केवल एलएलजेड)	18.11.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
सुविधाः डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनीरेंज (डीवीओआर)			
क्र.सं.	**हवाई अड्डे/स्टेशन**	**संस्थापना की तिथि**	**चालू होने की तारीख**
1	हमुनपुई (लेंगपुई)	07.07.2021	16.12.2021
2	वड़ोदरा	10.09.2021	08.09.2022
3	भावनगर	11.09.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
4	गोवा	15.09.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
5	कडप्पा	30.09.2021	24.02.2022
6	कांचीपुरम	01.10.2021	21.04.2021
7	भोपाल	27.10.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
8	शिमला	06.11.2021	19.01.2022
9	कोयम्बतूर	21.01.2022	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
10	तूतीकोरिन	24.01.2022	16.06.2022

सुविधा: उच्चशक्ति-दूरीमापक उपकरण (एचपी-डीएमई)			
क्र.सं.	हवाई अड्डे/स्टेशन	संस्थापना की तिथि	चालू होने की तारीख
1	तूतीकोरिन	24.01.2021	16.06.2022
2	हमुनपुई	07.07.2021	16.12.2021
3	विशाखापत्तनम	25.08.2021	27.01.2022
4	गोवा	15.09.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
5	कडप्पा	30.09.2021	24.02.2022
6	हैदराबाद–पुराना	29.10.2021	05.02.2022
7	सकरास	10.01.2022	06.05.2022

सुविधा: कम शक्ति - दूरीमापक उपकरण (एलपी-डीएमई)			
क्र.सं.	हवाई अड्डे/स्टेशन	संस्थापना की तिथि	चालू होने की तारीख
1	एचआईएएल	15.09.2021	शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
2	हुबली	24.09.2021	16.12.2021
3	गोवा	14.09.2021	10.12.2021

3.13 रडार यूनिट

i. भाविप्रा ने नागपुर, वाराणसी, जयपुर और बंगलौर हवाई अड्डों (दूसरा रडार) के लिए मोनो–पल्स माध्यमिक निगरानी रडार (एमएसएसआर) के साथ प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु 4 हवाई अड्डा निगरानी रडारों (एएसआर) की खरीद की है। इनके प्रतिष्ठापित और प्रचालन का कार्य चल रहा है।

ii. ए–एसएमजीसीएस का उपयोग कम दृश्यता की स्थिति में हवाई अड्डे पर विमान और हेलीकॉप्टरों के सरफेस मूवमेंट के नियंत्रण एवं निगरानी के लिए किया जाता है। इनके प्रतिष्ठापन और प्रचालन का कार्य चल रहा है।

3.14 वैश्विक दिक्चालन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) यूनिट

गगन (जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेडनेविगेशन) प्रणाली: भाविप्रा उपयुक्त हवाई अड्डों के लिए गगन आधारित एलपीवी प्रक्रियाओं को डिजाइन और विकसित करने की प्रक्रिया में है ताकि समुचित ढंग से गगन से लैस विमानों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके। इस संबंध में भाविप्रा ने विभिन्न उपयुक्त हवाई अड्डों के लिए विकसित 22 गगन आध ारित एलपीवी प्रक्रियाओंके एनएवी डेटाबेस के सिम्युलेटर मूल्यांकन और विकास को पूरा कर लिया है। भाविप्रा के उड़ान निरीक्षण एकक (एफआईयू) के विमान (किंग एयर 350) ने गगन सेवा का उपयोग करते हुए कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 250 फीट की एलपीवी मिनिमा के साथ एक इंस्ट्रूमेंट एप्रोच प्रोसीजर (आईएपी) पर उड़ान भरी। प्रारंभिक गगन एलपीवी उड़ान परीक्षणों के भाग के रूप में 4 फरवरी 2022 को कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परीक्षण किया गया। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदन के बाद कन्नूर हवाई अड्डे (आरएनपी जेड आर डब्ल्यू वाई 07) की एलपीवी प्रक्रिया को वैमानिकी सूचना प्रकाशन (एआईपी) भारत में प्रकाशित किया जाएगा।

भारतीय एफआईआर के महासागरीय क्षेत्रों के लिए अंतरिक्ष-आधारित एडीएस-बी डेटा सेवा का कार्यान्वयन: भाविप्रा ने भारतीय एफआईआर (मुंबई, चेन्नई और कोलकाता) के महासागरीय क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों की निगरानी के लिए अंतरिक्ष आधारित ऑटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलांस–ब्रॉडकास्ट (एसएडीएस–बी) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है और 29 जनवरी 2021 से इसका प्रचालन प्रारम्भ किया है । वर्तमान में एसएडीएस–बीडेटा सेवाओं का उपयोग भारतीय एफआईआर के समुद्री क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले एसएडीएस–बी से लैस विमानों के लिए स्थितिजन्य जागरूकता के लिए किया जा रहा है। भारतीय एफआईआर के समुद्री क्षेत्रों के ऊपर विमान यातायात की दक्षता और क्षमता को बढ़ाने हेतु उड़ान पृथक्करण में कमी लाने के लिए एसएडीएस–बी सेवा के कार्यान्वयन हेतु अध्ययन जारी है।

3.15 एटीएस कर्मियों का प्रमाणन (कैप):

कैप निदेशालय को विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों की लाइसेंसिंग के कार्यान्वयन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय एवं भाविप्रा के बीच समन्वय तथा एयरक्राफ्ट नियम 1937 और संबंधित विनियमों के अनुसार विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं रेटिंग संबंधी कार्यों को देखने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भाविप्रा ने सम्पूर्ण भारत से विमान यातायात नियंत्रक के लाइसेंस (एटीसीओएल)

के कुल 135 आवेदन जमा किए और सभी को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त अवधि के दौरान 19 छात्र विमान यातायात नियंत्रक (एसएटीसीओएल) के लाइसेंस के आवेदन और 423 रेटिंग इंडोर्समेंट आवेदन एटीसीओ हेतु जमा किए गए और महानिदेशालय द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया।

वर्ष के दौरान कौशल (रेटिंग) मूल्यांकन बोर्ड (48 स्टेशनों सहित नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज, प्रयागराज, एचटीसी हैदराबाद और एनआईएटीएएम गोंदिया सहित), प्रवीणता मूल्यांकन बोर्ड (52 स्टेशनों पर), अनुदेशक/परीक्षक चयनबोर्ड (75 स्टेशनों पर) और प्रशिक्षण प्रभारी चयनबोर्ड (13 स्टेशनों पर) का गठन किया गया और तदनुसार 868 एटीसीओ का मूल्यांकन किया गया।

एटीसीओ के प्रशिक्षण और रेटिंग की प्रक्रिया में भाविप्रा को डेलिगेटिड कार्य के रूप में 365 ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (ओजेटीआई) और 310 प्रशिक्षकों के लिए भाविप्रा ने प्राधिकार जारी किए। एटीसीओ के सुचारित कार्यों के लिए भाविप्रा ने निम्नलिखित प्राधिकार जारी किए :

i. पुट्टापर्थी, अयोध्या, रूपसी, गोंदिया, चित्रकूट, बिलासपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़, सिंधुदुर्ग, श्रावस्ती, शिर्डी, म्यूरपुर, केशोद, देवघर, मेरठ हवाई अड्डों हेतु एयरक्राफ्ट नियम, 1937 केनियम 97 3 (i) के तहत नवस्थापित एटीसी इकाई (उड़ान योजना के तहत आरसीएस हवाईअड्डा) में रेटिंग के अनुमोदन के बिना एटीसी संबंधीकार्यों को करना।

ii. हिसार, कुशीनगर, जगदलपुर, पिथौरागढ़, दीमापुर, बारापानी, कांडला, मैसूरु, पुदुच्चेरी हवाई अड्डे हेतु एयरक्राफ्ट नियम, 1937 केनियम 97 3 (ii) के तहत रेटिंग के अनुमोदन के बिना अस्थायी रूप से एटीसी संबंधी कार्यों को करना।

विमान यातायात सेवा के कर्मियों से संबंधित कुछ एयरक्राफ्ट नियमों के उल्लंघन के लिए एयरक्राफ्ट नियम 1937 में संशोधन के माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा शामिल कुछ नए दंड पर एटीएम कर्मियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

निम्नलिखित के लिए भी नागर विमानन महानिदेशालय की मंजूरी ली गई:–

(i) **मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज, इलाहाबाद, एनआईएटीएम गोंदिया और एचटीसी हैदराबाद के लिए भाविप्रा का विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठन/परीक्षण सेवा प्रदाता (एईएलटीओ/टीएसपी)**

(ii) **34 एटीएस स्टेशनों का आरटीएम (रेटिंग प्रशिक्षण नियमावली): (शेष एटीएस स्टेशन के अनुमोदन प्रक्रिया में हैं)**

3.16 फ्लाइंग प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की स्थापना के लिए विमान यातायात प्रबंधन की दृष्टि से बीस (20) फ्लाइंग क्लबों/अकादमियों/संगठनों को भाविप्रा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

3.17 तीन (03) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और जयपुर के लिए अडानी के साथ तथा एक (01), नोएडा (जेवर) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (वाईआईएपीएल) के साथ सीएनएस/एटीएम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

3.18 ईएआईपी इंडिया का प्रथम एआईआरएसी संशोधन (संशोधन 01/2022) 16 दिसम्बर 2021 को अर्थात 27 जनवरी से प्रभावी होने से 42 दिन पहले जारी किया गया था। ईएआईपी इंडिया में विमान दिक्चालन के लिए आवश्यक स्थायी स्वरूप की जानकारी शामिल है। डाटा गुणवत्ता आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए 2.8 वर्ग एनएम हवाई क्षेत्र के एक हवाई क्षेत्र को कवर करते हुए, हजारों नोटम और सप्लीमेंट्स से वैमानिकी डाटा और वैमानिकी सूचना को एक दस्तावेज के रूप में संकलित करना एक बड़ी चुनौती है। एआईआरएसी प्रणाली के अनुसार भाविप्रा प्रत्येक 28 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से ईएआईपी संशोधन जारी करता रहा है

3.19 तकनीकी निदेशालय

i. **20 एम्बुलिफ्ट की खरीद :** भारत सरकार की "मेकइनइंडिया" नीति के अंतर्गत भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर 16 एम्बुलिफ्ट की आपूर्ति की गई है ताकि कम चल–फिर सकने वाले यात्रियों (पीआरएम)/दिव्यांग (विशेष रूप से सक्षम) यात्रियों को सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान की जा सके। एम्बुलिफ्ट का उपयोग कम चल–फिर सकने वाले यात्रियों (पीआरएम)/दिव्यांग (विशेष रूप से दिव्यांग) यात्रियों को, उनके निर्बाध स्थानांतरण और अवरोध रहित आवागमन को सुनिश्चित करते हुए, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर या अन्यसुविधाओं के साथ विमान के मुख्य डेक में ले जाने और उससे बाहर लाने के लिए किया जाएगा। शेष 04 एम्बुलिफ्ट की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022–23 में की जाएगी।

ii. **02 ट्रक माउंटेड इमरजेंसी रेस्क्यू सीढ़ियों की खरीद:** 02 ट्रक माउंटेड इमरजेंसी रेस्क्यू सीढ़ियों की आपूर्ति और सीएएमसी के लिए मै. एनएएफसीओ, दुबई को एक क्रय आदेश जारी किया गया है। उनका प्रचालन संबंधी उपयोग चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर किया जाएगा। भाविप्रा के एआरएफएफ बेड़े में शामिल होकर ये आपातकालीन बचाव सीढ़ियां विमान, विशेषकर चौड़े आकार वाले विमानों और नए बड़े विमानों (एनएलए), की आपातकालीन स्थितियों के दौरान कुशल और प्रभावी बचाव कार्यों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगी, विशेष रूप

से तब जब आपातकालीन स्लाइड के काम न करने जैसी स्थिति आ जाती है और ऐसी स्थिति में आपातकालीन सीढ़ियाँ अग्निशमन दल के सदस्यों को विमान में चढ़ने, इसे हवादार बनाने और यात्रियों को बचाने में सक्षम बनाती हैं। यह उपकरण दुबई से भेजा गया था और वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह प्राप्त हो जाएगा और इसे चालू कर दिया जाएगा।

iii. 41,700 यात्री बैगेज ट्रॉलियों (पीबीटी) के लिए जारी किए गए दर अनुबंध के संबंध में 15,800 यात्री बैगेज ट्रॉलियों (पीबीटी) की सुपुर्दगी हुई है और इन्हें भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रयोग में लाया जा रहा है।

थ्री–सीटर 20,000 कुर्सियों के लिए जारी किए गए दर अनुबंध के संबंध में 1500 कुर्सियों की सुपुर्दगी हुई है और इन्हें भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रयोग में लाया जा रहा है ।

ये यात्री बैगेज ट्रॉलियां और थ्री–सीटर कुर्सियां यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में उपयोगी साबित होंगी और वैश्विक स्तर पर ग्राहक संतुश्टि सूचकांक संबंधी मानदंड को पूरा करने में भाविप्रा की सहायता करेंगी ।

3.20 सुरक्षा

i. 30.11.2022 तक 26 हवाई अड्डों पर बायो–मैट्रिक एक्सेस कंट्रोल ऑपरेशन अर्थात गो–लाइव उपलब्ध कराया गया है। पटना, पुणे, जोधपुर, शिमला, चेन्नई, शिलांग (बारापानी), कोलकाता, रांची, वाराणसी, रायपुर, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, अमृतसर, बागडोगरा, उदयपुर, सफदरजंग, जम्मू, कालीकट, त्रिची, वडोदरा, भुवनेश्वर, इंफाल, मदूरै, कोयम्बटूर तथा गोवा।

ii. बीसीएएस ने एवीएसईसी परिपत्र सं. 03/2021 के माध्यम से 45 भाविप्रा हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ कार्मिको के स्थान पर गैर प्रमुख पदों हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात करने का आदेश दिया था। भाविप्रा ने इस प्रयोजन हेतु डीजीआर से पीएसए की प्रायोजिकता प्राप्त कर ली है। 30.11.2022 तक 43 हवाई अड्डों हेतु अवार्ड पत्र जारी कर दिए गए है। 05 दिनों के एवीएसईसी प्रारम्भिक प्रशिक्षण 386 पीएसए कार्मिकों को 35 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया।

3.21 विमानपत्तन प्रणाली

i. 2021–22 के दौरान भुवनेश्वर और अगरतला में इन लाइन एक्स–रेबैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (ILBS) चालू किया गया।

ii. विद्यमान ईडीटीएस मानक–2 इन लाइन मशीनों को चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और कालीकट से ले जाकर वड़ोदरा, विशाखापत्तनम, रायपुर, रांची, तिरुपति और मदुरै हवाई अड्डों पर प्रतिष्ठापित करने का कार्य पूरा किया गया।

iii. कोलकाता और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डों पर स्वचालित ट्रे रिट्रीवल सिस्टम (एटीआरएस) को चालू किया गया।

iv. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के नवीनतम विनिर्देशों के अनुसार भाविप्रा के विभिन्न हवाई अड्डों पर 115 ड्यूअल व्यूएचबी एंड आरबीएक्स–बीआईएस मशीनों तथा भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत 124 एक्सप्लोसिव ट्रेसडिटेक्टर (ईटीडी) मशीनों की आपूर्ति और उनके संस्थापन का कार्य पूरा किया गया ताकि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके ।

v. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 39 हवाई अड्डों पर ब्लास्ट इनहिबिटर और फाइबर ऑप्टिक निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

vi. निम्नलिखित हवाई अड्डों पर निगरानी सीसीटीवी प्रणाली को उन्नत और प्रचालित किया गया है: (i) सूरत (ii) बागडोगरा (iii) कालीकट (iv) भुज (v) देवघर (vi) मैंगलोर और (vii) इंदौर।

vii. विभिन्न आरसीएस हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण, एक्स–रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली, एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर और डीएफएमडी संस्थापित किए गए हैं।

3.22 व्यवसाय विकास इकाई

(i) **नागालैंड में कोहिमा के पास चिएथू में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए डीपीआर-** भाविप्रा को कोड–सी प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए चिएथू, कोहिमा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा गया था। प्रस्तावित स्थल 1561.779 मीटर एएमएसएल और 1490.848 मीटर एएमएसएल की ऊंचाई वाली दो समीपस्थ पहाड़ियों के साथ एक पठार जैसी पहाड़ी पर स्थित है। भाविप्रा द्वारा डीपीआर तैयार किया गया और नागालैंड सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

(ii) **उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए डीपीआर** - भूमि अधिग्रहण और राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच–87 के दिशा–परिवर्तन जैसे मुद्दों के कारण पंतनगर में विद्यमान हवाई अड्डे के विस्तार और उन्नयन की सीमित संभावना को देखते हुए राज्य सरकार एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने हेतु इच्छुक है ताकि आरम्भ में एयरबस ए–320, ए–321 प्रकार के विमानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और बाद में बोइंग 747–400 जैसे बड़े विमानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उन्नत किया जा सके। भाविप्रा को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए डीपीआर तैयार

करने का कार्य सौंपा गया था। भाविप्रा द्वारा डीपीआर का मसौदा तैयार करके उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

3.23 भाविप्रा के लिए हैदराबाद में आपदा रिकवरी केंद्र (डिजास्टर रिकवरी सेंटर) की स्थापना

यह पहल निगमित मुख्यालय, दिल्ली के भाविप्रा डाटा सेंटर (डीसी) के लिए हैदराबाद में एक आपदा रिकवरी (डीआर) केंद्र स्थापित करने के लिए है ताकि व्यवसाय में निरंतरता को बनाए रखा जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपातकालीन स्थितियों में व्यवसाय में कोई व्यवधान न आ पाए।

आपदा रिकवरी (डीआर)साइट पर अपेक्षित अवसंरचना स्थापित की जा चुकी है और परीक्षण प्रगति पर है।

3.24 एआईएमएस

जीएसटी पोर्टल के एकीकरण के साथ गतिशील क्यूआर कोड सृजन के माध्यम से सभी बी 2 सी ग्राहकों/ लेनदेन के निपटान के लिए ई–बीजक (ई–इनवॉइसिंग) प्रणाली की शुरूआत।

'केंद्रीयकृत बिलिंग' की एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। इस प्रणाली को चरणों में प्रारम्भ किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन से मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

3.25 डाटा सेंटर प्रचालनों और आईएसएमएस कार्यान्वयन के लिए आईएसओ 27001 पुनः प्रमाणन।

सफदरजंग हवाई अड्डे और राजीव गांधी भवन में भाविप्रा के डाटा सेंटर को आईएसओ 270001, जो सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, के लिए पुनः प्रमाणित किया गया है।

4. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

शक्तियां:

i. देश में एकमात्र विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता
ii. बृहद भू स्वामित्व
iii. देश भर में विभिन्न पर्यटक आकर्षण और हवाई अड्डों का नेटवर्क
iv. विमान दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता और सुरक्षा का अच्छा रिकॉर्ड
v. मजबूत वित्तीय जोखिम प्रोफाइल
vi. अनुभवी जनशक्ति
vii. सीएटीसी,आईएए, अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्रों सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्थापित प्रषिक्षण केंद्र
viii. उड़ान अंशांकन के लिए उपलब्ध अवसंरचना

कमजोरियां:

i. गैर–वैमानिकी राजस्व का कम हिस्सा
ii. लाभप्रद हवाई अड्डों की सीमित संख्या के कारण महत्वपूर्ण राजस्व संकेन्द्रण
iii. अनुसंधान एवं विकास और स्थानीय विनिर्माण क्षमता की कमी के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता
iv. कार्गो व्यवसाय की धीमी/स्थिर वृद्धि
v. देश में एमआरओ अवसंरचना का अभाव
vi. सरकारी एजेंसियों के बीच एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन का अभाव
viii. कुशल जनशक्ति की कमी
viii. प्रचालन की उच्च लागत और पूंजी की लागत की वसूली के लिए लंबी अवधि।

चुनौती:

i. वैश्विक आतंकवाद
ii. मानव रहित विमान / ड्रोन प्रचालन
iii. चक्रीय आर्थिक मंदी
iv. प्राकृतिक आपदाएँ, राजनीतिक उथल–पुथल और महामारियाँ/वैश्विक महामारी
v. भाविप्रा के नियंत्रण से परे राजस्व पर निर्भरता
vi. हाई–स्पीड रेलवे और बेहतर सड़क परिवहन के रूप में विकल्प का विकास जो कम दूरी की उड़ानों को बदल सकता है।
vii. अन्य हवाई अड्डे के विकासकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा
viii. कड़े पर्यावरण और सुरक्षा मानदंड

अवसर:

i. अंतर्गामी और बहिर्गामी यातायात में वृद्धि
ii. भाविप्रा की पांच प्राथमिकताएं–एनसीएपी, आरसीएस, आईक्लास, यूएएच और एमआरओ
iii. एफटीओ
iv. यात्री टर्मिनलों पर गैर–वैमानिक सेवाओं को बढ़ाना
v. हेलीकाप्टर प्रचालन
vi. भू–संपत्ति का मुद्रीकरण
vii. गगन सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना
viii. मानव रहित विमान/ड्रोन संचालन का प्रबंधन
ix. विकासशील देशों (दक्षिण एशियाई, दक्षिण–पूर्व एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्र) पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के बाहर हवाई अड्डों के परामर्श, विकास, प्रचालन और प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करने के अवसरों का पता लगाने के लिए मानव पूंजी का लाभ उठाना
x. हवाई अड्डा विकास/प्रबंधन परामर्श सेवाएं
xi. दिक्चालन सुविधाओं के लिए उड़ान अंशांकन सेवाएं

5. व्यापार सिंहावलोकन

कोविड–19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। कोविड–19 महामारी के कारण भारतीय नागर विमानन और पर्यटन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल यात्री यातायात में 66% की गिरावट देखी गई, जबकि 2019–20 यानी कोविड पूर्व काल की तुलना में कुल विमानों की आवाजाही में 54% की गिरावट आई। कोविड–19 के प्रभाव ने 2021–22 के दौरान भारत में वायु यातायात को प्रभावित करना जारी रखा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल यात्री यातायात में 45% की गिरावट देखी गई, जबकि 2019–20 यानी पूर्व कोविड काल की तुलना में कुल विमानों की आवाजाही में 32% की गिरावट आई।

2021–22 में, जब देश को कोविड–19 की दूसरी और तीसरी लहर का व्यापक रूप से सामना करना पड़ा, तब भी हवाई यात्री यातायात में प्रभावशाली सुधार देखा गया है, जो मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र द्वारा समर्थित है। सभी भारतीय हवाई अड्डों ने मिलकर 2021–22 के दौरान 1889 लाख यात्रियों को संभाला और 2020–21 में 1154 लाख यात्रियों की तुलना में 64% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

5.1 राजस्व मिश्रण

भाविप्रा के राजस्व को मोटे तौर पर वैमानिकी, गैर–वैमानिकी, हवाई अड्डे के पट्टे के राजस्व और अन्य संबद्ध सेवाओं जैसे परामर्श परियोजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। भाविप्रा के लिए वैमानिकी राजस्व में एएनएस शुल्क (रूट नेविगेशन सुविधाएं शुल्क और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क) का प्रभुत्व है, जबकि इसका गैर–वैमानिक राजस्व हवाई अड्डों पर खुदरा, एफएंडबी, कारपार्किंग, अन्य रियायतों और टर्मिनलों और सिटी साइड परिसर में किराये जैसे वाणिज्यिक प्रचालनों से आता है। मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख हवाई अड्डों से पट्टा राजस्व, और पीपीपी हवाईअड्डों से अग्रिमशुल्क/रियायत शुल्क भाविप्रा के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चूंकि इन हवाई अड्डों पर टैरिफ को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा इन हवाई अड्डों की यातायात वृद्धि और निवेश योजनाओं के संदर्भ में विनियमित किया जाता है, भाविप्रा का इस राजस्व स्रोत पर कोई नियंत्रण नहीं है।

पिछले वर्ष की तुलना में प्राधिकरण के राजस्व में रु1974.25 करोड़ (40.56%) की वृद्धि हुई। इसका विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में 2021-22 का % अंतर		
					वास्तविक	2018-19	2019-20	2020-21
1	विमान दिक्चालन सेवाएं	3702.18	3592.95	1587.62	2379.96	-35.71%	-33.76%	49.91%
2	हवाईअड्डा सेवाएं	4491.59	3718.05	1291.21	1674.04	-62.73%	-54.98%	29.65%
3	गैर–वैमानिकी हवाई अड्डा सेवाएं	1842.85	1887.74	885.84	912.09	-50.51%	-51.68%	2.96%
4	हवाई अड्डा पट्टा राजस्व							
(ए)	जेवीसी हवाई अड्डे (डायल और मॉयल)	3050.07	3063.01	483.50	1038.04	-65.97%	-66.11%	114.69%
(बी)	पीपीपी हवाई अड्डे (6)	-	-	87.25	329.59	-	-	277.76%
5	अन्य आय	1046.27	575.69	531.63	507.57	-51.49%	-11.83%	-4.53%
कुल राजस्व		14132.96	12837.44	4867.04	6841.29	-51.59%	-46.71%	40.56%

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (30.6.2019 तक) के लिए विमानपत्तन सेवाओं (एएस) से राजस्व में पी एस एफ (सुरक्षा भाग)/एएसएफ सम्मिलित है। लेकिन 01.07.2019 से एनएएसएफटी के गठन के बाद यह राजस्व एनएएसएफटी को प्राप्त हो रहा है। तदानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए सुरक्षा संबंधी कोई भी व्यय भा.वि.प्रा. की लेखा बहियों में दर्ज नहीं किए गए हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2018–2019 एवं 2019–20 के लिए विमानपत्तन सेवाओं (एएस) से राजस्व में 6 पीपीपी हवाई अड्डों से संबंधित पूरे वर्ष का ए एस से राजस्व शामिल है जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में एएस से राजस्व में 6 पीपीपी हवाई अड्डों से संबंधित एएस से राजस्व उनके केवल संबंधित सीओडी तारीख तक के हैं। 6 पीपीपी हवाई अड्डों के संबंध में उनके संबंधित सीओडी तारीख से एएस राजस्व रियायत ग्राहियों को प्राप्त हो रहा है तथा भा.वि.प्रा. की रियायत ग्राहियों से अपफ्रंट शुल्क एवं कंसेशन शुल्क प्राप्त हो रहा है और इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान हवाई अड्डा पट्टा राजस्व के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2020–21 की तुलना में 2021–22 में राजस्व वृद्धि मुख्य रूप से विमान और यात्री आवागमन में सुधार के कारण हुई है।

2020–21 की तुलना में 2021–22 में भाविप्रा हवाई अड्डों पर विमान आवागमन 47.53% और सभी हवाई अड्डों पर विमान आवागमन 46.82% बढ़ा। इसके अतिरिक्त 2020–21 की तुलना में 2021–22 में भाविप्रा हवाई अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही में 55.91% और सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही में 63.71% की वृद्धि हुई।

राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से निम्न कारणों से हुई है:

(i) एएनएस:

2020–21 की तुलना में 2021–22 में एएनएस राजस्व में 49.91% की वृद्धि। पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में आरएनएफसी राजस्व और टीएनएलसी राजस्व में क्रमश: रुपए 653.70 करोड़ तथा 139.60 करोड़ की वृद्धि हुई।

(ii) हवाई अड्डा सेवाएं:

हवाई अड्डा राजस्व सेवाओं में 29.65% (रूपए 382.82 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से हुई है:

- एलपी एंड एच राजस्व में वृद्धि (+) रु. 52.59 करोड़
- यूडीएफ में वृद्धि (+) रु. 352.95 करोड़
- सेवा के घंटे के एक्सटेंशन में वृद्धि (+) रु. 0.90 करोड़
- सीयूटीई प्रभारों पर रॉयल्टी में बढ़ोतरी (+) रु. 12. 72 करोड़
- थ्रूपुट राजस्व में कमी (–) रु. 1.68 करोड़
- जीएच राजस्व में कमी (–) रु. 11.10 करोड़
- पीएसएफ (सुविधा) में कमी (–) रु. 23.56

(ii) गैर-वैमानिक राजस्व:

2020–21 की तुलना में 2021–22 में गैर–वैमानिक राजस्व में 2.96% (26.25 करोड़ रुपए) की वृद्धि निम्नलिखित कारण से हुई है:

(ए) व्यापार रियायत राजस्व में वृद्धि (+) रुपए 17.02 करोड़
- रेस्टोरेंट (+) रु. 2.73 करोड़
- स्नैक बार – रु. 2.16 करोड़
- ड्यूटी फ्री दुकानें (+) रु. 32.45 करोड़
- दुकान/स्टॉल (+) रु. 0.49 करोड़
- कार किराया (+) रु. 3.10 करोड़
- एग्जीक्यूटिव लाउंज (+) रु. 2.37 करोड़
- होटल आरक्षण काउंटर (+) रु. 0.74 करोड़
- मेडिकल टूरिज्म/वेलनेस टूरिज्म (+) रु. 2.63 करोड़
- अन्य अनुबंधों से राजस्व (+) रु. 27.51 करोड़
- मनी एक्सचेंज काउंटर में कमी (–) रु. 6.85 करोड़
- विज्ञापनों में कमी (–) रु. 50.31 करोड़

बी) किराया और सेवा राजस्व में कमी (–) रु. 28.12 करोड़

सी) कार पार्किंग राजस्व में वृद्धि (+) रु. 12.91 करोड़

डी) विविध गैर–वैमानिक हवाईअड्डा सेवा राजस्व में वृद्धि (+) रु. 24.44 करोड़

iv. हवाई अड्डा पट्टा राजस्व:

(ए) जेवीसी हवाई अड्डों (डायल और मॉयल) के संबंध में हवाई अड्डा पट्टा राजस्व–निम्नलिखित के कारण हवाई अड्डा पट्टा आय में 114.69% (554.54 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई है:
- 2020–21 की तुलना में 2021–22 में डायल के पट्टा आय में रुपए 446.21 करोड़ की कमी आई है।
- 2020–21 की तुलना में 2021–22 में मायल के पट्टा आय में 1000.75 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

(बी) पीपीपी हवाईअड्डों के संबंध में हवाई अड्डा पट्टा राजस्व (मंगलूर, अहमदाबाद, लखनऊ, त्रिवेन्द्रम, जयपुर तथा गुवाहाटी)– वित्त वर्ष 2021–22 हेतु चालू वर्ष के राजस्व के रूप में भाविप्रा ने रुपए 329.59 करोड़ की राशि अर्जित की है। (32.69 करोड़ रुपए की अपफ्रंट शुल्क और 296.90 करोड़ रुपए का रियायत शुल्क)

(v) अन्य आय:

निम्नलिखित के कारण अन्य आय में 4.53% (रु. 24.06 करोड़) की कमी आई:
- ब्याज की आय में कमी (–) रु. 68.74 करोड़
- प्रशिक्षण संस्थानों से आय में कमी (–) रु. 0.13 करोड़
- ईपीसीजी लाइसेंस आय में कमी (–) रु. 16.27 करोड़
- रियायत शुल्क में वृद्धि–आईक्लाससीएल (+) रु. 34.99 करोड़
- लाभांश आय में वृद्धि (+) रु.59.38 करोड़
- अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ में वृद्धि (+) रु.34.24 करोड़
- ब्याज और शास्तियों में कमी (–) रुपए 55.22 करोड़
- कुछ शीर्षों में वृद्धि के समायोजन के बाद अन्य शीर्षों में निवल कमी (–) रु. 12.31 करोड़

5.2 लागत मिश्रण

भाविप्रा के प्रमुख व्यय श्रेणियों में कर्मचारी लागत (कर्मचारी का वेतन, भत्ते और भविष्य निधि में योगदान), विमानन सुरक्षा, प्रशासन व्यय, वित्त पोषण लागत और मूल्य ह्रास सहित प्रचालन व्यय सम्मिलित हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में खर्च में रुपए 196.68 करोड़ (5.61%) की बढ़ोतरी हुई है। इसका विवरण इस प्रकार है :–

राशि (करोड़ रुपए में)

क्र. सं	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में 2021-22 का % अंतर		
					वास्तविक	2018-19	2019-20	2020-21
1	कर्मचारी लाभ व्यय	5158.98	4481.24	3505.40	3702.08	-28.24%	-17.39%	5.61%
2	प्रचालन व्यय	1662.68	1751.64	1632.46	1531.72	-7.88%	-12.56%	-6.17%
3	प्रशासनिक और अन्य व्यय	823.68	626.34	1040.54	437.16	-46.93%	-30.20%	-57.99%
4	वित्त लागत	6.50	4.61	45.01	69.67	971.87%	1411.31%	54.80%
5	अवमूल्यन और परिशोधन	1564.89	1751.25	1819.76	1904.38	21.69%	8.74%	4.65%
6	सुरक्षा व्यय	1232.24	405.30	-	-	-	-	-
कुल व्यय		**10448.97**	**9020.38**	**8043.16**	**7645.01**	**-26.83%**	**-15.25%**	**-4.95%**

01.07.2019 से एन ए एस एफटी के गठन के बाद से विमानन सुरक्षा व्यय एनएएस एफ टी डाटा वहन किए जा रहे हैं। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए सुरक्षा संबंधी कोई भी व्यय भा.वि.प्रा. की लेखा बहियों में दर्ज नहीं किए गए है।

(i) **कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से निम्न के कारण होती है:-**

ए. वेतन और भत्तों में वृद्धि (+) रु. 57.83 करोड़

बी. अन्य कार्मिक लागत में वृद्धि (+) रुपए 138.00 करोड़

सी. भविष्य और अन्य निधियों में योगदान में वृद्धि (+) रुपए 117.93 करोड़

डी. प्रचालन और समर्थन लागत की वसूली में वृद्धि के कारण कमी – जेवीसी (–) रुपए 117.08 करोड़

(ii) **प्रचालन व्यय में रुपए 100.74 करोड़ की कमी मुख्य रूप से निम्न के निवल प्रभाव के कारण है :-**

ए. आरएंडएम व्यय में कमी (–) रु. 25.65 करोड़

बी. रख–रखाव के व्यय में कमी (–) रु. 20.81 करोड़

सी. विज्ञापन और प्रचार में कमी (–) रु. 1.56 करोड़

डी. बिजली और पानी के शुल्क में कमी (–) रु. 4.33 करोड़

ई. भंडार संबंधी खपत में वृद्धि (+) रु. 6.75 करोड़

एफ. मौसम सेवा शुल्क में वृद्धि (+) रु.1.68 करोड़

जी. किराए, दरों और करों में कमी (–) रु. 0.80 करोड़

एच. बागवानी व्यय में कमी (–) रु. 0.74 करोड़

आई. नगर निगम करों में कमी (–) रु. 33.48 करोड़

जे. बीमा में कमी (–) रु. 21.67 करोड़

(iii) **प्रशासनिक और अन्य व्यय की राशि में रुपए 603.38 करोड़ की कमी मुख्य रूप से निवल प्रभाव के कारण है:-**

ए. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में कमी (–) 1799. 38 करोड़

बी. किराया प्रभार में वृद्धि (+) रु. 9.41 करोड़

सी. विधिक व्यय में वृद्धि (+) रु. 21.76 करोड़

डी. पूर्व अवधि समायोजन में वृद्धि (+) रु. 188.11 करोड़

ई. यात्रा व्यय में वृद्धि (+) रु. 35.98 करोड़

एफ. प्रशिक्षण व्यय में कमी (–) रु. 1.40 करोड़

जी. सीएसआर व्यय में कमी (–) रु. 47.64 करोड़

एच. संग्रहण शुल्क में वृद्धि (+) रु. 8.11 करोड़

आई. अन्य व्यय मदों में कमी (–) रु. 3.45 करोड़

जे. विविध व्ययों में कमी (–) रु. 6.36 करोड़

के. बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों में वृद्धि (+) 991.48 करोड़

(iv) **वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से संपत्ति के अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण मूल्यह्रास में 84.63 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।**

6. संभाला गया यातायात (2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान)

वर्ष 2021–22 के दौरान सभी भारतीय हवाई अड्डों पर एक साथ संभाले गए गए यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में सभी तीन क्षेत्रों अर्थात् विमान के आवागमन, यात्री और माल ढुलाई में वृद्धि देखी गई। वर्ष के दौरान कुल विमान संचलन, यात्री और माल यातायात में क्रमशः 46.8%, 63.7% और 27.0% की वृद्धि हुई है। 2021–22 के दौरान यातायात में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण नागर विमानन क्षेत्र पर कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण 2020–21 की निष्क्रियता है।

वर्ष के दौरान संभाला गया यातायात का विवरण और पिछले वर्ष की तुलना निम्नानुसार है:

विवरण	2021-22	2020-21	बदलाव प्रतिशत
उड़ान प्रचालन (अंकों में)			
अंतरराष्ट्रीय	211836	134824	57.1
अंतर्देशीय	1545276	1061916	45.5
कुल	**1757112**	**1196740**	**46.8**
यात्री (अंकों में)			
अंतरराष्ट्रीय	22088224	10128283	118.1
अंतर्देशीय	166803217	105251500	58.5
कुल	**188891441**	**115379783**	**63.7**
माल भाड़ा (मीट्रिक टन में)			

विवरण	2021-22	2020-21	बदलाव प्रतिशत
अंतरराष्ट्रीय	1961112	1521424	28.9
अंतर्देशीय	1179690	952487	23.9
कुल	**3140802**	**2473911**	**27.0**

7. भविष्य की राह

यद्यपि विश्व के विमानन क्षेत्र सहित कोविड–19 महामारी के प्रभाव प्रतिकूल रहे हैं, परंतु भारत ने अगले एक दशक में विमानन क्षेत्र में अग्रणी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया है।

भारत का विमानन उद्योग बड़े पैमाने पर विकास के अवसरों के साथ व्यापक रूप से अप्रयुक्त है, यह देखते हुए कि देश के अधिकांश जन समुदाय हेतु विमान यातायात अभी भी महंगा है, जिनमें से लगभग 40% उच्च गतिशील मध्यम वर्ग है।

विमानन उद्योग अपनी दृढ़ता और सरकार द्वारा इस उद्योग की सहायता और इसके रूपान्तरण के लिए किए जा रहे निरंतर उपायों के द्वारा बहुप्रतीक्षित विकास की ओर अग्रसर है।

मध्यम वर्ग के परिवारों की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण हवाई यात्रा तक पहुंच और किफायत, कम लागत, कशल वाहकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा, आधारभूत संरचना के विकास और इसके विकास के लिए एक सहायक सरकारी परिवेश के बीच विमानन उद्योग में मांग देखी गई है ।

उचित नीतियों और गुणवत्ता, लागत और यात्री हित पर निरंतर ध्यान देने के साथ और कोविड–19 महामारी के कारण हुए गहरे संकट के बावजूद, भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।

8. जोखिम और चिंताएँ

भाविप्रा जोखिम प्रबंधन के महत्व और संगठन की सफलता और व्यापार निरंतरता के लिए इसकी महत्ता को समझता है। इस प्रकार, भाविप्रा में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन को प्रत्येक कार्य में सम्बद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड स्तर सहित हर स्तर पर सम्मिलित जोखिम को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा कार्य जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों की प्रभावोत्पादकता की जानकारी देता है जो प्रबंधन को इस संबंध में किए जाने वाले आवश्यक उपायों में सुधार करने में सहायता करता है।

हम जोखिमों और चिंताओं को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं अर्थात प्रचालन जोखिम, कूटनीतिक जोखिम, वित्तीय जोखिम और अनुपालन जोखिम। इसके अतिरिक्त, इन जोखिमों को दो प्रमुख जोखिम कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है – आंतरिक कारक (संगठन के भीतर की परिस्थितियाँ या घटनाएँ) या बाहरी कारक (जो व्यापक व्यावसायिक क्षेत्र में हैं)।

निम्नलिखित चार्ट उन प्रमुख जोखिम कारकों का सार प्रकट करता है जिनके अंतर्गत भाविप्रा संचालित होता है। कोई भी नकारात्मक गतिविधि हमारे प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है:

जोखिम / कारक	बाहरी कारक	आंतरिक कारक
प्रचालन जोखिम	– वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं – अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाएँ – महामारी, विश्वमारी और प्राकृतिक आपदा जैसे वैश्विक स्वास्थ्य मामले – सुरक्षा को प्रभावित करने वाली खतरनाक गतिविधियाँ – साइबर सुरक्षा सहित सुरक्षा जोखिम – यातायात के वैकल्पिक साधनों का विकास – एयर स्पेस और विमानपत्तन साझा करने हेतु रक्षा मंत्रालय की नीतियां – तकनीकी व्यवधान	– अपर्याप्त आईटी बैक–अप सिस्टम – कालिक क्षय वाली सुविधाओं के रखरखाव की चुनौतियां – कार्मिकों की हड़ताल और श्रमिक संबंधी अन्य व्यवधान – प्रौद्योगिकी प्रगति में विलंब/ विफलता – सेवा वितरण मानकों में संभावित गिरावट

जोखिम / कारक	बाहरी कारक	आंतरिक कारक
	– प्रतिष्ठा जोखिम – एटीएफ की अंतरराष्ट्रीय कीमतें – इंडियन ऑयल कंपनियों की विपणन और मूल्य निर्धारण नीतियां – बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता	
कूटनीतिक जोखिम	– मूल्य निर्धारण (यूडीएफ, आरसीएस शुल्क, लैंडिंग, पार्किंग और आवास शुल्क आदि) – एफडीआई नीति – सरकार का घोषणापत्र – हवाई अड्डों को पट्टे पर देना	– मूल्य निर्धारण (पट्टा, वाणिज्यिक आदि) – हवाई अड्डे की अवसंरचना का विकास (नए हवाई अड्डे या वर्तमान हवाई अड्डों का विस्तार) – नए उत्पाद या बाजार की खोज – संयुक्त उद्यम, गठबंधन निर्णयों में सम्मिलित होना – कूटनीतिक प्राथमिकताएँ
अनुपालन जोखिम	– व्यापक सरकारी अधिनियम – परिवेशी कारक – भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों की भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीतियां – विधिक और संविदात्मक	– समझौते/अनुबंध प्रारूपण में चूक – संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता – हितों का टकराव – भ्रष्टाचार
वित्तीय जोखिम	– ब्याज दर जोखिम – विदेशी मुद्रा जोखिम – सरकार की कराधान नीतियां – उच्च बीमा लागत या अपर्याप्त सुरक्षा	– ऋण जोखिम – चलनिधि जोखिम – धोखाधड़ी/फ्रॉड जोखिम – अपर्याप्त वित्तीय प्रक्रियाएं

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

भाविप्रा के पास अपने प्रचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। संगठन अपने सभी रिकॉर्ड सैप प्रणाली में रखता है तथा कार्यप्रवाह एवं अनुमोदन सैप के माध्यम से किए जाते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता और पर्याप्तता और सभी स्थानों पर प्रचालन प्रणाली, लेखा प्रक्रियाओं एवं नीतियों पर इसके अनुपालन की निगरानी और मूल्यांकन करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, हवाई अड्डे स्टेशन अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और नियंत्रण को सुदृढ़ करते हैं। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सामने महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और सुधारात्मक कार्रवाइयों को प्रस्तुत किया जाता है।

10. नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक विकास के मोर्चे पर महत्वपूर्ण कार्य

10.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मानव संसाधनः मानव पूंजी भाविप्रा के विकास और आकांक्षाओं के लिए प्रमुख साधन बना हुआ है। भाविप्रा निरंतर बाजार परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए अपनी मानव संसाधन नीतियों और पद्धतियों की समीक्षा कर रहा है और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं जो कार्मिकों को पर्याप्त संवृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ प्रेरणा और भागीदारी के उच्च स्तर को सुनिश्चित करता है। कार्मिकों की सुरक्षा के उपाय, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, कल्याण, निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली, क्षतिपूर्ति, कैरियर विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संगठन की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भाविप्रा के मानव संसाधन निदेशालय द्वारा की गई पहल / उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

i.	भाविप्रा संशोधित स्थानांतरण नीति के खंड 10.4 में उल्लिखित रोगों के अतिरिक्त निम्नलिखित रोगों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया जिसमें भाविप्रा के ऐसे कार्मिक को छूट देने का निर्णय लिया गया है जो दिव्यांग बच्चे की देखभाल करने वाला है: ए. वामनता (डवार्फिजम); बी. पेशी अपविकास; सी. एसिड अटैक पीड़ित; डी. वाक एवं भाषा अक्षमता;

	ई. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता; एफ. न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग; जी. बहु अक्षमताएं (उपर्युक्त निर्दिष्ट अक्षमताओं में से एक से अधिक जिसमें बहरापन और दिव्यांगता की कोई अन्य श्रेणी सम्मिलित है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे कार्मिक जो एकल अभिभावक हैं, उनको स्थानांतरण में छूट दी जाए। एकल अभिभावक अधिकतम दो अतिरिक्त स्थानांतरण छूट (वर्तमान छूट के अतिरिक्त) के पात्र होंगे जब तक कि बच्चा/सबसे छोटा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी छूट केवल जीवनसाथी की मृत्यु या उनसे अलग होने के मामले में दी जाएगी। अधिकारी को इस आधार पर छूट का दावा करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
ii.	यह निर्णय लिया गया है कि भाविप्रा के ऐसे कार्मिक को स्थानांतरण पर छूट दी जाएगी जो आश्रित परिवार के ऐसे सदस्य का देखभालकर्ता है जो विशिष्ट दिव्यांगता वाला व्यक्ति है, यह छूट केवल उपलब्ध भाविप्रा स्थानांतरण नीति के अनुसार दिव्यांग बच्चे के मामले में भी लागू रहेगी। यद्यपि, विशिष्ट दिव्यांगता (दिव्यांग बच्चे को छोड़कर) के साथ परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के लिए देखभालकर्ता के मामले में स्थानांतरण छूट के विशिष्ट अनुरोधों पर संबंधित सदस्य के अनुमोदन के अधीन अलग–अलग मामलों के आधार पर विचार किया जा सकता है।
iii.	वर्तमान परिदृश्य पर विचार करने के बाद प्रबंधन ने एक बार के लिए भाविप्रा कार्मिक को दूरस्थ/ हार्ड स्टेशनों पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वापसी पर, पिछले स्टेशन पर ही भाविप्रा आवास बनाए रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
iv.	पीपीपी हवाईअड्डों पर गैर–कार्यपालकों के लिए विशेष कंपनी पट्टा आवास सुविधा।
v.	भाविप्रा बोर्ड ने अपनी 199वीं बैठक में संकल्प लिया है कि यदि एएआईईडीसीएस के अंतर्गत भाविप्रा के सेवानिवृत/मृतक कार्मिकों की कायिक (कॉर्पस) राशि प्रत्येक दावा निपटान के समय 2 लाख रुपए से कम है, तो, ऐसे मामलों में, यदि सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिक के नामिती द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो कायिक (कॉर्पस) राशि की वापसी की अनुमति दी जाएगी।
vi.	निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में महिला अधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भाविप्रा में विभिन्न समितियों का गठन करते समय, यथासंभव एक महिला अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए।
vii.	प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक स्पष्टता के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया/स्पष्ट किया गया है कि उत्तर–पूर्वी राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लेह, लक्षद्वीप और श्रीनगर (डीओपीटी द्वारा निर्दिष्ट) में कार्मिकों को स्थानांतरण पर पात्रता के अनुसार और एक वचनबंध प्रस्तुत करने पर दोगुना एचआरए स्वीकार्य है।
viii.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेकानि और विमानपत्तन निदेशक सहित सभी पूर्व संवर्ग पदों के लिए चयन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए समीक्षा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के बाद आरईडी और एपीडी सहित सभी पूर्व–संवर्गीय पदों पर आगे चयन के लिए कूलिंग–ऑफ अवधि 3 वर्ष होगी (संवर्ग–पूर्व पदों पर सेवा के वर्षों की संख्या के बावजूद, लेकिन 6 वर्ष से अधिक नहीं)। कार्यकाल के बीच संबंधित अधिकारी की पदोन्नति के मामले में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकारी को मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन की अनुमति दी जाएगी। प्रत्यावर्तन पर, अधिकारी को मूल पद पर मूल संवर्ग में तैनात किया जाएगा और कोई वेतन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
ix.	भर्ती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थित सुधार के उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता संबंधी मानदंडों को निर्धारित करने के लिए अनुवीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) का गठन किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम तीन अधिकारी हों और इनमें से दो अधिकारी भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन विभाग से अलग अन्य विभागों से हों। दस्तावेजों के सत्यापन और उसके अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश, इसमें सम्मिलित अधिकारियों की जिम्मेदारियों सहित, प्रकाशित किए जाने चाहिए ताकि पात्रता संबंधी मानदंडों का निष्पक्ष और न्यायसंगत मूल्यांकन किया जा सके।
x.	यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि स्थानांतरण पर परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता केवल तभी स्वीकार्य होगा जब नए स्टेशन पर कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह महीने के अंदर वे वहाँ जाएंगे, यदि वे नए स्टेशन पर जाते हैं। यदि परिवार का सदस्य नए मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाता है तो छः महीने की अवधि की गणना पुराने स्थान पर कार्यभार सौंपने की तिथि से की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्र के मामले में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक तथा निगमित मुख्यालय के मामले में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)) असाधारण मामलों में निर्धारित समय सीमा से आगे विस्तार की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में जहां अधिकारी द्वारा मांगा गया विस्तार एक वर्ष से अधिक है, ऐसे मामलों को निगमित मुख्यालय को भेजा जा सकता है।
xi.	प्रबंधन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
xii.	2022 में 833 रिक्तियों पर भर्ती सफलतापूर्वक पूरी की गई और 960 रिक्तियों (गेट के माध्यम से 596 रिक्तियों सहित) की नई भर्ती प्रारम्भ की गई है।
xiii	विज्ञापन सं. 02/2022 के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यपालक (एटीसी) की 400 सीधी भर्ती रिक्तियों के लिए अंतिम परिणाम घोषित।
xiv.	भाविप्रा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षा के लिए भर्ती कैलेंडर का पालन सभी भर्तियों में किया जा रहा है।

10.2 भाविप्रा में निरंतर प्रशिक्षण/शिक्षा: भाविप्रा में कर्मचारियों की दक्षताओं को निरंतर विकसित करने के लिए उनके प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भाविप्रा के पास तकनीकी से लेकर प्रबंधकीय और नेतृत्व क्षमता तक की विशिष्ट दक्षताओं के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विद्यमान हैं। भाविप्रा में निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है:

i. नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी), प्रयागराज और पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थापित हैं, जिनका विस्तार प्रमुख हवाई अड्डों पर है, जिन्हें उनका अनुषंगी प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है।

ii. हैदराबाद प्रशिक्षण केंद्र (एचटीसी), हैदराबाद

iii. राष्ट्रीय विमानन प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (एनआईएटीएएम), गोंदिया

iv. अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता

v. भारतीय विमानन अकादमी (आईएए), दिल्ली

vi. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और निगमित मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र

प्रशिक्षण और विकास संबंधी अन्य गतिविधियाँ

ए. भाविप्रा प्रशिक्षण नीति: प्रशिक्षण नीति मार्च, 2016 में जारी की गई थी और यह कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा सुसंगत प्रशिक्षण योजना पर आधारित एक नियोजित प्रयास है।

बी. मध्य-वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम : 2017–18 से भाविप्रा अपने कर्मचारियों की क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि उन्हें भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा सके। इस पहल को संस्थागत बनाने के लिए 2018–19 के दौरान भाविप्रा ने 4 स्तरों अर्थात ई 5 (सहायक महाप्रबंधक), ई 7 (संयुक्त महाप्रबंधक), ई 8 (महाप्रबंधक) और ई 9 (कार्यपालक निदेशक) को एक अच्छे ढंग से तैयार किए गए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के माध्यम से अनुकूलित नेतृत्व विकास प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिजनेस स्कूलों के साथ दीर्घकालिक (3–वर्षीय) समझौता किया है।

- भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
- प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव

नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को बेहतर सहयोग और उद्देश्य की स्पष्टता के लिए ब्रांड किया गया है:

स्तर	नाम	दलील
ई8/ई9	नेतृत्व विकास कार्यक्रम "प्रेरक"	उनकी भूमिका दलों को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने की होती है ।
ई7	नेतृत्व विकास कार्यक्रम " साधक"	इनकी भूमिका नए कार्यों को पूरा करने की होती है।
ई5	नेतृत्व विकास कार्यक्रम " सार्थक"	उनकी भूमिका कंपनी की रणनीति को क्रियान्वित करने की होती है।

प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर द्वारा एक नैदानिक अध्ययन आयोजित किया गया था और इस प्रकार पहचान की गई आवश्यकताओं को अन्य संस्थानों के साथ साझा किया गया था।

सी. प्रवेश स्तर का अभिमुखीकरण कार्यक्रम : भाविप्रा प्रशिक्षण नीति के अनुसार 4 सप्ताह की अवधि के प्रवेश स्तर के अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नव नियुक्त कार्मिकों को कार्यों के वास्तविक जीवन का अनुभव देने के लिए अनुशासन–विशिष्ट कार्यक्रम और अंत: कार्य (ऑन–द–जॉब) प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों ने नव नियुक्त कार्मिकों को संगठन की संस्कृति और कार्य पद्धति से परिचित कराने में सहायता की है।

डी. ग्लोबल एसीआई-आईसीएओ एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम (एएमपीएपी) : एसीआई और आईसीएओ द्वारा संचालित किया जाने वाला यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों को हवाई अड्डे के प्रचालन का व्यापक अनुभव देता है। भाविप्रा 2010 से नियमित रूप से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकारियों को नामित कर रहा है और इस प्रकार प्रशिक्षित अधिकारियों को विमनपत्तन निदेशकों और अन्य चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए नियुक्त कर रहा है। अब तक 173 वरिष्ठ अधिकारियों को एएमपीएपी के तहत प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोफेशनल (आईएपी) के रूप में नामित किया गया है।

ई. बाहर के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में प्रशिक्षण : प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से नेतृत्व और प्रबंधकीय विषयों पर व्यापक अनुभव प्राप्त करने के लिए भाविप्रा द्वारा कर्मचारियों को देश भर में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित ओपन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। बाहर की प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से ओपन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों को नामित करने तथा

इस संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और उसे कार्यान्वित किया गया है।

एफ. विदेशी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में भागीदारी: भाविप्रा के अधिकारियों को नियमित रूप से विदेशों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में भेजा जाता है ताकि वे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रचालन और रखरखाव के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और क्षमता अर्जित करने में सक्षम हो सकें तथा कार्मिकों को विमानन उद्योग में हो रहे वैश्विक विकास से अवगत कराया जा सके।

जी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित प्रशिक्षकों और पाठ्यक्रम विकासकर्ताओं की उपलब्धता : भाविप्रा भारत में अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में या तो इकाओ एसटीपी पाठ्यक्रमों का आयोजन कर के या अपने अधिकारियों को भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टीआईसी), प्रशिक्षण डेवलपर्स कोर्स (टीडीसी) जैसे अन्य इकाओ एसटीपी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित करके प्रशिक्षकों और पाठ्यक्रम विकासकर्ताओं के लिए ज्ञान वृद्धि हेतु मंच भी प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भाविप्रा के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की प्रमुख उपलब्धियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

ए. ज्ञान और कौशल के बीच के अंतराल को समाप्त करने के लिए सक्षमता विकास संबंधी कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में जारी रखा गया। कार्य निष्पादन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके द्वारा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निगमित मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र सहित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा कुल 143 आभासी कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 5926 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारियों को प्रमुख संस्थानों में प्रासंगिक ओपन–हाउस प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

बी. कोविड की दूसरी लहर के दौरान भय और चिंता को दूर करने के प्रयास किए गए और अखिल भारतीय स्तर पर कई स्वास्थ्य वेबिनार आयोजित किए गए जिनमें 800 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। तनाव प्रबंधन और ध्यान (मेडिटेशन) पर भी जोर दिया गया।

सी. प्रवेश स्तर के अभिमुखीकरण कार्यक्रम का एक बैच ऑनलाइन आयोजित किया गया जिसमें 25 नव नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 25 नव नियुक्त कार्मिकों ने अपने कार्यों के संबंध में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने विभागीय कार्य पर केंद्रित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डी. युवाओं के रोजगार कौशल को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्ध ता के अंश के रूप में भाविप्रा ने 388 प्रशिक्षुओं को विभिन्न विषयों और स्थानों पर प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किए।

ई. भाविप्रा ने 31 जनवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से 'गतिशक्ति' मध्य क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करने में नागर विमानन मंत्रालय का सहयोग किया जिसमें मध्य क्षेत्र के राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़) के साथ–साथ आमंत्रित राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र) ने भाग लिया। साथ ही अवसंरचना संबंधी प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ कर्मचारियों ने गतिशक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के सुचारू कार्यान्वयन के संबंध में अपने विचार साझा किए।

31.03.2022 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जनशक्ति निम्नानुसार है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कर्मचारियों का %	अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों का %	अनुसूचित जन जाति (एसटी) के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जन जाति (एसटी) के कर्मचारियों का %
16188	4109	25.38	3393	20.95	1367	8.44

12. 31-03-2022 को बेंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की कुल संख्या	दिव्यांगजन की कुल संख्या	दिव्यांगजन का %
16188	232	1.43

13. भाविप्रा के विभिन्न हवाई अड्डों पर दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध सुविधाएं:

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्यता की 10 विशेषताओं पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए सामान्य दिशानिर्देशों को भाविप्रा के सभी हवाई अड्डों के साथ साझा किया गया है ताकि हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया जा सके। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सुगम्य मार्ग/अप्रोच
ii. सुगम्य पार्किंग
iii. भवन के लिए सुगम प्रवेश
iv. सुगम्य सहायता पटल (हेल्पडेस्क)
v. सुगम्य गलियारा/टैक्टाइल फ्लोरिंग
vi. सुगम्य लिफ्ट
vii. रेलिंग के साथ सीढ़ी (यात्रियों के आवागमन का मुख्य क्षेत्र)
viii. सुगम्य प्रसाधन
xi. सुगम्य पेयजल सुविधा
x. संकेतक

तदनुसार भाविप्रा के सभी हवाई अड्डों पर निम्नलिखित सुगम्यता सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है:

(ए) **रैंप :** टर्मिनल भवन के प्रवेश द्वारों और सिटी साइड क्षेत्र में आरामदायक ढलान के फिसलन मुक्त फर्श के साथ सुगम रैंप उपलब्ध कराए गए हैं।

(बी) **द्वार:** आसान पहुंच के लिए प्रवेश द्वार पर सेंसर लगे द्वार / मानव तैनात द्वार प्रदान किए जाते हैं। व्हील चेयर यात्रियों के सुगम्या पहुँच के लिए द्वार के खुलने के लिए पर्याप्त चौड़ी जगह उपलब्ध है।

(सी) **शौचालय:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं और उन पर उचित संकेतक लगाए गए हैं।

(डी) **उत्थापक (एलिवेटर):** टर्मिनल भवन के सभी स्तरों तक पहुंचने के लिए ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों वाले उत्थापक (एलिवेटर) उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके द्वार इस प्रकार से खुलें कि सबसे बड़े आकार की व्हील चेयर इसमें प्रवेश कर सके।

(ई) **एयरोब्रिज:** व्हील चेयर वाले शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के विमान में आसानी से चढ़ने और उतरने की सुविधा लिए जहां भी एयरोब्रिज उपलब्ध कराए गए हैं वहां चिकनी ढाल वाली ढलान और फिसलन रोधी फर्श उपलब्ध हैं।

(एफ) **व्हीलचेयर:** व्हीलचेयर विमानपत्तन प्रबंधक और एयरलाइंस के पास मांग पर उपलब्ध हैं।

(जी) **कार पार्किंग:** विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रस्थान और आगमन टर्मिनलों के नगर के क्षेत्र की ओर संकेतकों के साथ आरक्षित पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए गए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार पार्किंग क्षेत्र में 3.6 मी.X 5.0 मी. के स्थान कार पार्किंग के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं।

(एच) **सुगम्य मार्ग:** टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 5 मीटर से 10 मीटर चौड़ा कर्ब दिया गया है जो सीधे सुगम रैम्प वाली सड़क से जुड़ा है। कर्ब साइड से यात्री टैक्सी/कार में सवार हो सकते हैं। व्हील चेयर की आसान पहुँच के लिए फुटपाथ में विशेष कट और स्लोप प्रदान किए जाते हैं। कुछ हवाई अड्डों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह पर उत्कीर्णन प्रदान किया जाता है।

(आई) **स्पर्शी तल (टैक्टाइल):** दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए मेट्रो हवाई अड्डों पर उतरने के स्थान से प्रवेश द्वार तक स्पर्शी सतह (टैक्टाइल) उपलब्ध कराए जाते हैं।

भाविप्रा विमानपत्तन निदेशकों और भाविप्रा के अन्य कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है जिसमें दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं संबंधी 10 बिंदुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। भाविप्रा आईसीएओ एसटीपी: आईसीएओ ट्रेनएयर प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए विशेष मानकीकृत प्रशिक्षण पैकेज पर भारतीय विमानन अकादमी में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है।

सीमित रूप से चलने फिरने वाले यात्री : सहायता डेस्क पर कार्यरत कर्मियों को श्रवणबाधित और मूक (बधिर और मूक) व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा संबंधी प्रशिक्षण सहित सभी दिव्यांगजनों के साथ कुशलता से संवाद करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशा–निर्देश भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं और मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन द्वारा इसकी विधिवत जांच की गई है। सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

14. लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

ए. निगमित मुख्यालय में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा सभी हवाई अड्डों के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी की जाती है।

बी. प्रत्येक हवाई अड्डे पर लोक शिकायत अधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं जिनका विवरण यात्रियों और हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए हवाई अड्डों पर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है। फील्ड स्टेशनों, क्षेत्रीय मुख्यालयों और निगमित मुख्यालय में संबंधित लोक शिकायत अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर जन शिकायतों की निगरानी की जाती है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए सभी लोक शिकायत अधिकारियों के लिए अलग से विशेष ई.मेल आई.डी. बनाई गई है और उनका विवरण भाविप्रा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सी. नागरिकों/यात्रियों के लाभ के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें कई विकल्प दिए गए हैं जैसे; सीपीग्राम्स, पत्र, ई.मेल, त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यू आर कोड), भाविप्रा की वेबसाइट, सुझाव बॉक्स, रजिस्टर, टेलीफोन, ट्विटर या शिकायत/प्रिंट मीडिया का कोई अन्य माध्यम।

डी. भाविप्रा के हवाई अड्डों सहित सभी संयुक्त उद्यम और निजी हवाई अड्डों को उचित नियंत्रण, निवारण और निगरानी के लिए सीपीग्राम्स पोर्टल में भाविप्रा के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में जोड़ा गया है।

ई वर्ष 2016 में एक एकीकृत शिकायत पोर्टल अर्थात एयर सेवा पोर्टल की शुरूआत की गई थी जो सफलतापूर्वक काम कर रहा है। बेहतर संचालन और सुचारू कामकाज के लिए तथा बेहतर यूजर इंटरफेस देने के लिए एयर सेवा पोर्टल को नियमित अंतराल पर अपडेट किया जा रहा है।

एफ. भाविप्रा में लोक शिकायत निवारण तंत्र के उचित प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

जी. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस पोर्टल के माध्यम से भी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और उनका निवारण किया जाता है।

अनुलग्नक - 2

निगमित अभिसाशन रिपोर्ट

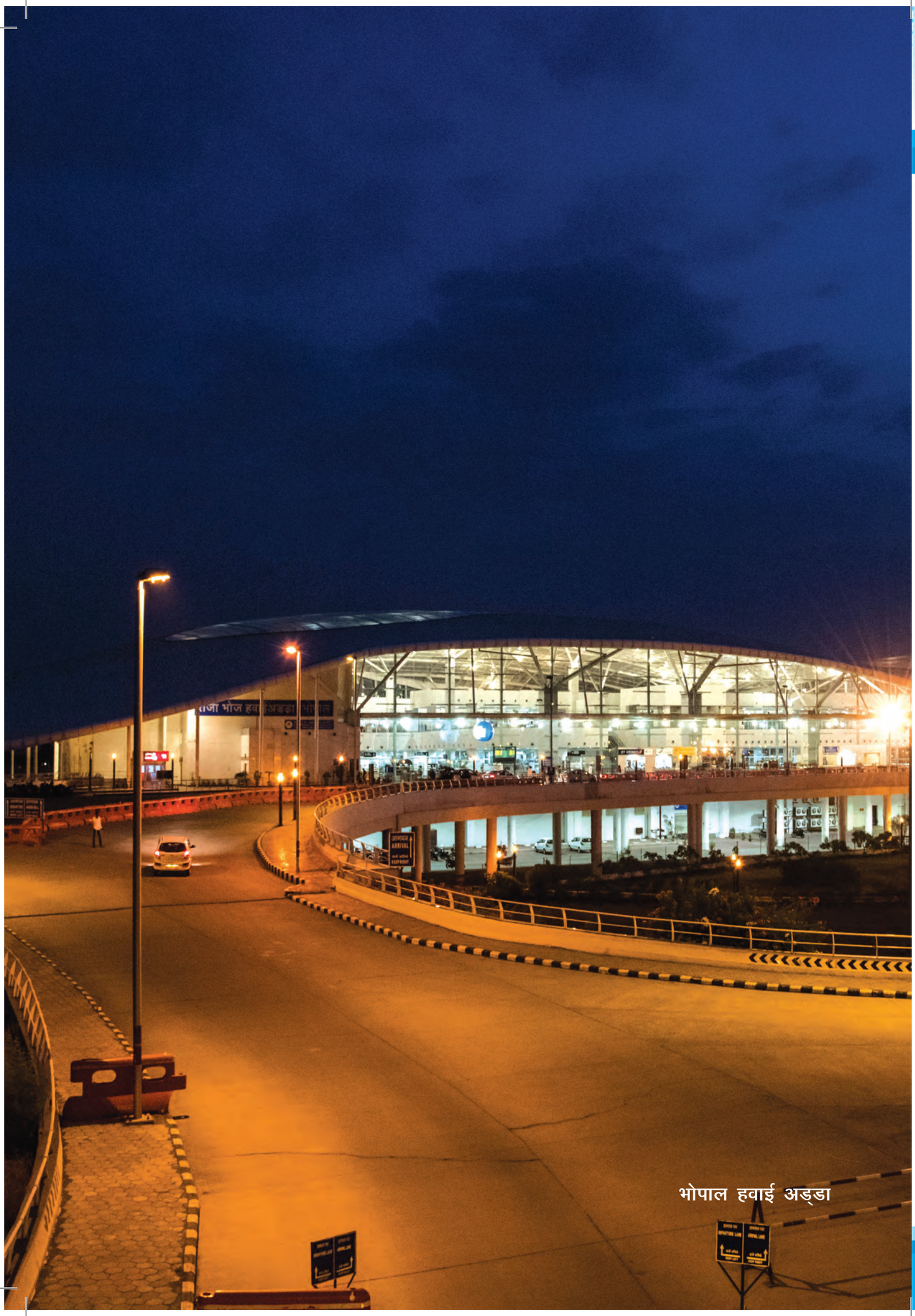

भोपाल हवाई अड्डा

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

निगमित अभिशासन, प्रणालियों और पद्धतियों का एक समूह है जिसमें संगठन की कार्य प्रणाली को इस तरह से प्रबंधित किया जा सके कि इसके सभी लेन देन में जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता व्यापक रूप से सुनिश्चित हो सके और हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) विश्वास करता है कि एक संगठन को कार्यकारी प्रबंधन को सशक्तिकरण प्रदान करना चाहिए तथा साथ ही जांच और संतुलन का एक तंत्र बनाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी प्रबंधन में निहित निर्णय लेने की शक्तियों का उपयोग उचित देखभाल और जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और दुरूप्रयोग नहीं किया जा रहा है। हमारी शासन प्रणाली सुधार करने और नवाचार की अंतर्निहित इच्छा से उपजी है और न्यासधारिता की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है जो हमारे मूल्य प्रणाली में अंतर्निहित है और कार्यनीतिक विचार प्रक्रिया का हिस्सा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हर समय सर्वश्रेष्ठ अभिशासन पद्धतियों को अंगीकार करने और सच्ची भावना से इसके पालन के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निगमित प्रकियाएं नैतिक निगमित नागरिकता में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विश्वास को साकार करने हेतु निरंतर सुदृढ और सहायता करती है तथा यह संगठन के भीतर और साथ ही बाहरी संबंधों में नैतिक व्यवहार के अनुकरणीय मानकों के माध्यम से प्रकट होती हैं।

1. निदेशक मंडल

किसी भी संगठन का निदेशक मंडल ("बोर्ड") निगमित शासन सिद्धांतों एवं व्यवहारों को प्रेरक होता है एवं यह सुनिष्चित करता है कि सभी हितधारकों के दीर्घ अवधि हित सुरक्षित रहें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, संगठन का न्यासी होने के नाते, संगठन के सांस्कृतिक, नैतिक और उत्तरदायी वृद्धि की स्थापना के लिए जिम्मेदार है और उच्च स्तर के निष्ठापूर्ण, विद्वान और समर्पित व्यावसायिकों से बना है। बोर्ड के कार्यात्मक सदस्य अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभवी कार्मिक हैं जो प्रचालन मुद्दों, प्रणालियों और प्रबंधन में सर्वोत्तम व्यवहार अपनाने हेतु प्रबंधन को दिशा निर्देश प्रदान करते है तथा सांविधिक,विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिष्चित करते हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संसद के अधिनियम अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (''अधिनियम'') के अंतर्गत गठित एक गैर–सूचीबद्ध सांविधिक निगम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व में है। इसकी बोर्ड संरचना / गठन अधिनियम द्वारा शासित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में कार्यात्मक, सरकारी, स्वतंत्र और महिला सदस्यों का एक अनुकूलतम संयोजन है। 31.03.2022 को बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार है:–

श्री संजीव कुमार, भाप्रसे (1)&(5)	अध्यक्ष एवं सदस्य (प्रचा.) – अतिरिक्त प्रभार
श्री अरुण कुमार, भाप्रसे नागर विमानन महानिदेशक	पदेन सदस्य
श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन(2) संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	गैर–सरकारी सदस्य (सरकार द्वारा नामित)
सुश्री रुबीना अली (3) संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	गैर–सरकारी सदस्य (सरकार द्वारा नामित)
श्री अनिल कुमार पाठक(4) सदस्य (योजना) और सदस्य (मा सं) – अतिरिक्त प्रभार	कार्यात्मक सदस्य
श्री के विनायक राव(1) सदस्य (वित्त)	कार्यात्मक सदस्य
श्री एम. सुरेश(5) सदस्य (एएनएस) और सदस्य (प्रचालन)–अतिरिक्त प्रभार	कार्यात्मक सदस्य
श्री जी. सेकर(6)	गैर–सरकारी सदस्य (स्वतंत्र)
श्री रविन्द्र सिंह बालावत(7)	गैर–सरकारी सदस्य (स्वतंत्र)
सुश्री माधवी संजय नाइक(7)	गैर–सरकारी सदस्य (स्वतंत्र)

(1) 31.10.2022 को भाविप्रा के सदस्य (वित्त) श्री के. विनायक राव की सेवानिवृति के परिणाम स्वरुप, ना.वि.म. ने अपने आदेश सं. एवी–24011/8/2021–भाविप्रा–नाविमं दिनांक 01 नवंबर 2022 के द्वारा सदस्य (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री संजीव कुमार, भाप्रसे, अध्यक्ष, भाविप्रा को दिनांक 01.11.2022 से 28.01.2023 तक तीन माह की अवधि, या एक नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए सौंपा।

(2) श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय ने 25.10.2022 को भाविप्रा के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। तदनुसार, उक्त तिथि से वे भाविप्रा के बोर्ड सदस्य नही रहे। उक्तपद को भरने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के आदेश की प्रतीक्षा है।

(3) *नाविमं ने अपनी अधिसूचना संख्या एवी–24015/2/2015–भा. विप्रा–नाविमं (84261) दिनांक 20 जनवरी 2022 के तहत सुश्री रुबीना अली, संयुक्त सचिव, नाविमं के कार्यकाल को भाविप्रा के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में 11.02.2022 से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक अवधि तक बढ़ाया गया। उनका तीन साल का पिछला कार्यकाल 10.02.2022 को समाप्त हो रहा था।*

(4) *श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मा सं) के कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण दिनांक 22 अप्रैल 2021 को आकस्मिक निधन के परिणामस्वरूप, नाविमं ने अपने आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2021 द्वारा श्री अनिल कुमार पाठक को अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलाव सदस्य (मा सं), भाविप्रा के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। तब से नागर विमानन मंत्रालयअपने समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार, श्री ए. के. पाठक को सदस्य (मा सं) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता रहा है।*

(5) *श्री आईएन मूर्ति ने 22.11.2021 को भाविप्रा के सदस्य (प्रचालन) के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नाविमं ने अपने आदेश संख्या एवी–24011/17/2020–भाविप्रा–नाविमं (189566) दिनांक 31 दिसंबर 2021 के तहत सदस्य (प्रचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री संजीव कुमार, भाप्रसे, अध्यक्ष, भाविप्रा को 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक, सौंपने के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन की सूचना दी।*
बाद में, नाविमं ने अपने समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2022 के द्वारा सदस्य (प्रचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री एम. सुरेश, सदस्य (एएनएस) को 1 वर्ष की अवधि तक पद पर एक नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए सौंपा। तदनुसार, श्री एम. सुरेश ने 24.05.2022 को पदभार ग्रहण किया और श्री संजीव कुमार, भाप्रसे, अध्यक्ष, भाविप्रा को अतिरिक्त प्रभार से उक्त तारीख से कार्यमुक्त कर दिया गया।

(6) *श्री जी सेकर ने 21.07.2022 को भाविप्रा के बोर्ड में गैर–आधिकारिक (अंशकालिक) सदस्य के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और तदनुसार उक्त तिथि से वे भाविप्रा के बोर्ड सदस्य नहीं रहे। भाविप्रा के बोर्ड सदस्य के रूप में उनकी समाप्ति के परिणामस्वरूप, भाविप्रा में स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों की संख्या अब 2 (दो) हो गई है।*

(7) *श्री रवींद्र सिंह बालावत और सुश्री माधवी संजय नाइक को नाविमं की अधिसूचना संख्या 24011/12/2019 भाविप्रा–नाविमं (166781) क्रमशः दिनांक 21.01.2022 और 29.03.2022 द्वारा भाविप्रा के बोर्ड में गैर–आधिकारिक स्वतंत्र सदस्य (अंशकालिक) के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के रूप में नियुक्त किया गया।*

30.11.2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अध्यक्ष, नागर विमानन महानिदेशक (पदेन सदस्य), 2 कार्यात्मक सदस्य, नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला 1 नामिती और 2 अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य (स्वतंत्र) सदस्य शामिल हैं।

निम्नलिखित पदों की नियुक्ति और भरने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के आदेश की प्रतीक्षा है; (ए) सदस्य (मा सं) का पद (बी) सदस्य (प्रचालन) का पद; (सी) सदस्य (वित्त) का पद; (डी) नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 नामित सदस्य का पद; और (ई) गैर–सरकारी (स्वतंत्र) सदस्यों के 2 पद।

2. बोर्ड/समिति की बैठकें

बोर्ड बैठकें और इसकी प्रक्रियाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (व्यापार का लेन–देन) विनियम, 1995 ("विनियम") द्वारा शासित होती हैं। बोर्ड/समिति बैठकों के आयोजन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों का अनुपालन किया जाता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) पर एक विस्तृत पुस्तक है एवं अन्य मैनुअल जैसे माल और सेवाओं की खरीद के लिए भाविप्रा नियमावली, वाणिज्यिक नियमावली,भाविप्रा कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2003, आदि हैं, जिसमे प्रक्रियाओं की व्याख्या है और समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अद्यतन हैं और संगठन की जरूरतों को पूरा करते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास समुचित संख्या में बोर्ड स्तरीय समितियाँ हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विचार–विमर्ष करती हैं और लिए जाने वाले निर्णयों पर बोर्ड को सलाह देती हैं।

व्यापार नीतियों और कार्यनीतियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। बोर्ड के सदस्यों को अग्रिम रूप से कार्यसूची की मदें परिपत्रित की जाती है और चर्चा के दौरान विस्तृत प्रस्तुतियां दी जाती हैं। प्रत्येक प्रस्ताव की जांच की जाती है और निर्णय लेने से पहले और विस्तार से चर्चा की जाती है। बोर्ड की समितियां, बोर्ड को सिफारिश किए जाने से पहले प्रमुख प्रस्तावों पर विचार–विमर्श करती हैं। बोर्ड अपने निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की नियमित रूप से निगरानी करता है। जोखिम वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया जाता है और न्यूनीकरण प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। संदर्भ की शर्तें, कोरम, बैठक की अवधि आदि प्रत्येक बोर्ड समिति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बोर्ड/समिति की बैठकों का कार्यक्रम सदस्यों को अग्रिम रूप से परिपत्रित किया जाता है ताकि वे बैठकों में भाग

लेने के लिए अपने कार्यक्रम की योजना बना सकें। साथ ही, भारतीय विमानपत्तन प्राधिरण (व्यापार का लेनदेन) विनियम, 1995 में निर्धारण के अनुसार दो बोर्ड बैठकों के बीच की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की 8 (आठ) बैठकें अर्थात 07.05.2021, 07.07.2021, 07.09.2021, 05.10.2021, 26.11.2021, 25.01.2022, 15.02.2022 और 23.03.2022 को आयोजित की गईं।

3. लेखा परीक्षा समिति

अच्छे निगमित अभिशासन के उपाय के रूप में और बोर्ड की निरीक्षण जिम्मेदारियों को पूरा करने में बोर्ड को सहायता प्रदान करने के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र सदस्य द्वारा की जा रही है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कोरम, शक्ति, भूमिका, सूचना की समीक्षा आदि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। वर्तमान में, लेखापरीक्षा समिति में एक गैर–सरकारी स्वतंत्र सदस्य, एक सरकारी नामित निदेशक और एक कार्यात्मक सदस्य शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय मामलों का ज्ञान है और कम से कम एक सदस्य को लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल है।

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें हैं: –

- वित्तीय विवरणों की जांच और उस पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
- संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिषों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारी।

दिनांक 31.03.2022 को समिति का गठन इस प्रकार है:–

सदस्य का नाम	श्रेणी	पद
श्री जी. सेकर	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) सदस्य	अध्यक्ष
श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	अंशकालिक सदस्य (सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
श्री के विनायक राव	कार्यात्मक सदस्य	सदस्य

टिप्पणी:

1. 21.07.2022 को श्री जी. सेकर के पद से हटने के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने 26.07.2022 को आयोजित अपनी 209वीं बैठक में निम्नानुसार लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया:

   (i) सुश्री माधवी संजय नाइक , अध्यक्ष

   (ii) श्री रविन्द्र सिंह बालावत , सदस्य

   (iii) श्री के विनायक राव, सदस्य

   (चूंकि, श्री के. विनायक राव 31.10.2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन बोर्ड के विचाराधीन है)

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ कार्मिक भी जब भी आवश्यक हो लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेते हैं।

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम दो सदस्य (एक स्वतंत्र सदस्य सहित) लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लें। उनकी उपलब्धता के बाद ही बैठकों की तारीख तय की जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की तीन बैठकें अर्थात 06.09.2021 (04.10.2021 को स्थगित बैठक), 26.11.2021 और 14.02.2022 को हुई।

4. पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो बोर्ड को प्रत्येक कर्मचारी के निष्पादन संबंधी वेतन, वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल और निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर– कार्यपालकों को इसके वितरण के लिए सिफारिश करती है।

पारिश्रमिक समिति में इसके सदस्यों के रूप में तीन गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र सदस्य द्वारा की जाती है।

दिनांक 31.03.2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है:–

सदस्य का नाम	श्रेणी	पद
श्री जी. सेकर	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) सदस्य	अध्यक्ष
श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	अंशकालिक सदस्य	सदस्य
सुश्री रुबीना अली	अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य (सरकार नामिती)	सदस्य

टिप्पणी:

1. *21.07.2022 को भाविप्रा के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के रूप में श्री जी सेकर के कार्यकाल की समाप्ति के परिणाम स्वरूप, बोर्ड ने 26.07.2022 को आयोजित अपनी 209वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया और श्री रवींद्र सिंह बालावत को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।*
2. *चूंकि, श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और 25.10.2022 को भाविप्रा के बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन बोर्ड के विचाराधीन है।*

कोविड–19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने विमानन उद्योग को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, भाविप्रा की आय और वित्त पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए, 2021–22 के दौरान, अधिकारियों को निष्पादन संबंधी वेतन के वितरण पर विचार करने और अनुशंसा करने के लिए भाविप्रा की पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

5. सदस्यों का पारिश्रमिक और उनकी नियुक्ति

भाविप्रा के बोर्ड में गैर–सरकारी सदस्यों सहित सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

जबकि आधिकारिक सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, गैर–सरकारी स्वतंत्र सदस्यों को 'स्वतंत्र सदस्यों को भुगतान की नीति' के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

6. सीएसआर समिति

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम की धारा 135 और उसके अंतर्गत तैयार नियमों के अनुसार, भाविप्रा के बोर्ड ने एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में अध्यक्ष, भाविप्रा कर रहे हैं।

सीएसआर समिति के संदर्भ की शर्तें हैं: –

- एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट भाविप्रा द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी।
- स्वीकृत सीएसआर गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना।
- समय–समय पर भाविप्रा की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

दिनांक 31.03.2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है:–

सदस्य का नाम	श्रेणी	पद
श्री संजीव कुमार, भाप्रसे	कार्यात्मक सदस्य	अध्यक्ष
श्री ए के पाठक, सदस्य (योजना)	कार्यात्मक सदस्य	सदस्य
श्री जी सेकर , अंशकालिक सदस्य (गैर–सरकारी)	स्वतंत्र सदस्य	सदस्य

टिप्पणी:

1. *21.07.2022 को भविप्रा के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के रूप में श्री जी सेकर के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने 26.07.2022 को आयोजित अपनी 209वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया और श्री जी सेकर के स्थान पर श्री रवींद्र सिंह बालावत को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।*

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की बैठक एक बार अर्थात 10.11.2021 को हुई।

7. अनुशासन समिति (बोर्ड स्तर)

भाविप्रा कर्मचारी (आचरण,अनुशासन और अपील) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति उक्त विनियमों के अंतर्गत की गई अपीलों पर विचार करती है:

1. स्वतंत्र बोर्ड सदस्य – अध्यक्ष
2. सदस्य (मानव संसाधन) – सदस्य
3. सदस्य (वित्त) – सदस्य
4. संबंधित सदस्य – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान समिति की बैठक एक बार अर्थात 14.03.2022 को हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री जी. सेकर (स्वतंत्र बोर्ड सदस्य) द्वारा की गई और इसमें सदस्य (योजना/मा. सं.), सदस्य (वित्त) और सदस्य (एएनएस) ने भाग लिया।

टिप्पणी: 21.07.2022 को भाविप्रा के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के रूप में श्री जी सेकर के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने 26.07.2022 को आयोजित अपनी 209वीं बैठक में समिति का पुनर्गठन किया और सुश्री माधवी संजय नाइक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।

8. सलाहकार बोर्ड

बोर्ड का मानना है कि उचित रूप से तैयार और संरचित, एक प्रभावी सलाहकार बोर्ड, गैर–बाध्यकारी परंतु सूचनाप्रद मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है और बेहतर निगमित अभिशासन की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में कार्य कर सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भाविप्रा में शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिकल्पित कार्मिक सलाहकार बोर्ड (पीएबी), वाणिज्यिक सलाहकार बोर्ड (सीएबी), विधिक सलाहकार बोर्ड, कार्य सलाहकार बोर्ड (डब्ल्यूएबी), प्रचालन सलाहकार बोर्ड सहित भाविप्रा में विभिन्न सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं।

संबंधित सलाहकार बोर्ड अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अंदर मामलों में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के लिए या भाविप्रा बोर्ड के अनुमोदन के लिए अध्यक्ष की सिफारिशों हेतु अपनी सिफारिशें देता है।

9. वार्षिक आम बैठक

भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण भारत सरकार के100% स्वामित्व में एक सांविधिक निगम है और संसद के विशेष अधिनियम अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 द्वारा शासित है। चूंकि कंपनी अधिनियम भाविप्रा पर लागू नहीं होता और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण् अधिनियम, 1994 में वार्षिक आम बैठक आयोजन संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। अतः भाविप्रा द्वारा किसी भी प्रकार की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

10. सदस्यों और उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा प्रकटन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसके हितधारकों के सर्वोत्तम हितों को बढावा देने के लिए सभी बोर्ड के सदस्य और उच्च स्तरीय प्रबंधन अधिकारी सदभावनापूर्वक कार्य करते हैं। सभी बोर्ड सदस्य और उच्च स्तरीय प्रबंधन अधिकारी विधिवत और ध्यान से कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं।

बोर्ड के सदस्य आम तौर पर ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होते हैं जिसमें उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित से भाविप्रा के हितों का टकराव हो सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 4 ऐसे किसी भी व्यक्ति को भाविप्रा के बोर्ड में सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित करती है, यदि उसके पास प्राधिकरण में कोई वित्तीय या अन्य हित हो, जो एक सदस्य के रूप में उसके कार्यों के निर्वहन को प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

11. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखना एक सतत प्रक्रिया है। सदस्यों को डीपीई सहित विभिन्न व्यावसायिक निकायों द्वारा विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य उच्चतम मानकों और निष्पादन में अपनी भूमिका निभाने के लिए पुनश्चर्या और सुसज्जित हैं। यदि इच्छुक हों, तो सदस्य संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

12. संचार के माध्यम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आवधिक रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलो को सम्मिलित करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के माध्यम से हितधारकों के साथ सूचना साझा करने की भी सुविधा है।

13. वेबसाइट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् www-aai-aero में हितधारकों के लिए समर्पित भाग हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रयोक्ता के अनुकूल और डाउनलोड करने योग्य रूप में वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, निगमित सामाजिक पहल, यात्रियों की सूचना, सार्वजनिक सूचना, सतर्कता, वित्तीय सूचना आदि भी उपलब्ध हैं।

पाक्योंग हवाई अड्डा

अनुलग्नक - 3

पूंजीगत योजनाओं का वितरण (क्षेत्रवार)

भुवनेश्वर हवाई अड्डा

उत्तरी क्षेत्र

1. वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान भवन या सुविधाओं का शिलान्यास/उद्घाटनः

राशि (करोड़ रुपये में)

परियोजना-स्थल/हवाई अड्डा	विवरण	आयोजन तिथि
देहारादून	माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री द्वारा देहरादून नवीन टर्मिनल बिल्डिग का उद्घाटन	08.10.2021

2. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई पूंजीगत योजनाएं

राशि (करोड़ रुपये में)

परियोजना-स्थल/हवाई अड्डा	विवरण	पूर्णता लागत	पूर्णता तिथि
बरेली	न्यू सिविल एन्क्लेव का विकास। उप शीर्षः– प्री–इंजीनियर्ड टर्मिनल बिल्डिग का निर्माण और संबंधित कार्य	41.26	मई 2021
जयपुर	07 कोड ई विमान (वैकल्पिक रूप से 4सी प्रकार के 13 विमान यानी ए–321- 200) की पार्किंग के लिए मुख्य एप्रन के पूर्वी हिस्से में एप्रन का निर्माण और टैंगो टैक्सी के दोनों ओर, सी प्रकार के विमान हेतु 19 पार्किंग बे सहित संबंधित कार्य।	97.58	अगस्त 2021
	जयपुर हवाई अड्डे पर टैंगो टैक्सी से नाले तक समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण (चरण 1)	29.80	अक्टूबर 2021
	जयपुर पर अंतरराष्ट्रीय प्रचालन के लिए पुराने टर्मिनल (टी–01) भवन का जीर्णोद्द्वार रेट्रो–फिल और नवीनीकरण	52.96	अक्टूबर 2021
जम्मू	रनवे 36 (छोर 18 की ओर) का 1300 फीट तक विस्तार और संबद्ध कार्य।	77.00	अक्टूबर 2021
खजुराहो	खजुराहो में नए एटीसी टावर तथा तकनीकी खंड का निर्माण	18.30	अक्टूबर 2021
	खजुराहो हवाई अड्डे पर रनवे के बेसिक स्ट्रिप का चौड़ीकरण और ग्रेडिंग, पेरीमीटर रोड और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण।	17.21	फरवरी 2022
अमृतसर	कोड 4सी प्रकार के 10 विमानों के लिए एप्रन का विस्तार।	43.80	मार्च 2022
	अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	96.95	मार्च 2022
चंडीगढ़	चंडीगढ़ एयरफील्ड में टैक्सीवे एच के साथ रनवे 29 की शुरुआत में टैक्सी लिंक को जोड़ने वाले दक्षिणी टैक्सी वे का निर्माण।	19.29	जुलाई 2021
चित्रकूट	चित्रकूट में हवाई अड्डे का विकास	22.00	मार्च 2022
जोधपुर	जोधपुर हवाई अड्डे पर नए एप्रन और लिंक टैक्सी का निर्माण	21.64	दिसम्बर 2021
आदमपुर	आदमपुर में सिविल एन्क्लेव की स्थापना उप शीर्षः– एप्रन का निर्माण, टैक्सी ट्रैक एवं संबंधित कार्य।	8.84	अप्रैल 2022

3. पूंजीगत योजना, प्रगति पर हैं (31-03-2022 तक)

(राशि करोड़ रुपए में)

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डा	विवरण	अनुमोदित लागत	पीडीसी
आदमपुर	आदमपुर में सिविल एन्क्लेव की स्थापना	114.85	नवंबर 2022
देहरादून	देहरादून हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	456.86	मार्च 2023
	रनवे और टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण	25.81	अक्टूबर 2022
कानपुर	कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे का विकास	168.87	फरवरी 2023
लेह	लेह हवाई अड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य	480.33	मार्च 2024
मुइरपुर	मुइरपुर में हवाई अड्डे का विकास	44.51	मार्च 2023
सफदरजंग	सफदरजंग हवाई अड्डे पर डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी, ऐरा और भाविप्रा (जमा कार्य) के संयुक्त परिचालन परिसर का निर्माण	303.80	फरवरी 2023
शिमला	शिमला हवाईअड्डे पर बेसिक स्ट्रिप का जीर्णोद्धार	124.22	अक्टूबर 2022
वाराणसी	नए एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	28.23	सितम्बर 2022
अयोध्या (फैजाबाद)	अयोध्या (फैजाबाद) हवाई अड्डे का विकास। ए: डिजाइन और बिल्ड के आधार पर (ईपीसी) पूर्व–इंजीनियर भवनों (पीईबी) का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य	100.68	मई 2023
	बी: डिजाइन और बिल्ड के आधार पर (ईपीसी) पर प्रचालन क्षेत्र में फुटपाथ, ग्रेडिंग और अन्य कार्य	141.46	मई 2023
उदयपुर	बी–777 वीआईपी उड़ान प्रचालनों के लिए रनवे का पुनः सतहीकरण करना और फिलेट और टर्न पैड प्रदान करना	22.44	मार्च 2023
गोरखपुर	यात्री टर्मिनल भवन का विस्तार	26.87	जनवरी 2023
ग्वालियर	ग्वालियर हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव का विस्तार उपशीर्ष: टर्मिनल भवन, अनुषंगी भवन, कार पार्किंग का निर्माण, सिटी साइड विकास एवं अन्य संबंधित कार्य ।	446.12	सितम्बर 2023
जोधपुर	जोधपुर हवाई अड्डे पर नए एप्रन का निर्माण (शेष भाग) चरण– II उपशीर्ष: सिविल एयर टर्मिनल जोधपुर एयरपोर्ट, जोधपुर (राजस्थान) में कोड '4सी' प्रकार के 05 विमानों (अर्थात् 321–200) की पार्किंग के लिए अतिरिक्त एप्रन का निर्माण।	16.65	अक्टूबर 2023
बरेली	बरेली में सिविल एन्क्लेव का विकास उपशीर्ष: बरेली में एप्रन का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	21.49	फरवरी 2023

4. योजनाधीन परियोजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि रुपए करोड़ में)

परियोजना-स्थल/हवाई अड्डा	विवरण	लागत
सहारनपुर	सरसावा में सिविल एंकलेव का विकास	80.00
फुरसतगंज	सिविल प्रचालन हेतु फुरसतगंज हवाई अड्डे का विकास	25.24
हलवारा	सिविल एंकलेव हलवारा हवाई अड्डे का विकास	360.00
कोटा	कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण	1000.00
उदयपुर	उदयपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	754.00
	महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर में कोड–सी विमान के लिए नए पार्किंग स्टैंड के निर्माण की अतिरिक्त गुंजाइश।	37.00
जम्मू	सीए जम्मू में तवी नदी की ओर विद्युत एवं यांत्रिक संस्थापनों सहित एप्रन, टैक्सी ट्रैक के साथ एनटीबी का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य	850.00
जोधपुर	जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	402.00
दिल्ली (पालम)– क्षेमु – उक्षे	आईजीआई हवाई अड्डे पर एसीसी और टीबीबी भवन परिसर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रकार एमएलसीपी का एसआईटीसी।	40.00
श्रीनगर	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	1400.00
अमृतसर	अमृतसर हवाई अड्डे पर सीएटी–III बी लाइटिंग प्रणाली के लिए एएलसीएमएस का उन्नयन और आईएलसीएमएस का प्रावधान	36.00
लेह	कोड 4 सी प्रकार के 4 विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का निर्माण	31.00

दक्षिणी क्षेत्र

1. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भवन या सुविधाओं का शिलान्यास/उद्घाटन - शून्य

2. वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान पूरी की गई पूंजीगत योजनाएं

(राशि करोड़ रुपए में)

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डा	विवरण	पूर्णता लागत	पूर्ण होने की तिथि
विजयवाडा	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर न्यू एप्रन, लिंक टैक्सीवे का निर्माण और संबंधित कार्य।	31.20	मार्च 2022
चेन्नई	प्रचालन क्षेत्र में मौजूदा पेरीमीटर रोड का चौड़ीकरण।	4.38	मार्च 2022
	चेन्नई हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ बैरक चरण–III (सी ई) का निर्माण कार्य।	6.56	अप्रैल 2021
	चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण। चरण– II उप शीर्ष: चेन्नई हवाई अड्डे पर एसटीपी–I (2.25 एमएलडी) और एसटीपी–2 (1.2 एमएलडी) के निर्माण के लिए शेष सिविल कार्य।	6.97	सितंबर 2021
	चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रिमोट बे के लिए एवीडीजीएस का प्रावधान।	8.18	सितंबर 2021
	चेन्नई हवाई अड्डे पर भाविप्रा (एनएडी) आवासीय कॉलोनी में छात्रावास सुविधा का निर्माण कार्य। उप शीर्ष: सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य।	9.24	अगस्त 2021
	चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, चेन्नई (सिविल कार्य) पर मुख्य रनवे 07/25 के लिए 02 रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (आरईटी) का निर्माण और कोड ई विमान के लिए उपयुक्त समानांतर टैक्सी ट्रैक के रूप में बी टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण। (सिविल कार्य)	73.88	अगस्त 2021
हैदराबाद	हैदराबाद हवाई अड्डे, बेगमपेट में (12) बारह वर्षों के लिए 1 एमडबल्यूपी ग्रिड (33 केवी) से जुड़े सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट और व्यापक, प्रचालन और रखरखाव का एसआई टीसी.	4.31	मार्च 2022
	बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में मौजूदा टर्मिनल भवन में एटीएम प्रशिक्षण सुविधाओं, एसएमयू, कैलिब्रेशन लैब और आरएंडडी सेंटर में संशोधन का प्रावधान। उप शीर्ष: आंतरिक, बाहरी विद्युत कार्यों सहित आंतरिक व सिविल कार्य, बिजली व डेटा सर्किट के लिए केबल प्रबंधन प्रणाली और फायर अलार्म व अग्निशामक यंत्रों का एसआईटीसी।	11.73	अप्रैल 2021
अगाती	अगाती हवाई अड्डे का विकास और उन्नयन। उपशीर्ष: व्यवहार्यता अध्ययन के लिए तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति।	1.67	फरवरी 2022
कोयंबटूर	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए प्रस्थान टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य। उपशीर्ष: पंप हाउस, पानी की टंकियों, कैंटीन, यूनियन कार्यालय, कल्याणमयी आदि का पुनर्वास।	2.10	जनवरी 2022
	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सी टाइप श्रेणी की 05 पार्किंग के लिए अतिरिक्त एप्रन का निर्माण और 02 एटीआर के लिए एप्रन का विस्तार।	25.28	अगस्त 2021
वेल्लोर	आरसीएस उड़ान 2 के तहत वेल्लोर हवाई अड्डे का विकास। उपशीर्ष: संबद्ध कार्य जैसे ऑपरेशनल कंपाउंड वॉल का निर्माण, चेन लिंक फेंसिंग, रिटेनिंग वॉल, पेवर ब्लॉक कार्य आदि।	7.98	दिसंबर 2021
त्रिची	त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, त्रिची में मौजूदा रनवे 09–27 का पुनः सतहीकरण और संबंधित कार्य।	17.73	नवंबर 2021
त्रिवेन्द्रम	कैट IX के लिए त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर नए अग्निशमन केंद्र का निर्माण।	10.56	मई 2021
मदुरै	मदुरै हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार और संबद्ध कार्य।	22.16	अप्रैल 2021

3. वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान प्रगतिशील पूंजीगत योजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि रुपए करोड़ में)

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डे	विवरण	अनुमोदित लागत	पीडीसी
कोयंबटूर	कोयंबटूर हवाईअड्डे पर रनवे का पुनर्सतहीकरण।	49.83	जून 2023
कड़पा	कोड सी प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए मौजूदा धावनपथ, टैक्सीवे और एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा संबद्ध कार्य।	94.44	जून 2022
हुबली	हुबली हवाईअड्डे पर प्रचालन क्षेत्र का पृथक्करण, चारदीवारी का निर्माण, स्ट्राम जल निकासी (स्टॉर्म वाटर ड्रेन), पेरीमीटर रोड तथा अन्य विविध कार्य।	13.84	जून 2022
मदुरै	मदुरै हवाई अड्डे पर कोड सी प्रकार के विमान के लिए मौजूदा रनवे 09–27 का पुनर्सतहीकरण और संबद्ध कार्य।	28.39	मई 2022
	मदुरै हवाई अड्डे पर मरम्मत और रखरखाव, संचालन और एआईसीएमसी सहित नए एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।	99.00	फरवरी 2024
तिरुचिरापल्ली(त्रिची)	तिरुचिरापल्ली (त्रिची) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन और एयरसाइड सुविधाओं का उन्नयन। उपशीर्षः नए टर्मिनल भवन, एलिवेटेड रोड का निर्माण साथ ही संबद्ध इलेक्ट्रोमैकेनिकल, एयरपोर्ट सिस्टम, व्यापक रखरखाव और संचालन सहित आईटी कार्य। (पैकेज–I)	951.28	दिसम्बर 2023
	तिरुचिरापल्ली (त्रिची) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन और एयरसाइड सुविधाओं का उन्नयन। उपशीर्षः एप्रन का निर्माण, संबद्ध टैक्सीवे, आइसोलेशन बे, जीएसई क्षेत्र और संबंधित कार्य।		
	तिरुचिरापल्ली (त्रिची) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन और एयरसाइड सुविधाओं का उन्नयन। उपशीर्षः नए टर्मिनल भवन एलिवेटेड रोड का निर्माण साथ ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल, हवाई अड्डा प्रणाली (एयरपोर्ट सिस्टम), व्यापक रखरखाव और संचालन सहित आईटी कार्य (पैकेज–II) – सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (कुल क्षमता 1050 केएलडी, 525 केएलडी प्रति क्षमता के 2 मॉड्यूल में निर्मित)		
	तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली – तमिलनाडु (भारत) में एलिवेटेड सड़कों और अन्य संबंधित कार्यों सहित नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण। उपशीर्षः वीआईपी और सीआईपी लाउंज, यात्री शौचालयों कला कार्यों के लिए आंतरिक कार्य, और संबद्ध विद्युत कार्य।		
तिरुपति	तिरुपति हवाईअड्डे पर कोड–ई प्रकार के विमानों के लिए मौजूदा / धावनपथ, एप्रन का सुदृढ़ीकरण एवं रनवे विस्तार और आरईएसए के प्रावधान और संबंधित कार्य।	177.00	अगस्त 2022

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डे	विवरण	अनुमोदित लागत	पीडीसी
तूतीकोरिन	तूतीकोरिन हवाई अड्डे का विकासः ब्लास्ट पैड, आरईएसए, टैक्सीवे, एप्रन जीएसई क्षेत्र, आइसोलेशन बे और विविध कार्यों के साथ रनवे का विस्तार।	380.87	दिसम्बर 2023
	तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन केंद्र का निर्माण और रखरखाव, संचालन और एआईसीएमसी सहित संबद्ध कार्य।		
	तूतीकोरिन में प्रचालन क्षेत्र के विभाजन और भाविप्रा की नई अधिग्रहीत भूमि के लिए चारदीवारी का निर्माण। (द्वितीय चरण)	14.28	जून 2022
विजयवाड़ा	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर संबंधित कार्यों सहित एनआईटीबी का निर्माण।	611.80	जून 2024
विजाग	सिविल एंक्लेव, विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन का रैखिक विस्तार।	70.88	मई 2022
मैसूर	मैसूर हवाई अड्डे पर दीवार से दीवार तक ग्रेडिंग।	35.34	अक्टूबर 2022
राजामुन्द्री	एडमिन ब्लॉक का निर्माण।	10.38	अक्टूबर 2022
	टर्न पैड और फिललेट्स का विस्तार।	9.50	मार्च 2023
हैदराबाद	बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में नागर विमानन अनुसंधान संगठन परिसर का निर्माण।	353.61	दिसंबर 2023
	बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में नागर विमानन अनुसंधान संगठन परिसर का निर्माणः छात्रावास ब्लॉक (सिविल़इलेक्ट्रिकल)	48.52	जून 2022
	बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में क्षतिग्रस्त हिस्सों (चरण–II) में परिचालन दीवार का उन्नयन/पुनर्निर्माण।	19.28	मार्च 2023
	बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद में रनवे का पुनः सतहीकरण और सुदृढ़ीकरण। उपशीर्षः बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में रनवे का पुनः सतहीकरण और अन्य पेवमेंट कार्य।	55.95	जुलाई 2023
चेन्नई	चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण–चरण–II	2467.00	कार्य दो भाग में हैं। भाग I – पीडीसीः दिसंबर, 2022 भाग 2 – पीडीसीः जुलाई, 2024
	चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई का आधुनिकीकरण, चरण–II, उपशीर्षः इंटीरियर, फर्नीशिंग, कला कार्य, बागवानी एवं लैंड स्केपिंग और संबद्ध कार्य।		
	चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई का आधुनिकीकरण, चरण–II, उपशीर्षः इंटीरियर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग वर्क्स"		
	चेन्नई हवाई अड्डा का आधुनिकीकरण, चरण–II उपशीर्षः चेन्नई हवाई अड्डा पर इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का प्रावधान।		
	चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण चरण– II उपशीर्षः एसटीपी इलैक्ट्रिकल		
	चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण चरण– II उपशीर्षः चेन्नई हवाई अड्डे पर कार पार्क क्षेत्र में आंतरिक अशोधित सड़कों सहित टर्मिनल भवन के सामने सड़क का निर्माण (सिविल कार्य)– ईस्ट ब्लॉक एमएलसीपी के दक्षिणी हिस्से और वेस्ट ब्लॉक एमएलसीपी के दक्षिणी हिस्से में रिटेनिंग वॉल का निर्माण		
	चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण चरण– II उपशीर्षः नए टर्मिनल भवन में सिटी साइड और एयर साइड कैनोपी पर फाल्स सीलिंग का प्रावधान।		
	"चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण (चरण–II), चेन्नई।		

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डे	विवरण	अनुमोदित लागत	पीडीसी
	चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई पर बी–टैक्सी ट्रैक (रनवे के महत्वपूर्ण भाग से दूर) के साथ मिल रहे मुख्य रनवे 07/25 के लिए 02 रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (आरईटी) के शेष भाग का निर्माण और टैक्सीवे–डी तथा टैक्सीवे–एम के मध्य पुनः सतहीकरण और संबंधित कार्य।	66.18	मार्च 2023
	चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई पर आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	460.75	नवंबर 2024
	कोड 'ई' विमान प्रचालनों के लिए 'एच' टैक्सी ट्रैक, 'ई' टैक्सी ट्रैक का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण, अंतर्देशीय एप्रन में आरईटी–एम से 'एच' टैक्सी ट्रैक के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण, दूसरे रनवे का पुनर्निर्माण और संबंधित कार्य।	53.66	मार्च 2023
	चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई पर बी टैक्सी से जोड़ने वाले लिंक टैक्सीवे के 'एन1' और 'एफ' के शेष भाग का निर्माण, 'के' टैक्सीवे से 'एम' टैक्सीवे के बीच बी टैक्सी वे का पुनः सतहीकरण तथा ओल्ड सेरेमोनियल लाउंज व एयर इंडिया कार्गो स्थल पर कार्गो बे का निर्माण।	97.60	मार्च 2023
	चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई पर पुराने एयर इंडिया निर्यात कार्गो परिसर के क्षेत्र में पेवर ब्लॉक के साथ फुटपाथ (हार्ड स्टैंड) का निर्माण।	8.76	अगस्त 2022
	टर्मिनल भवन में मौजूदा शौचालयों में परिवर्धन / परिवर्तन (मुख्य कार्य)	12.36	जनवरी 2023
	चेन्नई हवाई अड्डे पर कार पार्क का विकास (बीडी)	400.00	दिसम्बर 2022
कोयम्बटूर और त्रिची	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण और त्रिची हवाई अड्डे पर पुराने वायरलेस स्टेशन पर नए आवासीय स्टाफ क्वार्टर, सीआईएसएफ बैरक, डॉग केनेल और कम्युनिटी हॉल का निर्माण।	48.75	अप्रैल 2022
		65.12	मई 2022
सेलम	सेलम हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार	9.74	जनवरी 2023

4. योजनाधीन परियोजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि करोड रू में)

परियोजना-स्थल/हवाई अड्डा	विवरण	लागत
कोयंबटूर	कोयंबटूर हवाई अड्डे पर नए अंतर्देशीय प्रस्थान टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य	146.00
अगाती	अगाती हवाई अड्डे का विकास	3954.00
तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे, त्रिची में सतही कार पार्किंग का निर्माण और संबंधित कार्य।	49.67
हैदराबाद	टर्न पैड और फिलेट्स का विस्तार	9.21

पूर्वी क्षेत्र

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सुविधाओं या भवन का शिलान्यास / उद्घाटन - शून्य

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण की गई पूंजीगत योजनाएं

(राशि करोड रु में)

परियोजना-स्थल/ हवाईअड्डा	विवरण	संपूर्ण लागत	संपूर्ण होने की तिथि
कोलकाता	एनएससीबीआई हवाई अड्डा, कोलकाता में सेकेंडरी रनवे 19R/01L का पुनर्सतहीकरण	40.75	जून 2021
रांची	रांची हवाईअड्डे के रनवे और टैक्सीवे का पुनर्सतहीकरण।	26.17	फरवरी 2022
देवघर	देवघर हवाई अड्डे का विकास उपशीर्ष: देवघर हवाईअड्डा, झारखंड में नवीन टर्मिनल भवन, एटीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक सह अग्निशमन स्टेशन भवन, ईएंडएम वर्कशॉप, सर्विस ब्लॉक, डीवीओआर और अन्य भवन का निर्माण कार्य।	84.34	फरवरी 2022

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रगति पर पूंजीगत योजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि करोड रु में)

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डा	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
भुवनेश्वर	एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन और ई एंड एम वर्कशॉप का निर्माण।	64.89	जुलाई 2023
	यात्री बोर्डिंग ब्रिज सुविधा का उपयोग करते हुए एकीकृत प्रचालन के लिए टी1 और टी2 के बीच लिंक भवन का निर्माण और टर्मिनल टी2 के विस्तार/नवीकरण का कार्य।	87.51	मार्च 2023
	08 कोड सी विमान की पार्किंग के लिए समानांतर टैक्सी ट्रैक, रैपिड एग्जिट टैक्सी वे और एप्रन का निर्माण (चरण–1)	76.85	जून 2022
	4.0 एमडबल्यूपी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान।	41.24	दिसम्बर 2022
पोर्टब्लेयर	वीएसआई हवाईअड्डे पोर्ट ब्लेयर में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (शेष कार्य)	707.73	अप्रैल 2023
	पोर्ट ब्लेयर में लिंक टैक्सीवे के साथ नए एप्रन का निर्माण	99.77	फरवरी 2023

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डा	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
पटना	पटना हवाई अड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन और अन्य संरचनाओं का निर्माण। (चरण I और II) पटना हवाई अड्डे पर कंट्रोल टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेषन और कार्गो भवन का निर्माण (पैकेज II)	30.55	दिसम्बर 2022
	पटना हवाई अड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन और अन्य संरचनाओं का निर्माण (चरण I और II) उपशीर्षः पटना हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन, आवसीय भवन, मल्टीलेवल कार पार्क, प्रशासन भवन का निर्माण और अन्य संबधित कार्य (पैकेज II)	565.73	मार्च 2024
	पटना हवाई अड्डे पर नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन और अन्य संरचनाओं का निर्माण (चरण I और II) उपशीर्षः राज्य सरकार हैंगर, फ्लाईंग क्लब, वीआईपी लाउंज भवन का निर्माण और अन्य संबधित कार्य (पैकेज II)	46.32	जून 2023
गया	गया एयरपोर्ट, गया में तकनीकी ब्लॉक सह कंट्रोल टावर का निर्माण	24.81	जून 2022
देवघर	देवघर हवाई अड्डे, झारखंड का विकास। देवघर हवाई अड्डे पर आरसीसी ड्रेनेज सहित बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी वाच टावर, कूलिंग पिट, फायर पिट का निर्माण एवं अन्य संबद्ध कार्य।	50.08	दिसम्बर 2022
	देवघर हवाई अड्डे, झारखंड का विकास। देवघर–सत्तर मार्ग को काटना, रनवे 09 के पहुँच फनल क्षेत्र की लेवलिंग और ग्रेडिंग तथा हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र में अन्य विविध कार्य।	23.55	
कोलकता	एनएससीबीआई हवाई अड्डा, कोलकाता में एटीसी टॉवर और तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	458.00	फरवरी 2023
	एनएससीबीआई हवाई अड्डा, कोलकाता में सी श्रेणी के विमानों के लिए एप्रन और टैक्सी लिंक (नारायणपुर की ओर) को जोड़ने वाले 03 हैंगर का निर्माण। उपशीर्षः– एनेक्सी भवन के साथ 03 हैंगर का निर्माण।	38.54	जून 2022
	एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता की एयरसाइड क्षमता में वृद्धि। उपशीर्षः– एनएससीबीआई हवाई अड्डे, कोलकाता पर प्रस्तावित बे नंबर सी–13 से 19 आर और 19 आर से 19 एल तक एफ–टैक्सी ट्रैक का विस्तार, 03 आरईटी का निर्माण, 04 एप्रन, विभिन्न स्थानों पर शोल्डर और बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य (सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य)	389.71	अप्रैल 2023
झारसुगुडा	वीएसएस एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा में एबी–320 प्रकार के विमान के लिए 04 एप्रन का नए लिंक टैक्सीवे के साथ विस्तार और संबद्ध कार्य।	25.24	जनवरी 2023

परियोजना-स्थल/ हवाई अड्डा	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
दरभंगा	वायु सेना स्टेशन दरभंगा में रनवे, टैक्सीट्रैक, एप्रन सुदृढ़ीकरण और संबद्ध कार्य।	73.22	मार्च 2023
	दरभंगा हवाई अड्डे पर वीएफआर को आईएफआर में बदलने के लिए रनवे शोल्डर, आरईएसए और ब्लास्ट पैड का निर्माण।	30.35	मार्च 2023
पेक्योंग	पेक्योंग हवाई अड्डे पर माइक्रो पाइल और प्री–टेंशन एंकर द्वारा आरई दीवार के आधार को सुदृढ़ करना।	43.68	अप्रैल 2022
	पेक्योंग हवाई अड्डे, सिक्किम में बुनियादी पट्टी के पश्चिमी स्थल पर चढाई ढाल को बनाए रखने के लिए फिंगर ड्रेन के साथ–साथ कंक्रीट क्लैडिंग वॉल का निर्माण (पुनः कॉल)	146.93	दिसम्बर 2022

4. योजनाधीन परियोजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि करोड रू में)

परियोजना-स्थल/ हवाईअड्डा	विवरण	लागत
दरभंगा	सिविल, विद्युतीय, अग्निशमन, एचवीएसी/वीआरएफ, हवाईअड्डा प्रणाली, आईटी सिस्टम, कार पार्किंग और सड़कें, चारदीवारी, सिटी साइड डेवलपमेंट और अन्य संबद्ध कार्यों सहित मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग में संशोधन सहित मौजूदा प्री–इंजीनियर टर्मिनल भवन का डिजाइन और निर्माण आधार पर विस्तार।	36.94
भुवनेश्वर	नए टर्मिनल भवन टी–3 का निर्माण।	955.31
बिहटा	बिहटा में भाविप्रा और भारतीय वायु सेना के लिए संयुक्त उपयोग हेतु सिविल एन्क्लेव का विकास।	937.00
धालभूमगढ़	साफ मौसम में एटीआर–72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए झारखंड राज्य में धालभूमगढ़ हवाई अड्डे का विकास।	99.36
पटना	पटना हवाईअड्डे पर रनवे, टैक्सीवे, शोल्डर, एप्रन का पुनर्सतहीकरण और बेसिक स्ट्रिप का सुदृढीकरण, समानांतर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे, रनवे से नए एप्रन (हैंगर के सामने) तक निर्माण कार्य और संबद्ध कार्य।	95.11
रायपुर	रायपुर एयरपोर्ट, रायपुर में एनआईटीबी का निर्माण।	900.00
कोलकता	एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता में कॉमन यूजर डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल (सीयूडीसीटी) का निर्माण।	135.48
	एनएससीबीआई एयरपोर्ट कोलकाता की एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन की क्षमता वृद्धि	122.00
	एनएससीबीआई हवाई अड्डे, कोलकाता में नारायणपुर की ओर नए सीआईएसएफ परिसर (सीआईएसएफ बैरक, महिला प्रशिक्षण छात्रावास, विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डब्ल्यूटीपी और एसटीपी) का निर्माण।	76.54
बागडोगरा	बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव का विकास।	1800.00

पश्चिमी क्षेत्र

1. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भवन या सुविधाओं का शिलान्यास/उद्घाटन - शून्य

२. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई पूंजीगत योजनाएं

(राशि करोड रू में)

परियोजना-स्थल/हवाई अड्डा	विवरण	पूर्णता लागत	पूरा करने की तिथि
भोपाल	मौजूदा नाले (ड्रेन) पर आरसीसी ड्रेन कवर का प्रावधान और प्रचालन क्षेत्र में नए नाले का निर्माण।	2.05	मार्च 2022
दीव	रनवे का का विस्तार और रनवे के दोनों सिरों पर आरईएसए, आइसोलेशन बे और संबंधित कार्य	21.00	जून 2021
	एटीसी टॉवर–सह–तकनीकी ब्लॉक–सह–फायर स्टेशन और अन्य संबद्ध अवसंरचनाओं का निर्माण	14.75	जुलाई 2021
इंदौर	प्रचालन क्षेत्र में कवरिंग सहित नाले का विकास	4.75	सितंबर 2021
	15 पार्किंग बे, समानांतर टैक्सी ट्रैक का विकास और अन्य संबंधित कार्य।	43.24	दिसंबर 2021
राजकोट	एबी 320 विमान के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के साथ एप्रन का निर्माण	14.98	मार्च 2022

3. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रगतिशील पूंजीगत योजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
भोपाल	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण और संबंधित कार्य	41.16	मार्च 2023
गोवा	टर्मिनल भवन का विस्तार और संबंधित कार्य	255.69	दिसंबर 2023
जबलपुर	रनवे का विस्तार, लिंक टैक्सी सहित नए एप्रन और आइसोलेशन बे, पेरीमीटर रोड का निर्माण तथा संबंधित कार्य	147.00	जून 2023
	नए टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर का निर्माण और संबंधित कार्य	190.92	मार्च 2023
कोल्हापुर	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, एप्रन का निर्माण एवं संबंधित कार्य	150.53	जुलाई 2022
	नए टर्मिनल भवन, तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण और संबंधित कार्य	74.50	मार्च 2023
पुणे	एनआईटीबी का निर्माण, पुराने टर्मिनल भवन का पुनर्निर्माण, मौजूदा विस्तारित टर्मिनल भवन में बदलाव	475.39	जून 2023

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
हीरासर, राजकोट	नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण	1405.00	दिसंबर 2023
सूरत	टर्मिनल भवन हवाई अड्डा प्रणाली, आईटी का विस्तार और सहायक कार्य	138.48	मार्च 2023
	एप्रन का विस्तार और समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	63.13	
वडोदरा	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण और संबंधित कार्य	57.70	फरवरी 2023

4. योजनाधीन परियोजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि करोड रू में)

परियोजना-स्थल / हवाई अड्डा	विवरण	लागत
धोलेरा	नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास	1305.00
रीवा	रीवा हवाई अड्डा, मध्य प्रदेश का विकास	41.89
इंदौर	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण और संबंधित कार्य	87.00
जामनगर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य	68.00

उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर)

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सुविधाओं या भवन का शिलान्यास/ उद्घाटनः

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल/ हवाईअड्डा	विवरण	आयोजन तिथि
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डा, त्रिपुरा में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य।	04.01.2022

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई पूंजीगत योजनाएंः

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल/ हवाई अड्डा	विवरण	पूर्णता लागत	पूरा करने की तिथि
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर भाविप्रा कॉलोनी में भाविप्रा स्टाफ के लिए आवासीय मकानों का निर्माण।	20.47	सितम्बर 2021
	अगरतला हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य।	519.68	दिसम्बर 2021
	अगरतला हवाईअड्डे पर हैंगर का निर्माण।	32.51	मार्च 2022
दीमापुर	दीमापुर हवाई अड्डे पर लिंक टैक्सीवे के साथ आइसोलेशन बे के निर्माण सहित रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का सुदृढ़ीकरण।	46.09	अगस्त 2021

3. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रगतिशील पूंजीगत योजनाएं (31.03.2022 तक)

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल/ हवाईअड्डा	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
तेजु	तेजू हवाई अड्डे का प्रचालन और उन्नयन–टर्मिनल भवन का निर्माण।	67.74	जनवरी 2023
होलोंगी, ईटानगर	नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण पैकेज–I (रनवे का विकास, प्रचालन क्षेत्र में एप्रन और संबद्ध कार्य)।	448.63	नवम्बर 2022
	पैकेज– II – टर्मिनल भवन, कार पार्किंग, तकनीकी ब्लॉक, आवासीय क्वार्टर, ई एंड एम वर्कशॉप, मेडिकल सेंटर और नगर की ओर विकास का शेष कार्य।	195.50	जून 2023
	होलोंगी हवाई अड्डे पर अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण	23.71	सितम्बर 2022
डिब्रूगढ़	हैंगर का निर्माण	21.70	मार्च 2023
	प्रचालन क्षेत्र में मौजूदा खुले नाले को तोड़ना/उसी स्थान पर नए ढके हुए नाले का निर्माण।	23.35	फरवरी 2023
	एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।	44.29	मार्च 2023
सिल्चर	सिविल एन्क्लेव में एप्रन का विस्तार और नए लिंक टैक्सीवे का निर्माण।	21.40	मई 2022

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल/ हवाईअड्डा	विवरण	स्वीकृत लागत	पीडीसी
इम्फाल	हैंगर, एप्रन और लिंक टैक्सीवे का निर्माण	35.90	मार्च 2023
	अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल के लिए निर्माण।	15.93	
	टर्न पैड और फिललेट्स का विस्तार और टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण।	17.05	अप्रैल 2023
बारापानी	एप्रन का विस्तार और आइसोलेशन बे का निर्माण और संबद्ध कार्य।	34.00	अगस्त 2022

4. योजना के तहत परियोजनाएँ (31-03-2022 तक)

(राशि करोड रू में)

परियोजना स्थल/ हवाईअड्डा	विवरण	लागत
इम्फाल	इंफाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंफाल, मणिपुर में नए एकीकृत टर्मिनल भवन, कंट्रोल टावर सह तकनीकी ब्लॉक, एप्रन, लिंक टैक्सीवे का निर्माण और संबंधित कार्य।	499.00
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का पुनर्सतहीकरण।	132.00

अगाती हवाई अड्डा

अनुलग्नक - 4

सीएसआर गतिविधयों पर वार्षिक रिपोर्ट

J.K. SUPER CEMENT
Jio
DIGITAL LIFE
GOA TRAFFIC POLICE
J.K. SUPER CEMENT

GOA AIRPORT

वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1- कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप रेखा

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी व्यवसाय कार्य प्रणालियों सहित अच्छे निगमित अभिशासन को प्राप्त करना, समेकित और मजबूत करना है,जो सामाजिक कल्याण के साथ वित्तीय लाभ को संतुलित करता है।सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी उद्यम होने के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा वि प्रा) समाज की सेवा करने का बीड़ा उठा रहा है और समाज के वंचित वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से वे लोग जो हवाई अड्डों के निकट रहते हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सी एस आर विषयगत/ कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, परन्तु यह यहीं तक सीमित नहीं है:

1. औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा, जो निरंतर आय और आत्मनिर्भरता में योगदान देती है।
2. विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के अभिन्न अंग के रूप में स्वास्थ्य पर ध्यान देना।
3. समेकित सामुदायिक विकास, जो कि सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों तथा सांविधिक पुनः स्थापन के अंतर को पाटता है और यह सुनिश्चित करता है कि समुदायों के जीवन की गुणवत्ता सकारात्मक रूप से प्रभावित हो।
4. आपदा की स्थिति में भा वि प्रा की मुख्य क्षमता का लाभ उठाते हुए तैयारी, क्षमता निर्माण के साथ–साथ आपात कालीन प्रतिक्रिया सहित आपदा प्रबंधन।
5. पर्यावरण संरक्षण।

भाविप्रा की सीएसआर नीति भाविप्रा की वेबसाइट उपलब्ध है और इसे https://www-aai-aero/en/corporate/csr -policy पर देखा जा सकता है।

हालांकि भा वि प्रा लगभग सभी कार्य क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाता है, किन्तु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए डीपीई द्वारा सौंपा गया विषय "अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण" इसका केन्द्र बिन्दु था। भा वि प्रा सीएसआर बजट का 60% सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा तय किए गए विषय पर खर्च करना सुनिश्चित करता है। भा वि प्रा ने ग्रामीण विकास, स्वच्छता, महिला अधिकारिता, कौशल विकास, पर्यावरण और संधारणीयता पर कई सीएसआर गतिविधियां भी कीं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भा वि प्रा द्वारा आरंभ की गई विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों का अवलोकन परिशिष्ट–ए में दिया गया है। इसके अलावा, निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व और संधारणीयता पर एक अलग खंड, भा वि प्रा की कुछ प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी देता है, जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2. सीएसआर समिति का गठन :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम / पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कितनी बैठकों की संख्या जिनमे सहभागित की गई
1.	श्री संजीव कुमार, भा प्र से	अध्यक्ष, भा वि प्रा	1	1
2.	श्री अनिल कुमार पाठक	कार्यात्मक सदस्य	1	1
3.	श्री जी. सेकर	अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य (स्वतंत्र)	1	1

1 भा वि प्रा के अध्यक्ष के रूप में श्री संजीव कुमार, भा प्र से ने 07 अप्रैल 2021 अपराहन से पदभार ग्रहण किया। बोर्ड ने 07.05.2021 को आयोजित अपनी 200 वीं बैठक में उन्हें तत्काल प्रभाव से सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।

3. वेब लिंक जहां सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है ।

उपरोक्त विवरण भा वि प्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है:- https://www-aai-aero/en/corporate/about &aai&csr

4. कंपनी नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान किया जाए, यदि लागू हो

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी 10 मेगा परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की सेवाएं ली हैं।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, २०१४ के नियम ७ के उपनियम (३) के अनुसरण में समंजन हेतु उपलब्ध नियत राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए समंजन हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समंजन केलिए उपलब्ध राशि (₹में)	वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹में)
शून्य			

5. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्धलाभ: रु. 1552.00 करोड़

6. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत: 31.04 करोड़

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष रू शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो रू शून्य।

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (6,6बी–6सी): रुपये 31.04 करोड़।

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित बजट में से खर्च की गई राशि: रु. 13.79 करोड़।

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित राशि: 17.25 करोड़।

(जी) पिछले वर्षों की अव्ययित सीएसआर निधि (01.04.02021 को): रु. 55.49 करोड़।

7. (ए) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च की गई कुल राशि (करोड़ में)		अव्ययित राशि (करोड़ में)				
		धारणा 135(6) के रूप में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि।		दूसरे प्रावधान 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित बजट	पिछले वर्षों की अव्ययित निधि	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
13.79	34.83	17.25	31.08.2022	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(बी) चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: कृपया संलग्न **परिशिष्ट ए** देखें

(सी) चल रही परियोजना के अतिरिक्त अन्य के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: कृपया संलग्न **परिशिष्ट ए** देखें

डी) प्रशासनिक ओवर हेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य

इ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य

एफ) अव्ययित खाते से खर्च की गई राशि: 34.83 करोड़

जी) वित्तीय वर्ष 2021–22 में खर्च की गई कुल राशि: रु. 48.62 करोड़ (रु. 13.79 करोड़ रु. 34.83 करोड़)

एच) समंजन (सेटऑफ) करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

आई) 31.03.2022 को अव्ययित सीएसआर निधि: रुपए। 37.91 करोड़ (55.49 करोड़ रुपए–34.83 करोड़ रुपए . 17.25 करोड़ रुपए)

8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित राशि: रुपए 20.66 करोड़।

9. पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में सीएसआर राशि का विवरण: रुपए 34.83 करोड़

10. वित्तीय वर्ष में सीएसआर खर्च के माध्यम से सृजित या अधिग्रहीत संपत्ति का विवरण: शून्य

11. अगर कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्धलाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण बताएं

परिशिष्ट ए

सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विषय	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना स्थल	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	परियोजना अवधि	अब तक व्यय की गई राशि (करोड़ रु.में)	अब तक की कुल देनदारी (करोड़ रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष(हां/नहीं)
1	नूंह डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	नूंह जिला, हरियाणा	0.29	01 वर्ष	0.19	0.10	नहीं
2	अराप्ती अवांग लीकाई, इंफाल पूर्वी जिला, मणिपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण	अन्य	हाँ	इंफाल, मणिपुर	0.35	9.5 माह	0.17	0.18	नहीं
3	किशनगढ़ हवाईअड्डा, अजमेर, राजस्थान के पास विद्यालयों में सुरक्षित पेय जल का प्रावधान और सरकारी विद्यालयों में रूफटॉप सोलर पैनल का प्रावधान।	सुरक्षित पेय जल	हाँ	अजमेर, राजस्थान	1.60	–	1.18	शून्य	नहीं
4	अयोध्या, उ.प्र. में विभिन्न स्थानों पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज (SISSO) द्वारा सार्वजनिक शौचालय परिसरों के निर्माण का प्रस्ताव	स्वच्छता	हाँ	अयोध्या , उ.प्र.	1.00	6 माह	0.8558	शून्य	नहीं
5	लेह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स–रे मशीन की खरीद।	स्वास्थ्य	हाँ	लेह	2.4	01 वर्ष	0.72	1.6800	नहीं
6	परेड ग्राउंड, देहरादून, उत्तराखंड में आधुनिक पुस्तकालय परिसर का निर्माण	शिक्षा	हाँ	देहरादून, उत्तराखंड	7.5	1 वर्ष	6.75	0.75	नहीं
7	विशेषज्ञ उपचार योजना के साथ 2000 गरीब कैंसर रोगियों (1000 रोगी प्रति वर्ष) के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई का प्रस्ताव।	स्वास्थ्य	हाँ	मुंबई, महाराष्ट्र	एक वर्ष के लिए रु. 0.85	2 वर्ष	0.765	0.9350	नहीं
8	नियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), नियाली, जिला कटक, उड़ीसा में आधुनिक उपकरणों के साथ प्रसूति वार्ड का निर्माण और मौजूदा भवन का विस्तार।	स्वास्थ्य	हाँ	कटक, उड़ीसा	6.74	2 वर्ष	2.02	4.72	नहीं
9	कैपिटल हॉस्पिटल, भुवनेश्वर, उड़ीसा में 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 1 जनरल ऑपरेशन थिएटर का प्रावधान।	स्वास्थ्य	हाँ	भुवनेश्वर, उड़ीसा	4.74	1 वर्ष	3.31	1.43	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विषय	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना स्थल	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	परियोजना अवधि	अब तक व्यय की गई राशि (करोड़ रु.में)	अब तक की कुल देनदारी (करोड़ रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष(हां/नहीं)
10	गया शहर में दो सुलभ सुविधा केन्द्रों (11यूनिट + 11 यूनिट) और बोधगया मंदिर शहर में एक सुलभ सुविधा केंद्र (29 यूनिट) के प्रावधान का प्रस्ताव।	स्वच्छता	हाँ	बोधगया, बिहार	1.98	9 माह	0.1407	1.8393	नहीं
1 1	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद असम में कोकराझार में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण	स्वास्थ्य	हाँ	कोकराझार, असम	9.57	09 माह	8.61	0.96	नहीं
12	मणिपुर के उखरूल जिले के लंगडांग गांव में 5 ए–साइज़ सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ और रिक्रिएशन सेंटर का निर्माण।	खेल	हाँ	उखरुल जिला, मणिपुर	1.49	1 वर्ष	0.75	0.74	नहीं
13	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), पोरोमपत, इंफाल, मणिपुर में नवनिर्मित दुर्घटना ट्रॉमासेंटर (एटीसी) के लिए उपकरणों, फर्नीचर, मैनिफोल्ड रूम और ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन आदि की खरीद	स्वास्थ्य	हाँ	इंफाल, मणिपुर	4.94	22 महीने	3.23	0.19	नहीं
14	दिल्ली/एनसीआर में स्लम क्षेत्रों/ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में मोबाइल लाइब्रेरी सेवाओं का विस्तार करने के लिए बोलेरो और पुस्तकों की खरीद।	शिक्षा	हाँ	दिल्ली	0.34	1 वर्ष	0.306	0.0304	नहीं
15	एम्स के साथ 10–18 साल के आयु वर्ग के विद्यालय के बच्चों के लिए एक अनूठी मानसिक स्वास्थ्य पहलमाइंड एक्टिवेशनथ्रू एजुकेशन (एमएटीई) परियोजना का समर्थन करना और अपनाना।	शिक्षा	हाँ	दिल्ली	0.48	2 वर्ष	0.42	0.0600	नहीं
16	पूर्वी इंफाल मणिपुर के क्यामगेई, हेइबोंग माखोंग में गैलरी, जल निकासी और चारदीवारी के साथ खेल के मैदान का निर्माण	खेल	हाँ	इम्फाल, मणिपुर	1.8	1 वर्ष	1.22	0.58	नहीं
17	केवीके कामरूप में शौचालय ब्लॉक का निर्माण और किसानों के मीटिंग हॉल के लिए प्रोजेक्टर, पीए सिस्टम, कंप्यूटर प्रदान कराना।	स्वच्छता	हाँ	कामरूप, असम	0.096	6 माह	0.07750	0.0185	नहीं
18	तुरा हवाई अड्डे मेघालय में सकलग्रे जलापूर्ति योजना	जल	हाँ	मेघालय	0.3087	2 वर्ष	0.2778	0.0309	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विषय	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना स्थल	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	परियोजना अवधि	अब तक व्यय की गई राशि (करोड़ रु.में)	अब तक की कुल देनदारी (करोड़ रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष(हां/नहीं)
19 (ए)	लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ागांव में 6 उच्च अवलंब इकाई (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) (एचडीयू) और 2 इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) का निर्माण।	स्वास्थ्य	हाँ	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	6.9	1 वर्ष	3.71	3.19	नहीं
(बी)	वाराणसी के एलबीएसआई हवाई अड्डे के निकट बड़ागांव में 6 उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) और 02 गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) के लिए सीएसआर के तहत निर्मित अस्पताल का शुभारंभ	स्वास्थ्य	हाँ	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	0.2088	6 माह	0.0626	0.1462	नहीं
20	दिल्ली/एनसीआर में झुग्गी – झोपड़ी वाले (स्लम) क्षेत्रों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में मोबाइल लाइब्रेरी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 5 मोबाइल वैन की खरीद।	ग्रामीण विकास	हाँ	दिल्ली	3.25	2 वर्ष	2.77	0.4706	नहीं
21	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बॉम्बे के लाइफ सेविंग थैलेसीमिया डे केयर केंद्र को सहायता (सपोर्ट) प्रदान करना तथा गोद लेना (अड़ोप्ट)	स्वास्थ्य	हाँ	मुंबई, महाराष्ट्र	प्रति वर्ष 0.98	5 वर्ष	1.87	3.0300	नहीं
22	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र (सीएटीसी) बमरौली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में नए स्कूल भवन का निर्माण।	शिक्षा	हाँ	इलाहाबाद, उत्तर प्रदश	ए/ए एवं ई/एस रू 3.6 करोड, निविदा राशि रू. 2.24 करोड	18 महीने	1.36	0.88	हाँ
23	टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों के जीवन रक्षक उपचार के लिए केंद्र को वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य	हाँ	मुबंई, महाराष्ट्र	रु. 5 करोड़ एक वर्ष के लिए कुल रु. 10 करोड़ दो वर्ष के लिए।	2 वर्ष	9.5	0.50	नहीं
24	जिला कछार, असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में नाभिकीय चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए सहायता	स्वास्थ्य	हाँ	कछार, असम	11.14	09 महीने	10.62	0.52	नही।
25	भारत के विभिन्न हिस्सों में 200 लाभार्थियों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का आयोजन	स्वास्थ्य	हाँ	समस्त भारत में।	13.41	01 वर्ष	10.43	2.98	नहीं
26	चंदेल, मणिपुर में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 20 शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छता	हाँ	चंदेल, मणिपुर	1.1	01 वर्ष	0.88	0.22	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विषय	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना स्थल	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	परियोजना अवधि	अब तक व्यय की गई राशि (करोड़ रु.में)	अब तक की कुल देनदारी (करोड़ रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष(हां/नहीं)
27	पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय इनडोर खेल सुविधाओं का विकास।	ग्रामीण विकास	हाँ	पुदुचेरी	5	2 वर्ष	3.5	1.50	नहीं
28	जिला ममित, मिजोरम में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छता	हाँ	ममित, मिजोरम	1.100	06 महीने	0.33	0.77	नहीं
29	भाविप्रा की सीएसआर गतिविधि के तहत वर्ष 2018–19 के लिए हवाई अड्डे के समीप वीआईपी चौक से काहिकुची फेज–1 (सीएच 00.00 मीटर से 1100 मीटर) तक सड़क का सुधार	ग्रामीण विकास	हाँ	गुवाहाटी	0.450	06 महीने	0.41	0.0400	नहीं
30	वायु सेना गेट रोड (पद्मा झील के पास) असम में आरसीसी बॉक्स सेल पुलिया (6.00 मीटर X 5.00 मीटर) का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	असम	0.290	06 महीने	0.09	0.20	नहीं
31	अक्षय पात्र फाउंडेशन हजारीबाग, भाविप्रा के माध्यम से झारखंड के हजारीबाग में सेंट्रल किचन की स्थापना, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल), मैसर्स अक्षय पात्र फाउंडेशन। एजेंसीः राज कंस्ट्रक्शन	पोषण	हाँ	हजारीबाग, झारखंड	20	02 वर्ष	14.00	6.00	नहीं
32	भाविप्रा की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत गरल, कामरूप, गुवाहाटी में सामुदायिक हॉल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	कामरूप असम	2.38	01 वर्ष	1.81	0.57	नहीं
33	गुवाहाटी हवाई अड्डे के आसपास के समुदायों का पुनरूत्थान।	ग्रामीण विकास	हाँ	गुबाहाटी	4.57	03 वर्ष	2.73	1.84	नहीं
34	अक्षय पात्र फाउंडेशन (मंगलगिरी आंध्र प्रदेश) के माध्यम से गुंटूर आंध्र प्रदेश में केंद्रीय रसोई घर की स्थापना।	पोषण	हाँ	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	15.33	05 वर्ष	15.33	नहीं	नहीं
35	पाकयोंग में बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	पाकयोंग,	9.37	3 वर्ष	6.88	2.49	नहीं
36	बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची के आसपास समुदायों में पुनरूत्थान का विकास (यूएनडीपी परियोजना)	ग्रामीण विकास	हाँ	रांची, झारखंड	6.18	3 वर्ष	5.52	0.66	नहीं
37	भाविप्रा कागज़ पुनर्चक्रण इकाई, रंगपुरी, नई दिल्ली का संचालन और प्रबंधन।	पर्यावरण	हाँ	दिल्ली	5.98	3 वर्ष	1.16	0.00	नहीं
38	"स्कूल ऑफ फायर एंड सेफ्टी", जीएसएफसी विश्वविद्यालय, वडोदरा, के लिए उन्नत उपस्करों और मशीनरी, सॉफ्टवेयर और उपकरणों की खरीद, स्कूल ऑफ फायर एंड सेफ्टी गुजरात आग और सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में अत्याधुनिक शैक्षिक सुविधाओं के साथ उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित होगा	शिक्षा	हाँ	वडोदरा, गुजरात	1.00	2 वर्ष	0.30	0.00	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विषय	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना स्थल	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	परियोजना अवधि	अब तक व्यय की गई राशि (करोड़ रु.में)	अब तक की कुल देनदारी (करोड रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष(हां/नहीं)
39	टुरू हवाई अड्डे मेघालय में बालादिंगग्रे जल आपूर्ति योजना	जल	हाँ	मेघालय	0.4363	2 वर्ष	0.3926	0.00	नहीं
40	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और ईडब्ल्यूएस समाज के 2000 व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम। (सीआईडीसी) उपूक्षे	शिक्षा	हाँ	उपूक्षे	10.59	2 वर्ष	7.42	0.00	नहीं
41	हेपेटाइटिस के विरूद्ध लोगों को सशक्त बनानाः सहानुभूति अभियान, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), वसंत कुंज, नई दिल्ली।	स्वास्थ्य	हाँ	दिल्ली	5.00 (प्रति वर्ष)	4 वर्ष	6.5	0.00	नहीं
42	एनएसडीसी द्वारा एनएसडीएफ के माध्यम से मुंबई में एएसडीसी की स्थापना	शिक्षा	हाँ	मुंबई, महाराष्ट्र	2.00	3 वर्ष	0.60	0.00	नहीं
43	20 शहरों में विभिन्न स्कूलों/सामुदायिक केंद्रों/स्लम क्षेत्रों और जागरूकता शिविरों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और भस्मक की स्थापना	स्वास्थ्य	हाँ	समस्त भारत में	5.98	3 वर्ष	2.68	0.00	नहीं
44	अरुणाचल प्रदेश राज्य में 100 नए शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छता	हाँ	अरुणाचल प्रदेश	5.490	1 वर्ष	2.43	0.00	नहीं
45	हरियाणा में दो वर्षो के लिए सरकारी स्कूलों (ग्रेड 1–3) में हिंदी शिक्षण के लिए शिक्षण–अधिगम सामग्री का प्रावधान।	शिक्षा	हाँ	हरियाणा	0.94	2 वर्ष	0.28	0.00	नहीं
46	लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रीन कॉरिडोर का विकास	पर्यावरण	हाँ	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	5.00	05 वर्ष	3.00	0.00	नहीं
47	विमानपत्तन निदेशक, सफदरजंग हवाईअड्डे द्वारा – एएआई महिला कल्याण सहयोग से 12 चिन्हित हवाईअड्डों वाले शहरों के स्लम क्षेत्रों में सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंप।	स्वास्थ्य	हाँ	समस्त भारत में	1.38	3 वर्ष	0.9525	0.00	नहीं
48	एनएसडीसी द्वारा एनएसडीएफ के माध्यम से चंडीगढ़ में कौशल विकास परियोजना	शिक्षा	हाँ	चंडीगढ़	5.25	3 वर्ष	3.22	शून्य	नहीं
49	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) के लिए योगदान	सशस्त्र सेनाकोष	हाँ	समस्त भारत में	0.50	2 माह	0.50	शून्य	हाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाविप्रा द्वारा निष्पादित की गई कुछ सीएसआर परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

नूह आकांक्षी जिला, हरियाणा , बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, नूह जिले, हरियाणा में सामुदायिक हेल्थकेयर कार्यक्रम-(रूपए 0.29 करोड़)

बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (एनजीओ) महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसका मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वोकेशनल/कौशल प्रषिक्षण, सामाजिक मोबलाइजेशन, व्यष्टि–वित्त, हस्तशिल्प तथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मामले में जागरूकता फैलाना है। संगठन का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के जनसमुदाय के वंचित वर्ग का सशक्तिकरण करना है।

लंगडांग ग्राम, उखरूल जिले, मणिपुर में 5 ए-साइड सिंथेटिक फुटबाल टर्फ एवं रीक्रीएशन केन्द्र का निर्माण (रूपए 1.49 करोड)

उखरूल जिले, मणिपुर में 5 ए–साइड सिंथेटिक फुटबाल टर्फ एवं रीक्रीएशन केन्द्र के निर्माण की परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तरी पूर्वी सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) की अनुषंगी उखरूल जिला सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी (यूडीसीआरएमएस) उखरूल जिले, मणिपुर में अनुमोदित किया।

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर, उत्तर प्रदेश को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रीन कोरिडोर विकसित करना (रूपए 5.00 करोड)

"लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रीन कोरिडोर विकसित करना" की परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अनुमोदित किया।

गुवाहाटी मैडिकल कालेज अस्पताल (जीएमसीएच) गुवाहाटी में मैडिकल आक्सीजन संयत्र की एसआईटीसी- (रूपए 2.26 करोड)

गुवाहाटी मैडिकल कालेज तथा अस्पताल में जीवन रक्षक आक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के उदेश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मैडिकल आक्सीजन संयत्र आरंभ किया गया। आक्सीजन का यह स्रोत कोविड–19 महामारी के समय बहुत उपयोगी माना गया जब आक्सीजन गंभीर रूप से बीमार रोगियों हेतु बहुतायत में उपलब्ध कराया जाना था।

जीएसएफसी विश्वविद्यालय वडोदरा के अग्निशमन एवं संरक्षा विद्यालय में एंडवास उपकरण एवं मशीनरी, साफ्टवेयर एवं उपकरणों का प्रापण। अग्निशमन एवं संरक्षा विद्यालय, गुजरात को अग्निशमन एवं संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं अत्याधुनिक शैक्षिक सुविधाओं युक्त संस्थान के रूप में विकसित करना। (रूपए 1.00 करोड)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जीएसएफसी विश्वविद्यालय, वडोदरा के अग्निशमन एवं संरक्षा विद्यालय में एडंवास उपकरण एवं मशीनरी, साफ्टवेयर एवं उपकरण उपलब्ध कराए ताकि अग्निशमन एवं संरक्षा विद्यालय, गुजरात को अग्निशमन एवं संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं अत्याधुनिक शैक्षिक सुविधाओं युक्त संस्थान के रूप में विकसित किया जा सके।

टाटा मैमोरियल सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में कैंसर से पीडित वंचित बच्चों हेतु जीवन रक्षक उपचार के लिए केन्द्र को वित्तीय सहायता- (रूपए 10.00 करोड)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा टाटा मैमोरियल सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में कैंसर से पीडित वंचित बच्चों हेतु जीवन रक्षक उपचार हेतु केन्द्र को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इंडियन रेड क्रास सोसायटी, मुंबई के थैलेसिमिया डे केयर को सहायता देना एवं अंगीकार करना। (रुपए 4.90 करोड

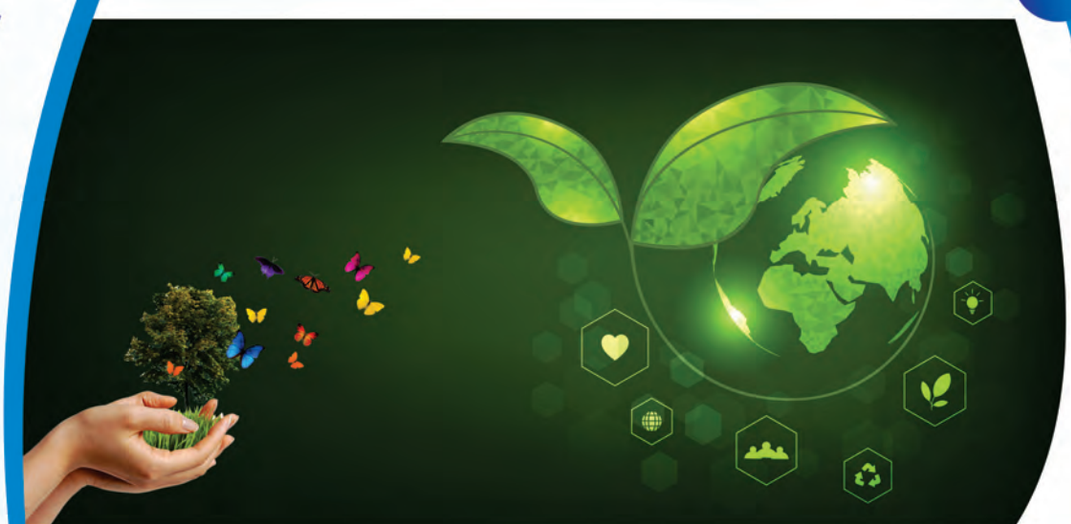

संधारणीय रिपोर्ट

भविप्रा हवाई अड्डो पर
नवीकरणीय ऊर्जा का
100%
लक्ष्य प्राप्त किया
वर्ष
2021
हवाई अड्डो
14
वर्ष
2021
हवाई अड्डो
22
www.aai.aero

सुगम (संधारणीय हरित हवाई अड्डा अभियान)

भाविप्रा समाज, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में सहयोग देने के लिए उत्सर्जन में कमी हेतु कार्बन गहनता को कम करने और ग्रीन हाउस गैस प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्य को पूरा करने के लिए भाविप्रा ने अपनी पर्यावरण नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य उपयुक्त उपायों के कार्यान्वयन द्वारा कार्बन तटस्थता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- किफायती हरित और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को लागू करके ऊर्जा खपत का अनुकूलन।
- वैकल्पिक हरित ईंधनों को बढ़ावा देकर और अपनाकर जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सूझ–बूझ के साथ उपयोग सुनिश्चित करना।
- संरचनात्मक एकीकरण आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना शुद्ध–शून्य (नेट जीरो) भवन डिजाइन अवधारणाओं को शामिल करना तथा पर्यावरण अनुकूल एवं बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का इष्टतम उपयोग करना।
- इलैक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग सहित धारणीय परिवहन प्रौद्योगिकियों और नीतियों को शामिल करना।
- धारणीय अपशिष्ट प्रबंधन तरीकों और उचित निपटान को लागू करना।

- नकारने, कम करने, पुनः उपयोग, पुनःउत्पादन और पुनर्चक्रण की संस्कृति को विकसित करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल सुधार और जल अपव्यय को कम करने के लिए अन्य नए तरीकों के माध्यम से जल संरक्षण करना।
- सर्वोत्तम और तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाकर और प्रचलित सर्वोत्तम उद्योग आचरणों को लागू करके जीएचजी संसाधनों का दस्तावेजीकरण और परिमाणित करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।
- वायु–गुणवत्ता की निगरानी करना और हवाई अड्डा टर्मिनलों पर आंतरिक वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रचलित सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू करना।
- सर्वोत्तम हवाई यातायात प्रबंधन सुविधाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना/अपनाना।
- सभी कर्मचारियों और हितधारकों को पर्यावरण हित के लिए वांछित व्यवहार हेतु निर्देश देना, शिक्षित करना, संवेदनशील बनाना, प्रेरित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सभी लागू पर्यावरण अनुपालन दायित्वों को पूरा करना।

भाविप्रा अपने हवाई अड्डों के प्रचालन को बदल कर नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करने में जिम्मेदारी से लगा हुआ है, जो देश/भाविप्रा के कुल उत्सर्जन का प्रमुख घटक है।

भाविप्रा बेहतर ऊर्जा दक्षता, कम लागत पर अधिक उत्पादन, निवेशकों और व्यापार को स्पष्ट समझ प्रदान करने और लागत प्रभावी तरीके से जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को अपनाने का भी प्रयास कर रहा है।

भाविप्रा ने ऊर्जा दक्षता के अपरिभाषित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समग्र दृष्टिकोण तैयार किया है जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा पर होने वाले प्रचालन व्यय की बचत होती है। भाविप्रा की आगामी परियोजनाओं को उद्योग की सर्वोत्तम नीतियों को लागू करके ग्रीहा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए नियोजित और डिजाइन किया गया है।

भाविप्रा ने निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की हैं:

i) सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना – भाविप्रा ने वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की और इस प्रकार 43 स्थानों पर 40 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित/चालू क्षमता प्राप्त की गई है।

ii) 07 स्थानों पर 16.50 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को और जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और इसके दिसंबर 22 तक चालू होने की संभावना है।

iii) कुल 14 हवाई अड्डों का प्रचालन हरित/नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा किया जा रहा है। भाविप्रा हरित ऊर्जा विकासकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) से 43 मिलियन यूनिट (एमयू) हरित ऊर्जा भी खरीद रहा है।

iv) भाविप्रा ने अपने सभी हवाई अड्डों पर लाइटिंग लोड को कम करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रकाशकों को ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाशकों से बदल दिया है।

योजनागत/निष्पादन चरण में कार्य

i) विभिन्न पहलों को चिहनित करने के लिए, भाविप्रा ने 01.01.2016 के बाद शुरू की गई सौर परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु मैसर्स एमपीकॉन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। भाविप्रा ने जीसीसी प्रणाली के तहत पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है।

ii) भाविप्रा ने अपने प्रचालन को 2024 तक चरणबद्ध तरीके से नवीकरणीय उर्जा में बदलने की योजना बनाई है।

iii) भाविप्रा ने हवाई अड्डों के विद्युत मापदंडों की ऑनलाइन निगरानी और ऊर्जा बेंचमार्किंग के लिए बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (बीईएमएस) परियोजना को लागू किया है।

iv) भाविप्रा ने बीईई के माध्यम से ईएससीओ मॉडल के तहत ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन हेतु 10 संभावित भवनध हवाई अड्डे चिहनित किए हैं।

कागज पुनर्चक्रण इकाई

- कोविड–19 महामारी के बाद, क्षेत्रीय मुख्यालय– उत्तरी क्षेत्र की देखरेख में 16.09.2021 को पीआरयू में उत्पादन पुनः शुरू हुआ।
- कागज पुनर्चक्रण इकाई (पेपर रिसाइक्लिंग यूनिट) ने पुराने दस्तावेजों/फाइलों आदि की छंटाई कर सरकार के स्वच्छता अभियान (स्वच्छ भारत अभियान) में भाग लेने वाले कई संगठनों से पुनर्चक्रण के लिए रद्दी कागज लिया।
- इसके द्वारा, 2500 क्यूबिक फुट से अधिक कार्यालय भंडारण स्थान खाली किया गया।
- 35 टन से अधिक रद्दी कागज का पुनर्चक्रण किया गया–यह 600 से अधिक पेड़ों को काटने से बचाने के बराबर है।
- कागज पुनर्चक्रण इकाई के प्रचालन और रखरखाव के लिए 19 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 61.58 लाख की लागत से लगभग 46 मीट्रिक टन पुनर्चक्रित डेकल–एज पेपर का उत्पादन किया गया, जिसका उपयोग भाविप्रा और अन्य संबद्ध संगठनोंध्संस्थानों को कार्यालय स्टेशनरी प्रदान करने के लिए किया गया है।

इन्दौर हवाई अड्डा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

भुवनेश्वर हवाई अड्डा

निष्पादन पर एक नजर

विवरण	इकाइयां	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
निधि के स्रोत							
प्रदत्त पूंजी	करोड़ रु. में	656.56	656.56	656.56	656.56	656.56	656.56
अनुदान	"	113.81	106.67	58.72	89.89	99.17	26.72
ऋण – अन्य	"	3,151.94	1,897.21	91.56	37.16	37.43	39.78
गैर वर्तमान देयताएं	"	6,789.24	9,189.64	8,474.67	8,816.36	8,456.89	7,307.96
आरक्षित एवं अधिशेष	"	11,476.03	12,105.82	14,756.63	13,729.89	14,170.89	14,372.10
कुल	"	**22,187.58**	**23,955.90**	**24,038.15**	**23,329.86**	**23,420.94**	**22,403.12**
निधियों का अनुप्रयोग							
अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाएं)	"	8,492.50	7,887.14	8,463.03	7,947.20	7,757.89	7,679.77
प्रगतिशील कार्य	"	7,691.85	7,248.09	4,849.38	3,183.06	1,574.65	1,661.25
निवेश	"	1,800.39	1,800.39	1,797.84	1,715.47	1,715.47	1,715.47
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	"	3,314.28	6,571.29	7,138.15	7,521.11	6,897.73	5,433.39
कार्यशील पूंजी	"	(2,190.77)	(2,654.34)	(508.91)	8.40	2,894.05	3,602.61
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	"	3,079.33	3,103.33	2,298.65	2,954.62	2,581.14	2,310.63
कुल	"	**22,187.58**	**23,955.90**	**24,038.15**	**23,329.86**	**23,420.94**	**22,403.13**
आय एवं लाभ							
राजस्व	"	6,841.29	4,867.04	12,837.44	14,132.96	12,976.96	12,542.01
व्यय (जहां भी लागू हो आपवादिक मदों के समायोजन के बाद)	"	6,808.53	7,634.05	9,020.38	10,448.97	8,560.02	7,984.40
कर पूर्व लाभ / (हानि)	"	32.76	(2,767.01)	3,817.06	3,683.99	4,416.94	4,557.61
कर हेतु प्रावधान	"	-	(0.27)	1,176.00	1,786.03	1,885.81	1,888.28
आस्थगित कर हेतु प्रावधान (परिसंपत्तियां)	"	24.00	(804.68)	655.97	(373.48)	(270.51)	(446.60)
कर पश्चात लाभ / (हानि)	"	**8.76**	**(1,962.06)**	**1,985.09**	**2,271.44**	**2,801.64**	**3,115.93**
विनियोजन							
(हानि) सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित	"	-	(1,962.06)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	"	8.76	-	641.19	810.84	1,072.76	1,194.59
विशिष्ट आरक्षित (निवल)	"	-	-	385.55	537.79	716.89	796.26
लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	"	-	-	818.57	765.46	840.50	934.78
लाभांश पर कर	"	-	-	139.78	157.35	171.49	190.30
कुल	"	**8.76**	**(1,962.06)**	**1,985.09**	**2,271.44**	**2,801.64**	**3,115.93**
सामान्य आरक्षित से वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश	"	638.56	671.70	-	-	-	-
पिछले वर्ष विशेष लाभांश	"	-	-	-	1,484.50	1,654.11	-
पिछले वर्ष के लिए लाभांश पर कर	"	-	-	-	305.14	336.74	-
सामान्य आरक्षित से नियोजन	"	**638.56**	**671.70**	**-**	**1,789.64**	**1,990.85**	**-**
कुल मूल्य (शेयर पूंजी + आरक्षित)	"	**12,132.59**	**12,762.38**	**15,413.19**	**14,386.45**	**14,827.45**	**15,028.66**
नियोजित पूंजी (निवल अचल परिसंपत्तियां + कार्यशील पूंजी)	"	6,301.73	5,232.80	7,954.12	7,955.59	10,651.94	11,282.38
वर्तमान परिसंपत्तियां	"	12,619.11	8,744.92	8,974.31	7,339.08	8,094.55	7,980.70
वर्तमान देयताएं	"	14,809.88	11,399.26	9,483.22	7,330.69	5,200.50	4,378.09
कार्यशील पूंजी	"	**(2,190.77)**	**(2,654.34)**	**(508.91)**	**8.40**	**2,894.05**	**3,602.61**

निष्पादन पर एक नजर

अन्य विशेषताएं	इकाइयां	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
अचल परिसंपत्तियों में सकल वृद्धि	करोड़ रु. में	2,734.78	1,466.83	2,461.53	1,841.93	1,724.07	1,626.21
प्रावधान को छोड़कर विविध देनदार	"	1,219.06	768.43	1,476.81	1,164.16	1,211.21	1,868.79
तैनात कर्मचारियों की संख्या	संख्या	16,158	16,780	17,364	17,487	17,536	17,484
विमान प्रचालन	संख्या '000 में	1,757.11	1,196.74	2,587.05	2,605.96	2,324.55	2,049.00
यात्री प्रचालन (**)	"	91,157.16	58,467.96	1,58,332.38	1,58,793.10	1,36,731.39	1,13,021.00
अनुपात							
निवल मूल्य पर कर के पश्चात लाभ / (हानि)	प्रतिशत	-	(15)	13	16	19	21
विनियोजित पूंजी पर कर के पूर्व लाभ	"	1	(53)	48	46	41	40
विनियोजित पूंजी पर कर पश्चात लाभ	"	-	(37)	25	29	26	28
नियोजित पूंजी पर कारोबार	"	108.56	93.01	161.39	177.65	121.83	111.16
वर्तमान अनुपात	अनुपात	0.85:1	0.77:1	0.95:1	1:1	1.56:1	1.82:1
ऋण इक्विटी अनुपात							
– इक्विटी पर कुल ऋण	अनुपात	0.263	0.151	0.007	0.003	0.003	0.03
– इक्विटी पर दीर्घ अवधि ऋण	अनुपात	0.260	0.149	0.006	0.003	0.003	0.003
कुल राजस्व पर कर के पूर्व लाभ / (हानि)	प्रतिशत	0.48	-56.85	29.73	26.07	34.04	36.34
कुल राजस्व पर कर पश्चात लाभ / (हानि)	"	-	(40)	15	16	22	25
औसत ऋण संग्रह अवधि	दिन	194	419	187	161	169	200
प्रति कर्मचारी विमान प्रचालन की सं.	नग	109	71	149	149	133	117
प्रति कर्मचारी राजस्व	रु. '000 में	4,234	2,901	7,393	8,082	7,400	7,173
प्रति कर्मचारी राजस्व व्यय	रु. '000 में	4,214	4,549	5,195	5,975	4,881	4,567
वार्षिक योजना							
योजना परिव्यय	करोड़ रु. में	4,500.00	4,364.94	4,950.00	4,195.07	2,517.82	1,974.00
वास्तविक पूंजी व्यय	करोड़ रु. में	3,724.34	4,350.00	4,713.49	4,297.44	2,504.38	2054.00
निम्नलिखित अनुसार वित्त पोषित :							
उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधन	"	606.24	1,817.86	4,230.76	3,704.12	2,018.44	1,842.60
पूर्वोत्तर परिषद अनुदान	"	4.50	2.07	22.636	-	20.00	35.00
आरसीएस अनुदान	"	900.00	630.00	454.514	282.61	235.61	-
बजटीय सहायता अनुदान	"	190.00	29.99	0.978	118.2	187.13	75.07
वाणिज्यिक उधार	"	1,277.29	1,828.07	-	-	-	-
अन्य	"	746.31	42.01	4.598	192.51	43.20	101.33
कुल		**3,724.34**	**4,350.00**	**4,713.49**	**4,297.44**	**2,504.38**	**2,054.00**

31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
I इक्विटी और देयताएं					
1. पूंजी					
(क) पूंजी	2	656.56		656.56	
(ख) आरक्षित और अधिशेष	3	11,589.84		12,212.49	
			12,246.40		**12,869.05**
2. गैर - वर्तमान देयताएं					
(क) दीर्घकालीन उधारियां	4	3,151.94		1,897.21	
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	2,961.87		1,866.23	
(ग) दीर्घकालीन प्रावधान	6	3,827.37		7,323.41	
			9,941.18		**11,086.85**
3. वर्तमान देयताएं					
(क) अल्पकालीन उधारियां	7	200.00		1,250.00	
(ख) व्यापार देय	8	529.36		458.70	
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	5	3,214.17		3,160.47	
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	6	10,866.35		6,530.09	
			14,809.88		**11,399.26**
कुल			**36,997.46**		**35,355.16**
II परिसंपत्तियां					
1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त अचल परिसंपत्तियां	9	8,477.56		7,866.34	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	14.94		20.80	
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति	11	7,691.36		7,245.40	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	0.49		2.69	
		16,184.35		15,135.23	
(ख) गैर–वर्तमान निवेश	13	1,800.39		1,800.39	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल)	14	3,079.33		3,103.33	
(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	15	3,314.28		6,571.29	
			24,378.35		**26,610.24**
2. वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) इन्वेंटरी	16	101.25		87.42	
(ख) व्यापार प्राप्य	17	1,219.06		768.43	
(ग) नकद और नकद समतुल्य	18	1,644.13		1,090.18	
(घ) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	15	9,090.46		5,565.10	
(ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19	564.21		1,233.79	
			12,619.11		**8,744.92**
कुल			**36,997.46**		**35,355.16**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार 1

टिप्पणी सं. 1 से 54 तक की टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
	(जे. बी. सैनी)	(डी. भोजवानी)	(के. विनायक राव)	(संजीव कुमार)
नई दिल्ली	का. नि. (पीएमक्यूए/सीए)	का. नि. (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष
26 जुलाई 2022				

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(करोड़ रु. में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
आय			
I. हवाई अड्डा दिक्चालन सेवाएं	20	**2,379.96**	1,587.62
II. हवाई अड्डा सेवाएं	21	**1,674.04**	1,291.21
III. गैर वैमानिक हवाई अड्डा सेवाएं	22	**912.09**	885.84
IV. कार्गो राजस्व	23	**-**	-
V. हवाई अड्डा पट्टा राजस्व (पीपीपी हवाई अड्डों सहित)	24	**1,367.63**	570.75
VI. अन्य आय	25	**507.57**	531.62
VII. कुल राजस्व (I+II+III+IV+V+VI)		**6,841.29**	4,867.04
VIII. व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	26	**3,702.08**	3,505.40
प्रचालन संबंधी व्यय	27	**1,531.72**	1,632.46
प्रशासनिक और अन्य व्यय	28	**437.16**	1,040.54
वित्तीय लागत	29	**69.67**	45.01
मूल्यह्रास और परिशोधन	30	**1,904.38**	1,819.75
सुरक्षा संबंधी व्यय	31	**-**	-
कुल व्यय		**7,645.01**	8,043.16
IX. अपवादात्मक और असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (VII-VIII)		**(803.72)**	(3,176.12)
X. असाधारण मदें	32	**(836.48)**	(409.11)
XI. कर पूर्व लाभ/(हानि) (IX-X)		**32.76**	(2,767.01)
XII. कर व्यय :			
(1) वर्तमान कर		**-**	(0.27)
इसमें पिछले वर्ष का 0.00 करोड़ रु. का कर (वित्तीय वर्ष 2020–21–0.27 करोड़ रु.) शामिल है।			
(2) आस्थगित कर		**24.00**	(804.68)
XIII. अवधि हेतु लाभ/(हानि) (XI-XII)		**8.76**	(1,962.06)
तुलन पत्र में ले जाए गए शेष		**8.76**	(1,962.06)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार 1

टिप्पणी सं. 1 से 54 तक की टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

नई दिल्ली 26 जुलाई 2022	हस्ता. (जे. बी. सैनी) का. नि. (पीएमक्यूए/सीए)	हस्ता. (डी. भोजवानी) का. नि. (वित्त एवं लेखा)	हस्ता. (के. विनायक राव) सदस्य (वित्त)	हस्ता. (संजीव कुमार) अध्यक्ष

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 (i) ये वित्तीय विवरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1994 (1994 का स. 55) के प्रावधान के अनुसार वृद्धि के आधार पर तथा उसके तहत बनाए गए नियम तथा अधिसूचनाओं तथा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा अनिवार्य लागू लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपराओं के तहत तैयार किए गए हैं।

(ii) लेखाओं को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और लेखा का वार्षिक विवरण) नियम, 2014 के तहत सरकार की अधिसूचना संख्या 815 दिनांकित 31 मार्च, 2014 द्वारा अधिसूचित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया है।

(iii) सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्तमान तथा गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रदान की गई सेवा और नकद और नकद समकक्ष में उनकी वसूली के आधार पर वर्तमान तथा गैर वर्तमान रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए प्रचालन चक्र को 12 माह का निश्चित किया गया है। प्रस्तुतीकरण में एक रूपता के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार पुनःसमूहित / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे प्राक्कलनों और धारणाओं को तैयार करने की अपेक्षा होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व, व्यय आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना हैं कि ये प्राक्कलन और धारणाएँ उचित हैं और सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण आधार पर बनाई गई है, तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं, और इस तरह के अंतर को उस अवधि में दर्शायी जाती है जिसमें परिणाम सघन होते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1 परिसंपत्तियां

2.1.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यांकन हेतु मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। इसके फलस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को इसकी कम लागत संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानियों पर ले जाया जाता है।

2.1.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में व्यापार रियायत और छूट की कटौती करने के बाद आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य कर सहित इसकी खरीद मूल्य शामिल है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को स्थान पर लाने और इसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए और किसी भी कर, ड्यूटी, पूंजी अनुदान रसीदों के संबंध में प्राप्त क्रेडिट का निवल है।

2.1.3 संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के मदों की समीक्षा घटक लेखा के दृष्टिकोण से की जाती है और महत्वपूर्ण लागत वाले भागों/घटकों और उनकी उपयोगी लागत के अनुसार अलग–अलग उपयोगी जीवन की पहचान की जाती है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते समय स्पेयर पार्ट्स को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पहचाना जाता है। अन्यथा, ऐसे मदों को सूची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1.5 इसके बाद की लागतें परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती हैं, तब जबकि उचित रूप में यह संभव है कि भविष्य में आर्थिक मद से संबंधित लाभ संस्था के लिए प्रवाह होगा और वस्तु की लागत विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है।

2.1.6 पूंजीकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूंजीकरण नीति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है। संक्षिप्त सार निम्नलिखित है :

क) निर्माण कार्य (परियोजना) – परियोजना के अपेक्षित उपयोग हेतु तैयार हो जाने के समय से पूंजीकरण किया जाता है।

ख) एयरपोर्ट, कार्गो, सुरक्षा तथा आईटी और सीएनएस उपकरण जिन्हें अंशांकन की आवश्यकता नहीं है, संस्थापन, परीक्षण और उपयोग शुरू करने की तिथि से पूंजीकरण किया जाता है।

ग) अंशांकन की आवश्यकता वाले सीएनएस उपकरण – आईएलएस, रडार, वीओआर, एडीएसबी :

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

भा. वि. प्रा. के उड़ान निरीक्षण यूनिट (एफआईयू) द्वारा प्रमाणित किए जाने के अनुसार उड़ान अंशांकन पूरा होने की तिथि से अथवा भा. वि. प्रा. के रेडियो कंस्ट्रक्शन और विकास यूनिट (आरसीडीयू)/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रमाणित किए जाने के अनुसार संस्थापन की तिथि से 03 माह पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, पूंजीकरण किया जाएगा।

2.1.7 आंशिक रूप से पूर्ण कार्य/परियोजनाओं तथा उनको उपयोग में लेने वाले कार्यों को तकनीकी निर्धारण के आधार पर पूंजीकरण किया गया।

2.1.8 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय राजस्व व्ययों के रूप में प्रभारित (चार्ज) किए गए है।

2.1.9 परित्यक्त कार्यों के मामलों में पूर्व परियोजना व्यय तथा समय से पूर्व समाप्त किए गए एवं परित्यक्त कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

2.1.10 अचल परिसंपत्तियां जिनका पूर्णतया मूल्यह्रास हुआ है उन्हें 1 रु. के शेष मूल्य पर दर्शाया गया है।

2.1.11 राज्य सरकार से निःशुल्क अर्जित और गैर–वित्तीय प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति के लिए मूल्य 1 रु. के सांकेतिक मूल्य पर आंका गया है।

2.1.12 जहां कहीं भूमि की बिक्री/हस्तांतरण/निपटान किया गया है तथा ऐसी भूमि का मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ निःशुल्क अर्जित भूमि के मामलों को छोड़कर अर्जन की औसत लागत पर मूल्य दर्शाया गया है।

2.1.13 संयुक्त अचल परिसंपत्तियों के मामले में ऐसी परिसंपत्तियों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हिस्से को लागत मूल्य के अनुसार लेखाकृत किया गया है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

2.1.14 परिसंपत्तियां जिनकी पृथक लागत 5000 रु. से कम है उन्हें राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

2.2 परियोजनाओं पर निर्माण अवधि व्यय

2.2.1 पूंजीगत परियोजनाओं को संभालने वाले विशिष्ट परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को कार्य की समापन लागत के साथ पूंजीकृत किया है।

2.2.2 परियोजना के संबंध में एकत्रित अग्रिम राशि पर ब्याज परियोजना व्यय के लिए निर्धारित किया गया है।

2.2.3 परियोजनाओं के लिए उधार राशि पर ब्याज को परियोजना के पूंजीकरण में आने तक पूंजीकृत किया गया है।

2.3 अमूर्त परिसंपत्तियां

2.3.1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (उपकरण से एम्बेडिड सॉफ्टवेयर न होने के कारण) जिसे उपयोग में लाया जाता है तथा जिसमें भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया है तथा पांच वर्षों की अवधि या सॉफ्टवेयर की लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, के लिए स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित किया गया है। तथापि जहां पर ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभी तक विकास की अवस्था में है, ऐसे सॉफ्टवेयर की विकास अवस्था के दौरान हुई लागत को 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के लेखा में डाला जाएगा।

2.3.2 अनुसंधान एवं विकास पर व्यय पूंजी लेखा के अतिरिक्त राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

2.4 मूल्यह्रास

2.4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना ऋजु रेखा पद्धति के आधार पर की गई जिसके लिए प्रबंधन द्वारा प्राक्कलित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों का उपयोग किया गया है। अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दरें उपयोग की गई हैं :

मूल्यह्रास की दरें

परिसंपत्ति प्रकार	दरें (एसएलएम
रनवे, टैक्सी वे और एप्रन सड़कें, ब्रिज और कल्वर्ट	13%
संयंत्र एवं मशीनरी/विद्युत संस्थापनाएं	11%
एक्स रे–बैगेज	11%
टूल एवं उपस्कर	20%
भवन–टर्मिनल भवन एवं अन्य	8%
भवन–आवासीय	5%
भवन पट्टे पर	8%
अस्थायी भवन, सुरक्षा फेंसिंग	100%
बाउंडरी वॉल (प्रचालन)	8%
बाउंडरी वॉल (आवासीय)	5%

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

परिसंपत्ति प्रकार	दरें (एसएलएम
कार्यालय उपस्कर	18%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	20%
सीएफटी एण्ड अग्निशमन उपकरण	13%
विमान	10%
अन्य वाहन	14%
कंप्यूटर, आईटी हार्डवेयर एण्ड अन्य सामग्रियां	20%

2.4.2 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अचल परिसंपत्ति के 180 अथवा अधिक दिनों तक उपयोग की स्थिति में मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा जबकि परिसंपत्तियों को 180 दिनों से कम समय के लिए उपयोग में लाए जाने की स्थिति में मूल्यह्रास के 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा।

2.4.3 अस्थायी भवन, सुरक्षा फेंसिंग तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत प्रभारित किया जाता है चाहे उसके उपयोग करने की अवधि कुछ भी हो।

2.4.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि पट्टे की अवधि के बाद परिशोधित की गई है और जहां पट्टा अवधि उपलब्ध नहीं है वहां ऐसी लागत 60 वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित की गई है।

2.4.5 अवशिष्ट मूल्य और परिसंपत्ति के उपयोज्यता अवधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जानी चाहिए, और यदि अपेक्षाएं पिछले अनुमानों से भिन्न होती हैं, परिवर्तन को एएस 5 "अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पहले अवधि के मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाना चाहिए।

2.5 परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र दिनांक को नकद उत्पादक इकाइयों/परिसंपत्तियों की आगे ले जाई जाने वाली राशि की हानि की जांच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि :–

(क) हानि से हुई क्षति हेतु प्रावधान, यदि आवश्यकता हो तो; या पिछली अवधियों के दौरान पहचानी गई हानि से हुई क्षति के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता यदि हो तो,

(ख) हानि से हुई क्षति तभी मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति को आगे ले जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

2.6 अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन :

अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन निम्न प्रकार से किया गया :

बड़े हवाई अड्डे (एटीसी केंद्र/सुरक्षा/कार्गो इकाइयों सहित) : प्रत्येक 3 वर्षों में

मध्यम आकार के हवाई अड्डे : प्रत्येक 2 वर्षों में

छोटे हवाई अड्डे (एसीएस, सीएचक्यू, सीएटीसी, आरसीडीयू, सीआरएसडी, एफआईयू, ईएमओ तथा क्षेत्रीय मुख्यालय (प्रशासनिक कार्यालय) : प्रति वर्ष

3. निवेश

ऐसे निवेश जिन्हें तुरंत भुनाया जा सकता है और जिन्हें निवेश करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही बनाया रखा जाएगा, उन्हें चालू निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश माना गया है। दीर्घावधि निवेश की गणना उनकी लागत से की गई है। ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी के अतिरिक्त अन्य ह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई है, किया गया है।

4. व्यापार लेनदारियां

सरकारी विभागों (राज्य सरकार सहित) के अतिरिक्त पार्टियों से वसूली योग्य 1 वर्ष से पुराने ऋण को संदिग्ध माना गया है तथा दर्शाया/प्रावधान किया गया है।

(क) जहां मामला मध्यस्थता/मुकदमा/विवाद हेतु भेजा गया है, ऋण की अवधि का विचार किए बिना आवश्यक प्रावधान किए गए है।

(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय उपलब्ध प्रतिभूति राशि पर विचार नहीं किया गया है।

5. माल सूचियां

i. वर्ष के दौरान उपयोग किए गए भंडार/स्पेयर को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

ii. वर्ष के अंत में भंडार (5000 रु. और कम इकाई लागत वाले स्पेयर/स्टोर को छोड़कर) के प्राप्ति की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक के लिए एफआईएफओ आधार पर लागत मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। इसके पश्चात रुपए में परिवर्तन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

निम्नलिखित निवल रुपए में परिवर्तनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है :–

6वां वर्ष	लागत का 70 प्रतिशत
7वां वर्ष	लागत का 40 प्रतिशत
8वें वर्ष से आगे	लागत का 10 प्रतिशत

6. अनुदान और सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करारों के तहत सरकार तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता को पूंजी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है। पूंजीकरण के समय परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में से अनुदान राशि काटा जाता है ताकि उनका वहीं मूल्य प्राप्त किया जा सकें। कार्य सम्पन्न होने तक अनुदान को संबंधित कार्य के डब्लूआईपी में कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। जब अनुदान परिसंपत्ति की लागत के बराबर हो, तो तुलन पत्र में परिसंपत्तियों को 1 रु. के सांकेतिक मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

विकास शुल्क से निर्मित परिसंपत्तियों को 1 रु. का सांकेतिक मूल्य दिया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा विनिमय

(i) विदेशी मुद्रा में लेन देन को विनिमय दर पर लेन–देन की तिथि के आधार पर केवल विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में शेष जो इस लेखा के लिए निर्धारित दर पर लेखा को छोड़कर दर्ज किया गया है।

(ii) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर–मौद्रिक मदों (यथा अचल परिसंपत्तियां आदि) को विनिमय की दिनांक पर लागू विनिमय दर पर मूल्यांकित किया गया है।

(iii) अंतरण के समय विनिमय दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ या हानि को लाभ हानि खाता के विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव शीर्ष अथवा ब्याज लागत शीर्ष जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया गया है।

8. राजस्व की मान्यता

i. राजस्व को वास्तविक आधार पर प्रदत्त सेवाओं के रूप में माना गया है और यह सेवा कर/जीएसटी का निवल है।

ii. बिल उस समय तक और उस सीमा तक जारी किए जाते हैं जब उनकी गणना तथा अंततः वसूली के संबंध में कोई विशेष संशय न हो।

iii. कानूनी विवाद/पीपीई अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में, देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज, कार्गो विलंब शुल्क (एयरलाइनों/एजेंसियों के प्रति जारी बिलों के अतिरिक्त), बीमा दावे, स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आदि मामलों में गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है।

iv. 'सर्व इंडिया स्कीम' के तहत प्राप्त सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्रों की गणना अनुमानित उपयोग के आधार पर आय के रूप में की गई है। जबकि समाप्त होने वाली स्क्रिप्ट/लाइसेन्स का अप्रयुक्त हिस्सा यदि किसी भी अवधि में प्रभारित किया जाता है, जिसमें परिणाम दर्शाए गए हैं।

v. भा. वि. प्रा. द्वारा किए गए कार्यों में से बचे हुए के संबंध में विभागीय प्रभारों के रूप में अर्जित आय को अंतिम दावा प्रस्तुत किए जाने पर लेखों में दर्ज किया गया है।

vi. पिछले वर्षों से संबंधित प्रत्येक मामले में पाँच लाख रुपए तक आय व व्यय को वर्तमान वर्ष के लेखों में दर्ज किया गया है।

9. आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान कर हेतु प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के प्रति वर्तमान कर के प्रावधान को समायोजित किया गया है।

10. आस्थगित कर

लेखा बहियों तथा कर योग्य लाभ के बीच 'समय के अंतराल' के कारण आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति को तुलनपत्र की तिथि से लागू अथवा पर्याप्त रूप से लागू कर दरों व नियमों को ध्यान में रखते हुए लेखों में शामिल किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक आगे ले जाया गया है जहां तक यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उगाही की जा सके।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

11. कर्मचारी लाभ

11.1 अल्पावधि लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की गणना उस अवधि के लिए की गई जिस दौरान सेवाएँ प्रदान की गई है।

11.2 नियुक्ति पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :-

(ए) भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में भा. वि. प्रा. का अंशदान क्रमशः भा.वि.प्रा, कर्मचारी भविष्य निधि न्यास तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। यह पात्र कर्मचारियों के वेतन के निश्चित प्रतिशत पर आधारित होता है तथा इसे लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है।

(बी) भा. वि. प्रा. उपदान हेतु निर्धारित लाभ योजनाएँ संचालित करता है। इस प्रकार के निर्धारित लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण वर्ष के अंत में किए गए बीमांकन मूल्यांकन की प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा किया जाता है। बीमांकन लाभ/हानि को लाभ हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

(सी) प्रतिपूरक अनुपस्थितियों, कल्याणकारी लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ तथा पुनः व्यवस्थापन लाभ संबंधी देयताओं को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकन मूल्यांकन की प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

(डी) कर्मचारी निर्धारित अंशदान योजना में भा. वि. प्रा. का योगदान एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भा. वि. प्रा. बोर्ड द्वारा अनुमोदित और लाभ हानि विवरण पर प्रभारित योग्य कर्मचारियों के वेतन को ''भा.वि.प्रा, कर्मचारी निर्धारित अंशदान योजना'' को दिया जाता है।

12. अन्य

(i) विशिष्ट आरक्षित राशियों का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित विशिष्ट आरक्षित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए हथियारों की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व माना गया है।

(iii) तीन वर्षों से अधिक पुरानी प्रतिभूति जमा, जिनका दावा नहीं किया गया है उन्हें विविध आय के रूप में माना गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

2. पूंजी

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
पूंजी : भारत सरकार		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	656.56	656.56
जमा : वर्ष के दौरान जमा	-	-
कुल	**656.56**	**656.56**

3. आरक्षित एवं अधिशेष

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
पूंजीगत आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**19.10**		19.10	
जमा : वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	-	**19.10**	-	19.10
पूंजीगत अनुदान				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**106.67**		**58.72**	
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	**1,102.50**		**662.06**	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ पुनर्भुगतान	**1,095.36**	**113.81**	**614.11**	**106.67**
निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		**17.04**	-
घटाएं : सीएसआर देयता में स्थानांतरित	-	-	**17.04**	-
हवाई अड्डा विकास आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,703.83**		**6,703.83**	
जमा : लाभ एवं हानि का विनियोजन	-	**6,703.83**	-	**6,703.83**
सामान्य आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5,382.90**		**8,016.66**	
घटाएं : लाभांश पर कर के लिए विनियोग	**638.56**		**671.70**	
जमा : लाभ और हानि से विनियोग	**8.76**	**4,753.10**	**(1,962.06)**	**5,382.90**
लाभ एवं हानि खाता				
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	**8.76**		(1,962.06)	
घटाएं : विनियोजन				
सामान्य आरक्षित (रिजर्व)	**8.76**	-	(1,962.06)	-
कुल आरक्षित और अधिशेष		**11,589.84**		**12,212.49**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

4. दीर्घकालीन ऋण

(करोड़ रु. में)

विवरण		दीर्घकालीन		वर्तमान परिपक्वता	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
प्रतिभूत ऋण					
एक्सिस बैंक से सावधि ऋण	ए	**2,098.01**	1,828.07	-	-
भारतीय स्टेट बैंक से रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	बी	**625.00**	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक से बाहरी वाणिज्यिक उधार (50 मिलियन अमेरिकी डॉलर)	सी	**382.35**	-	-	-
अप्रतिभूत ऋण					
विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण– भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	डी	**32.02**	33.76	**2.87**	2.78
पट्टा देयताएं	ई	**14.56**	35.38	**31.68**	29.79
कुल		**3,151.94**	**1,897.21**	**34.55**	**32.57**

*वर्तमान परिपक्वताओं को टिप्पणी सं. 5 पर ले जाया जाता है : अन्य वर्तमान देयताएं

ए. एक्सिस बैंक से प्रतिभूत सावधि ऋण

सीमा	31 मार्च 2022 को बकाया कुल ऋण राशि	ब्याज दर	अवधि/संवितरण और पुनर्भुगतान अनुसूची	प्रतिभूति
एक्सिस बैंक द्वारा स्वीकृत प्रतिभूत रुपए सावधि ऋण राशि 2100 करोड़ रुपए है	2098.01 करोड़ रुपए	तिमाही रीसेट और मार्जिन 2.95 प्रतिशत की दर के अधीन तीन महीने की टी–बिल दर पर मासिक ब्याज	प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर 2023 और 4 मई को देय 150 करोड़ रुपए की पहली छमाही किस्तों के साथ मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 3 वर्ष की अधिस्थगन अवधि	अंधेरी ट्रांसमिटिग सेंटर, मुंबई में 248422.90 वर्ग मीटर का लैंड पार्सल

बी. भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

सीमा	31 मार्च 2022 को बकाया कुल ऋण राशि	ब्याज दर	अवधि/संवितरण और पुनर्भुगतान अनुसूची	प्रतिभूति
एसबीआई बैंक द्वारा स्वीकृत सुरक्षित रुपए सावधि ऋण राशि 625 करोड़ रुपए है	625 करोड़ रुपए	6 एम एमसीएलआर की दर पर मासिक ब्याज प्रत्येक 6 माह के बाद रीसेट करने के अधीन है और मार्जिन 90 बीपीए, पर अर्थात् 0.90 प्रतिशत है	3 वर्ष की अधिस्थगन अवधि मूलधन की अदायगी पर, ₹ 44.64 करोड़ की पहली से 13वीं अर्धवार्षिक किश्तें वित्त वर्ष 2025 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 15 मई और 15 नवम्बर को देय और ₹ 44.68 करोड़ की 14वीं और अंतिम किश्त 15 नवम्बर 2031 को देय	(1) दहिसर (रिमोट रिसीविंग स्टेशन) में भूमि पार्सल – 45.17 एकड़ उत्परिवर्तित भूमि क्षेत्र और (2) न्यू एयरपोर्ट कॉलोनी एरिया, विले पार्ले ईस्ट –25 एकड़ म्यूटेटेड लैंड एरिया का लैंड पार्सल (3) बंधक विलेख निष्पादन के अधीन है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

सी. भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिभूत बाहरी वाणिज्यिक उधार

सीमा	31 मार्च 2022 को बकाया कुल ऋण राशि	ब्याज दर	अवधि/संवितरण और पुनर्भुगतान अनुसूची	प्रतिभूति
भारतीय स्टेट बैंक से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर ईसीबी ऋण	50 मिलियन अमेरिकी डॉलर	6 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर की ब्याज दर पर हर 6 महीने के बाद देय ब्याज या रिप्लेसमेंट इवेंट और मार्जिन 165 बीपीपीए, अर्थात् 1.65 प्रतिशत के मामले में रिप्लेसमेंट बेंचमार्क	वित्त वर्ष 2025 से शुरू होकर 3.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली से 13वीं छमाही किश्तों के साथ मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 3 वर्ष की अधिस्थगन अवधि (पहली उपयोगिता तिथि से 42वें माह पर) और 120वें माह से देय 3.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 14वीं और अंतिम किस्त पहली उपयोग तिथि।	(1) दहिसर (रिमोट रिसीविंग स्टेशन) में भूमि पार्सल – 45.17 एकड़ उत्परिवर्तित भूमि क्षेत्र और (2) न्यू एयरपोर्ट कॉलोनी एरिया, विले पार्ले ईस्ट –25 एकड़ म्यूटेटेड लैंड एरिया का लैंड पार्सल (3) बंधक विलेख निष्पादन के अधीन है

डी. विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण : भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत

विदेशी वित्तीय संस्थान	31 मार्च 2022 को बकाया कुल ऋण राशि	ब्याज दर	पुनर्भुगतान अनुसूची	ऋण समाप्ति तिथि
निर्यात विकास कनाडा, कनाडा	यूएस डॉलर 4174892.43	ब्याज मुक्त	90758.54 यूएसडी की अर्ध वार्षिक किश्त प्रत्येक वर्ष 20 जून एवं 20 दिसम्बर को देय	20.12.2044
इंस्टीट्यूटो डी क्रेडिटो ऑफिशियल (आईसीओ), स्पेन	यूएस डॉलर 387676.75	0.25 प्रतिशत वार्षिक प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 21 सितंबर को देय	96919.15 यूएसडी की अर्ध वार्षिक किश्त प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 21 सितंबर को देय	21.03.2024
दिनांक 31 मार्च 2022 को विदेशी ऋण की बकाया राशि 4562569.18 यूएस डॉलर है जिसमें से वर्तमान परिपक्वता राशि 375355.38 यूएस डॉलर है और दीर्घ अवधि ऋण के भाग पर राशि केवल 4187213.81 यूएस डॉलर है।				

ई. पट्टा देयताएं पट्टा पर अधिग्रहित परिसंपत्तियों के प्रति पट्टा देयताएं हैं। विवरण हेतु टिप्पणी संख्या 54 (vi) देखें।

5. अन्य देयताएं

(करोड़ रु. में)

विवरण	गैर - वर्तमान		वर्तमान	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
जमा	**2,961.87**	1,864.96	**187.94**	174.18
दीर्घ अवधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	-	-	**2.87**	2.78
पट्टा आबंटनों की वर्तमान परिपक्वता	-	-	**31.68**	29.79
ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	-	-	**4.66**	4.55

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

5. अन्य देयताएं (जारी..)

(करोड़ रु. में)

विवरण	गैर - वर्तमान		वर्तमान	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	**135.80**	104.71
ऋणदाता पूंजी	-	1.27	**437.33**	614.44
अन्य देयताएं	-	-	**2,413.89**	2,230.02
कुल	**2,961.87**	**1,866.23**	**3,214.17**	**3,160.47**

6. प्रावधान

(करोड़ रु. में)

विवरण	दीर्घ अवधि		अल्प अवधि	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कर्मचारी सेवानिवृति लाभों व पीआरपी के लिए प्रावधान**	**2,644.37**	2,455.41	**754.84**	742.14
करों हेतु प्रावधान (सकल)	**1,176.00**	4,861.00	**8,662.67**	4,977.67
प्रस्तावित लाभांश	-	-	**1,448.84**	810.28
अन्य प्रावधान	**7.00**	7.00	**-**	-
कुल	**3,827.37**	**7,323.41**	**10,866.35**	**6,530.09**

** टिप्पणी संख्या 34 में कर्मचारी के हित के अनुसार एएस15 का प्रकटीकरण किया गया है।

7. अल्पावधि के ऋण

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
भारतीय स्टेट बैंक से अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी ऋण	**200.00**	1,250.00
कुल	**200.00**	**1,250.00**

* निकासी की तिथि से 5.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 2000 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1500 करोड़ रु.) की राशि की स्वीकृत सीमा के लिए एसबीआई से प्राप्त निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा।

8. देय ट्रेड

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	**529.36**	458.70
कुल	**529.36**	**458.70**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

9. अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन तथा क्षति के कारण हानि				निवल ब्लॉक	
	01.04.2021 को	जमा	समायोजन/विलोपन/ हस्तांतरण/ पुनर्वर्गीकरण/बिक्री	31.03.2022 को	31.03.2021 तक उपलब्ध करवाया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाया गया	समायोजन/विलोपन/ हस्तांतरण/ पुनर्वर्गीकरण/बिक्री	31.03.2022 तक कुल	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि	306.57	3.77	7.84	**302.50**	-	-	-	-	302.50	306.57
भूमि– लीज होल्ड	1.24	20.14	-	**21.38**	0.38	0.12	-	**0.50**	20.88	0.86
रनवे, टैक्सीवे, एप्रन	5,248.96	673.54	36.63	**5,885.87**	3,983.86	376.18	2.85	**4,357.19**	1,528.68	1,265.10
भवन	9,639.55	1,134.73	96.70	**10,677.58**	6,866.44	635.28	45.70	**7,456.02**	3,221.56	2,773.11
भवन–लीजहोल्ड	3.04	-	-	**3.04**	3.04	-	-	**3.04**	-	-
चारदीवारी	632.73	34.50	9.69	**657.54**	379.99	34.92	5.46	**409.45**	248.09	252.74
संयत्र एवं उपस्कर	10,233.73	821.11	150.53	**10,904.31**	7,530.60	698.60	55.87	**8,173.33**	2,730.97	2,703.13
संयत्र एवं उपस्कर –लीजहोल्ड	102.87	-	-	**102.87**	40.42	11.32	-	**51.74**	51.13	62.45
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	368.31	18.99	2.40	**384.90**	273.98	34.97	1.72	**307.23**	77.67	94.33
वाहन	1,129.97	15.13	42.00	**1,103.10**	820.04	64.76	6.34	**878.46**	224.64	309.93
कार्यालय उपकरण	428.32	9.77	2.93	**435.16**	330.20	36.42	2.90	**363.72**	71.44	98.13
कुल	**28,095.29**	**2,731.68**	**348.72**	**30,478.25**	**20,228.95**	**1,892.57**	**120.84**	**22,000.68**	**8,477.56**	**7,866.34**
पिछले वर्ष	**27,091.49**	**1,457.83**	**454.04**	**28,095.29**	**18,650.54**	**1,831.13**	**252.72**	**20,228.95**		**7,866.34**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

i. प्राधिकरण के पास 31.03.2022 के अनुसार 61406.46 एकड़ (लगभग) भूमि का स्वामित्व है जिसमें भा.वि.प्रा. द्वारा विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय आदि से पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है। उपरोक्त में से, भूमि का एक हिस्सा (लगभग 978.20 एकड़) विभिन्न हवाई अड्डों पर अतिक्रमण के अधीन है। भूमि का नामांतरण, स्वत्व विलेखों (टाइटल डीड) का भा.वि.प्रा. के पक्ष में हस्तांतरण, जहां अब तक नहीं किया गया है, साथ ही भूमि पर अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रगति पर है।

कुल भूमि धारिताओं में से, सीएसआई, मुंबई हवाई अड्डे और आईजीआई, नई दिल्ली हवाई अड्डे की भूमि संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (डीआईएपीएल) – (4799.09 एकड़) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमआईएपीएल) – (1963.249 एकड़) सीएसआई, मुंबई हवाई अड्डे पर उस संपत्ति को छोड़कर लंबी अवधि के पट्टे पर सौंपी गई, जो उनके प्रचालन के लिए अहम नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त अहमदाबाद हवाई अड्डे (919.62 एकड़), लखनऊ हवाई अड्डे (1222.89 एकड़), मैंगलोर हवाई अड्डे (566.40 एकड़), जयपुर हवाई अड्डे (765.11 एकड़), गुवाहाटी हवाई अड्डे (754.60 एकड़) और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे (606.84 एकड़) की जमीन मैसर्स अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल), अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएलआईएएल), अडानी मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमायल), अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एजेआईएएल), अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एजीआईएएल) और अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एटीआईएएल) को क्रमशः अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से 50 वर्षों की अवधि के लिए छह हवाई अड्डों को पट्टे पर सौंपा जा चुका है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

9. अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

ii. रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच विभिन्न हवाई अड्डों पर भूमि के हस्तांतरण की शर्तों और निबंधनों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है। आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली पर 56.78 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से ली गई थी। यह भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रभुत्व में है और एमओडी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पहले से भुगतान किए गए 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोई और मांग नहीं उठाई है।

iii. राष्ट्रीय राजमार्ग–45 पर चेन्नई हवाई अड्डे के सामने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 5154.50 वर्गमीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई थी। भूमि के विवरण निम्नानुसार हैं :

(क) पल्लवम छावनी	–	3881.40 वर्गमीटर
(ख) मीनांबक्कम ग्राम	–	1273.10 वर्गमीटर

जहां तक उपरोक्त (क) का संदर्भ है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एनएचएआई से दिनांक 10.06.2020 को 12.75 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। जहां तक उपरोक्त (ख) का संदर्भ है, उक्त भूमि की बाजार लागत कलेक्टर कार्यालय से एकत्र की जा रही है और तदनुसार एनएचएआई से मांग की जाएगी।

iv. लखनऊ हवाई अड्डे के निकट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लखनऊ बाई पास के निर्माण के लिए 6673.70 वर्ग मीटर भूमि ले ली है। 30.07.2012 को आयोजित बैठक में की गई चर्चा और सहमति के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजस्व प्राधिकारियों द्वारा यथा स्वीकृत दरों पर सड़क के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कब्जा की गई भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान करने को तैयार है। कई बार अनुस्मारक देने के बावजूद अब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी मुआवज़े का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में एनएचएआई के साथ दिनांक 08.04.2019 को एक बैठक आयोजित की गई और तत्पश्चात दिनांक 23.04.2019 के पत्र द्वारा भा. वि. प्रा. को सूचित किया गया कि एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित अन्य भूमि, जो कि भा. वि. प्रा. की भूमि से सटी है, एनएचएआई द्वारा 8.00 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का भुगतान किया गया है और तदनुसार एनएचएआई 6673.70 वर्गमीटर भूमि के लिए भा. वि. प्रा. को 13,29,401 रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार है और उसके लिए भा. वि. प्रा. की स्वीकृति मांगी है। हालाँकि उक्त मुआवजा भा. वि. प्रा. को स्वीकार्य नहीं है।

v. भा. वि. प्रा. की अधिकृत 1.5 एकड़ भूमि (हवाई अड्डा पहुंच मार्ग) को झाररखंड राज्य सरकार को बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची सड़क विकास परियोजना के लिए, इस शर्त के साथ दिया गया था कि भूमि का स्वामित्व भा. वि. प्रा. के पास रहेगा और झारखंड राज्य सरकार अपने खर्च पर सड़क का निर्माण करेगी तथा भविष्य में इसका रखरखाव करेगी।

vi. भा. वि. प्रा. ने वर्ष 2017–18 के दौरान दहिसर में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए मुंबई मेट्रो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के साथ 40 एकड़ भूमि की अदला–बदली की। इस संबंध में, भा. वि. प्रा. बोर्ड ने 23.03.2017 को हुई अपनी 174वीं बैठक में संकल्प लिया था कि एमएमआरडीए 2016–17 के आधार पर स्टांप ड्यूटी रेकनर दर के अनुसार भूमि की अंतर लागत का भुगतान करेगा, जो कि उपकरणों के हस्तांतरण के लिए 472.70 करोड़ रु.और 64 करोड़ रु. आंका गया है। यह राशि अभी तक भा. वि. प्रा. को प्राप्त नहीं हुई है और भा. वि. प्रा. ने मुकदमेबाजी के कारण जिसमें महाराष्ट्र सरकार और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई सम्मिलित हैं, दहिसर की भूमि पर कोई भौतिक कब्जा नहीं दिया है, जो भा. वि. प्रा. को सौंपी जानी है। जबकि, भा. वि. प्रा. को इन दोनों स्थानों पर भूमि के हस्तांतरण के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुंबई में एमएमआरडीए के साथ 40 एकड़ भूमि की न तो अदला–बदली हुई है और न ही कैबिनेट के निर्णय के बावजूद एमएमआरडीए द्वारा भुगतान जारी किया गया है। इस 40 एकड़ भूमि पर वास्तविक प्रभुत्व भा.वि.प्रा. के पास है।

vii. एएआईसीएलएएस (भा.वि.प्रा. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को पट्टे पर देने हेतु 01.04.2017 से विभिन्न हवाई अड्डों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लगभग 122.24 एकड़ (494687.72 वर्ग मीटर लगभग) की भूमि की पहचान की गई है। रियायत और पट्टा समझौता अनुमोदन के लिए मसौदा प्रस्तुत किया गया है।

viii. कुल 53.69 एकड़ (28.65 + 25.04) माप की भूमि को आईजीआई हवाई अड्डे पर शिव मूर्ति के पास द्वारका एक्सप्रेसवे और इंटर चेंज लूप के निर्माण के लिए स्थायी रूप से एनएचएआई को हस्तांतरित किया जा रहा है। एएआई बोर्ड ने पहले ही एनएचएआई को भूमि के उक्त हस्तांतरण और एनएचएआई को बाजार दर पर 28.65 एकड़ भूमि और नाममात्र लागत पर 25.04 एकड़ भूमि अर्थात् 1 रुपए – शिव मूर्ति इंटरचेंज को टी–3 से प्रस्तावित कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दे दी है।

बोर्ड ने यह भी मंजूरी दे दी है कि एनएचएआई स्थायी भूमि हस्तांतरण के समय लागू बाजार दर पर भूमि लागत/मुआवजे का निपटान करेगा। एनएचएआई को जमीन के हस्तांतरण की पहले ही मंजूरी दे दी गई है। जबकि, भूमि के स्थायी हस्तांतरण के लिए, 26.06.2019 को भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई है, जो प्रतीक्षित है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

9. अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

ix. नागपुर हवाई अड्डे को एमआईएचएएन द्वारा चलाया जा रहा है और उस पर परिसंपत्ति 06/07 अगस्त 2009 को 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि के पट्टे के प्रावधान के साथ सौंप दी गई थी (30 वर्ष तक विस्तार योग्य)।

नागपुर हवाई अड्डे पर कुल भूमि 1278.25 एकड़ (लगभग) है। एमआईएचएएन को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित निवल भूमि क्षेत्र को एएआई के उपयोग के लिए आवश्यक भूमि के पॉकेट्स को अंतिम रूप देने के बाद फ्रीज़ किया जा रहा है (भूमि कार्व्ड आउट है) लीज डीड पर हस्ताक्षर करने के संबंध में, इसे भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निष्पादित किया जाएगा, वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् अगस्त 2009 से 30 वर्ष के लिए है तथा 30 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

x. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मेट्रो परियोजनाओं के लिए भूमि का स्थायी हस्तांतरण :–

ए) एनएससीबीआई हवाई अड्डा कोलकाता – 2600 वर्गमीटर। द्वितीय चरण के लिए भूमि की भूमि लागत भुगतान के प्रति (कुल लागत निहितार्थ 31.10 करोड़ रुपए/ 1,19,600 रुपए प्रति वर्ग मीटर)

बी) लखनऊ हवाई अड्डा –13206.81 वर्गमीटर। प्राप्त लागत–आंशिक भुगतान (कुल लागत निहितार्थ 8.10 करोड़ रु.) के प्रति हवाई अड्डा मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए। उक्त भूमि को औपचारिक रूप से लागत/मुआवजे के निपटान के बाद और भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन स्थानांतरित किया जाएगा।

सी) मुंबई हवाईअड्डा – 10265 वर्गमीटर की भूमि। लागत मुआवजे के भुगतान के प्रति मुंबई मेट्रो के लिए एमएमआरडीए को हस्तांतरित कर दिया गया है। भुगतान प्राप्त। मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रतीक्षित (कुल लागत निहितार्थ 64.37 करोड़ रुपए)।

डी) आईजीआई हवाई अड्डा – 6093.20 वर्गमीटर की भूमि। तुगलकाबाद–एरोसिटी कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए डीएमआरसी को हस्तांतरित किया जाना है। उक्त भूमि को औपचारिक रूप से लागत/मुआवजे के निपटान के बाद और भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन हस्तांतरित किया जाएगा। अनुमेय कब्जा पहले ही दिया जा चुका है।

xi. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को भूमि का स्थायी हस्तांतरण :-

ए) महाराष्ट्र – भा.वि.प्रा. के लिए अधिग्रहित की जा रही 64 एकड़ प्रस्तावित भूमि से निवास के पुनर्वास के लिए 2 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 64 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है और कोल्हापुर हवाई अड्डे के विकास के लिए निः शुल्क आधार पर भा.वि.प्रा. को सौंपी जाएगी। उपरोक्त से भा.वि.प्रा. के लिए कोई वित्तीय देयता उत्पन्न नहीं हो रही है।

xii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भा.वि.प्रा. भूमि का अनुमेय कब्जा : -

ए) खजुराहो – पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए 8.64 लाख रुपए करों के भुगतान पर 300 वर्गमीटर भूमि मध्य प्रदेश सरकार को।

बी) शिलांग/बारापानी – यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भा.वि.प्रा. को सुरक्षा उपकरण स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण सड़क के मोड़ के लिए 6075.57 वर्गमीटर भूमि दी गई है। उपरोक्त दो मामलों का स्वामित्व भा.वि.प्रा. के पास रहेगा।

xiii. मूल्यह्रास के आरंभिक शेष में भवन फ्रीहोल्ड 1.66 करोड़ रुपए, बाउंडरी 0.05 करोड़ रुपए, संयंत्र और उपकरण 3.72 करोड़ रुपए के संबंध में वित्तीय वर्ष 13–14 में बंगलौर और हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहचानी गई क्षति हानि शामिल है, जो कुल मिलाकर 5.43 करोड़ रुपए है और इसे आगे बढ़ाया गया है।

xiv. उपरोक्त परिसंपत्तियों में से, कुल परिसंपत्ति 0.33 करोड़ रुपए (सकल ब्लॉक – 22.18 करोड़ रुपए और संचित मूल्यह्रास 21.85 करोड़ रुपए) जिसमें रनवे (सकल ब्लॉक– 0.28 करोड़ रुपए) भवन (सकल ब्लॉक– 1.85 करोड़ रुपए), संयंत्र और उपकरण (सकल ब्लॉक– 15.65 करोड़ रुपए), फर्नीचर (सकल ब्लॉक– 0.85 करोड़ रुपए), वाहन (सकल ब्लॉक– 2.60 करोड़ रुपए) सम्मिलित हैं और कार्यालय उपकरण (सकल ब्लॉक– 0.95 करोड़ रुपए) को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

10. अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2021 को	जमा	समायोजन/विलोपन/ हस्तांतरण/ पुनर्वर्गीकरण/बिक्री	31.03.2022 को	31.03.2021 तक उपलब्ध करवाया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाया गया	बिक्री/ हस्तांतरण का समायोजन	31.03.2022 तक कुल	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	128.18	3.10	-	131.28	107.38	8.96	-	116.34	14.94	20.80
कुल	**128.18**	**3.10**	**-**	**131.28**	**107.38**	**8.96**	**-**	**116.34**	**14.94**	**20.80**
पिछला वर्ष	**120.01**	**9.00**	**0.83**	**128.18**	**97.94**	**10.27**	**0.83**	**107.38**		**20.80**

11. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2021 को	जमा	समायोजन/विलोपन/ हस्तांतरण/ पुनर्वर्गीकरण/बिक्री	31.03.2022 को	31.03.2021 तक उपलब्ध करवाया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाया गया	बिक्री/ हस्तांतरण का समायोजन	31.03.2022 तक कुल	31.03.2022 को	31.03.2021 को
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	7,245.40	3,115.51	2,669.55	7,691.36	-	-	-	-	7,691.36	7,245.40
कुल	**7,245.40**	**3,115.51**	**2,669.55**	**7,691.36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,691.36**	**7,245.40**
पिछला वर्ष	**4,845.54**	**3,634.62**	**1,234.76**	**7,245.40**	**-**	**-**	**-**	**-**		**7,245.40**

12. विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2021 को	जमा	समायोजन/विलोपन/ हस्तांतरण/ पुनर्वर्गीकरण/बिक्री	31.03.2022 को	31.03.2021 तक उपलब्ध करवाया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाया गया	बिक्री/ हस्तांतरण का समायोजन	31.03.2022 तक कुल	31.03.2022 को	31.03.2021 को
विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	2.69	0.02	2.22	0.49	-	-	-	-	0.49	2.69
कुल	**2.69**	**0.02**	**2.22**	**0.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.49**	**2.69**
पिछला वर्ष	**3.84**	**0.99**	**2.14**	**2.69**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.69**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

13. **गैर-वर्तमान निवेश**

(करोड़ रु. में)

विवरण	प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रु.)	31 मार्च 2022 को इक्विटी शेयर की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
(दीर्घ कालीन निवेश (लागत पर)				
बिना उद्धृत व्यापार निवेश				
संयुक्त उद्यम कंपनियों/संयुक्त कंपनियों के पूर्णरूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर				
हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एचआईएएल)	10/-	4,91,40,000	**49.14**	49.14
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (बीआईएएल)*	10/-	5,49,97,800	**50.00**	50.00
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डायल)	10/-	63,70,00,000	**637.00**	637.00
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (मायल)	10/-	31,20,00,000	**312.00**	312.00
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लि. (गोंदिया)	10/-	3,81,11,795	**38.11**	38.11
मिहान इंडिया प्राइवेट लि. (मिहान)	10/-	98,00,000	**9.80**	9.80
कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.	100/-	1,00,00,000	**100.00**	100.00
एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लि.	10/-	2,50,00,000	**25.00**	25.00
धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	10/-	7,72,70,000	**77.27**	77.27
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	10/-	25,50,000	**2.55**	2.55
देवघर एयरपोर्ट लि.	10/-	2,550,000	**2.55**	2.55
लुधियाना अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लि.	10/-	25,50,000	**2.55**	2.55
डिजी यात्रा फाउंडेशन*	10/-	260	**0.00**	0.00
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.	10/-	49,44,19,295	**494.42**	494.42
कुल : इक्विटी निवेश			**1,800.39**	**1,800.39**

टिप्पणी :-

ए. भा. वि. प्रा. ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में डिजी यात्रा फाउंडेशन में 10 रुपए प्रति शेयर की दर से 260 इक्विटी शेयरों में अंशदान किया है।

बी. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बायल) द्वारा प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य के साथ 49,99,800 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

14. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

"आय कर हेतु लेखांकन" पर लेखा मानक – 22 के अनुपालन में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता (निवल) का मदवार विवरण निम्नलिखित है –

(करोड़ रु. में)

विवरण	01.04.2021 को	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए	31 मार्च 2022 को शेष
बही और कर मूल्यह्रास में अंतर	576.73	**91.77**	668.50
अशोध्य व संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	938.13	**(528.00)**	410.13
नगर निगम कर	3.06	**0.05**	3.11
छुट्टी नकदीकरण / सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना/ पेंशन योजनाएं	842.59	**53.19**	895.78
सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनर्स्थापन हेतु प्रावधान	22.87	**(1.01)**	21.86
कल्याणकारी (हितकारी निधि)	72.33	**9.91**	82.24
जेवीसी से अपफ्रंट/अग्रिम शुल्क	37.66	**(2.61)**	35.05
वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अशोधित कर मूल्यह्रास*	393.96	**356.36**	**750.32**
अग्रेनीत घाटा – वित्तीय वर्ष 2020–21*	181.82	**(6.37)**	**175.45**
उपदान (ग्रेच्युटी)	34.18	**2.71**	**36.89**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**3,103.33**	**(24.00)**	**3,079.33**

टिप्पणी -

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भा. वि. प्रा. के वार्षिक खातों में 3079.33 करोड़ रु. की राशि को आस्थगित कर परिसंपत्तियों (वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित अशोधित मूल्यह्रास और अग्रेषित हानि सहित) के रूप में दर्शाया गया है। यह इस बात पर विचार करते हुए किया गया है कि यद्यपि भा. वि. प्रा. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान घाटे में है और विमानन क्षेत्र पर कोविड–19 के गंभीर प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021–22 में 8.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, तथापि महामारी का प्रभाव कम हो रहा है, जिससे भा. वि. प्रा. के पास आने वाले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में पर्याप्त कर योग्य आय होगी, जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ अर्जित की जा सकती हैं।

15. ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रु. में)

विवरण	दीर्घ अवधि		अल्प अवधि	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
निवेश हेतु अग्रिम -जेवीसी	**86.72**	86.72	-	-
पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
सुरक्षित अच्छा माने जाने वाला	**347.35**	411.76	-	-
अग्रिम कर एवं टीडीएस				
स्रोत पर कर कटौती और अग्रिम आयकर	**2,288.60**	5,410.26	8,528.61	4,887.76
अग्रिम कर –अनुषंगी लाभ कर	**-**	-	0.85	3.94
वस्तु एवं सेवा कर	**-**	-	275.35	365.02
सीमाशुल्क/आबकारी/सेवाकर प्राधिकरणों के पास शेष राशियां	**68.31**	68.31	16.01	40.24
पूर्व प्रदत्त व्यय	**-**	-	34.41	51.77
जमा				
असुरक्षित किन्तु अच्छा माने जाने वाला	**194.37**	212.40	-	-

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

15. ऋण एवं अग्रिम (जारी..)

(करोड़ रु. में)

विवरण	दीर्घ अवधि		अल्प अवधि	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कर्मचारी ऋण				
सुरक्षित, अच्छा माने जाने वाला	**328.93**	381.73	127.15	128.76
आपूर्तिकर्ता/कार्यो के लिए अग्रिम				
असुरक्षित किन्तु अच्छा माने जाने वाला	-	-	19.77	18.72
प्राप्य राशि - आरसीएस - एमओसीए	-	-	7.03	13.36
अन्य				
असुरक्षित किन्तु अच्छा माने जाने वाला	-	0.11	81.28	55.53
कुल	**3,314.28**	**6,571.29**	**9,090.46**	**5,565.10**

16. वस्तु सूची

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
भंडार एवं कलपुर्जे	101.25	87.42
कुल	**101.25**	**87.42**

17. व्यापार प्राप्य

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
छह माह से अधिक :	**1,754.35**		3,952.90	
छह माह के अंदर :	**1,087.15**	**2,841.50**	536.35	4,489.25
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		**(1622.44)**		(3720.82)
कुल		**1,219.06**		768.43
अन्य टिप्पणियां:				
(क) सुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला		**894.10**		436.01
(ख) असुरक्षित किन्तु अच्छा माना जाने वाला		**324.96**		332.42
(ग) संदिग्ध		**1,622.44**		3,720.82

18. नकद एवं नकद समतुल्य

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
नकद एवं नकद समतुल्य (सीएफएस)				
बैंक के पास शेष	**337.77**		**1,085.32**	
चैक, ड्राफ्ट शेष	**0.01**		**0.30**	
नकद शेष	**0.05**		**0.02**	
अग्रदेय	**0.63**		**0.82**	
		338.46		**1,086.46**
अन्य बैंक शेष				
बैंक जमा	**1,305.67**	1,305.67	**3.72**	**3.72**
कुल		**1,644.13**		**1,090.18**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

19. अन्य वर्तमान परिसंपतियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
बिल नहीं किया गया राजस्व	**379.36**	**391.59**
जेवीसी/सहायक कंपनियों से अन्य देय	**177.98**	**159.10**
पीपीपी हवाई अड्डों से अन्य देय	**-**	**678.34**
निवेश/जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	**6.80**	**4.69**
लंबित जांच हानियाँ	**0.07**	**0.07**
कुल	**564.21**	**1,233.79**

20. विमानपत्तन दिक्चालन सेवाएं

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
रूट नेवीगेशन फेसिलिटी चार्जेज़ (आरएनएफसी)	**1,997.61**	1,343.92
टर्मिनल नेवीगेशन लैंडिंग चार्जेज़ (टीएनएलसी)	**375.16**	235.55
अन्य सीएनएस/एटीएम सेवा राजस्व	**7.19**	8.15
कुल	**2,379.96**	**1,587.62**

21. विमानपत्तन सेवाएं

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
लैंडिंग, पार्किंग एवं हाउसिंग (एलपीएच)		**572.29**		519.70
यात्री सेवा शुल्क :–				
– सुविधा	**0.43**		23.99	
– सुरक्षा	**-**	**0.43**	-	23.99
प्रयोक्ता विकास शुल्क				
– अंतरराष्ट्रीय यात्री	**109.25**		36.12	
– अंतर्देशीय यात्री	**886.49**	**995.74**	606.67	642.79
ऑइल थ्रुपुट राजस्व		**-**		1.67
ग्राउंड हैंडलिंग		**41.16**		52.26
सेवा घंटों का विस्तार		**8.85**		7.95
सीयूटीई प्रभारों पर रॉयल्टी		**55.57**		42.85
कुल		**1,674.04**		**1,291.21**

22. गैर-वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
किराया एवं सेवाएं	**515.96**	544.06
ट्रेडिंग रियायतें	**300.47**	283.45
कार पार्किंग	**30.70**	17.79
ढुलाई	**0.39**	0.07

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

22. गैर-वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं (जारी..)

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
प्रवेश शुल्क/कमर्शियल पास	**4.32**	3.72
विश्रामकक्ष	**1.14**	0.93
एनओसी–हाइट क्लियरेंस	**25.20**	12.36
परामर्श सेवाएं	**26.26**	17.64
विविध गैर–वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं	**7.65**	5.82
कुल	**912.09**	**885.84**

23. कार्गो राजस्व

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कार्गो राजस्व	-	-
कुल	**-**	**-**

24. विमानपत्तन पट्टा राजस्व (पीपीपी विमानपत्तन राजस्व सहित)

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
(ए) विमानपत्तन पट्टा राजस्व				
अग्रिम शुल्क		**10.37**		10.37
वार्षिक शुल्क :–				
डायल	-		446.21	
मायल	1,027.67	**1,027.67**	26.92	473.13
(बी) पीपीपी हवाई अड्डों से राजस्व				
अग्रिम शुल्क	**32.69**		8.96	
वार्षिक रियायत शुल्क	**296.90**	**329.59**	78.29	87.25
कुल		**1,367.63**		**570.75**

25. अन्य आय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
ब्याज से आय	**30.25**	98.99
प्राप्त लाभांश – जेवीसी / सहायक कंपनियां	**87.08**	27.70
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**71.89**	37.65
प्रशिक्षण संस्थानों से आय	-	0.14
विविध आय	**295.17**	289.03
ब्याज और जुर्माना	**18.70**	73.92
कर्मचारी संबंधित वसूलियां	**4.48**	4.19
कुल	**507.57**	**531.62**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

26. कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
वेतन और भत्ते	**2,369.75**	2,311.92
अन्य कर्मचारी लागत	**1,141.00**	1,002.99
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	**374.71**	256.79
प्रचालन सहायक लागत की कम वसूली – जेवीसी/सहायक कंपनियाँ/पीपीपी हवाई अड्डे	**(183.38)**	(66.30)
कुल	**3,702.08**	**3,505.40**

27. प्रचालन व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
किराया, दरें और कर		**3.46**		4.26
नगर निगम कर		**40.17**		73.65
बीमा		**20.21**		41.88
विज्ञापन और प्रचार		**1.84**		3.40
मरम्मत एवं रखरखाव :–				
सिविल कार्य	**199.35**		220.33	
इलेक्ट्रिकल कार्य	**311.39**		332.63	
वाहन	**20.13**		20.37	
उपकरण और फर्नीचर	**23.02**		22.16	
इलेक्ट्रॉनिक्स	**214.38**		188.60	
सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	**76.89**	**845.16**	86.85	870.94
स्टोर और पुर्जों की खपत		**41.73**		34.98
बिजली और जल प्रभार		**316.48**		320.80
मौसम विज्ञान सेवा शुल्क		**140.82**		139.14
रखरखाव व्यय		**117.03**		137.84
बागवानी व्यय		**4.83**		5.57
कुल		**1,531.72**		**1,632.46**

28. प्रशासनिक और अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कानूनी व्यय	**43.74**	**21.98**
परामर्शी सेवाएं	**15.34**	**17.19**
मालभाड़ा प्रभार	**0.41**	**0.46**
डाक और कुरियर प्रभार	**0.65**	**0.57**
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट शुल्क	**5.77**	**5.98**
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**4.82**	**4.80**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

28. प्रशासनिक और अन्य व्यय (जारी..)

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
पट्टा किराया		**6.54**		4.88
प्रशिक्षण व्यय		**3.45**		4.85
यात्रा व्यय		**78.72**		42.74
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		**(1,261.90)**		537.47
अशोध्य ऋण		**991.48**		-
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		**270.55**		82.43
राजभाषा पर व्यय		**1.15**		0.91
क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता – व्यय		**0.05**		0.25
प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान		**0.49**		0.25
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर व्यय/हानि		**-**		0.07
सीएजी वैधानिक लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक शुल्क	4.00		3.00	
अन्य सेवाओं के लिए शुल्क – लेखा परीक्षा	**0.11**	**4.11**	0.23	3.23
किराया प्रभार		**90.87**		81.46
अनुसंधान और विकास व्यय		**0.06**		-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		**31.04**		78.68
वॉच एवं वॉर्ड/सुरक्षा संविदा		**72.71**		76.01
संग्रह प्रभार		**23.42**		15.31
गारंटी शुल्क		**2.04**		2.46
मध्यस्थता व्यय		**1.36**		1.91
विविध		**50.29**		56.65
कुल		**437.16**		**1,040.54**

29. वित्तीय लागतें

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
ऋणों पर ब्याज*	**64.40**	40.59
विदेशी मुद्रा लेन देन पर लागू निवल हानि	**1.32**	(1.01)
पट्टा दायित्वों पर ब्याज	**3.95**	5.43
अन्य वित्तीय प्रभार	**-**	-
कुल	**69.67**	**45.01**

अन्य टिप्पणियां :-

उपर्युक्त ऋणों पर ब्याज में लेखा मानक 16 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पूंजीकृत 110.68 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 में 22.59 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

30. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
मूर्त परिसंपतियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन	**1,895.54**	1,811.34
अमूर्त परिसंपतियों पर परिशोधन	**8.84**	8.41
कुल	**1,904.38**	**1,819.75**

31. सुरक्षा व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
विमानन सुरक्षा बल – केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	-	-
राज्य पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां	-	-
कुल	**-**	**-**

32. असाधारण मदें

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
पुराना पुनर्वास प्रावधान वापस लिया गया	-	(409.11)
एयर इंडिया के सेटलमेंट के कारण संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का प्रत्यावर्तन	**(836.48)**	-
कुल	**(836.48)**	**(409.11)**

33. पूर्व वर्षो से संबंधित आय / (व्यय) (निवल)

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2020-21	
ए. व्यय				
कर्मचारी लाभ व्यय	**0.50**		(18.82)	
प्रचालन व्यय	**(22.35)**		2.12	
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**2.20**		17.50	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**(2.86)**		21.64	
सुरक्षा व्यय	**6.57**	**(15.94)**	31.92	54.36
बी. आय				
विमानपत्तन दिक्चालन सेवाएं	**0.57**		0.84	
विमानपत्तन सेवाएं	**1.04**		(0.57)	
गैर – वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं	**306.81**		17.32	
कार्गो राजस्व	**0.21**		-	
विमानपत्तन पट्टा राजस्व	**3.17**		-	
अन्य आय	**(25.31)**	**286.49**	10.48	28.07
कुल		**270.55**		82.43

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

34. "कर्मचारी लाभ" पर एएस 15 (संशोधित) के अन्तर्गत प्रकटीकरण

निर्धारित अंशदान योजना :

ए) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भविष्य निधि हेतु पूर्व निर्धारित दर पर एक अलग ट्रस्ट को निश्चित अंशदान दिया जाता है जो इस निधि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस अवधि के दौरान किए गए अंशदान को व्यय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ और हानि खाते में प्रभारित होता है।

बी) "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना" को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के परिणामस्वरूप तथा 2018–19 के दौरान "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन ट्रस्ट" के गठन के बाद से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 01.01.2007 से प्रभावी अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों के संबंध में ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर अंशदान का भुगतान कर रहा है। निधियों में योगदान और निर्धारित देयताओं को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

निर्धारित हितलाभ योजना :

ए) **अवकाश:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश एवं अर्ध वेतन अवकाश का लाभ देता है जो कि क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से उपार्जित होता है। अर्जित अवकाश का सेवाकाल के दौरान नकदीकरण कराया जा सकता है बशर्ते कि नकदीकरण के समय 30 दिन अवकाश खाते में शेष हो तथा सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र या मृत्यु पर अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार, अप्रयुक्त अर्ध वेतन अवकाश का सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र या मृत्यु होने पर अधिकतम 240 दिनों तक का पूरा नकदीकरण किया जा सकता है। उपर्युक्त सीमाएं 30.09.2020 तक लागू थीं।

भा.वि.प्रा. एच.आर.एम. परिपत्र संख्या : 68/2020 दिनांक 28–10–2020 के अनुसार, सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र या मृत्यु की तिथि पर अर्जित अवकाश (ईएल) और अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) के नकदीकरण संबंधी नियम में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधन किया गया है अर्थात ''ईएल और एचपीएल को 300 दिनों की समग्र सीमा तक सेवानिवृत्ति पर छुट्टी के नकदीकरण के लिए विचार किया जा सकता है''। एचपीएल के लिए देय नकद समतुल्य अर्ध–वेतन सहित डीए के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर होगा और ईएल में कमी को पूरा करने के लिए, एचपीएल का कोई रूपांतरण अनुमेय नहीं होगा। यह संशोधन 01–10–2020 से प्रभावी हो गया है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

बी) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा : सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति को एक बार के लिए निर्धारित अंशदान के भुगतान के बदले चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि उसने 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो। न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा का प्रावधान कार्यात्मक बोर्ड सदस्यों पर लागू नहीं है बशर्ते कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। यह योजना स्वैच्छिक है तथा वार्षिक आधार पर बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लाभ व हानि खाते में प्रदर्शित की जाती है।

सी) उपदान : प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन उपदान के रूप में दिया जाता है बशर्ते कि न्यूनतम 5 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी की गई हो। दिनांक 01.01.2017 से इसकी उच्चतम सीमा 20 लाख रुपए (31.12.2016 तक 10 लाख रुपए) निर्धारित की गई है। इस के लिए देयता वार्षिक आधार पर बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित की जाती है।

डी) हितकारी निधि योजना : दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी संशोधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी हितकारी निधि योजना के अनुसार अंशदान एवं पात्रता लाभ निम्न प्रकार से होंगे :

ए) दिनांक 01.01.2018 से कर्मचारी 250 रुपए प्रतिमाह अंशदान देगा

बी) अधिवर्षिता, अनिवार्य/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु होने पर मासिक पात्रता के रूप में आठ (8) वर्षों की अवधि के लिए निम्न प्रकार से भुगतान किया जाएगा :

(i) पृथक होने से पहले दो (2) वर्ष तक 250 रुपए का बढ़ा हुआ अंशदान देने वाले कर्मचारियों को 7,000 रुपये प्रति माह।

(ii) पृथक होने से पहले दो (2) वर्ष से अधिक किन्तु पाँच (5) वर्षों तक 250 रुपए का बढ़ा हुआ अंशदान देने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए प्रति माह।

(iii) पृथक होने से पहले पांच (5) वर्ष की अवधि से अधिक 250 रुपए का बढ़ा हुआ अंशदान देने वाले कर्मचारियों को 12,000 रुपए प्रति माह।

इस के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की पहचान की जाएगी।

ई) सेवानिवृत्ति के पश्चात समायोजन लाभ : सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी (तथा आश्रित) भारत में अपनी पसंद के स्थान पर बसने के पात्र हैं। वे स्थानांतरण यात्रा भत्ता आदि पाने के उसी प्रकार से पात्र होते हैं जिस प्रकार स्थानांतरण पर सेवारत कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इसके लिए देयता वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में दर्शाई जाती है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

i) सीडब्ल्यूआईपी/लाभ और हानि खाते के विवरण में अभिज्ञात व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति के पश्चात समायोजन लाभ	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
वर्तमान सेवा लागत	33.70	31.74	43.57	31.44	17.53	14.95
लाभ देयता पर ब्याज लागत	9.23	8.19	84.85	74.95	6.18	6.16
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित लाभ	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अभिज्ञात कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(22.20)	(23.43)	106.72	110.72	(24.67)	5.28
पिछली सेवा लागत– अवधि के दौरान अभिज्ञात निहित लाभ	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए व्यय	20.73	16.50	235.14	217.11	(0.96)	26.39

ii) तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि

(करोड़ रु. में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति के पश्चात समायोजन लाभ	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
प्रारम्भिक निवल देयता	135.78	119.28	1,227.86	1,100.59	90.82	89.64
उपर्युक्त के अनुसार व्यय	20.73	16.50	235.14	217.11	(0.96)	26.39
नियोक्ता का अंशदान/भुगतान किए गए लाभ	-	-	(118.51)	(89.84)	(3.00)	(25.21)
नियोक्ता का अंशदान	(10.00)	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में अभिज्ञात निवल परिसंपत्ति/(देयता)	146.51	135.78	1,344.49	1,227.86	86.86	90.82

iii) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

(करोड़ रु. में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति के पश्चात समायोजन लाभ	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	1,377.07	1,396.50	1,227.86	1,100.59	90.82	89.64
ब्याज लागत	93.64	95.94	84.85	74.95	6.18	6.16
वर्तमान सेवा लागत	33.70	31.74	43.57	31.44	17.53	14.95
पिछली सेवा लागत– अवधि के दौरान अभिज्ञात निहित लाभ	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-	(118.51)	(89.84)	(3.00)	(25.21)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

iii) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (जारी..)

(करोड़ रु. में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति के पश्चात समायोजन लाभ	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
निधि से भुगतान किए गए लाभ	(131.05)	(124.32)	-	-	-	-
देयता पर निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.00)	(22.79)	106.72	110.72	(24.67)	5.28
वर्तमान अवधि के अंत में परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	1,356.36	1,377.07	1,344.49	1,227.86	86.86	90.82

** बीमा कंपनी के पास उपलब्ध निधि सहित

iv) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(करोड़ रु. में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)	
	2021-22	2020-21
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,241.29	1,277.22
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	84.41	87.75
नियोक्ता का अंशदान	10.00	-
प्रदत लाभ	(1,31.05)	(124.32)
बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.20	0.64
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1,209.85**	**1,241.29**

v) योजना परिसंपत्तियों (उपदान) का विवरण

31 मार्च 2022 को लागत पर योजना परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	2021-22	2020-21
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
निगमित बॉन्ड	-	-
विशेष जमा योजनाएं	-	-
नकद तथा नकद समकक्ष	-	-
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	1,195.72	1,233.49
अन्य	14.13	7.80
कुल	**1,209.85**	**1,241.29**

vi) बीमांकिक धारणाएं

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं हैं :

प्रयुक्त विधि – प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

छूट दर (उपदान/अवकाश/पुनर्वास) – 7.23 प्रतिशत (6.80 प्रतिशत पिछले वर्ष)

छूट दर (सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ) – 7.40 प्रतिशत (6.91 प्रतिशत पिछले वर्ष)

परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अनुमानित दर (केवल उपदान) – 7.23 प्रतिशत (6.80 प्रतिशत पिछले वर्ष)

भावी वेतन वृद्धि – 7 प्रतिशत (7 प्रतिशत पिछले वर्ष)

संघर्षण दर (एट्रीशन रेट) – 2 प्रतिशत (2 प्रतिशत पिछले वर्ष)

प्रबंधन ने प्रमाणित बीमांकक द्वारा किए गए समग्र बीमांकिक मूल्यांकन पर विश्वास किया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

35. ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'' पर लेखा मानक 18 के तहत प्रकटीकरण

i) संबंधित पार्टी

सहायक कंपनियों के नाम	स्वामित्व हिस्सेदारी	
	31.03.2022	31.03.2021
1. चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (चायल)	51%	51%
2. भा. वि. प्रा. कार्गो लॉजिस्टिक एण्ड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएससीएल)	100%	100%
3. धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	51%	51%
4. देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	51%	51%
5. धलभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	51%	51%
6. लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	51%	51%

संयुक्त उद्यमों के नाम	स्वामित्व हिस्सेदारी	
	31.03.2022	31.03.2021
1. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल)	26%	26%
2. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल)	26%	26%
3. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) (सीएपी : 50 करोड़ रुपए)	13%	13%
4. बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएपीएल) (सीएपी : 50 करोड़ रुपए)	13%	13%
5. नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लि., गोंदिया, (एनएफटीआईपीएल)	46%	46%
6. मिहान इंडिया लिमिटेड, नागपुर	49%	49%
7. कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (केआईएएल) (सीएपी : 100 करोड़ रुपए)	7.47%	7.47%
8. भारतीय विमानन अकादमी	स्वायत्त निकाय	
9. डीजी यात्रा फाउंडेशन	26%	26%

ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- श्री अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष – 07.04.2021 तक अतिरिक्त प्रभार पर
- श्री संजीव कुमार, आई.ए.एस. 07.04.2021 से प्रभावी
- श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मानव संसाधन) 22.04.2021 तक
- श्री आई. एन. मूर्ति, सदस्य (संचालन) 22.11.2021 तक
- श्री ए. के. पाठक, सदस्य (योजना)
- श्री के. विनायक राव, सदस्य (वित्त)
- श्री एम. सुरेश, सदस्य (एएनएस) – 02.09.2021 से प्रभावी
- श्री धर्मेंद्र भोजवानी, कार्यपालक निदेशक (वित्त)
- श्री एस. एन. बोरकर, कार्यपालक निदेशक (पीएमक्यूए/सीए)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

iii) संबंधित पार्टियों से लेन–देन के विवरण :

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
जेवीसी से वार्षिक शुल्क :		
डायल	-	446.21
मायल	**1,027.67**	26.92
इक्विटी शेयर धारिता में जोड़ा गया		
धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	-	-
देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	-	-
धलभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	-	-
लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	-	2.55
प्रचालन समर्थन लागत / सेवानिवृत्त मुआवजा प्राप्ति :		
डायल	-	-
मायल	-	-
अन्य प्राप्तियां :		
डायल	-	-
मायल	-	-
प्राप्त लाभांश		
जीएचआईएएल	-	-
एएआईसीएलएएस	**72.25**	27.70
सीएचआईएएल	**14.83**	-
प्राप्य/देय राशि :		
ए. डायल	-	4.60
बी. मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)		
प्राप्य प्रचालन समर्थन लागत	**3.89**	4.83
देय राशि		
सी. चायल		
प्राप्य राशि	**1.84**	1.40
डी. एएआईसीएलएएससीएल	**49.96**	53.07
देय राशि	**111.37**	77.21
प्राप्य राशि		
डी एनएफटीआईपीएल	**20.23**	20.74
प्राप्य राशि		
समापन तिथि पर निवेश के लिए अग्रिम राशि		
मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)	**86.72**	86.72
ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट	-	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक	**3.95**	3.89

iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो प्रचालन का निगमीकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 14.03.2016 को आयोजित अपनी 168वीं बैठक में मद सं. 168.6 की विषयसूची में अनुमोदन अनुसार कार्गो एवं सहायक सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक एवं एलाइड सर्विसेस कंपनी लि. (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की स्थापना 11 अगस्त, 2016 को की गई।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कार्गो खंड से संबंधित कुछ राजस्व प्राप्त होना जारी है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान कर्मचारी लागत और अन्य प्रचालन व्यय के संबंध में कार्गो खंड पर व्यय किया गया है, इसलिए 31.03.2022 तक एआईआईसीएलएएससीएल से देय/प्राप्त करने योग्य के रूप में इसका हिसाब 31.03.2022 को बही खातों में दिखाया गया है।

इस संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

(करोड़ रु. में)

(I) 31.03.2022 तक एएआईसीएलएएस को देय राशि	49.96
(II) 31.03.2022 तक एएआईसीएलएएस से प्राप्य राशि	111.37
(III) 31.03.2022 तक एएआईसीएलएएस से प्राप्य राशि	61.41

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कार्गो खण्ड परिसंपत्तियां, जो 2021–22 से संबंधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बहियों में दिखाई दे रही हैं, उन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, हस्तांतरण के माध्यम से एएआईसीएलएएससीएल बहियों में स्थानांतरित कर दिया गया है और वही एएआईसीएलएएससीएल से प्राप्य हैं।

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2022 तक (करोड़ रुपए में)
कार्गो खण्ड परिसंपत्तियों का सकल ब्लॉक (2021–22)	22.82
01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास	0.60
कार्गो खण्ड परिसंपत्ति का निवल ब्लॉक	22.22

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार खाता बहियों में 22.22 करोड़ रुपए की राशि को एएआईसीएलएएस से प्राप्ति योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।

v) एएआईसीएलएएस कंपनी लिमिटेड से रियायत शुल्क

एएआईसीएलएएस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ने 07/03/2019 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक की कार्यसूची की मद संख्या : 20.20 द्वारा कार्गो व्यापार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एएआईसीएलएएस कंपनी लिमिटेड को दिए गए अधिकारों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस रियायत की अवधि 30 वर्ष होगी और एएआईसीएलएएस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वास्तविक सकल राजस्व का 30 प्रतिशत की दर से रियायत शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

तदनुसार एएआईसीएलएएस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपने वार्षिक खातों में वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित एएआईसीएलएएस लिमिटेड से रियायत शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली 134.99 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है।

36. राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा शुल्क ट्रस्ट का गठन

एमओसीए पत्र संख्या : एवी.13024/659/2015–एएस दिनांक 29/06/2019 के अनुसार, विमानन सुरक्षा शुल्क को संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए ''राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा शुल्क निधि'' (एनएएसएफटी) के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। उक्त ट्रस्ट को 01.07.2019 से विमानन सुरक्षा शुल्क के संग्रह के साथ–साथ सभी हवाई अड्डा संचालकों (भा. वि. प्रा. और अन्य हवाई अड्डे के संचालक) के संबंध में अखिल भारत आधार पर विमानन सुरक्षा व्ययों से संबंधित भुगतान की भूमिका सौंपी गई है।

तदनुसार, एनएएसएफटी के न्यास विलेख को 29.06.2019 को पंजीकृत किया गया है और एमओसीए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को एनएएसएफटी के न्यासी बोर्ड के पदेन अधिकारी के रूप में लिया गया है।

हवाई अड्डे के संचालकों के लिए एसओपी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के बिलों की लागत का एनएएसएफटी द्वारा सीधे 01.07.2019 से प्रभावी रूप से निपटान किया जाएगा, सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित अन्य सुरक्षा व्यय जैसे कि चिकित्सा, आवास किराए पर लेना, वाहन किराए पर लेना, आदि के लिए शुरू में हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा खर्च किया जाएगा और बाद में एनएएसएफटी से उनके दावे की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भा. वि. प्रा. द्वारा ट्रस्ट गतिविधियों के संचालन पर व्यय के लिए एनएएसएफटी पर 2.54 करोड़ रुपए (2.15 करोड़ रुपए + जीएसटी 0.39 करोड़ रुपए) का दावा भी किया गया है।

इस संबंध में, 31.03.2022 को एनएएसएफटी से 77.76 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी और इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 के खाते में एनएएसएफटी से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

इसी तरह, 31.03.2022 को एनएएसएफटी को 75.20 करोड़ रुपए की राशि देय है और इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 के खाते में एनएएसएफटी को देय के रूप में दिखाया गया है।

37. ''पट्टे'' पर लेखांकन मानक - 19 के तहत प्रकटीकरण

(ए) दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) का ओएमडीए

(i) ओएमडीए के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात् 03.05.2006 के अनुसार आईजीआई, नई दिल्ली और सीएसआई, मुंबई की मौजूदा अचल परिसंपत्तियों को डायल और मायल को ''जैसा है जहां है'' आधार पर पट्टे पर दिया गया है। ये परिसंपत्तियां प्रमुख अचल परिसम्पत्तियां शीर्ष के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बहियों में दर्शाई जा रही हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

(ii) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, विकास की प्रक्रिया के रूप में डायल और मायल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कुछ अचल परिसंपत्तियों को नष्ट किया / निपटान किया गया है। इसकी आय भारतीय विमान प्राधिकरण को अंतरित कर दी गई है और तदनुसार लेखा में ली गई है।

(करोड़ रु. में)

हवाई अड्डे	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ
डायल	202.91	202.91	शून्य	26.22
मायल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) अग्रिम शुल्क–दिल्ली और मुंबई स्थित हवाई अड्डों को पट्टे पर देते समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को डायल और मायल प्रत्येक से 150 करोड़ रुपए अग्रिम शुल्क के रूप में प्राप्त हुए थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना और इसे 30 वर्षों की पूरे पट्टे की अवधि में बांटा है। इस खाते पर 31.03.2022 को कुल असमायोजित राशि 139.24 करोड़ रुपए की है।

(iv) डायल और मायल द्वारा भुगतान किया गया वार्षिक शुल्क :

<u>डायल और मायल द्वारा अप्रत्याशित घटना खंड का अवलम्बन</u>

डायल और मायल ने ओएमडीए के अपरिहार्य प्रावधानों का सहारा लिया है और वार्षिक शुल्क के भुगतान से राहत के लिए भा. वि. प्रा. से अनुरोध किया है। भा. वि. प्रा. ने मासिक वार्षिक शुल्क के भुगतान के लिए अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 3 माह के लिए इस शर्त के साथ राहत दी कि अप्रैल 2020 से जून 2020 तक एमएएफ का भुगतान 15 जुलाई, 2020 तक किया जाना है और जुलाई 2020 से एमएएफ का भुगतान नियमित रूप से किया जाना है।

<u>मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) की स्थिति</u>

मायल ने 3 माह के लिए स्थगन का लाभ उठाया और जुलाई 2020 के माह के लिए 26.91 करोड़ रुपए के मासिक वार्षिक शुल्क को भा. वि. प्रा. द्वारा की गई मांग के आधार पर एस्क्रो बैंकर– मैसर्स एसबीआई द्वारा अंतरित किया गया। मायल ने भा. वि. प्रा. को एस्क्रो खाते से धन निकालने से रोकने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2020 के अपने आदेश के अन्तर्गत भा. वि. प्रा. को उक्त राशि को भा. वि. प्रा. शुल्क खाते में अंतरित करने, या उसमें जमा करने से रोक दिया और मायल को कार्यवाही खाते में पड़ी राशि का उपयोग करने की अनुमति दी ताकि ओएमडीए के तहत अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआई हवाईअड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित और अन्य दायित्वों से जुड़े हुए अपने खर्चों को पूरा किया जा सके। आदेश की तारीख यानी 27.11.2020 से मायल द्वारा प्राप्त वास्तविक राजस्व का 38.7 प्रतिशत भी आय खाते में जमा रहेगा और भा. वि. प्रा. को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है। भा. वि. प्रा. ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 14.01.2021 के अन्तर्गत निर्देश दिया है कि मायल एसबीआई के साथ एक अलग ब्याज वाले खाते/ सावधि जमा में 153 करोड़ रुपए की शेष राशि बनाए रखेगा ताकि आदेश दिनांक 27.11.2020, अर्थात् अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 (जुलाई 2020 के माह के लिए भा. वि. प्रा. को हस्तांतरित राशि को छोड़कर और वित्तीय वर्ष 19–20 में मायल द्वारा भुगतान की गई कथित अतिरिक्त राशि के समायोजन के बिना) के पारित होने से पहले की अवधि के लिए कथित रूप से लंबित वार्षिक शुल्क के संबंध में मायल के खिलाफ भा. वि. प्रा. के किसी भी कथित दावे को सुरक्षित किया जा सके। यह ओएमडीए के तहत नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा सुलह और सत्यापन के अधीन है, जिसमें भुगतान की गई कथित अधिक राशि शामिल है। यह भी निर्देश दिया गया कि मायल द्वारा प्राप्त वास्तविक राजस्व का 38.7 प्रतिशत, आदेश की तिथि, अर्थात् 27.11.2020 से, आय खाते में जमा रहेगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत अंतरिम आवेदनों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने तक यह निर्देश जारी रहेगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने धारा 17 के तहत आवेदनों का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्देश को तब तक बरकरार रखा जब तक कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा मामले का निपटारा नहीं हो जाता।

मायल और भा. वि. प्रा. दोनों ने 13.12.2021 को भा. वि. प्रा. बोर्ड (26.11.2021 को आयोजित 204वीं बैठक) के अनुमोदन के साथ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष एक संयुक्त आवेदन दायर किया, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दिनांक 28.06.2021 के आदेश में संशोधन की मांग की गई। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश सं. 29 दिनांक 22.12.2021 में संशोधन जारी किया। मायल और भा. वि. प्रा. ने संयुक्त रूप से दैनिक आधार पर आय खाते में प्राप्त वास्तविक राजस्व के

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

आधार पर राजस्व के बंटवारे हेतु एक अंतरिम व्यवस्था की। माननीय ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार भा. वि. प्रा. ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान नकद आधार पर वार्षिक शुल्क के लिए मायल से 1,027.67 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, जो मध्यस्थता के अंतिम परिणाम और एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापन के अधीन है। प्राप्त राशि का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	भा. वि. प्रा. शुल्क (26.11.2020 तक)	**153.00**
2	भा. वि. प्रा. शुल्क (27.11.2020 से 21.12.2021)	**630.30**
3	भा. वि. प्रा. शुल्क (22.12.2021 से 31.03.2022 तक)	**244.37**
	31.03.2022 तक प्राप्त कुल एमएएफ	**1027.67**
4	सावधि जमा के रूप में रखे गए 153 करोड़ रुपए पर ब्याज (माननीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार)	**4.17**

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मायल के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सकल राजस्व, मासिक वार्षिक शुल्क (एमएएफ) देय और वास्तविक प्राप्त एमएएफ निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	मायल के वार्षिक लेखा के अनुसार		वास्तविक एमएएफ प्राप्त हुआ		प्राप्य शेष
	सकल राजस्व	एमएएफ देय	2020 – 2021	2021- 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					[(3)-(4)-(5)]
2020 – 2021	1,826.64	627.18	26.92	379.50	220.76
2021 – 2022	2,144.11	722.38	शून्य	648.17	74.21
कुल	**3,970.75**	**1,349.56**	**26.92**	**1,027.67**	**294.97**

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) की स्थिति

डायल अधिस्थगन का लाभ नहीं उठा सका और दिसंबर 2020 तक वार्षिक शुल्क का भुगतान कर चुका है। इसके बाद डायल ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत भा. वि. प्रा. को एस्क्रो खाते से धन निकालने से रोकने के लिए याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05/01/2021 के आदेश के अन्तर्गत निर्देश दिया है कि आय खाते से भा. वि. प्रा. शुल्क खाते में धन के अंतरण पर अगले आदेशों तक रोक लगी रहेगी। डायल आईजीआई हवाई अड्डे और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों के संचालन के लिए आय खाते में निहित राशि का उपयोग करने हेतु हकदार होगा। भा. वि. प्रा. ने एकल न्यायाधीश के 06.02. 2021 के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 37 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है।

मार्च/अप्रैल, 2022 के माह में, डायल और भा. वि. प्रा. ने अप्रैल 2022 से भा. वि. प्रा. को डायल द्वारा एएफ के भुगतान की अंतरिम व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक निपटान समझौते को निष्पादित करने हेतु पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लंबित है। डायल और भा. वि. प्रा. दोनों ने याचिका और अपील को वापस लेने की अनुमति के लिए क्रमशः दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, क्योंकि दोनों मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित परिणाम के संबंध में अंतरिम व्यवस्था के लिए समझौता कर चुके हैं और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः मई 2022 और अप्रैल 2022 के माह में इसकी अनुमति दी गई थी। निपटान समझौते के नियमों और शर्तों में से एक शर्त यह थी कि पार्टियां इस हेतु सहमत थीं कि अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए डायल के अनुमानित राजस्व का 45.99 प्रतिशत एएफ ओएमडीए और एस्क्रो समझौते के अनुसार आय खाते से भा. वि. प्रा. के शुल्क खाते में जमा किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए डायल के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार सकल राजस्व, मासिक वार्षिक शुल्क (एमएएफ) बकाया और प्राप्त वास्तविक एमएएफ निम्नानुसार है :

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	डायल के वार्षिक लेखा के अनुसार		वास्तविक एमएएफ प्राप्त हुआ		प्राप्य शेष
	सकल राजस्व	एमएएफ देय	2020 – 2021	2021- 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					[(3)-(4)-(5)]
2020 – 2021	2,522.07	768.69	446.21	शून्य	322.48
2021 – 2022	3,057.34	989.59	शून्य	शून्य	989.59
कुल	**5,579.41**	**1,758.28**	**446.21**	**शून्य**	**1,312.07**

डायल ने जनवरी, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए मासिक वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

डायल और मायल दोनों द्वारा देय वार्षिक शुल्क ओएमडीए के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा समाधान और जारी मध्यस्थता कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

वित्तीय वर्ष 2021 – 2022 के दौरान डायल और मायल से वार्षिक शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को 'आकस्मिक देयता' के रूप में माना जा रहा है और डायल और मायल से प्राप्त होने वाली राशि को 'आकस्मिक परिसंपत्ति' के रूप में माना जा रहा है।

(v) भा. वि. प्रा. ने राज्य समर्थन समझौते की शर्तों के अनुसार 2022–23 के लिए भारत सरकार को प्रति (काउंटर) गारंटी शुल्क के रूप में 1.61 करोड़ रुपए (डायल और मायल प्रत्येक के लिए 0.805 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान किया है।

(vi) मायल के डीएफ के संबंध में, यह कहा गया है कि डीएफ–। खाते के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीएफ एस्क्रो खाते से 50.00 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई थी और इस एस्क्रो खाते के अंतर्गत शेष राशि 31.03.2022 को 1.75 करोड़ रुपए और 31.03.2022 को एफडीआर शेष राशि 67.31 करोड़ रुपए है।

(vii) डीएफ–।। खाते के अंतर्गत (मुंबई मेट्रो के विकास के कारण) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीएफ एस्क्रो खाते से 75.00 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई थी और एस्क्रो खाते के तहत उपलब्ध शेष राशि 31.03.2022 तक 73.40 लाख रुपए है। 31.03.2022 को एफडीआर की शेष राशि 23.00 करोड़ रुपए है।

(बी) डायल और मायल के साथ मध्यस्थता के मामले

(I) पिछले वर्षों में भुगतान किए गए अतिरिक्त वार्षिक शुल्क के लिए डायल और मायल का ब्याज सहित दावा :

(ए) डायल ने डायल और भा. वि. प्रा. के बीच दिनांक 04.04.2006 के प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौते ("ओएमडीए") के अंतर्गत एक विवाद उठाया है, जिसके अनुसार दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित संचालन, प्रबंधन और सभी सहायक कार्यों को डायल को सौंप दिया गया था। ओएमडीए के खंड 11.2 के अनुसार, डायल को अपने वर्ष भर के राजस्व का 45.99 प्रतिशत वार्षिक शुल्क के रूप में भा. वि. प्रा. को भुगतान करना आवश्यक है।

(बी) वर्ष 2006–2016 की अवधि हेतु, भा. वि. प्रा. और डायल के बीच यह आम समझ थी कि डायल को लाभ–हानि लेखे में मान्य अपने राजस्व का 45.99 प्रतिशत वार्षिक शुल्क के रूप में भुगतान करना आवश्यक था। दिसंबर 2016 में, डायल ने पहली बार भा. वि. प्रा. को सूचित किया कि एक ''गलती'' के कारण, पिछले वर्षों में अतिरिक्त वार्षिक शुल्क का भुगतान किया गया था। डायल ने तदनुसार ऐसी राशियों की वापसी का दावा किया। वर्ष 2018 में, डायल ने ओएमडीए के अंतर्गत मध्यस्थता का आह्वान किया जब उसका दावा भा.वि. प्रा. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(सी) डायल का दावा है कि उसने वार्षिक शुल्क के रूप में 6,663.26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा उसके द्वारा उस भुगतान की गई अतिरिक्त कथित राशि पर ब्याज का दावा किया जा रहा है जो कि 31.03.2021 तक 6553.80 करोड़ रु. बनता है इसलिए कुल दावा लगभग 13217.06 करोड़ रुपए का है, जिसे 31.03.2021 को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा समझौते के अंतर्गत मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए, डायल द्वारा उठाए गए विवाद का न्यायनिर्णय करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।

डायल द्वारा उपरोक्त दावे को आगे बढ़ाते हुए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (''मायल''), जो मुंबई हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही है, जिसने 05.01.2019 को जारी नोटिस के माध्यम से इसी तरह का दावा किया है। दिनांक 31.03.2021 तक दावे की

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

राशि 3,582.90 करोड़ रुपए और लागू ब्याज 12561. 65 करोड़ रुपए बनता है। इसलिए कुल दावा लगभग 16,144.55 करोड़ रुपए का था। 31.03.2021 को और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था। विवाद को उसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास भेजा गया था जिसके पास डायल के खिलाफ विवाद रखा गया था। दोनों मामलों में अंतिम कार्यवाही अगस्त 2021 में हुई थी।

(डी) उपरोक्त मध्यस्थता कार्यवाही में बहस समाप्त हो चुकी हैं और मध्यस्थ निर्णय (2: 1 के बहुमत से जहां पीठासीन मध्यस्थ ने असहमति निर्णय दिया है) घोषित किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया, मध्यस्थ निर्णय डायल और मायल द्वारा किए गए दावों से अलग है और इसकी राशि निर्धारित नहीं की गई है। मध्यस्थ निर्णय में कहा गया है कि एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक मध्यस्थ निर्णय में दिए गए निर्णयों के अनुसार दावों पर काम करेगा।

(ई) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए डायल के संबंध में 13217.06 करोड़ रुपए की राशि और मायल के संबंध में 31.03.2021 को 16144.55 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयताओं को खातों की बहियों में दिखाया जा रहा था, जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में वापस ले लिया गया है।

(II) डायल और मायल द्वारा कस्टम ड्यूटी स्क्रिप (एमईआईएस) का उपयोग :

डायल और मायल द्वारा कस्टम ड्यूटी स्क्रिप्स (एसएफआईएस) के उपयोग से संबंधित मामलों में मध्यस्थ निर्णय डायल/मायल के पक्ष में सुनाया गया है। भा. वि. प्रा. ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई 07.07.2022 को होनी है।

(III) 4.17 एकड़ भूमि के अंतिम उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाना

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि 4.17 एकड़ का भूमि खंड पट्टांतरित परिसरों का एक हिस्सा है न कि छोड़ी हुई परिसंपत्ति। भा. वि. प्रा. ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मामले को 23.08.2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(IV) मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण

मायल ने विवाद का नोटिस जारी किया था क्योंकि होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण का मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं सुलझाया जा सका था।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत की राय से गैर–मध्यस्थ के रूप में मायल द्वारा वरीयता प्राप्त दावे को खारिज कर दिया था। मायल ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी।

दिल्ली के उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा बहुमत के फैसले को रद्द कर दिया।

भा. वि. प्रा. ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है। अगली सुनवाई 25.07.2022 को निर्धारित की गई है।

मायल ने विवाद का नोटिस भी जारी किया था क्योंकि सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के साथ मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण का मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सका था। विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण में भेजा गया है। अंतिम बहस के लिए मामले की कार्यवाही 22, 23 और 25 जुलाई, 2022 को आयोजित की जानी है।

(सी) एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में बीआईएएल में भा. वि. प्रा. द्वारा धारित शेयरों को गिरवी रखना

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) ने अपने दिनांक 23.10.2019 के पत्र द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बैंगलुरु में टर्मिनल –2 और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु कंसोर्शियम उधारदाताओं (एसबीआई, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और आंध्रा बैंक) से 10,206 करोड़ रुपए का सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए भा. वि. प्रा. द्वारा शेयर गिरवी रखने के समझौते के निष्पादन का अनुरोध किया था। इस 10206 करोड़ रुपए के नए ऋण की अवधि बीआईएएल के मौजूदा ऋणों की सीमा अवधि के समान होगी, जिसकी अंतिम किस्त 30.09.2033 को देय होगी।

भा. वि. प्रा. के पास केवल 50 करोड़ रुपए के अधिकतम पूंजी निवेश के साथ केवल 50 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ, 10 रुपए प्रति शेयर की दर से 5,49,97,800 इक्विटी शेयर हैं।

भा. वि. प्रा. ने बीआईएएल में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए एक शेयर गिरवी समझौता किया है और सुरक्षा ट्रस्टी, अर्थात् एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में शेष 49 प्रतिशत शेयरों का निपटान न करने के संबंध में एक वचन भी दिया है जिसे 24.08.2018 को आयोजित 183वीं बैठक में भा. वि. प्रा. बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

था। ऋण का 50 प्रतिशत चुकाने के बाद शेयर गिरवी 26 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।

(डी) राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (एनएफटीआई), गोंदिया को दी गई रियायतें

भा. वि. प्रा. बोर्ड ने 26 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी 187 वीं बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (एनएफटीआई), गोंदिया के संचालन को बनाए रखने के लिए भा. वि. प्रा. द्वारा 2019–2020 और 2023–2024 से 05 वर्षों की अवधि के लिए रियायतों की स्वीकृति प्रदान की थी। एनएफटीआई द्वारा योजना अवधि के दौरान व्यापार योजना के मापदंडों का सावधानीपूर्वक पालन करने और मैसर्स सीएई, संयुक्त उद्यम भागीदार, एनएफटीआई के संचालन को बनाए रखने हेतु प्रस्तावित रियायतों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के अधीन, रियायतें अनुमोदित की गईं।

एनएफटीआई ने कहा है कि सीएई ने सभी रियायतों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि एनएफटीआई द्वारा पहले की सभी बकाया राशियों को 34.67 करोड़ रुपए (चौंतीस करोड़ सड़सठ लाख रुपए मात्र) दीर्घावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है; तथा

भा. वि. प्रा. ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मंडल द्वारा अनुमोदित रियायत पर भी कार्रवाई की है, सिवाय ''31.12.2018 तक सभी पूर्व बकाया राशियों के रूपांतरण को छोड़कर। यह राशि 15.93 करोड़ रुपए की है जो दीर्घावधि ऋण में आती है।

(ई) वर्ष 2021-22 के दौरान सीएचआईएएल से 14.83 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है।

(एफ) डायल और मायल से वार्षिक शुल्क पर सेवा कर

''सेवा कर विभाग ने भा. वि. प्रा. को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें डायल और मायल द्वारा देय वार्षिक शुल्क पर 2031.68 करोड़ रुपए की राशि के सेवा कर और डायल और मायल द्वारा भा. वि. प्रा. को अग्रिम शुल्क का भुगतान करने की मांग की गई थी। यह मांग 03.05.2006 से 31.03.2016 की अवधि के लिए की गई थी। इसके अलावा, भा. वि. प्रा. को अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए 30.04.2019 को 728.32 करोड़ रुपए के लिए कारण बताओ नोटिस सह मांग प्राप्त हुई। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में डायल और मायल द्वारा दायर लिखित याचिकाओं पर 14.02.2017 को निर्णय पारित किया कि भा. वि. प्रा. को दोनों पक्षों द्वारा देय वार्षिक शुल्क और अग्रिम शुल्क की राशि ''फ्रैंचाइजी'' का गठन नहीं करता है और इसलिए याचिकाकर्ताओं और भा. वि. प्रा. के बीच यह लेनदेन कर योग्य सेवा नहीं मानी जाती है।

परिणामस्वरूप, भा. वि. प्रा. ने जून 2007 से फरवरी 2008 की अवधि के लिए मासिक वार्षिक शुल्क पर जमा किए गए 57.77 करोड़ रु. के सेवा कर के रिफंड दावे को 21.03.2018 को पुनः प्रस्तुत किया जो सेवा कर विभाग के पास लंबित है। सहायक आयुक्त द्वारा 16.07.2020 को इस आधार पर 57.77 करोड़ रु. के रिफंड आवेदन के खिलाफ 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है, कि क्या भा. वि. प्रा. रिफंड के लिए हकदार है या यह अन्यायपूर्ण संवर्धन माना जाता है, जिससे बचाव में कुछ दस्तावेज जमा करने की मांग की जाती है कि दावे को क्यों नहीं अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, विषय रिफंड के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज डायल और मायल से प्राप्त किए गए हैं और भा. वि. प्रा. जारी किए गए एससीएन के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

इसके साथ ही, भा. वि. प्रा. ने माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष 2006 से 2014 की अवधि के लिए 1,407.25 करोड़ रुपए की राशि की मांग और उसके अधिनिर्णय के खिलाफ अपील दायर की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, माननीय सीईएएसटीएटी ने 2006 से 2014 की अवधि के लिए सेवा कर आयुक्त के अधिनिर्णय आदेश को रद्द कर दिया है। सेवा कर आयुक्त ने अभी तक 2014–15 से 2016–17 और अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि के लिए मांग का न्यायनिर्णयन नहीं किया है।

(जी) भा. वि. प्रा. के साथ किए गए ओएमडीए के अंतर्गत डायल और मायल द्वारा लागू अप्रत्याशित घटनाओं के प्रावधानों के अनुसार लेखा बहियों में मासिक वार्षिक शुल्क (एमएएफ) के साथ - साथ आय की गणना के संबंध में लेखांकन व्यवहार

भा. वि. प्रा. ने मेसर्स वेद जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भा. वि. प्रा. के साथ ओएमडीए के तहत डायल और मायल द्वारा लागू अप्रत्याशित घटनाओं के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन व्यवहार के साथ–साथ आय की गणना पर विशेषज्ञ राय रखने के लिए नियुक्त किया है।

सलाहकार ने सभी संगत दस्तावेजों, संगत लेखा मानकों के प्रावधानों और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित राय दी है :

I. <u>डायल/मायल के एमएएफ के संबंध में लेखांकन उपचार</u>

ए) मायल के संबंध में, एमएएफ जो भा. वि. प्रा. द्वारा लेखा बहियों में राजस्व के रूप में लेने के लिए प्राप्त किया गया है क्योंकि आभासी निश्चितता विद्यमान है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

बी) डायल के संबंध में, राजस्व मान्यता को तब तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जब तक कि ऐसी राशि प्राप्त नहीं हो जाती है और यह वस्तुतः निश्चित हो जाता है कि राजस्व का कोई रिवर्सल नहीं हो सकता है।

सी) वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु लेखा बहियों में राजस्व के रूप में दर्ज विवादित एमएएफ को ''आकस्मिक देयता'' के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है और विवादित एमएएफ की राशि को लेखा बहियों में वित्तीय वर्ष 2020–21 के राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021–22 में आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जा सकता है।

II. <u>आयकर संगणना / व्यवहार</u>

ए) लेखा बहियों में एमएएफ से संबंधित राजस्व आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य हो सकता है।

बी) लेखा बहियों में राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किए गए एमएएफ के संबंध में किसी समय विशेष पर कर योग्य नहीं हो सकता है।

सलाहकार की उपरोक्त राय पर विचार किया गया है और भा. वि. प्रा. ने राय को स्वीकार किया है। एमएएफ, आयकर गणना, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्ति के प्रकटीकरण से संबंधित लेखांकन उपचार तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भा. वि. प्रा. के वार्षिक खातों में दिया/प्रकट किया गया है।

(बी) सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाई अड्डे

i. भा. वि. प्रा. ने 50 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से क्रमशः तीन हवाई अड्डों अर्थात् गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 19.01.2021 को रियायतग्राही अर्थात् मेसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मेसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मेसर्स टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ तीन अलग–अलग रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) क्रमशः 08.10.2021, 11.10.2021 और 14.10.2021 थी।

ii. सीए के अनुसार, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान भा. वि. प्रा. को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से लागू प्रति यात्री आधार पर मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करेगा और इसे सीपीआई (आईडब्ल्यू) में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सीओडी की प्रत्येक वर्षगांठ पर वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। लागू शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु. में)

हवाई अड्डे	प्रति यात्री शुल्क (रु. में)		सीओडी के एक वर्ष के बाद संशोधित प्रति यात्री शुल्क (रु. में)		
	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू	अंतरराष्ट्रीय
मैंगलुरु	115.00	230.00	119.30	238.60	31.10.21 से प्रभावी
लखनऊ	171.00	342.00	177.57	355.14	02.11.21 से प्रभावी
अहमदाबाद	177.00	354.00	183.80	367.60	07.11.21 से प्रभावी
जयपुर	174.00	348.00	---	---	सीओडी का एक वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है
गुवाहाटी	160.00	360.00	---	---	
तिरुवनंतपुरम	168.00	336.00	---	---	

iii. सीए के खंड 28.11/28.12 के अनुसार, रियायतग्राही भा. वि. प्रा. को सीओडी के अनुसार वैमानिकी संपत्तियों में भा. वि. प्रा. द्वारा किए गए निवेश के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और नियामक द्वारा विनियामक परिसंपत्ति आधार के हिस्से के रूप में माना जाता है, इस तरह के निवेश की मात्रा के नियमित रूप से अपेक्षित सामंजस्य, ट्रू–अप और अंतिम निर्धारण के अधीन (''डीम्ड इनिशियल आरएबी'') है। भा. वि. प्रा. को गैर–वैमानिकी संपत्तियों अर्थात् प्रारंभिक गैर–वैमानिकी निवेश के विकास के लिए सीओडी के रूप में हवाई अड्डों में गैर–वैमानिक परिसंपत्तियों में भा. वि. प्रा. द्वारा किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यह्रास मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए रियायतग्राही भी उत्तरदायी होगा।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

iv. सीए के अनुसार रियायत पाने वालों को सीओडी के 90 दिनों के अंदर 31.03.2018 को अनुमानित मान्य प्रारंभिक आरएबी/अनुमानित प्रारंभिक गैर–वैमानिकी निवेश को प्राधिकरण को भुगतान करना आवश्यक है। 03 हवाई अड्डों पर अनुमानित मान्य प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति बेस (आरएबी)/अनुमानित प्रारंभिक गैर–वैमानिकी निवेश और प्राप्त भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :

हवाई अड्डे	अनुमानित मान्य प्रारंभिक आरएबी (रुपए में)	अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश (रुपए में)	कुल (रुपए में)	रियायतग्राही द्वारा भुगतान की तिथि
जयपुर	2,53,00,00,000	2,56,00,000	2,55,56,00,000	07.01.2022
गुवाहाटी	69,00,00,000	12,71,00,000	81,71,00,000	06.01.2022
तिरुवनंतपुरम	4,24,00,00,000	7,15,00,000	4,31,15,00,000	12.01.2022
कुल	**7,46,00,00,000**	**22,42,00,000**	**7,68,42,00,000**	

v. सीए के खंड 6.4.5 के अनुसार, रियायतग्राही प्राधिकरण को सीओडी के अनुसार पूंजीगत कार्य – प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रियायतग्राही से प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी की राशि इस प्रकार है :

हवाई अड्डे	सीडब्ल्यूआईपी छोड़ कर जीएसटी (रुपए में)	टिप्पणियां
मंगलौर	1,43,49,86,410.84	27.08.2021 को प्राप्त किया गया
लखनऊ	4,19,17,12,979.88	27.08.2021 को प्राप्त किया गया
अहमदाबाद	36,62,56,341.12	04.08.2021 को प्राप्त किया गया
जयपुर	15,55,52,756.00	03.03.2022 को प्राप्त किया गया
तिरुवनंतपुरम	68,53,626.50 4,58,234.44 ---------- 73,11,860.94	03.03.2022 को प्राप्त किया गया 31.03.2022 को बकाया। 04.06.2022 को प्राप्त किया गया
गुवाहाटी	349,02,39,547.90	31.03.2022 को बकाया। 02-04-2022 को प्राप्त किया गया
कुल (क)	**6,15,53,62,114.34**	**वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान छूट पाने वालों से प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी राशि**
कुल (ख)	**349,06,97,782.34**	**31.03.2022 तक रियायतग्राही से सीडब्ल्यूआईपी राशि लंबित है**
कुल योग (क+ख)	**964,60,59,896.68**	

vi. उपरोक्त भुगतानों के अलावा, भा. वि. प्रा. ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के संबंध में मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर 72,43,80,414 रु. के पूंजीगत अग्रिम से संबंधित दावा भी किया है और यह 02.04.2022 को प्राप्त हुआ था।

vii. लेखा 2021–22 में 'पट्टों' (सार्वजनिक निजी भागीदारी हवाई अड्डों) पर लेखा मानक – 19 के तहत प्रकटीकरण : सीए के खंड 28.11/28.12 के अनुसार, रियायतग्राही सीओडी के रूप में भा. वि. प्रा. द्वारा वैमानिकी परिसंपत्तियों में किए गए निवेश के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इसे विनियामक द्वारा विनियामक परिसंपत्ति आधार के हिस्से के रूप में माना जाता है, इस तरह के निवेश की राशि के नियामक द्वारा अपेक्षित सामंजस्य, ट्रू–अप और अंतिम निर्धारण के अधीन ("डीम्ड इनिशियल आरएबी") होगी। रियायतग्राही भी भा. वि. प्रा. को भा. वि. प्रा. द्वारा हवाईअड्डे में गैर–वैमानिकी परिसंपत्तियों में किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यह्रास मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि गैर–वैमानिकी परिसंपत्तियों अर्थात् प्रारंभिक गैर–वैमानिकी निवेश के विकास के लिए सीओडी के रूप में है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

तदनुसार, भा. वि. प्रा. ने मान्य प्रारंभिक आरएबी के निम्नलिखित प्रस्ताव को नियामक (एईआरए) को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है : –

क्र.सं.	विवरण	हवाई अड्डे		
		मैंगलोर	लखनऊ	अहमदाबाद
01	सीओडी	31.10.2020	02.11.2020	07.11.2020
02	सीओडी पर डीम्ड प्रारंभिक आरएबी	129.13	186.38	301.32
03	सीओडी पर ट्रू अप का मूल्य	171.43	344.13	393.61
04	सीओडी के अनुसार एएनएस परिसंपत्तियां	1.93	4.70	1.80
05	सीओडी पर प्रारंभिक गैर–वैमानिकी निवेश	0.46	3.80	3.70
06	कुल (2+3+4+5)	302.95	539.01	700.43
07	एईआरए को अंतिम रूप से जमा करने की तिथि	03.07.2022	28.06.2022	22.06.2022

एक बार जब विनियामक (एरा) उपरोक्त हवाई अड्डों (मैंगलोर, लखनऊ और अहमदाबाद) के संबंध में मान्य इनिशियल रेगुलेटरी एसेट बेस निर्धारित करते हैं, तो प्रारंभिक गैर वैमानिकी निवेश की राशि स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) द्वारा निर्धारित की जाएगी और किसी भी अधिशेष या घाटे की राशि को संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित किया जा सकता है जो आईई द्वारा इस तरह के निर्धारण से 15 दिनों की समाप्ति के बाद रियायत समझौते के खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाता है। (खंड 28.12.2)।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में रियायतग्राही को सौंपे गए अन्य 3 पीपीपी हवाई अड्डों (त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और जयपुर) के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एरा को प्रस्तुत किया जाएगा।

(viii) आरएबी/डब्ल्यूआईपी संबंधी जीएसटी पर टिप्पणी

भा. वि. प्रा. ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (''रियायतग्राही'') के एसपीवी अर्थात मैसर्स अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मेसर्स लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मेसर्स मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मेसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मैसर्स टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 50 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए 06 (छह) हवाई अड्डों अर्थात् क्रमशः अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी के संचालन, प्रबंधन और विकास हेतु छः अलग–अलग रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस संबंध में, भा. वि. प्रा. ने 15.06.21 को एडवांस रूलिंग कमिश्नरी, गुजरात के लिए गुजरात प्राधिकरण के कार्यालय के साथ अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सीडब्ल्यूआईपी के हस्तांतरण, पुर्जों की लागत, स्टाफ लागत आदि पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संदर्भ में अग्रिम निर्णय के लिए एक आवेदन जमा किया था। गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने 02.09.2021 को इस संबंध में संदर्भ संख्या जीएएआर/एआर– 2021/एफ–04/बी–171/173 के माध्यम से एक आदेश पारित किया। गुजरात एएआर ने स्पष्ट किया है कि भा. वि. प्रा. और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किए गए समझौते के माध्यम से गठित एसपीवी को भा. वि. प्रा. से व्यापार का हस्तांतरण एक ''चालू संगठन के हस्तांतरण'' है। एएआर का मानना है कि इस सेवा को 28 जून, 2017, अर्थात् ''चालू संगठन के हस्तांतरण के माध्यम से सेवाएं'' की अधिसूचना संख्या 12/2017–सीटीआर की छूट प्रविष्टि क्रम संख्या 2 के तहत कवर की गई है। यह आगे माना जाता है कि चूंकि रियायत शुल्क एसपीवी द्वारा भा. वि. प्रा. को भुगतान किए गए कंसिडरेशन का एक हिस्सा है जिसे जीएसटी से छूट दी गई है, स्टाफ लागत और अन्य लागतों की प्रतिपूर्ति में भी जीएसटी से छूट दी गई है। भा. वि. प्रा. द्वारा एसपीवी को पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की प्रस्तावित आपूर्ति पर जीएसटी के संबंध में, यह टिप्पणी करता है कि ये आपूर्तियां संविदा के विस्तार से बाहर हैं और इसमें एक निर्णय की घोषणा करने से रोका जाता है, सिवाय इसके कि प्रस्तावित आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान किया जाना है।

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, भा. वि. प्रा. के 06 पीपीपी हवाई अड्डे मासिक रियायत शुल्क, मासिक चुनिंदा

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति, सीओडी के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की प्रतिपूर्ति, वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर वैमानिकी परिसंपत्तियों, नगरपालिका कर, संपत्ति कर और जल शुल्क के मूल्य की एक बार प्रतिपूर्ति पर जीएसटी के बिना चालान बना रहे हैं। इसके अलावा, गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) के विचारों के अनुसार, भा. वि. प्रा. अडानी समूह को पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति पर जीएसटी लगा रहा है।

इसी तरह, मैंगलुरू, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के 05 हवाई अड्डों के संबंधित एएआर से पहले अग्रिम नियम भी लागू किए गए हैं, जो सीओडी के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की प्रतिपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता, वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर वैमानिकी के मूल्य की एक बार प्रतिपूर्ति, भा. वि. प्रा. द्वारा रियायत पाने वालों को हस्तांतरित की जाने वाली परिसंपत्ति, पुर्जों की आपूर्ति और कर्मचारियों की लागत की खपत आदि की प्रतिपूर्ति के संबंध में हैं। आज की तिथि में मैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डों के संबंध में एडवांस रूलिंग के लिए प्राधिकरण द्वारा रूलिंग की घोषणा अभी की जानी है।

38. 3 पीपीपी हवाईअड्डों - तिरुवनंतपुरम, जयपुर, गुवाहाटी के रियायतग्राहियों को सौंपी गई परिसंपत्तियों/ सीडब्ल्यूआईपी संपत्तियों के संबंध में लेखांकन व्यवहार

i. भा. वि. प्रा. ने 50 वर्ष की पट्टा अवधि हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से तीन हवाई अड्डों अर्थात् गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 19.01.2021 को रियायतग्राही अर्थात् क्रमशः मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मेसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मेसर्स टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तीन अलग–अलग रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) क्रमशः 08.10. 2021, 11.10.2021 और 14.10.2021 थी।

ii. निष्पादित करारों के अनुसार, रियायतग्राहियों को भा. वि. प्रा. को निम्नलिखित का भुगतान करना होगा :–

ए) अनुमानित डीम्ड प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) -

वैमानिकी और गैर–वैमानिकी परिसंपत्तियों में 31.03. 2018 को प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यह्रासित मूल्य के लिए अग्रिम भुगतान।

बी) प्रगतिशील कार्य पर पूंजी

वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को कार्य प्रगति पर पूंजी के मूल्य से संबंधित अग्रिम भुगतान।

सी) मासिक रियायत शुल्क

समझौतों में निर्धारित दरों पर भा. वि. प्रा. को हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रवाह के संबंध में गणना किए गए मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करने के लिए।

iii. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भा. वि. प्रा. के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय, उपरोक्त पैरा में संदर्भित लेन देन के संबंध में लेखांकन प्रबंधन के संबंध में, भा. वि. प्रा. ने इस विषय पर विशेषज्ञ राय लेने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है।

iv. भा. वि. प्रा. अधिनियम, 1994 के प्रावधानों, भा. वि. प्रा. द्वारा प्रदान किए गए लेनदेन से संबंधित संगत रियायत समझौते, सूचना और स्पष्टीकरण, लेखा मानक–9 ''आय पहचान'', लेखा मानक – 19 ''पट्टा'', भारतीय लेखा मानक – 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' का विश्लेषण करने के बाद सलाहकार ने लेखांकन प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित राय व्यक्त की है :

ए) अनुमानित मान्य प्रारंभिक आरएबी के लिए भा. वि. प्रा. द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान को लीज अवधि के दौरान प्रचालन पट्टा आय के रूप में लेखा में डालना चाहिए। भा. वि. प्रा. की लेखों में परिसंपत्ति दिखाई देती रहेगी।

बी) रियायतग्राही से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के अनुसार जारी कार्यों के मूल्य के संबंध में भा. वि. प्रा. द्वारा प्राप्त की गई/ प्राप्त की जाने वाली राशि के संबंध में, अभी तक अर्जित राशि को एएस–19 के अनुसार पट्टा अवधि पर प्रचालन पट्टा आय के तौर पर गणना की जानी चाहिए।

इसके अलावा, जब भी रियायतग्राही सीडब्ल्यूआईपी परिसंपत्तियों को पूरा करने के बाद उपयोग में लाता है, भा. वि. प्रा. को सीओडी तक भा. वि. प्रा. द्वारा किए गए व्यय के साथ मूल्य का पूंजीकरण करना चाहिए और ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का दावा करना शुरू करना चाहिए।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

सी) मासिक रियायत शुल्क के संबंध में, राशि को एएस–19 के अनुसार 50 वर्षों की अवधि में प्राप्त होने वाले आकस्मिक किराए के रूप में माना जाना चाहिए और इसे मासिक आधार पर पट्टा किराया के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

v. सलाहकार की उपरोक्त सलाह पर विचार किया गया है और भा. वि. प्रा. ने सलाह को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार भा. वि. प्रा. द्वारा 31.03.2021 को अपनी लेखा बहियों में लेखा प्रबंध दिया गया है।

vi. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रियायतग्राहियों को सौंपे गए इन 3 पीपीपी हवाई अड्डों के संबंध में आरएबी/सीडब्ल्यूआईपी के लिए भा. वि. प्रा. को प्राप्त अग्रिम राशि और अर्जित मासिक रियायत शुल्क का विवरण भा.वि.प्रा. के लेखा बहियों में राजस्व/आस्थगित राजस्व के रूप में 31.03.2022 को उनका वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	राजस्व			आस्थगित राजस्व			कुल		
	तिरुवनंतपुरम	जयपुर	गुवाहाटी	तिरुवनंतपुरम	जयपुर	गुवाहाटी	तिरुवनंतपुरम	जयपुर	गुवाहाटी
आरएबी (वैमानिक)	3.93	2.39	0.66	420.07	250.61	68.34	424.00	253.00	69.00
आरएबी (गैर–वैमानिक)	0.07	0.02	0.12	7.08	2.54	12.59	7.15	2.56	12.71
सीडब्ल्यूआईपी	0.01	0.15	3.36	0.72	15.41	345.66	0.73	15.56	349.02
रियायत शुल्क	29.14	37.83	32.47	-	-	-	29.14	37.83	32.47

vii. 31.03.2022 को भा. वि. प्रा. बहियों में जारी परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी परिसंपत्तियों का विवरण जो रियायतग्राहियों को सौंप दिया गया है, निम्नानुसार हैं :–

(करोड़ रु. में)

हवाई अड्डा का नाम	परिसंपत्ति			सीडब्ल्यूआईपी परिसंपत्तियां
	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक	राशि
मैंगलोर	368.71	319.55	49.16	142.18
लखनऊ	411.49	311.36	100.13	401.99
अहमदाबाद	774.20	663.52	110.68	0.00
तिरुवनंतपुरम	888.74	686.76	201.98	0.56
जयपुर	775.74	454.13	321.61	15.56
गुवाहाटी	406.48	317.77	88.71	349.02

39. एयर इंडिया का कार्यनीतिक विनिवेश

ए) भा. वि. प्रा. ने 25.01.2022 को आयोजित अपनी 205वीं बोर्ड बैठक में 31.03.2021 को एयर इंडिया (एआई) द्वारा देय बकाया राशि का 50 प्रतिशत होने के नाते, 1009.39 करोड़ रुपए की राशि को माफ करने और बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दी। यह निर्णय नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 25.01.2022 के पत्र के अनुसार लिया गया था, जिसमें भा. वि. प्रा. को भारत सरकार के वित्तीय बोझ को तत्काल कम करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए एअर इंडिया के लंबित बकाया राशि का 50 प्रतिशत माफ करने और बट्टे खाते में डालने का निर्देश दिया गया। एअर इंडिया की बहियों में 31.03.2021 को भा. वि. प्रा. के यातायात बकाया (1949.60 करोड़ रुपए) और गैर–यातायात और अन्य बकाया राशि (373.74 करोड़ रुपए) की बकाया राशि 2,323.34 करोड़ रुपए थी, जिसे अतिरिक्त बिलिंग के लिए 312.74 करोड़ रुपए कम करने की आवश्यकता थी। भूमि/स्थान के किराए के खाते में और कार्गो राजस्व में 8.19 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। उपरोक्त प्रभावों को विचार में लेने के बाद निवल राशि 2018.79 करोड़ रुपए आती है, जिसका 50 प्रतिशत अर्थात् 1009.39 करोड़ रुपए है। जबकि, 17.99 करोड़ रुपए के टीडीएस पर विचार करने के बाद वित्तीय वर्ष

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

2021–22 के दौरान 991.40 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई/बट्टे खाते में डाल दी गई थी।

बी) एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के संबंध में, 31.03.2021 को 1.08 करोड़ रुपए की बकाया राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया था और इसलिए कोई छूट /बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

सी) उपरोक्त के कारण, वित्तीय वर्ष के दौरान एअर इंडिया से संबंधित प्रावधान को बट्टे खाते में डालने के लिए निम्नलिखित समायोजन किए गए :–

ए. एकमुश्त प्राप्त राशि के संबंध में – एआई से प्राप्त बकाया राशि के लिए कुल एकमुश्त भुगतान 1009.39 करोड़ रुपए (टीडीएस का निवल) है; 31.03.2021 तक 2018.79 करोड़ रुपए के कुल बकाया का 50 प्रतिशत है। इसे देखते हुए, 31.03.2020 तक की अवधि के लिए 836.48 करोड़ रुपए की राशि के लेखा की बहियों में बनाए गए संदिग्ध ऋणों के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान असाधारण मद में इसी क्रेडिट के साथ बट्टे खाते में डाला गया है।

बी. अप्राप्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में – एकमुश्त भुगतान के लिए 17.99 करोड़ रुपए की राशि के टीडीएस क्रेडिट पर विचार किया गया और शेष 991.40 करोड़ रुपए (1009.39 करोड़ रुपए में से 17.99 करोड रुपए कम किए गए) को अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021–22 के खातों में बट्टे खाते में डालने से संबंधित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

सी. एआई के गैर–यातायात बकाया की अतिरिक्त बिलिंग को वापस लेने के संबंध में – वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 303.16 करोड़ रुपए की राशि को पूर्व अवधि की आय में वापस कर दिया गया है और डेबिट किया गया है। साथ ही, 303.16 करोड़ रुपए की राशि के संदिग्ध ऋणों के लिए संबंधित प्रावधान को भी पूर्ववर्ती अवधि के राजस्व के अनुरूप क्रेडिट के साथ रिवर्स कर दिया गया है।

डी) भाविप्रा द्वारा लाभांश के भुगतान से छूट के लिए अनुरोध–

ए. डीआईपीएएम ने नागर विमानन मंत्रालय को संबोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में नुकसान के कारण भाविप्रा को लाभांश के भुगतान से छूट देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध और वित्तीय वर्ष 2021–22 में संभावित नुकसान के लिए भाविप्रा को अनिवार्य सीमा तक लाभांश के भुगतान से छूट देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध के साथ 'सैद्धांतिक' रूप से सहमति व्यक्त की गई है। संबंधित वित्तीय वर्षों की सीएमसीडीसी की बैठकों में विशिष्ट छूटों पर विचार किया जाएगा।

बी. भाविप्रा ने संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को संबोधित यूओ नोट संख्या–एएआई/एफएंडए/सीओएमपी/लाभांश छूट/2021–22/115 दिनांक 24.02.2022 में अनुरोध किया कि एएआई को (क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान 138.57 करोड़ रुपए, (ख) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए देय कुल लाभांश 671.70 रुपए और (ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए देय लाभांश में छूट दी जाए।

सी. इस संबंध में डीआईपीएएम के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। इसलिए, भाविप्रा ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखाओं में इस विषय पर डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार को देय लाभांश का लेखा–जोखा रखा है।

40. क्यूबेक, कनाडा और स्विस कोर्ट के उच्च कोर्ट की ओर से आईएटीए से भा. वि. प्रा. निधि की गार्निशमेंट द्वारा जब्ती

क्यूबेक, कनाडा के उच्च कोर्ट ने आईएटीए को दिनांक 24.11.2021 के एक पूर्व–पक्षीय आदेश दिया कि आईएटीए द्वारा रखी गई भा. वि. प्रा. के सभी निधियों को जब्त करने के लिए कार्य किया। इस मामले में अभियोगी मैसर्स देवास कंसोर्शियम था जिसमें भारतीय गणराज्य को प्रतिवादी बनाया गया था और भा. वि. प्रा. को ''मिस–एन–कॉज'' बनाया गया था। आदेश पर, भा. वि. प्रा. और आईएटीए द्वारा क्यूबेक, कनाडा के सुपीरियर कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2022 द्वारा जब्ती को हटा लिया। आदेश पर विचार करते हुए, आईएटीए ने 42,70,34,546 रुपए जारी किए, लेकिन स्विस अधिकारियों से नोटिस प्राप्त होने के कारण अमेरिकी डॉलर में भुगतान को रोकना जारी रखा, जिसमें आईएटीए को भारत गणराज्य से संबंधित किसी भी या सभी परिसंपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शामिल हैं। इस मामले में आवेदक डॉयचे टेलीकॉम एजी था। भा. वि. प्रा. ने भा. वि. प्रा. का प्रतिनिधित्व करने के लिए कनाडा और स्विट्जरलैंड में कानूनी सलाहकार नियुक्त किए हैं। दोनों मामले न्यायिक प्रणाली के अधीन हैं। दिनांक 31.03.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

2022 को आईएटीए द्वारा रोकी गई अमेरिकी डॉलर राशि 2,99,67,561.80 अमेरिकी डॉलर है और 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार 3,71,99,534.48 अमेरिकी डॉलर है।

विदेशी एयरलाइनों से एकत्र की गई और आईएटीए द्वारा रोकी गई राशि को ''एयरलाइंस से प्राप्त राशि'' के रूप में माना गया है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ''आईएटीए से वसूली योग्य'' के रूप में दिखाया गया है।

41. विदेशी एयरलाइनों से बिलिंग और संग्रह

आईएटीए के माध्यम से विदेशी एयरलाइनों के बिल और संग्रह की वर्तमान व्यवस्था को क्यूबेक कोर्ट, कनाडा और जिनेवा में स्विस प्राधिकरणों में आईएटीए से भा. वि. प्रा. निधि की जब्ती की जारी मुकदमेबाजी के कारण बंद कर दिया गया था। 01.04.2022 से प्रभावी, विदेशी एयरलाइनों का बिल और संग्रह भा. वि. प्रा. द्वारा किया जाता है।

42. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखा मानक-28 के तहत प्रकटन

प्रबंधन के आंकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परिसंपत्तियों की क्षति के लिए किए गये उपायों को पहचानने या उसकी समीक्षा करने संबंधी स्थिति में 31.03.2021 तक कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं आया है।

43. प्रतिबद्धताएं

(ए) साख पत्र सहित निष्पादन के लिए शेष पूँजीगत खाता संबंधी संविदाओं की प्राक्कलित राशि का ही निष्पादन किया जाना है तथा तुलन पत्र के अनुसार 5892.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7674.10 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान नहीं की गई है।

(बी) भा. वि. प्रा. ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी ईपीसीजी का लाभ नहीं उठाया है, उपकरण/पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायत के कारण कोई अतिरिक्त निर्यात देयता नहीं है।

44. खातों का एकीकरण :

चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है, 31.03.2022 को भा.वि.प्रा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक एवं एलाइड सर्विसेस कंपनी लि. तथा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है) के लेखों को समेकित करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भा. वि. प्रा. की वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक एवं एलाइड सर्विसेस कंपनी लि. और चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. के लेखों को संलग्न किया गया है एवं इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

45. क. आकस्मिक देयताएं

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
भूमि मामले	1,294.79	1,268.76
दुर्घटना के मुआवजा दावे	3.68	3.91
मध्यस्थता के तहत मामले	3,921.16	31,568.08
कार्गो के अंतर्गत दावे	0.02	4.47
न्यायालय के मामले	1,029.43	1,028.72
बिक्री कर / सेवा कर/ नगरपालिका कर/आय कर आदि	590.21	550.16
अन्य	70.71	56.85
कुल	**6,910.00**	**34,480.95**

टिप्पणी :

(i) 31.03.2022 तक मध्यस्थता के तहत मामलों के लिए 3921.16 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयता राशि में मायल के संबंध में 1054.59 करोड़ रुपए और डायल के संबंध में एमएएफ से संबंधित 446.21 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भा. वि. प्रा. के खातों में राजस्व के रूप में दर्ज किया गया है।

(ii) 31.03.2021 तक मध्यस्थता के तहत मामलों के लिए आकस्मिक देयता 31568.08 करोड़ रुपए थी, जिसमें डायल और मायल के साथ मध्यस्थता मामले से संबंधित 29361.61 करोड़ रुपए (डायल 13217.06 करोड़ रुपए और मायल 16144.55 करोड़ रुपए) शामिल थे, जो डायल और मायल के पिछले वर्षों में ब्याज सहित अतिरिक्त वार्षिक शुल्क भुगतान के दावे के संबंध में था। उक्त मध्यस्थता कार्यवाही में बहस समाप्त हो गई हैं और मध्यस्थता निर्णय (2:1 के बहुमत से जहां पीठासीन मध्यस्थ ने असहमति का निर्णय दिया है) घोषित कर दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृश्टया, यह निर्णय डायल और मायल द्वारा किए गए दावों से अलग है और इसकी राशि निर्धारित नहीं की गई है। मध्यस्थता निर्णय में कहा गया है कि एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक मध्यस्थ निर्णय में दिए गए निर्णयों के अनुसार दावों पर काम करेगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, डायल के संबंध में 13217.06 करोड़ रुपए की राशि और मायल के संबंध में 16144.55 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयता 31.03.2021 को लेखा खातों में दिखाई दे रही थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में वापस ले लिया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

बी. आकस्मिक परिसंपत्तियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पट्टा राजस्व से संबंधित विवादित एमएएफ को राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किया गया		
मायल	294.97	-
डायल	1312.07	-
कुल	1607.04	-

46. निष्पादित प्रतिभूतियां :

इस वर्ष के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूरसंचार विभाग आदि के पक्ष में 19.38 करोड़ रुपए की गारंटी जारी / नवीकृत की गई है ।

47. विदेशी मुद्राओं में व्यय :

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
पूंजीगत वस्तुओं की खरीद	196.64	424.42
अतिरिक्त पुर्जे	28.36	14.47
विदेश यात्रा	0.21	1.87
परामर्श	0.24	4.54
विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान	2.83	2.79
अन्य	103.44	60.63
कुल	**331.72**	**508.72**

48. विदेशी मुद्रा में अर्जन :

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
सेवाएं	688.24	478.09

49. ईपीएफ न्यास

i) ईपीएफओ ने दिनांक 30.05.2012 के पत्र के माध्यम से ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी के अंतर्गत 04/1995 से मासिक अंशदान देरी से देने हेतु 227.17 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है। इस मांग के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में मुकदमा दायर किया गया है जिसका निर्णय विचाराधीन है।

ii) ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 17 (2) के साथ पठित पैरा 27 (ए) के तहत भविष्य निधि के आंतरिक रखरखाव करने हेतु भा. वि. प्रा. को दी गई छूट को ईपीएफओ ने पत्र सं. ई/डी एल/36478/आर ई सी/ 3203–3208/1581 दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से वापिस ले लिया है। भा. वि. प्रा. ने श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से भा. वि. प्रा. को इस छूट को बहाल करने का अनुरोध किया है। श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ तथा भा. वि. प्रा. अधिकारियों के बीच 29.05.2015 को आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया कि भा. वि. प्रा. को दी जाने वाली छूट की अस्थायी रूप से बहाली की जाए जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का क्षति के मामलों से संबंधित निर्णय नहीं आ जाता। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पत्र दिनांक 17.08.2015 केंद्रीय मुख्यालय, ईपीएफओ से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को छूट देने की सिफारिश की गई है। जबकि ईपीएफओ ने दिनांक 21.01.2016, 15.06.2016 और 29.09.2016 के ई/डीएल/37478 एक्जम्पटिड/ई ओ/2016 के पत्रों के साथ कुछ प्रश्न उठाए जिसे दिनांक 28.11.2016 के पत्र एफ संख्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/ ईपीएफ/ सीएचक्यू/2016–17 के माध्यम से संबोधित किया गया है। अनुस्मारकों के माध्यम से ईपीएफओ के साथ इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है, जबकि ईपीएफओ के अंतिम निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा है।

50. खण्ड रिपोर्ट और नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खण्ड रिपोर्ट और नकद प्रवाह विवरण संलग्न है।

51. क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 का एक प्रमुख घटक है जिसे 15.06.2016 को नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी किया गया था। एनसीएपी 2016 के अनुरूप, नागर विमानन मंत्रालय ने 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस–उड़ान) का शुभारंभ किया जो नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा अपनी अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के लिए लागू होगा।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27.04.2017 को शिमला से दिल्ली के लिए पहली आरसीएस उड़ान का उद्घाटन किया गया था।

निविदाकरण का तीसरा चरण 31.03.2021 तक, आयोजित किया गया और को 85 असेवित हवाई अड्डों, 19 अल्पसेवि हवाई अड्डों और 14 वॉटरड्रोमों से जोड़ने के लिए विभिन्न एयरलाइनों को 948 वैध आरसीएस मार्ग

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त उड़ान के अन्तर्गत, पहाड़ी राज्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 36 हेलीपैड को जोड़ा जाना है।

उड़ान 4.2 के निविदाकरण की विशेष चरण प्रगति में है।

आरसीएस–उड़ान के माध्यम से 31.03.2021 और 31.03.2022 तक क्रमशः कुल घरेलू 63.46 लाख और 92.93 लाख यात्रियों ने यात्रा की। 31.03.2021 और 31.03.2022 तक प्रचालित कुल आरसीएस उड़ान क्रमशः 1.20 लाख और 1.79 लाख थीं।

वर्ष 2021–22 के दौरान चुने हुए एयरलाइंस से आरएसीएफटी द्वारा वायबलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) पर लगभग 625.93 करोड़ रुपए का दावा किया है और 2021–22 के दौरान एकत्रित आरसीएस लेवी लगभग 241.16 करोड़ रुपए है।

52. यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों पर भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं के संबंध में भा. वि. प्रा. प्रचालित हवाई अड्डों के संबंध में सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं हेतु दावे किए गए थे और उक्त दावों में से 42.45 करोड़ रुपए की राशि लंबित थी और इसे प्राप्ति आधार पर गणना की जाएगी।

53. पीपीपी हवाई अड्डे

(i) तीन हवाई अड्डों अर्थात गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेंद्रम को पीपीपी के माध्यम से क्रमशः प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 वर्ष की लीज अवधि के लिए क्रमशः 08.10.2021, 11.10.2021 और 14.10.2021 को रियायतग्राही अर्थात् मैसर्स अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेसर्स अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मेसर्स अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सौंप दिया गया था।

(ii) भा. वि. प्रा. बोर्ड ने पीपीपी के माध्यम से प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 07 छोटे हवाई अड्डों (कांगड़ा, गया, कुशीनगर, हुबली, जबलपुर, औरंगाबाद और तिरुपति) के साथ 06 चयनित हवाई अड्डों (अर्थात् भुवनेश्वर, वाराणसी, इंदौर, अमृतसर, रायपुर और त्रिची) को जोड़ने के विकल्प के साथ 13 हवाई अड्डों के पीपीपी लेनदेन करने की सिफारिश की। भारत सरकार के सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग के लिए 10.09.2021 को एमओसीए के पास प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

54. सामान्य

(i) अग्रिम में शेष/ग्राहक लेखा/देयताएं आदि पुष्टिकरण/लेखा–समाधान के अधीन होगा।

(ii) 7.07 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7.07 लाख रुपए) की राशि की हानि लंबित है।

(iii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना :

(ए) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.02.2018 के पत्र सं. एवी–24032/578/ 2015 – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एमओसीए के माध्यम से दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी होकर संदर्भाधीन पेंशन योजना को अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के प्रबंध हेतु दिनांक 11.02.2019 की ट्रस्ट डीड के माध्यम से 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट' के नाम से पेंशन ट्रस्ट का सृजन किया गया।

(बी) भा. वि. प्रा. ने मार्च 2019 में भा. वि. प्रा. कर्मचारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट को 01.01.2007 से 31.12.2016 की अवधि के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित योगदान के लिए 824.19 करोड़ रू. की राशि अंतरित की है। वर्तमान में 31.03.2022 के अनुसार भा. वि. प्रा. द्वारा प्रदान की गई अनुमानित देयता का विवरण इस प्रकार है :–

विवरण	करोड़ रुपए में
31.03.2021 तक की अवधि के लिए देय कुल अनुमानित अंशदान	421.00
31.03.2019 तक ब्याज के लिए अनुमानित प्रावधान	540.00
31.03.2020 को समापन शेष राशि	961.00
घटाएं : कर्मचारियों के चयन, इस्तीफे आदि के लिए सीएडी पेंशन विकल्प के अनुमोदन के कारण ईडीसीपी योजना सदस्यता में कायिक राशि अपडेशन के कारण 31.03.2021 तक की अवधि के लिए देय अंशदान राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया समायोजन	(-3.92)
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योगदान के लिए 2 प्रतिशत की दर से अनुमानित प्रावधान	35.31
31.03.2022 तक समायोजित देयता	992.39

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

(सी) सी एण्ड एजी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षण करते हुए देखा है कि 01.01.2007 से 31.03.2019 की अवधि के लिए देयता के रूप में 540 करोड़ रुपए प्रदान करना डीपीई दिशानिर्देशों के साथ असंगत है और इस संबंध में एमओसीए से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया है। सी एंड एजी को दिए गए आश्वासन के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त सचिव, एमओसीए को संबोधित दिनांक 15.11.2019 के यूओ नोट संदर्भ संख्या : एएआई / सीएचक्यू / एफ एण्ड ए / सीओएमपी / एकाउंट ऑडिट / 2018 – 19 में एमओसीए से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की यथार्थता के लिए डीपीई का संदर्भ दें। एमओसीए द्वारा फाइल नं : एवी.24032 / 578 / 2015– एएआई /एमओसीए दिनांक 14.01.2020 सचिव, लोक उद्यम विभाग को संबोधित कार्यालय ज्ञापन में इस विषय पर डीपीई के विचार मांगे गए हैं। डीपीई ने कार्यालय ज्ञापन सं. : 02 / 0007 / 2020– डीपीई (डब्ल्यूसी) – एफटीएस / 11241 दिनांक 16.03.2020 में उत्तर दिया है कि दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन पूरी तरह से सीपीएसई / प्रशासनिक मंत्रालय के पास होता है। जहां तक व्यय में सामान्य वित्तीय मामला है, इसे सीपीएसई द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आईएफडी / व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से तय किया जाना है, जहां भी आवश्यक हो और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तदनुसार मामले को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निपटाया जा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फिर से संयुक्त सचिव, एमओसीए को संबोधित यूओ नोट नं : एएआई / सीएचक्यू / एफ एण्ड ए / सीओएमपी / एकाउंट ऑडिट / 2018 –19 दिनांक 10.08.2020 द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए प्रावधान के लिए इस योजना की ब्याज राशि हेतु 540 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी, ताकि राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट को हस्तांतरित की जा सकती है। इस संबंध में अनुमोदन एमओसीए के विचाराधीन है इसलिए एमओसीए ने पत्र दिनांक 1.09.2020, 29.10.2020 और 26.03.2021, 6.07. 2021, 08.10.2021 और 3.2.2022 के माध्यम से इस मुद्दे पर विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे गए थे जिसका उत्तर भा. वि. प्रा. ने पत्र दिनांक 9.10.2020, 5.03.2021 और 30.06.2021, 17.08.2021 और 28.01.2022 के माध्यम से दिया था। इस संबंध में अनुमोदन एमओसीए के पास विचाराधीन है और इसलिए इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019– 20, 2020–21 और 2021–22 के वार्षिक खातों में कोई भी प्रभाव नहीं दिया गया है।

(डी) भा. वि. प्रा. के वित्तीय और नकदी प्रवाह पर कोविड–19 का गंभीर प्रभाव पड़ा है, इसलिए भा. वि. प्रा. की ईडीसीपी योजना में योगदान की सामर्थ्य को देखते हुए वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मूल वेतन + डीए के 2 प्रतिशत की दर से योगदान प्रस्तावित किया गया है।

(iv) नागर विमानन विभाग/डीजीसीए से एनएए/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भारी संख्या में स्थानांतरित कर्मचारियों सरकारी पेंशन लाभों का भुगतान जिसकी विलय की तिथि (02.10.1989) पर 10 वर्षों से कम सेवा रही है।

(ए) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा डीजीसीए को संबोधित दिनांक 03.04.2018 के पत्र सं एवी–200036 / 805 / 2015–भा. वि. प्रा.– नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से उन कर्मचारियों को सरकारी पेंशन लाभ देने के अपने निर्णय के बारे में सूचित / स्पष्ट किया है जिन्हें भारी संख्या में नागर विमानन विभाग / डीजीसीए से एनएए / भा. वि. प्रा. में स्थानांतरित किया गया है और विलय की तिथि (02.10.1989) पर उनकी सेवा 10 वर्ष से कम रही है, यह भा. वि. प्रा. में प्रदान की गई सेवा अविध हेतु भा. वि. प्रा. से अनुपातिक पूंजीकृत पेंशन की प्राप्ति के अधीन है।

(बी) तदनुसार, संबंधित कर्मचारियों (सेवारत / सेवानिवृत्त) से विकल्प प्राप्त किए गए और नागर विमानन मंत्रालय ने लगभग 2055 कर्मचारियों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। प्राप्त विकल्पों के आधार सरकारी पेंशन पीपीओ को जारी करने के उद्देश्य से अलग हुए कर्मचारियों से संबंधित पूंजीगत मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(सी) 31.03.2022 के अनुसार इन कर्मचारियों के पूंजीकृत मूल्य (निवल वसूली योग्य राशि) के लिए देयता नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुमानित आधार पर भा. वि. प्रा. के खाता बहियों में तैयार की गई है :

(i)	31.03.2022 को सेवारत सरकारी पेंशन विकल्प लेने वालों के संबंध में	97.83 करोड
(ii)	31.03.2022 को अलग हुए सरकारी पेंशन से अलग विकल्प लेने वालों के संबंध में	45.63 करोड
	कुल	143.46 करोड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

(डी) चूंकि देयताएं अनुमानित आधार पर सृजित की गई थी, कोई अन्य समायोजन यदि अपेक्षित होगा वह 2022–23 के लेखा से प्रभावी होगा।

(v) मूल कार्य पर सेवा कर की वापसी

ए. चंडीगढ़ और जयपुर हवाई अड्डों पर किए गए निर्माण कार्य के लिए भा. वि. प्रा. ने 11.11.2016 को चंडीगढ़ और जयपुर हवाई अड्डे के लिए क्रमशः 1,75,08,235 रुपए और 2,53,17,588 रुपए की राशि के सेवा कर की वापसी का दावा दायर किया था। चंडीगढ़ हवाई अड्डे के लिए 1,70,50,822 रुपए (1,75,08,235 में से) रिफंड आवेदन को विभाग द्वारा दिनांक 02.09.2020 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ भा. वि. प्रा. ने आयुक्त (अपील–।) के समक्ष अपील दायर की थी। दिनांक 15.02.2021 को, आयुक्त (अपील–।।) ने दिनांक 02.09.2020 के आदेश को निरस्त करते हुए अंतिम आदेश पारित किया है और विषय वस्तु को विभाग को वापस भेज दिया गया है। आयुक्त (अपील–।।) के आदेश के प्रति विभाग ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के साथ अपील दायर की है, जिसके लिए विलंब माफी हेतु 09.03.2022 को सुनवाई हुई थी तथा अपील सीईएसटीएटी द्वारा स्वीकार कर ली गई है। भा. वि. प्रा. ने 07.04.2022 को प्रत्याक्षेप का ज्ञापन दायर किया है।

बी. चंडीगढ़ हवाई अड्डे के संबंध में, 1,75,08,235 रुपए की राशि, उल्लेख है कि मैसर्स चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपनी लेखा बहियों में ''भा. वि. प्रा. से प्राप्य'' के रूप में दिखाया था। सेवा कर विभाग से धनवापसी राशि में अधिक समय लगने की संभावना और इस राशि को 'भा. वि. प्रा. से प्राप्य' के रूप में दिखाने के बारे में सीएंडएजी की टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया है। भा. वि. प्रा. ने 27.09.2021 को मेसर्स चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 1,75,08,235 रुपए की राशि जारी की है।

(vi) बीओटी मॉडल एक्स-बीआईएस संविदाएं :

(ए) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भा. वि. प्रा. के वार्षिक खातों में टिप्पणी संख्या 47 (VII) बीओटी मॉडल एक्स–बीआईएस संविदाओं का संदर्भ लिया जा सकता है। दिनांक 31.03.2022 तक गैर–रद्द वित्त पट्टों के अन्तर्गत वित्त पट्टा दायित्व के लिए भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31, मार्च 2022 तक	
	न्यूनतम पट्टा भुगतान	वर्तमान मूल्य न्यूनतम पट्टा भुगतान
1 वर्ष से अधिक नहीं	23.14	31.68
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष से अधिक नहीं	15.14	14.56
5 वर्ष के बाद	-	-

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(जे. बी. सैनी)	(डी. भोजवानी)	(के. विनायक राव)	(संजीव कुमार)
का. नि. (पीएमक्यूए/सीए)	का. नि. (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

नई दिल्ली
26 जुलाई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(करोड़ रु. में)

	विवरण	समाप्त वर्ष 2021-22	समाप्त वर्ष 2020-21
ए	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ/हानि	**32.76**	**(2,767.01)**
	असाधारण मदें :– एयर इंडिया के समझौते के कारण संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान का प्रत्यावर्तन (पूर्व वर्ष–अव्ययित पुराने पुनर्निवेशन प्रावधान का प्रत्यावर्तन)	(836.48)	(409.11)
	कराधान से पूर्व लाभ / (हानि) और असाधारण मदें	**(803.72)**	**(3,176.12)**
	समायोजन हेतु:		
	मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि	1,904.38	1,819.75
	पूर्व अवधि मूल्यह्रास	(2.86)	21.64
	वित्तीय लागत	69.67	45.01
	अन्य विविध मद	38.10	1.13
	वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम शुल्क–भविष्य की अवधि के लिए प्रचालन पट्टा आय–पीपीपी हवाई अड्डे*	1,351.61	495.81
	वर्ष के दौरान निवल प्रावधानों हेतु समायोजन	196.91	97.90
	संदिग्ध ऋणों (एयर इंडिया सहित) हेतु संचयित प्रावधानों के लिए समायोजन	(1,261.91)	537.48
	संयुक्त उद्यम कंपनियों और एएआईसीएलएएससीएल से लाभांश आय	(87.08)	(27.70)
	ब्याज से आय	(30.25)	(98.99)
	बेची/हटाई गई परिसंपत्तियों पर (लाभ), निवल	(71.89)	(37.65)
	असाधारण मदों तथा प्रचालन पूंजीगत परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**1,302.96**	**(321.74)**
	अन्य प्रचालन परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	2,487.63	(646.51)
	प्रचालन देयताओं में वृद्धि	44.67	417.28
	प्रचालन से प्राप्त नकद	3,835.26	(550.97)
	धनवापसी प्राप्ति का निवल प्रत्यक्ष कर (प्रदत्त) निवल	(519.20)	450.57
	प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद - ए	**3,316.06**	**(100.40)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की वृद्धि/ खरीद/ सीडबल्यूआईपी / पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम	(3,972.16)	(3,921.02)
	अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति	72.67	40.50
	3 माह से अधिक बैंक जमा (निवल)	(1,301.95)	852.77
	संयुक्त उद्यम कंपनियों और एएआईसीएलएएससीएल से प्राप्त लाभांश	87.08	27.70

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(करोड़ रु. में)

	विवरण	समाप्त वर्ष 2021-22	समाप्त वर्ष 2020-21
	ब्याज प्राप्ति	28.14	142.12
	संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेशों के लिए निवेश/अग्रिम	-	(2.55)
	निवेश गतिविधियों में उत्पन्न/(उपयोग) किया गया निवल नकद - बी	**(5,086.22)**	**(2,860.48)**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	पूंजीगत अनुदान के रूप में सरकार की ओर से की गई प्राप्ति (आरसीएस अनुदानों सहित)	1,102.50	662.06
	राज्य सरकार को आरसीएस अनुदान / पूंजीगत अनुदान का भुगतान / वापसी	(98.03)	(47.67)
	एसबीआई से कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त किया	600.00	1,400.00
	भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया रुपया सावधि ऋण	625.00	-
	भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त बाहरी वाणिज्यिक उधार	373.42	-
	एसबीआई को कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान	(1,650.00)	(150.00)
	एक्सिस बैंक से कैपेक्स ऋण प्राप्त किया	269.94	1,828.07
	ऋण पर ब्याज का भुगतान	(174.97)	(58.63)
	विदेशी वित्तीय संस्थान से ऋण का पुनर्भुगतान	(2.82)	(2.78)
	वित्तीय पट्टा देयताओं का भुगतान (ब्याज आदि सहित)	(22.88)	(11.35)
	निधिकरण गतिविधियों से निवल नकद / (प्रयुक्त) - सी	**1,022.16**	**3,619.70**
	नकद एवं नकद समतल्यों में निवल परिवर्तन (ए+बी+सी)	(748.00)	658.82
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतल्यों	**1,086.46**	**427.64**
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतल्यों	**338.46**	**1,086.46**

टिप्पणियां :-

1. उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक – 3 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. कोष्ठक में नकद बहिर्वाह/कमी को दर्शाया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

एएस 17 के अनुसार प्रकटीकरण - ''खण्ड रिपोर्टिंग''

(करोड़ रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22							वित्तीय वर्ष 2020-21						
	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	पूर्वोत्तर	पूर्व	अनाबंटित	महा योग	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	पूर्वोत्तर	पूर्व	अनाबंटित	महा योग
खंड राजस्व	**925.41**	**1,398.97**	**917.51**	**152.56**	**1,216.08**	**2,113.43**	**6,723.96**	776.99	1,099.32	728.67	155.77	979.85	999.75	4,740.35
खंड परिणाम														
खंड परिणाम (लाभ/हानि)	**(529.99)**	**(696.25)**	**(295.96)**	**(257.49)**	**(111.68)**	**1.039.99**	**(851.38)**	(863.80)	(917.70)	(635.54)	(267.47)	(431.98)	(141.30)	(3,257.79)
गैर आबंटित निगमित व्यय						**742.81**	**742.81**						1,141.05	1,141.05
प्रचालन लाभ	**(529.99)**	**(696.25)**	**(295.96)**	**(257.49)**	**(111.68)**	**1,039.99**	**(851.38)**	(863.80)	(917.70)	(635.54)	(267.47)	(431.98)	(141.30)	(3,257.79)
ब्याज व्यय	**6.23**	**8.73**	**5.07**	**1.76**	**6.24**	**41.64**	**69.67**	1.90	2.46	1.30	0.62	1.11	37.62	45.01
संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कम्पनियों से प्राप्त लाभांश						**87.08**	**87.08**						27.70	27.70
अपवादात्मक और असाधारण मदें– पुनर्निवेशन प्रावधान प्रत्यावर्तन/अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						**836.48**	**836.48**						409.11	409.11
ब्याज आय	**4.89**	**7.65**	**3.61**	**2.64**	**(1.05)**	**12.51**	**30.25**	4.10	6.49	3.60	1.51	1.97	81.32	98.98
कर पूर्व लाभ	**(531.33)**	**(697.33)**	**(297.42)**	**(256.62)**	**(118.97)**	**1,934.42**	**32.76**	(861.60)	(913.67)	(633.24)	(266.58)	(431.12)	339.21	(2,767.01)
आयकर व्यय/प्रावधान						**24.00**	**24.00**						(804.95)	(804.95)
कर पश्चात लाभ	**(531.33)**	**(697.33)**	**(297.42)**	**(256.62)**	**(118.97)**	**1910.42**	**8.76**	(861.60)	(913.67)	(633.24)	(266.58)	(431.12)	1,144.16	(1,962.06)
अन्य सूचना														
खंड परिसंपत्तियां	**3,352.88**	**5,703.63**	**3,085.04**	**2,493.36**	**3,902.76**		**18,537.67**	3,933.33	5,663.83	2,677.76	1,895.63	3,887.34		1,8057.89
गैर आबंटित परिसंपत्तियां						**18,459.79**	**18,459.79**						17,297.27	17,297.27
कुल परिसंपत्तियां	**3,352.88**	**5,703.63**	**3,085.04**	**2,493.36**	**3,902.76**	**18,459.79**	**36,997.46**	3,933.33	5,663.83	2,677.76	1,895.63	3,887.34	17,297.27	35,355.16
खंड देयताएं	**1,351.09**	**1,319.57**	**1,006.37**	**709.02**	**640.19**		**5,026.24**	1,098.45	1,024.82	838.43	287.99	583.33		3833.02
गैर आबंटित देयताएं						**19,724.83**	**19,724.83**						18,653.09	18,653.09
कुल देयताएं	**1,351.09**	**1,319.57**	**1,006.37**	**709.02**	**640.19**	**19,724.83**	**24,751.07**	1,098.45	1,024.82	838.43	287.99	583.33	18,653.09	22,486.11
पूंजीगत व्यय	**733.40**	**1,078.83**	**810.85**	**554.50**	**772.82**	**47.13**	**3,997.53**	708.43	1,378.32	854.47	386.47	835.17	88.66	4,251.52
गैर नकद व्यय														
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	**371.59**	**637.02**	**279.50**	**126.73**	**453.74**	**35.80**	**1,904.38**	306.66	647.67	266.01	92.87	469.39	37.15	1,819.75
''अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन – एयर इंडिया (वित्तीय वर्ष 2021–22)	**(200.19)**	**(202.30)**	**(123.49)**	**(41.78)**	**(263.89)**	**(4.83)**	**(836.48)**						(409.11)	(409.11)
अपवादात्मक और असाधारण मद– पुनर्निवशन प्रावधान प्रत्यावर्तन (वित्तीय वर्ष 2020–21)''														
प्रमुख गैर–नकद व्यय (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूर्व अवधि मूल्यह्रास, अशोध्य ऋण, पूर्व अवधि समायोजन –एअर इंडिया गैर–यातायात बिल)	**(28.94)**	**37.36**	**(9.31)**	**(1.40)**	**(17.02)**	**52.85**	**33.54**	177.66	(6.73)	52.90	25.16	89.80	220.32	559.11

CAB/AAI/Accounts Audit/1-122/2022-23/67

संख्या / No.

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 15/12/2022

सेवा में ,
सचिव ,भारत सरकार,
नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली -110003

विषय- वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण के लेखाओ पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28 (2) के अधीन भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण के वर्ष 2021-22 के सत्यापित लेखाओ की प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इन लेखाओ व प्रतिवेदन को संसद में पेश करने की तारीख इस कार्यालय को सूचित करें। प्रतिवेदन को संसद में पेश करने के पश्चात पेश किए गए प्रत्येक दस्तावेजो की 25 प्रतियाँ इस कार्यालय में तथा एक प्रति भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में भिजवाए ।

भवदीया
हस्ता.
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक

संख्या:- दिनाँक:- .12.2022

प्रतिलिपि:-

मंत्रालय को जारी किए गए पत्र के साथ भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण के वर्ष 2021-22 के लेखाओ पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति **अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** को प्रेषित है। कृपया प्रतिवेदन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिनियम 1994 की धारा 28 (2) के अनुसार संसद मे पेश होने तक गोपनीय रखा जाए।

1913/ch.
15/12/22

अतूर्वा सिन्हा
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

We have audited the attached Balance Sheet of the Airports Authority of India (AAI) as at 31 March 2022 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, under Section 28(2) of the Airports Authority of India Act, 1994 (AAI Act 1994) and the Airports Authority of India (Annual Report and Annual Statement of Accounts) Rules, 2014. These financial statements include the accounts of 61 self/regional-accounting units. These financial statements are the responsibility of the AAI's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India under clause (g) sub section (2) of Section 41 of the AAI Act, 1994 and Airports Authority of India Rules, 2014.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the AAI as required under Section 28(1) of the AAI Act, 1994 in so far as it appears from our examination of such books except that:

A. Balance Sheet

1. Equity and Liabilities

Current Liabilities

Other Current Liabilities (Note No.5): Rs. 3214.17 crore

The above did not include an amount of Rs. 2.94 crore. The details are as follows:

Sl. No.	Particular	Amount (Rs. in Crore)
i.	Non creation of liability towards Mechanized Environmental Support Services (MESS), HVAC maintenance and manpower supply related expenditure at Kolkata Airport.	1.65
ii.	Non creation of liability in respect of amount payable on account of electricity bill for the month of March, 2022	0.21

iii.	Non creation of liability in respect of the medical claims of retired employees of Scheme B retired, for 4th quarter of 2021-22.	0.20
iv.	Non creation of liability for collection charges on UDF & PSF for the period from January 2022 to March 2022.	0.46
v.	Non creation of liability in respect of consultancy charges for the period January 2022 to March 2022 on account of bill received from EIL.	0.40
	Total	2.92

2. Assets

Fixed Assets

2.1 Capital Work-in Progress (Note 11): 7691.36 crore

The CWIP is overstated and fixed assets are understated by Rs. 5.94 crore. Consequently, depreciation is understated and profit for the year is overstated by Rs. 1.29 crore.

(Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	Impact on CWIP and Fixed assets	Impact on Depreciation and Profit
(i)	Non capitalization of work relating to supply installation testing and commissioning of DVOR and other associated work at Vadodara Airport.	3.16	0.39
(ii)	Non capitalization of the completed work of reconstruction of taxi way at Kolkata Airport.	2.78	0.90
	TOTAL	**5.94**	**1.29**

2.2 Capital Work-in Progress (Note 11): 7691.36 crore

The above includes an amount of Rs. 2.15 crore towards net value of 'Biometric Access Control System(BACS)' at Chandigarh International Airport Limited (CHIAL). As The BACS was handed over to CHIAL in the year 2021-22, the same should have been booked as revenue. This has resulted in overstatement of Capital Work-in Progress, understatement of Income by Rs. 2.15 crore.

B. Statement of profit and loss

1. Income

1.1 Other Income (Note 25): Rs. 507.57 crore

Profit on sale of Fixed Asset: Rs. 71.89 crore

The above does not include Rs. 8.10 crore being the profit from sale of land to Lucknow Metro Rail Corporation Ltd (LMRC). The permanent land of 13206.81 sqm was handed over (April 2019) to LMRC (now UPMRC). The amount of Rs 7.35 crore was received in April 2019 and the same was recognized as advance. The transfer rate was approved (23 March 2022) by the AAI's Board of Directors. This has resulted in overstatement of Current Liabilities (i.e Advance from

client) by Rs 7.35 crore, understatement of Debtors by Rs 0.75 crore[1] and understatement of profit on sale of fixed assets and consequent understatement of profit by Rs. 8.10 crore.

2. Expense

2.1 Depreciation and Amortization (Note No. 30): Rs. 1904.38 crore
Administrative and other Expenses (Note No. 28):Rs. 437.16 crore
Prior period adjustment (net):Rs. 270.55 crore

The depreciation and amortization expenses of Rs. 2.33 crore and Prior period expenses amounting Rs. 9.69 crore[2] are understated and profit are overstated by Rs. 12.02 crore.

Sl. No.	Particulars	Impact on depreciation (Rs. in crore)
(i)	The depreciation on assets capitalized in May 2021 was not charged in the year of capitalization (2020-21) and charged at half rate in 2021-22.	4.26[3]
(ii)	The depreciation was charged on the Hostel Accommodation at higher rate of 8 percent instead of 5 percent.	(-) 0.26
(iii)	The temporary assets were not depreciated at 100 percent.	1.17
(iv)	Depreciation was not charged in the year of capitalization and charged at a less rate.	5.83
(v)	Depreciation charged at a lower rate due to wrong classification of assets.	1.02
Total		**12.02**

2.2 Operating Expenses (Note No. 27) Rs. 1531.72 Crore

The operating expenses are understated by Rs. 6.32 crore, tangible fixed assets are overstated by Rs. 1.89 crore and capital work in progress are overstated by Rs. 4.43 crore. Consequently, the profit is also overstated by Rs. 6.32 crore.

Sl. No.	Particulars	Impact on Profit (Rs. in crore)
(i)	Capitalization of expenditure on renovation related works.	1.22
(ii)	The cost of relocation of Localizer and Glide Path at Guwahati Airport has been booked in Capital Works in Progress-Plant & equipment free hold.	0.92
(iii)	Capitalization of expenses incurred on inauguration of new terminal building at Agartala Airport.	0.67
(iv)	Non-charging-off expenditure incurred in respect of abandoned work of "Construction of Integrated Cargo Terminal Building at Lucknow Airport" and shown as CWIP.	3.51
Total		**6.32**

[1] 0.75 crore = Rs 8.10 crore- Rs. 7.35 crore
[2] Rs. 9.69 crore (Rs. 2.84 crore+ Rs. 5.83 crore+ Rs. 1.02 crore)
[3] Rs. 4.26 crore (Rs. 2.84 crore; prior period depreciation and Rs. 1.42 crore; current year depreciation)

C. Notes to Accounts

1. A reference is invited to Note No. 38 disclosing the accounting treatment in respect of Assets/CWIP assets handed over to the concessionaires of 6 Public Private Partnership (PPP) Airports[4]. The Note was deficient as it did not fulfill the disclosures requirement under Clause 46 of AS – 19 (Operating Lease).

2. **Contingent Liabilities (Note No. 45)**

Claims not acknowledged as debts: Rs. 6910.00 crore

The above is understated by Rs. 23.21 crore due to non-acknowledging the claims raised by M/s URC Construction (P) LTD in respect of construction of New International Arrival Block and associated works at Calicut Airport.

(iv) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(v) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the AAI as at 31 March 2022; and

b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Atoorva Sinha

(Atoorva Sinha)
Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: December 2022

[4] Lucknow, Jaipur, Ahmedabad, Mangalore, Guwahati, Thiruvananthapuram

Annexure

(to the Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Airports Authority of India for the year ended 31 March 2022)

1. Internal Audit System.

The internal Audit of AAI is conducted by the separate Internal Audit Cell headed by Executive Director and Chartered Accountants are engaged for internal audit at regional offices/Airports on need basis. It was intimated by the management that during the year 2021-22 total 28 no. of units were planned and audited.

2. Internal Control System

During audit of selected airports, the following deficiencies of similar nature were noticed, though do not have materiality in terms of money value but require management attention for strengthening the internal control system:

(i) Non review of Old liabilities/Security Deposit /EMD/LD/Capital advances (RHQ/ WR, RHQ/NR/ Corporate Headquarter/ Jodhpur)

(ii) Narration was not given in the GL code for understanding the nature of transaction. (Corporate Headquarter)

(iii) Accounting entries in respect of scrap sales was not routed through proper T Code (Amritsar, Corporate Headquarter)

(iv) Unreconciled debit balances in GL codes i.r.o Goods Supp./Work-Rev GL (Amritsar, Corporate Headquarter)

(v) The document number was reversed without following the proper t-codes for reversal of the document number resulted in generation more number of line item (RHQ/ NR and Corporate Headquarter)

(vi) Non availability of specific code in SAP in respect of firefighting equipment making it difficult to identify the related asset in SAP. (Corporate Headquarter)

3. System of physical verification of fixed assets

(i) Physical verification of fixed assets was not done in Corporate Headquarter and 12 airports[5] under Southern Region.

(ii) The fixed assets physically verified was not reconciled with the Fixed Assets Register (FAR) at Regional Headquarter/ Northern Region.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory/stores at Central Radio Stores Depot (CRSD) was not conducted during 2021-22.

5. Regularity in payment of statutory dues.

No shortcomings in payment of Statutory dues were noticed during audit.

[5] Agatti, Belgaum,Bellary,Gulbarga,Mysore,Mangalore,Pondicherry,Madurai,Trichy,Tuticorin,Salem,Chennai RHQ

चंडीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी

चंडीगढ़ हवाई अड्डा

31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(लाख रु. में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2	82,519.15	82,882.66
(बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	761.51	1,664.24
(सी) गुडविल के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	4	17.94	19.70
(डी) परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार	5	77.28	83.97
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य	6	172.94	32.94
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) दर सूचियाँ	8	6.66	7.23
(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	9	501.05	656.80
(ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	10	585.94	1,213.29
(iii) उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	11	23,294.23	18,406.22
(iv) अन्य	12	1,324.48	1,826.88
(सी) वर्तमान कर परिसंपत्तियां	13	97.35	356.01
(डी) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	28.71	18.83
कुल परिसंपत्तियां		**109,387.24**	**107,168.77**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	15	96,944.94	96,944.94
(बी) अन्य इक्विटी	16	6,032.56	5,372.31
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	17	-	-
(ए) पट्टा देयताएं	18	16.25	36.08
(ii) अन्य	19	1,584.38	569.48
(बी) आस्थगित कर देयताएं	7	647.93	43.65
(सी) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	20	454.72	156.16
वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	21	19.83	17.87
(ii) अन्य	22	2,935.06	3,422.53
(बी) अन्य वर्तमान देयताएं	23	726.26	498.20
(सी) प्रावधान	24	25.31	107.55
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**109,387.24**	**107,168.77**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1

उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

बलविंदर एसोसिएट्स हेतु
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए गौरव थापर)
भागीदार
सदस्य सं. 095710
एफआरएन 014822एन
स्थान : मोहाली
दिनांक : 16.08.2022
यूडीआईएन : 22095710एपीडीवायईएफ3295

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश रंजन सहाय)
एसएचओ

हस्ता/-
(के. विनायक राव)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(आर.के.दास)
सीएफओ

हस्ता/-
(अवनीत कौर)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2022	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	25	10,156.52	6,715.75
ii) अन्य आय	26	1,413.76	1,149.82
कुल आय		11,570.29	7,865.57
व्यय			
i) कर्मचारी लाभ व्यय	27	989.85	552.38
ii) वित्तीय व्यय	28	231.60	123.46
iii) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	2,947.27	3,062.84
iv) अन्य व्यय	30	2,354.86	1,924.46
कुल व्यय		**6,523.57**	**5,663.15**
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ		5,046.71	2,202.42
असाधारण मदें			-
कर पूर्व लाभ		5,046.71	2,202.42
कर व्यय	7		
– वर्तमान कर		1,268.48	445.20
– पिछले वर्ष से संबंधित कर का समायोजन		0.10	-
– घटाएं : एमएटी क्रेडिट		-	-
– आस्थगित कर		209.53	280.69
कुल कर व्यय		**1,478.11**	**725.90**
निरंतर प्रचालन अवधि के दौरान लाभ		**3,568.60**	**1,476.53**
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
बंद प्रचालनों से कर व्यय		-	-
कर पश्चात बंद प्रचालनों से लाभ		-	-
I वर्ष के लिए लाभ		**3,568.60**	**1,476.53**
II अन्य व्यापक आय			
i) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत न की गई मदें			
निर्धारित लाभ योजनाओं का पूर्वःमापन		-	-
घटाएं : उपरोक्त पर आय कर		-	-
ii) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जाने वाली मदें		-	-
		-	-
इस अवधि हेतु कुल विस्तृत आय (I + II)		3,568.60	1,476.53
प्रति इक्विटी शेयर आमदनी :			
(1) मूल		0.37	0.15
(2) विलयित		0.37	0.15

उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

बलविंदर एसोसिएट्स हेतु
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए गौरव थापर)
भागीदार
सदस्य सं. 095710
एफआरएन 014822एन
स्थान : मोहाली
दिनांक : 16.08.2022
यूडीआईएन : 22095710एपीडीवायईएफ3295

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश रंजन सहाय)
एसएचओ

हस्ता/-
(के. विनायक राव)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(आर.के.दास)
सीएफओ

हस्ता/-
(अवनीत कौर)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/हानि	5046.71	2,202.42
समायोजन हेतु :-		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	(1.86)
मूल्यह्रास	2947.27	3,062.84
ब्याज आय	(1,023.83)	(902.29)
उचित मूल्य लाभ	(227.23)	(117.76)
वित्तीय लागत	227.23	117.76
प्रतिवर्ती देयता	-	-
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान	16.75	-
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	3.92	-
लीज पर ब्याज लागत	4.37	5.70
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**6,995.19**	**4,366.82**
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के लिए समायोजन		
दर सूचियाँ	0.57	(1.31)
व्यापार प्राप्य	139.01	657.60
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	487.40	(631.81)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(9.88)	619.58
वर्तमान कर परिसंपत्तियां	258.66	953.38
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	-	7.00
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	(487.47)	1,437.95
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	(3.92)	-
अन्य वर्तमान देयताएं	249.44	31.32
अन्य वर्तमान प्रावधान	(82.24)	-
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	1,014.90	(1,268.60)
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	298.56	(341.51)
प्रचालन गतिविधियों से सृजित रोकड़	**8,860.21**	**5,830.43**
भुगतान किया गया आयकर	(873.84)	(373.96)
प्रचालन गतिविधियों से सृजित निवल रोकड़	**7,986.37**	**5,456.47**
बी. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की खरीद	(2,577.42)	(4,629.35)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(3.66)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	-	2.45
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का समायोजन	5.80	-
निवेश/बॉन्ड/बैंक जमा के लिए वसूली/(भुगतान)	(5,028.01)	(1,485.57)
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	902.73	948.56
ब्याज आय	1,038.83	847.36
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़	**(5,661.74)**	**(4,316.54)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सी. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान पर ब्याज	(21.38)	15.03
पट्टा भुगतान	(22.24)	(22.07)
भुगतान किया गया लाभांश	(2,908.35)	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	**(2,951.98)**	**(7.04)**
डी. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल परिवर्तन	**(627.35)**	**1,132.89**
ई. प्रारंभिक रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**1,213.29**	**80.40**
एफ. समापन रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**585.94**	**1,213.29**

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के घटक

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंकों के पास शेष राशि	15.94	15.29
3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियां	570.00	1,198.00
	585.94	**1,213.29**
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य बैंक जमा के अतिरिक्त बैंक शेष का घटक	23,434.23	18,406.22

1. नकद प्रवाह का विवरण आईएनडी एएस 7 के नकद प्रवाह का विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के लिए बैंक जमा के प्रकटीकरण में परिवर्तन के कारण पिछले वर्ष 2020–21 के लिए रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों में निवल परिवर्तन की राशि को 802.29 लाख रुपए से 1132.89 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार पिछले वर्ष 2020–21 के लिए समापन रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य को 883.29 लाख रुपए से 1213.29 लाख रुपए तक फिर से बताया गया है। कृपया बैंक जमा शेष के प्रकटीकरण में परिवर्तन के लिए टिप्पणी संख्या 10 और 11 देखें।
3. वित्तीय गतिविधि में निवेश/बॉन्ड/बैंक जमा के लिए वसूली/(भुगतान) को पिछले वर्ष 2020–21 में 1815.57 लाख रुपए से बढ़ाकर 1485.57 लाख रुपए कर दिया गया है। कृपया बैंक जमा शेष के प्रकटीकरण में परिवर्तन के लिए टिप्पणी संख्या 10 और 11 देखें।
4. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के लिए टिप्पणी 6, 10 और 11 देखें।

बलविंदर एसोसिएट्स हेतु
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए गौरव थापर)
भागीदार
सदस्य सं. 095710
एफआरएन 014822एन
स्थान : मोहाली
दिनांक : 16.08.2022
यूडीआईएन : 22095710एपीडीवायईएफ3295

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश रंजन सहाय)
सीईओ

हस्ता/-
(के. विनायक राव)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(आर.के.दास)
सीएफओ

हस्ता/-
(अवनीत कौर)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (लाख रु. में)

01 अप्रैल, 2021 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल, 2021 को पुनः बताई गई शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक शेष
96944.94	-	-	-	96944.94

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (लाख रु. में)

01 अप्रैल, 2020 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल, 2020 को पुनः बताई गई शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 तक शेष
96944.94	-	-	-	96944.94

पिछले वर्ष 2020–21 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के संबंध में इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के लिए प्रकटीकरण अनुसूची ।।। में किए गए संशोधनों के अनुसार पुनः घोषित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (लाख रु. में)

	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष											
			पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य भंडार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	अधिशेष पर पुनर्मूल्यांकन	एक विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरणों पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (स्वरूप निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के एवज़ में प्राप्त धन	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक शेष	-	-	-	-	-	5,372.31	-	-	-	-	-	-	-	5,372.31
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2021 को पुनर्निर्धारित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	-	-	-	-	-	3,568.60	-	-	-	-	-	-	-	3,568.60
लाभांश*	-	-	-	-	-	(2,908.35)	-	-	-	-	-	-	-	(2,908.35)
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक शेष	-	-	-	-	-	6,032.56	-	-	-	-	-	-	-	6,032.56

कंपनी द्वारा अपने इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित की जाने वाली राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

* वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 26.10.2021 को कंपनी के 96,94,49,405 इक्विटी शेयरों पर 1.5 प्रतिशत अर्थात् 0.15 रुपए प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान इक्विटी शेयरधारकों को स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया गया।

* कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 18.01.2022 को कंपनी के 96,94,49,405 इक्विटी शेयरों पर स्रोत पर कर की कटौती के बाद 1.5 प्रतिशत अर्थात् 0.15 रुपए प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसका भुगतान इक्विटी शेयरधारकों को किया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

(लाख रु. में)

	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष											
			पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य भंडार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	अधिशेष पर पुनर्मूल्यांकन	एक विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरणों पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (स्वरूप निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के एवज़ में प्राप्त धन	कुल
01 अप्रैल, 2020 तक शेष	-	-	-	-	-	3,895.78	-	-	-	-	-	-	-	**3,895.78**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
01 अप्रैल, 2020 को पुनर्निर्धारित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	1,476.53	-	-	-	-	-	-	-	**1,476.53**
लाभांश*	-	-	-	-	-	(2,908.35)	-	-	-	-	-	-	-	**(2,908.35)**
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2021 तक शेष	-	-	-	-	-	**5,372.31**	-	-	-	-	-	-	-	**5,372.31**

पिछले वर्ष 2020–21 के लिए अन्य इक्विटी के संबंध में इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के लिए प्रकटीकरण अनुसूची ।।। में किए गए संशोधनों के अनुसार किया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

नोट 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

कंपनी विवरण

चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी, 2010 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) के माध्यम से पंजाब सरकार तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पूर्व में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचयूडीए) के माध्यम से हरियाणा सरकार के साथ मोहाली, पंजाब में स्थित नवनिर्मित अत्याधुनिक चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में किया गया था। संयुक्त उद्यम करार के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इक्विटी अंशभाग का अनुपात क्रमशः 51.00 प्रतिशत, 24.50 प्रतिशत एवं 24.50 प्रतिशत है। इक्विटी के इस अंशभाग में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का योगदान नए टर्मिनल भवन के निर्माण एवं संबंधित कार्यों के लिए है। ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने इक्विटी अंशदान के रूप में उक्त निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई गई है। चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा अपना वाणिज्यिक प्रचालन 19 अक्टूबर, 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है।

वित्तीय विवरणों के निर्माण का आधार

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2015 को बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा गैर –बैंकिंग वित्तीयन कंपनियों के अलावा अन्य भारतीय कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारतीय लेखांकन मानदंड नियमावली भारतीय लेखा मानक (इंड. एस) के रोडमैप के निर्धारण के लिए कंपनी मानक निर्धारित किए गए। इस रोडमैप के अनुसार चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मामले में भारतीय लेखा मानक 01 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू है। तथापि, चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) द्वारा भारतीय लेखा मानक को वर्ष 2015–16 से स्वैच्छिक रूप से अंगीकार किया गया है।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापन किए गए निम्नलिखित मदों के अलावा ये वित्तीय विवरण पूर्व की लागत परंपरा के तहत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं :

- गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे कि प्रतिभूति जमा का मापन उनकी प्रारंभिक स्वीकृति के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।
- गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं जैसे कि ग्राहकों से प्रतिभूति जमा तथा पट्टा किरायों का मापन उनकी प्रारंभिक स्वीकृति के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान एवं संभावनाओं के अनुरूप तैयार करना होता है जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय को प्रभावित करती हैं, और वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटन किए जाते हैं। तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव के कारण वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए प्रबंधन एक निरंतर आधार पर अनुमानों की समीक्षा करता है और अनुमान में किसी भी संशोधन को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय विवरण को लाखों में पूर्णांक बनाया गया है। वित्तीय विवरण सभी लागू भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का तुलन पत्र में अग्रेषण भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों (जीएएपी) के अनुसार किया गया है। कम्पनी द्वारा इन राशियों को भारतीय लेखा मानक में पारगमन किए जाने की तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार) को मानित लागत की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारतीय लेखा मानक 101, "भारतीय लेखा मानक का प्रथम बार अंगीकरण" के विकल्प के अंतर्गत उपलब्ध छूट के उपयोग का चयन किया गया है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई) की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास को घटा कर उनकी मूल अधिग्रहण राशि के अनुसार की गई है। इस लागत में, कर, शुल्क, मालभाड़ा और संबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापन से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में बकाया परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को पूंजीगत अग्रिमों के तहत दिखाया गया है। जिन अचल परिसंपत्तियों की लागत उक्त तिथि को उनके ऐच्छिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है उनका प्रकटीकरण पूँजीगत कार्य प्रगति के रूप में किया गया है।

संयंत्र और उपकरण के साथ अथवा बाद में अधिप्राप्त किए गए वे अतिरिक्त कलपुर्जों, स्टैंड–बॉय उपकरण तथा सर्विसिंग उपकरण जो स्वीकृति के मापदंडों के अनुरूप हैं, उनका पूँजीयन कर लिया गया है तथा उन्हें ऐसी मद की वहन राशि के साथ जोड़ दिया गया है। उपयोग में लाए गए ऐसे अतिरिक्त कलपुर्जों की वहन राशि की स्वीकृति समाप्त कर दी गई है जिनके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ संभावित न हों। अन्य उपकरणों के कलपुर्जों को माल सूची के अंतर्गत ''भंडार एवं कलपुर्जों'' में शामिल किया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

किसी प्रतिस्थापित कलपुर्जे की लागत अथवा पूर्व जांच उपलब्ध न होने की स्थिति में समान प्रकार के नए कलपुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को इस सूचक के साथ उपयोग में लाया गया है कि विद्यमान कलपुर्जे की लागत/जांच घटक तब क्या रही होगी जब इसकी अधिप्राप्ति या निरीक्षण किया गया था।

मूल्यह्रास की स्वीकृति कंपनी अधिनियम, 2013/प्रबंधन अनुमानों के अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा आधार (एस.एल.एम.) पर की गई है। किसी अवधि के दौरान क्रय/विक्रय की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है। इस नीति का अनुकरण करने से प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाने वाली मूल्यह्रास की दरों का विवरण नीचे दिया गया है:–

परिसंपत्तियां	मूल्यह्रास की दर
भूमि	0%
एप्रन	19%
सड़क, पुल तथा कल्वर्टस (कार्पेटेड)	19%
सड़क, पुल तथा कल्वर्टस (गैर–कार्पेटेड)	31.67%
भवन टर्मिनल/अन्य भवन	3.17%
भवन – अस्थाई	31.67%
चारदीवारी	3.17%
कम्प्यूटर्स एवं आई. टी. हार्डवेयर एवं ऐक्सेस	31.67%
कम्प्यूटर्स एवं आई. टी. – सर्वर्स	15.83%
संयंत्र एवं उपकरण/ऐक्स–रे बैगैज सिस्टम	6.33%
औजार एवं उपकरण/कार्यालय उपकरण	19%
फर्नीचर और फिक्स्चर ऑफिस/ कार्यालय के अतिरिक्त	9.50%
वाहन–कार और जीप/मोटर साईकिल	11.88%/9.50%
विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण	9.50%

इसके अलावा अचल परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का अलग–अलग जीवनकाल लिया गया है जैसा कि ऐसी परिसंपत्ति की प्रकृति के कारण प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार ऊपर परिभाषित किया गया है।

भुगतान के वर्ष में 5000 रुपए अथवा कम लागत की परिसंपत्तियों को प्रभारित किया जाता है।

किसी परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य उस परिसंपत्ति की मूल लागत का 5 प्रतिशत है।

मूल्यह्रास विधि, उपयोज्यता काल एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने के साथ–साथ आवधिक रूप से की जाती है।

2. अमूर्त परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

अलग–अलग अधिग्रहित की जाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का मापन उनकी प्रारंभिक स्वीकृत लागत के अनुसार किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का अग्रेषण उनकी वहन लागत में से किसी प्रकार की संचित क्षति एवं संचित हानि को घटाकर किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यथासंभावना हो की भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसों का पूँजीयन अधिग्रहण के लिए व्यय की गई लागत एवं ऐसे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाए जाने के आधार पर किया जाता है। प्रचालन सॉफ्टवेयर का पूँजीयन एवं ऋण परिशोधन सम्बद्ध अचल परिसंपत्ति के साथ किया जाता है।

सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि को उसके उपयोगी जीवन के व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाएगा। उपयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध होने पर ऋण परिशोधन शुरू हो जाएगा अर्थात जब वह ऐसे स्थान और स्थिति में हो जो कि प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीकों से प्रचालन करने में सक्षम हो। उपयोग की जाने वाली ऋण परिशोधन विधि उस पैटर्न को दर्शाती है जिसमें इकाई द्वारा परिसंपत्ति के भावी आर्थिक लाभ की खपत संभावित हो। यदि पैटर्न को विश्वसनीयता से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो ऋजु रेखा पद्धति का उपयोग किया जाएगा। उपयोगी जीवन को प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुमान के आधार पर लिया जाए।

अनुसंधान लागतों को व्यय के अनुसार प्रभारित किया जाता है। किसी एकल परियोजना के लिए विकास व्यय की स्वीकृति कंपनी द्वारा निम्नलिखित की प्रस्तुति की स्थिति प्राप्त करने पर ही अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में की जाती है :

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता प्राप्त होने की स्थिति जिससे ऐसी परिसंपत्ति उपयोग अथवा बिक्री के लिए उपलब्ध हो सके।
- इसे पूरा करने की मंशा अथवा क्षमता तथा परिसंपत्ति का उपयोग अथवा बिक्री करने की मंशा।
- ऐसी परिसंपत्ति से किस प्रकार भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
- परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

- विकास के दौरान व्ययों के विश्वसनीय मापन की क्षमता।

  किसी परिसंपत्ति के विकास व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति के बाद परिसंपत्ति को किसी प्रकार की संचित क्षति एवं संचित हानियों को घटाकर प्राप्त होने वाली लागत पर अग्रेषित किया जाता है। परिसंपत्तियों का ऋण परिशोधन विकास पूरा होने पर एवं परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में किया जाता है। ऐसा परिशोधन संभावित भावी लाभ की अवधि के लिए किया जाता है। ऋण परिशोधन व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

  विकास की अवधि के दौरान ऋण परिशोधन के लिए परिसंपत्तियों का परीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है।

3. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य की राशि वह होती है जो मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य व्यवस्थित संव्यवहार द्वारा किसी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त हो अथवा जो किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता की जा सकती हो। सामान्यतः उचित मूल्य मापन का उत्तम प्रमाण प्रारंभिक स्वीकृति के समय आंका गया उचित मूल्य होता है।

तथापि, कंपनी द्वारा किसी उचित मूल्य से संव्यवहार मूल्य का निर्धारण सही न समझे जाने की स्थिति में अन्य ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जो परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हों तथा जिनसे उचित मूल्य के मापन के लिए पर्याप्त डेटा प्राप्त हो सके और जिससे प्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग बढ़ सके और अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कम हो सके।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य के साथ मापन अथवा प्रकटीकरण की गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण उनके उचित मूल्य के क्रम में निम्नानुसार न्यूनतम स्तर इनपुट को पूर्ण रूप में उचित मूल्य मापन के निर्धारण के आधार पर वर्णित किया गया है

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजार में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विचार योग्य है।
- स्तर 3 – न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विचार योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को एक आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर चिन्हित किया गया है, जिनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के स्तर के अंत में श्रेणीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में विभिन्न सत्रों के बीच अंतरण हुआ है।

4. वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य के साथ–साथ नकदी, किसी अन्य इकाई के इक्विटी उपकरण अथवा नकद प्राप्त करने के लिए संविदात्मक दायित्व अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के विनिमय अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों की देयताओं की ऐसी परिसंपत्तियाँ भी इस शर्त पर शामिल होती हैं जिनमें ऐसी संभावनाएं व्याप्त हों कि इससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ कंपनी के लिए हितकारी होंगे। किसी वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति केवल तभी की जा सकती है जब कंपनी उपकरण के संविदागत प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकार बन जाती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियाँ नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक शेष, कर्मचारियों / संविदाकारों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, प्राप्ति योग्य दावे इत्यादि शामिल होते हैं।

ए. वर्गीकरण

कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया है :

i. ऋण परिशोधन लागत पर,

ii. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, तथा

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित कंपनी का व्यापार मॉडल और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

बी. प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

व्यापार प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मापन उचित लागत पर किया जाता है तथा लाभ या हानि के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध अधिग्रहण की संव्यवहार लागत पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के संव्यवहारों का अग्रेषण उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से लाभ एवं हानि

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण में किया जाता है। यदि संव्यवहार मूल्य उचित मूल्य के मापन नहीं होते हैं तो उचित मूल्य का निर्धारण उस मूल्यांकन बाजार से प्राप्त प्रत्यक्ष डेटा के उपयोग से मूल्यांकन विधि से किया जाता है तथा संव्यवहार मूल्य एवं उचित मूल्य के मध्य भिन्नता को लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है तथा अन्य मामलों में प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से वित्तीय उपकरणों के उपयोज्यता काल पर इसे प्रभारित किया जाता है।

यदि व्यापार प्राप्यों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं तो कंपनी द्वारा व्यापार प्राप्यों का मापन उनके संव्यवहार मूल्य पर किया जाता है।

सी. अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक मापन के पश्चात् परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ई.आई.आर) विधि के उपयोग से ऋण परिशोधन लागत पर किया जाता है। ऋण परिशोधन लागत का आंकलन अधिग्रहण से जुड़ी किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम तथा फीस अथवा ऐसी लागतों, जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अभिन्न हिस्सा हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ई.आई.आर) ऋण परिशोधन को लाभ अथवा हानि की वित्त आय में शामिल किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रति स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। तथापि, कंपनी द्वारा ब्याज आय, क्षति हानि एवं व्युत्क्रम तथा विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि की स्वीकृति आय विवरण में की जाती है। इक्विटी उपकरणों के अलावा वित्तीय परिसंपत्ति की स्वीकृति समाप्त करते समय संचयी लाभ या हानि जो पहले अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है, को आय विवरण में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधन लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ अथवा हानि में वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को आय विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

डी) स्वीकृति समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा जहाँ लागू हो, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का भाग अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह) के प्रति मुख्यतः तब स्वीकृति समाप्त की जाती है, जब

- परिसंपत्ति से नकद प्रवाह की प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो गए हों, अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या एक ''पास–थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को वस्तुगत देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और अथवा (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया हो, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही अपने पास रखा हो, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

ई) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कम्पनी द्वारा लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्यन न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ई.सी.एल.) मॉडल के उपयोग से नुकसान भत्ते की स्वीकृति की जाती है। किसी गैर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक वाले व्यापार प्राप्यों के नुकसान भत्ते का मापन संभावित क्रेडिट हानि के उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनकी संभावित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह के संभावित क्रेडिट की समतुल्य राशि पर किया गया है, के संबंध में प्रारंभिक स्वीकृति के प्रति क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी न होने की स्थिति में ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उनके उपयोज्यता काल पर संभावित क्रेडिट हानि के लिए होता है। संभावित क्रेडिट हानि (या विपरीत) की राशि जो रिपोर्टिंग की तिथि पर नुकसान भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक है, उसे क्षति लाभ अथवा लाभ या हानि में हानि के रूप में चिन्हित करने की आवश्यकता होगी।

5. भंडार/कलपुर्जे

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरणों के अंतर्गत चिन्हित न किए गए भंडार/कलपुर्जों को मालसूची माना जाता है तथा इनका प्रभारण उनकी खपत होने पर लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है।

क्रय की लागत में शुल्कों एवं करों (उद्यम द्वारा कराधान प्राधिकरणों से वसूली योग्य के अलावा) सहित क्रय मूल्य आवक मालभाड़ा तथा अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध अन्य व्यय शामिल होते हैं। क्रय की लागतों का निर्धारण करते समय व्यापार छूट, रिबेट, ड्यूटी ड्राबैक एवं समान प्रकार की मदों को घटा दिया जाता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

वर्ष के अंत में मालसूची का शेष यदि कोई हो तो, उनका मूल्यांकन पहले आओ, पहले जाओ के आधार पर किया जाता है।

6. राजस्व स्वीकृति

1 अप्रैल, 2018 के पश्चात से भारतीय लेखा मानक 115 को एमसीए द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक संरचना स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व को मान्यता दी जानी है। सीएचआईएएल द्वारा संशोधित दृष्टिकोण का उपयोग कर 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक–115 को अंगीकार कर लिया गया है।

- राजस्व की स्वीकृति ग्राहक को प्रतिबद्ध उत्पाद अथवा सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण का संतोषजनक निष्पादन करने पर कम्पनी की प्रत्याशा के अनुरूप राशि की प्राप्ति के पश्चात की जाती है जो ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं के विनिमय के तौर पर अपेक्षित की गई है।
- कम्पनी द्वारा अपने दायित्वों का संतोषजनक निष्पादन एवं राजस्व के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड पूरा होता है :–
  1. कम्पनी द्वारा निष्पादन किए जाने के साथ साथ निष्पादित किए गए लाभों की ग्राहक द्वारा प्राप्ति एवं खपत किए जाने; अथवा
  2. कम्पनी द्वारा किए गए निष्पादन से ग्राहक के नियंत्रण की किसी परिसंपत्ति के संबंध में किए जा रहे सृजन एवं संवर्धन के साथ साथ परिसंपत्ति का सृजन अथवा किसी परिसंपत्ति में संवर्धन होने पर; अथवा
  3. कम्पनी द्वारा किए गए निष्पादन से ऐसी परिसंपत्ति का सृजन न होना जिसका वैकल्पिक प्रयोग कम्पनी द्वारा किया जाना है तथा इकाई के पास अद्यतन तिथि तक किए गए निष्पादन के लिए भुगतान के प्रवर्तन अधिकार होने की स्थिति में।

     निष्पादन दायित्वों में जब उपर्युक्त में से कोई एक स्थिति पूर्ण नहीं होती है तो राजस्व के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब निष्पादन दायित्व पूरे हो जाते हैं।
- कंपनी द्वारा समय के साथ–साथ किसी इकाई की प्रगति के निष्पादन के प्रति पूर्ण संतुष्टि के मापन के लिए इनपुट/आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है।
- राजस्व का मापन संव्यवहार मूल्य पर किया जाता है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अद्यतन होता है। यह ग्राहक के साथ किए गए करार में की गई निर्दिष्टि के अनुसार वाल्यूम छूटों, सेवा स्तर क्रेडिट, निष्पादन बोनस, मूल्य रियायतों एवं प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के वाल्यूम के समायोजन के अनुसार विचारणीय होते हैं। राजस्व में ग्राहक से प्राप्त किए गए करों को शामिल नहीं किया जाता है।

  वैमानिक राजस्व में शामिल चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा प्रभारित सभी विनियामक राजस्व यथा पार्किंग प्रभार, प्रयोक्ता विकास शुल्क और कार्गो (एक्स–बिस स्क्रीनिंग प्रभार) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) और आम प्रयोक्ता टर्मिनल उपकरण प्रभार (सीयूटीई) द्वारा निर्धारित दरों पर स्वीकृत किया जा रहा है और बैगेज समाधान सिस्टम (बीआरएस) शुल्क संविदा दरों पर स्वीकार किया गया है। चौकसी घंटों का विस्तार लागू दरों पर प्रभारित किया जाता है। प्रयोक्ता विकास शुल्क एईआरए द्वारा अनुमोदित निर्धारित दरों पर विमान में सवार होने वाले प्रत्येक यात्री के संबंध में चिन्हित किया गया है।

  गैर–वैमानिक राजस्व से वे सभी राजस्व प्रवाह अभिप्रेत हैं जो वैमानिक राजस्व के अलावा है। इनके अंतर्गत (1) रियायतों से प्राप्त राजस्व (2) किराए तथा भूमि पट्टा; (3) खाद्य एवं पेय पदार्थों की रियायतें; (4) उपयोज्यता प्रभार; एवं (5) अन्य गैर–वैमानिकी संबद्ध प्रभार हैं जिनकी स्वीकृति संविदागत करार के उपबंधों के आधार पर की गई है।

  ब्याज के प्रति प्रदान की जाने वाली स्वीकृति समय आनुपातिक आधार पर लागू ब्याज दर पर उत्पन्न ब्याज की दर के आधार पर की गई है। अवार्ड शुल्क एवं निविदा शुल्क के लिए प्रदान की जाने वाली स्वीकृति संबद्ध व्यवस्था के उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है।

7. सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ

कंपनी की वेतन सूची में दर्ज कर्मचारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति/प्रतिपूर्ति आधार पर कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में की जाने वाली सांविधिक कटौती भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को चुकता की जाती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लागत प्रतिपूर्ति आधार पर प्रतिनियुक्ति की लागत को इन कर्मचारियों के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली सकल राशि के आधार पर प्रभारित किया जाता है। इन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों के प्रति देयताओं को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बहियों में प्रभारित किया जाता है।

8. पट्टे

कंपनी अनुबंध प्रारंभ करते समय यह आकलन करती है कि क्या इस हेतु अनुबंध किया जाए अथवा इसे पट्टे पर दिया जाये। अर्थात क्या अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी, अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और मापदंड दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी पट्टा भुगतान और बुनियादी परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ बनाने के लिए पट्टा देनदारियों को चिन्हित करती है।

उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियां

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख (अर्थात जिस तारीख से बुनियादी परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है) में उपयोग की गई परिसंपत्तियों को स्वीकृति देती है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि को कम किया जाता है और पट्टे की देनदारियों के किसी भी चुकौती के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति की लागत में स्वीकृत पट्टा देनदारी की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और शुरूआत होने की तारीख को या इससे पहले प्राप्त पट्टा भुगतान शामिल हैं और कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है उसे घटाना है। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक ऋजु रेखा के आधार पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार के साथ दी गयी परिसंपत्तियां भी हानि के अधीन हैं।

पट्टे संबंधी देयताएं

लीज की शुरुआत की तारीख पर, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा किराया देयताओं को स्वीकृति देती है। पट्टे के भुगतानों में किसी भी पट्टा प्रोत्साहन से प्राप्त करने योग्य राशि को घटाकर निश्चित भुगतान (इन–सब्स्टेंस निर्धारित भुगतानों सहित), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक इंडेक्स या एक दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों का भुगतान किया जाता है। कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख में अपने वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है।

अल्पकालिक पट्टा और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों की मान्यता को लागू करती है। अल्पकालिक पट्टों पर पट्टा भुगतान और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे को पट्टा अवधि के आधार पर ऋजु रेखा के आधार पर व्यय के रूप में चिन्हित किया जाता है।

पट्टादाता के रूप में

पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह स्वामित्व को आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को आबंटित करता है और वित्तीय पट्टे के अलावा पट्टा प्रचालन पट्टा होता है।

किसी पट्टे का वित्त पट्टा होने अथवा प्रचालन पट्टा होने का निर्धारण अनुबंध के स्वरूप के अनुसार न होकर संव्यवहार के तात्पर्य पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख नीचे किया गया है जिनमें से किसी एक अथवा अधिक स्थिति के होने पर पट्टे का वर्गीकरण वित्त पट्टे के रूप में किया जाता है:

(क) पट्टाधारक को परिसंपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण पट्टा अवधि समाप्ति के अंत में किया जाना है;

(ख) पट्टाधारक के पास किसी तिथि को परिसंपत्ति का क्रय उस मूल्य पर करने का विकल्प होना जो उचित मूल्य से पर्याप्त रूप से कम होना संभावित है तथा ऐसे विकल्प के प्रति पट्टे के प्रारंभ में यह औचित्यपरक निश्चितता होना कि इस विकल्प का उपयोग कर लिया जाएगा;

(ग) स्वत्व का हस्तांतरण किए जाने अथवा न किए जाने पर भी पट्टे की कालावधि परिसंपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का प्रमुख भाग होना;

(घ) न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पट्टे के प्रारंभ में पट्टाकृत परिसंपत्ति के प्रत्येक उचित मूल्य से काफी हद तक कम होना चाहिए; तथा

(ङ) पट्टाकृत परिसंपत्तियों का स्वरूप ऐसी विशिष्ट प्रकृति का होना चाहिए कि केवल पट्टाधारक ही उनका उपयोग किसी प्रमुख बदलाव के बिना कर सके।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

प्रचालन पट्टे से पट्टे की आय को संगत पट्टे की लीज अवधि के आधर पर ऋजु रेखा के आधार आय में स्वीकृत होती है।

9. कर

चालू आय कर

चालू आय कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मापन कराधान प्राधिकारियों से होने वाली वसूली अथवा चुकता राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो इन दशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं जहां कंपनी संचालित होती है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।

लाभ अथवा हानि से अलग स्वीकृत की गई चालू आय कर से संबंधित मदों की स्वीकृति लाभ अथवा हानि से अलग (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की जाती है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के अनुसार अन्य व्यापक आय अथवा सीधे ही इक्विटी में की जाती है।

प्रबंधन द्वारा समय–समय पर कर विवरणों में स्थापित की गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में किया जाता है जो लागू कर नियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां लागू होने की स्थिति में प्रावधान उपयुक्त होते हैं।

आस्थगित कर

आस्थगित कर के प्रति प्रदान की जाने वाली स्वीकृति कम्पनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों पर अनुवर्ती कर आधार के उपयोग आंकलित कर योग्य लाभ के अनुसार किया जाता है तथा इनका लेखांकन तुलन पत्र देयता विधि के उपयोग से किया जाता है।

आस्थगित आय कर परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की स्वीकृ ति परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के कर आधार एवं वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के कर आधार के मध्य उत्पन्न सभी अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के अनुसार इस संभावना से की जाती है कि इससे भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का उपयोग किया जा सकेगा। यदि किसी परिसंपत्ति अथवा देयता से न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि और लेखांकन लाभ अथवा हानि के संव्यवहार के समय किसी परिसंपत्ति अथवा देयता की प्रारंभिक स्वीकृति पर कोई अस्थाई अंतर उत्पन्न होता है तो ऐसी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की स्वीकृति नहीं की जाती है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की समीक्षा की जाती है तथा आस्थगित कर आय परिसंपत्ति की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसके प्रति उनसे ऐसे भावी कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना न हो जिससे अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का माप उन कर दरों पर किया जाता है जो कर दरें (तथा कर कानून भी) उस अवधि के लिए उपयोग की जानी संभावित हैं जिस अवधि में देयता का समाधान अथवा परिसंपत्ति का निपटान किया गया है तथा जिनका उपयोग अथवा अनुवर्ती उपयोग तुलन पत्र तिथि में किया गया है। आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों के मापन से वे कर परिणाम प्रस्तुत होते हैं जिनका अनुसरण करके कम्पनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वसूली अथवा वहन राशि का निपटान करने की प्रत्याशा की गई है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर देयताओं के संबंध में वर्तमान कर परिसंपत्तियों के संमजन के लिए प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान कर योग्य इकाई अथवा ऐसी भिन्न कर योग्य इकाई, जो निवल आधार पर शेष का निपटान करने की मंशा रखती है, पर समान कराधान प्राधिकारी द्वारा प्रत्यारोपित आय कर पर समंजन किया जाना हो।

10. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर की मूल अथवा विरल की गई आय का आकलन कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के निवल लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

11. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की सूचना की प्रस्तुति अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके की जाती है, जिसके द्वारा गैर–नकद प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

12. वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रस्तुति तुलन पत्र में की जाती है। किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब :–

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में खपत की जाने वाली हो
- वह मुख्यतः व्यापार के लिए धारित की गई हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर वसूली की जानी हो, अथवा
- नकद या नकद समतुल्य बशर्ते कि रिपोर्टिंग समय के कम से कम बारह माह देयता के समायोजन हेतु उपयोग हो अथवा विनिमय हेतु प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों का वर्गीकरण गैर–वर्तमान के रूप में किया जाता है।

कोई देयता वर्तमान तब होती है जब :

- सामान्य प्रचालन चक्र में इसका निपटान संभावित हो
- यह मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के अंदर इसका निपटान किया जाना हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई बिना शर्त के अधिकार न हो

कंपनी द्वारा अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–वर्तमान के रूप में किया जाता है।

13. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

प्रावधानों की स्वीकृति तब की जाती है जब किसी पूर्व–घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्क साध्य) हो तथा जिस दायित्व के निपटान में निहित आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का आवश्यक बर्हिप्रवाह होने की संभावना हो तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकें। जब कम्पनी को कुछ अथवा सभी प्रावधानों के प्रतिपूर्ति की संभावना होती है, उदाहरण के तौर पर बीमा करार के अंतर्गत ऐसी प्रतिपूर्ति को अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत की जाती है परन्तु ऐसा केवल प्रतिपूर्ति के प्रति पूर्ण निश्चितता होने पर ही किया जाता है। ऐसे किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

धन के समय मूल्य के सामग्रीगत होने की स्थिति में दायित्व से संबद्ध जोखिम के समरूप चालू कर पूर्व दर के उपयोग, जहां उचित हो, से प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ–साथ प्रावधान होने वाली बढ़त की पहचान वित्त लागतों के रूप में की जाती है।

आकस्मिक देयताएं

दावों, मुकदमों, जुर्मानों, दंड इत्यादि से संबंधित आकस्मिक हानियों के प्रावधानों की स्वीकृति तब की जाती है जब देयता का निर्वहन संभावित हो तथा राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जाने संभव हों।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कम्पनी द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को किसी परिसंपत्ति के संबंध में क्षति होने के संकेत को ज्ञात करने के लिए आंकलन किए जाते हैं। यदि ऐसा कोई लक्षण मौजूद होता है तो कम्पनी द्वारा परिसंपत्ति से वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता हैं। वृहद रूप से स्वतंत्र नकद प्रवाह की उत्पत्ति न करने वाली परिसंपत्ति के संबंध में सम्बद्ध परिसंपत्ति की नकद उत्पत्ति यूनिट द्वारा वसूली योग्य राशि के निर्धारण किया जाता हैं। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि यदि परिसंपत्ति से सम्बद्ध नकदी उत्पत्ति यूनिट की वसूली योग्य राशि वहन राशि से कम होती है तो वसूली योग्य राशि में से वहन राशि घटा दी जाती है। ऐसी कटौती को क्षति हानि माना जाता है तथा इसकी स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। यदि किसी तुलन पत्र तिथि को किसी पूर्व मूल्यांकित क्षति हानि के न होने के संकेत प्रतीत होते हैं तो वसूली योग्य राशि का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति की प्रस्तुति वसूली योग्य राशि के अनुसार की जाती है। किसी क्षति हानि का व्युतक्रम परिसंपत्ति की वहन राशि की उस सीमा तक किया जाता है जो उस निवल बही मूल्य से अधिक न हो जिसका निर्धारण परिसंपत्ति के प्रति किसी प्रकार की क्षति हानि न होने की स्थिति में किया जाता।

15. निवेश

दीर्घकालिक निवेशों का निष्पादन लागत में से ह्रास के प्रावधान, निवेश के मूल्य के अस्थायी ह्रास के अलावा, घटाकर किया जाता है।

चालू निवेशों का निष्पादन न्यूनतम लागत एवं उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागत एवं उचित मूल्य की तुलना का निष्पादन प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग अलग किया जाता है।

16. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। सरकारी अनुदानों को उन वर्षों में व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को खर्च के रूप में दर्शायी है जिनके

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

लिए अनुदान क्षतिपूर्ति के लिए अभिप्रेत है या जब निष्पादन दायित्वों को पूरा किया जाता है।

सरकारी अनुदान, जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर–चालू परिसंपत्तियों की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन पत्र में गैर–वर्तमान देयता के तहत ''आस्थगित आय'' के रूप में पहचाना और प्रकट किया जाता है और संबंधित संपत्तियों के उपयोज्य अनाधिक आधार पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. अनुमानों का उपयोग

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रबंधन से अनुमान, निर्णय एवं निर्धारण किए जाने की अपेक्षा की गई है। ऐसे अनुमानों, निर्णयों एवं निर्धारणों से लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं में प्रभारित राशियां प्रभावित, वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में किए गए प्रकटीकरण तथा अवधि के दौरान राजस्वों एवं व्ययों पर प्रभारित की गई राशि प्रभावित होती हैं। लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता के अंतर्गत जटिल एवं विशेष निर्णायक अनुमान लगाए जाने की अपेक्षा होती है जिनके लिए वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग करना पड़ता है तथा इनके संबंध में नोट 17.1 में प्रकटन कर दिया गया है। लेखांकन अनुमान समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अनुमानों के प्रति परिस्थितियों के परिवर्तनों की जानकारी मिलने पर प्रबंधन द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों के संबंध में किए गए परिवर्तनों की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों की उस अवधि में की गई है जिस अवधि में परिवर्तन किए गए हैं तथा उनके प्रभाव, यदि तथ्यात्मक है, का प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया गया है।

17.1महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन द्वारा कम्पनी की लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं तथा वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशि महत्वपूर्ण रूप प्रभावित हो सकती हैं। वर्ष के दौरान लगाए गए अनुमान निम्नानुसार हैं।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से कम्पनी की परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण आनुपातिक आधार की प्रस्तुत की जाती है। आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में किए गए प्रभारण किसी परिसंपत्ति के संभावित उपयोज्यता काल के अनुमानों का निर्धारण करने तथा उपयोज्यता काल की समाप्ति पर उसके अपशिष्ट मूल्य के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। कम्पनी की परिसंपत्तियों के उपयोज्यता काल एवं अपशिश्ट मूल्यों के निर्धारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार किए गए हैं।

प्रावधान : प्रावधानों का निर्धारण प्रबंधन द्वारा तुलन पत्र तिथि को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित अनुमान के आधार पर किया गया है।

आकस्मिक देयताएं : आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा इनका समायोजन प्रबंधन अनुमानों में दर्शाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां : आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर किया गया है।

बलविंदर एसोसिएट्स हेतु
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए गौरव थापर)
भागीदार
सदस्य सं. 095710
एफआरएन 014822एन
स्थान : मोहाली
दिनांक : 16.08.2022
यूडीआईएन : 22095710एपीडीवायईएफ3295

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश रंजन सहाय)
एसएचओ

हस्ता/-
(के. विनायक राव)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(आर.के.दास)
सीएफओ

हस्ता/-
(अवनीत कौर)
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

2. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को सकल वहन मूल्य	संवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2021 को संचित मूल्यह्रास	संवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2022 को नेट ब्लॉक
भूमि	**45,318.73**	-	-	45,318.73	-	-	-	-	**45,318.73**
भवन टर्मिनल/अन्य भवन	**29,875.34**	281.08	-	30,156.42	5,115.48	950.37	-	**6,065.85**	**24,090.57**
अस्थायी भवन	**144.66**	-	-	144.66	113.39	-	-	**113.39**	**31.27**
सड़कें, पुल और पुलिया–(कार्पेटेड)	**8,138.88**	1,325.60	-	9,464.48	6,011.87	575.24	-	**6,587.11**	**2,877.37**
सड़कें, पुल और पुलिया–गैर कार्पेटेड–सीआईएसएफ सुरक्षा	**41.25**	-	-	41.25	39.18	-	-	**39.18**	**2.06**
कंप्यूटर और आई.टी.हार्डवेयर और एक्सेस	**103.65**	4.71	-	108.36	88.72	7.47	-	**96.19**	**12.17**
कंप्यूटर और आई.टी. – सर्वर	**183.03**	16.52	-	199.55	157.74	17.10	-	**174.84**	**24.71**
संयंत्र और मशीनरी–उपकरण–फ्रीहोल्ड	**8,391.94**	182.68	5.80	8,568.83	1,967.02	573.03	0.19	**2,539.87**	**6,028.97**
कलपुर्जे और उपकरण	**80.79**	-	-	80.79	45.28	5.64	-	**50.92**	**29.87**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	**825.08**	-	-	825.08	401.97	78.36	-	**480.33**	**344.75**
विद्युतीय प्रतिष्ठापन और उपकरण	**7,281.76**	762.87	-	8,044.62	3,583.18	723.41	-	**4,306.59**	**3,738.04**
मोटर वाहन – सुरक्षा	**0.83**	-	-	0.83	0.37	0.10	-	**0.47**	**0.35**
कार और जीप – सुरक्षा	**15.33**	-	-	15.33	2.47	1.82	-	**4.29**	**11.04**
कार्यालय उपकरण	**15.19**	3.96	-	19.15	7.11	2.79	-	**9.90**	**9.25**
कुल	**1,00,416.45**	**2,577.42**	**5.80**	**1,02,988.08**	**17,533.79**	**2,935.33**	**0.19**	**20,468.93**	**82,519.15**

2.1 वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान आयातित वस्तुओं के संदर्भ में एजेंसी द्वारा की गई स्थानीय आपूर्ति के कारण कंपनी ने 579509.45 रुपए (75.7925 अमेरिकी डॉलर की दर पर 7646) की रोकी गई राशि को जब्त कर लिया है। इसे वर्तमान वर्ष में समायोजन के रूप में संयंत्र और मशीनरी उपकरणों की कुल लागत – फ्रीहोल्ड से कम कर दिया गया है। पिछले वर्ष 2020–21 में ऐसी वसूल की गई राशि पर 19004.73 रुपए के मूल्यह्रास का दावा वर्तमान वर्ष के मूल्यह्रास से समायोजन के रूप में दिखाया गया है।

2.2 वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने 182.68 लाख रुपए की संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत वर्गीकृत बॉयोमीट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का पूंजीकरण किया है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लिखित संयंत्र की प्रकृति के कारण संयंत्र और मशीनरी के सामान्य उपयोगी जीवन के बजाय संयंत्र का उपयोगी जीवन 6 वर्ष माना गया है।

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

2. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी..)

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को सकल वहन मूल्य	संवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यह्रास	संवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2021 को निवल ब्लॉक
भूमि	**45,318.73**	-	-	45,318.73	-	-	-	-	**45,318.73**
भवन टर्मिनल/अन्य भवन	**29,389.83**	485.51	-	29,875.34	4,176.25	939.22	-	**5,115.48**	**24,759.87**
अस्थायी भवन	**144.66**	-	-	144.66	105.65	7.75	-	**113.39**	**31.27**
सड़कें, पुल और पुलिया–(कार्पेटेड)	**6,462.11**	1,676.77	-	8,138.88	5,206.52	805.35	-	**6,011.87**	**2,127.01**
सड़कें, पुल और पुलिया–गैर कार्पेटेड– सीआईएसएफ सुरक्षा	**41.25**	-	-	41.25	39.18	-	-	**39.18**	**2.06**
कंप्यूटर और आई.टी.हार्डवेयर और एक्सेस	**103.65**	-	-	103.65	81.73	6.99	-	**88.72**	**14.93**
कंप्यूटर और आई.टी. – सर्वर	**183.03**	-	-	183.03	128.76	28.98	-	**157.74**	**25.29**
संयंत्र और मशीनरी–उपकरण–फ्रीहोल्ड	**6,024.37**	2,386.85	19.27	8,391.94	1,517.09	469.20	19.27	**1,967.02**	**6,424.92**
कलपुर्जे और उपकरण	**80.02**	0.78	-	80.79	36.97	8.31	-	**45.28**	**35.51**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	**823.78**	1.30	-	825.08	323.65	78.32	-	**401.97**	**423.11**
विद्युतीय प्रतिष्ठापन और उपकरण	**7,203.92**	77.84	-	7,281.76	2,881.38	701.79	-	**3,583.18**	**3,698.58**
मोटर वाहन – सुरक्षा	**0.83**	-	-	0.83	0.27	0.10	-	**0.37**	**0.46**
कार और जीप – सुरक्षा	**16.97**	-	1.64	15.33	1.51	2.00	1.05	**2.47**	**12.86**
कार्यालय उपकरण	**14.89**	0.30	-	15.19	4.28	2.83	-	**7.11**	**8.08**
कुल	**95,808.02**	**4,629.35**	**20.91**	**100,416.45**	**14,503.24**	**3,050.87**	**20.32**	**17,533.79**	**82,882.66**

2.3 पिछले वर्ष 2020–21 के लिए विद्युत प्रतिष्ठापन को विद्युत प्रतिष्ठापन और उपकरणों के रूप में पुनः स्थापित किया गया है।

2.4 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में पीबीबी की बिक्री की है लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में 19.27 लाख रुपए के संचित मूल्यह्रास का सही किया गया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 19–20 के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 20–21 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

3. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	वर्ष के दौरान संवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 को शेष
सिविल एवं अन्य कार्य*	1,664.24	1,638.12	2,540.85	761.51
कुल	**1,664.24**	**1,638.12**	**2,540.85**	**761.51**

3 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2021 को शेष
सिविल एवं अन्य कार्य*	2,612.80	3,649.57	4,598.14	1,664.24
कुल	**2,612.80**	**3,649.57**	**4,598.14**	**1,664.24**

3.1 'निम्नलिखित के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को सिविल एवं अन्य कार्य :

1. प्रस्थान क्षेत्र में फ्लाई ओवर पर व्यू कटर 19.49 लाख रुपए
2. कार्गो परिसर का निर्माण 742.02 लाख रुपए

3.2 ''निम्नलिखित के संबंध में दिनांक 31.03.2021 को सिविल एवं अन्य कार्य :

1. अतिरिक्त सीआईएसएफ बैरक 221.60 लाख रुपए
2. रनवे–11 साइड में कैट–। लाइटिंग प्रणाली 140.84 लाख रुपए
3. साउथ टैक्सी वे का निर्माण 950.49 लाख रुपए
4. साउथ टैक्सी वे के लिए ग्राउंड लाइटिंग सुविधा 36.81 लाख रुपए
5. प्रचालन क्षेत्र में नए एप्रन के किनारों को टैक्सीवे जे लिंक के साथ मिलाना 25.36 लाख रुपए
6. कार्गो परिसर का निर्माण 288.06 लाख रुपए
7. नेटवर्क कंपोनेंट सिंगल मोड फाइबर और स्विच की खरीद 1.08 लाख रुपए

3.3 डिवीजन II से अनुसूची III के अनुसार प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के संबंध में प्रकटीकरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पूंजीगत कार्य की अवधि (ऐज) का विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित है :

31.03.2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं	19.49	-	-	-	**19.49**
प्रगतिशील परियोजनाएं – कार्गो	453.98	288.05	-	-	**742.02**
कुल	**473.46**	**288.05**	**-**	**-**	**761.51**

31.03.2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं	1,353.65	22.54	-	-	**1,376.19**
प्रगतिशील परियोजनाएं – कार्गो	288.05	-	-	-	**288.05**
कुल	**1,641.70**	**22.54**	**-**	**-**	**1,664.24**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

3.4 वर्तमान वर्ष 2021–22 और पिछले वर्ष 2020–21 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी का हिस्सा बनने वाली कोई भी परियोजना उनकी मूल योजनाओं की तुलना में अतिदेय नहीं हुई है और मूल योजनाओं की तुलना में किसी परियोजना से लागत अधिक नहीं हुई है।

3.5 वर्तमान वर्ष 2021–22 और पिछले वर्ष 2020–21 के दौरान विकास के अंतर्गत कोई अमूर्त परिसंपत्ति, पूंजीगत प्रगतिशील कार्य का हिस्सा नहीं बनाई गई थी।

3.6 पिछले वर्ष 2020–21 के लिए सीडब्ल्यूआईपी एजिंग का प्रकटन अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों के अनुसार जोड़ा गया है

4. गुडविल के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		
प्रारंभिक शेष	27.30	**27.30**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	3.66	-
वर्ष के दौरान निकाले गए	-	-
अंतिम शेष	**30.96**	**27.30**
संचित परिशोधन	7.59	**2.31**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	5.43	**5.28**
वर्ष के दौरान निकाले गए	-	-
अंतिम शेष	**13.02**	**7.59**
निवल ब्लॉक	**17.94**	**19.70**

5. संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक शेष	105.68	105.68
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-
वर्ष के दौरान निकाले गए	-	-
अंतिम शेष	**105.68**	**105.68**
संचित परिशोधन	**21.71**	**15.02**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	6.69	**6.69**
वर्ष के दौरान निकाले गए	-	-
अंतिम शेष	**28.40**	**21.71**
निवल शेष	**77.28**	**83.97**

6. अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा प्राप्त	32.94	32.94
अन्य बैंक जमा (12 माह से अधिक की षेश परिपक्वता अवधि)	140.00	-
कुल	**172.94**	**32.94**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

6.1 31.03.2022 तक सावधि जमा पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं।

6.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी ने अनुसूची 3 के अनुरूप अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए दूसरों से प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि को ऋणों में पुनर्वर्गीकृत किया है। कंपनी ने उस पर छूट का निष्पादन नहीं किया है क्योंकि धन वापसी की अपेक्षित तिथि निश्चित नहीं है।

6.3 सावधि जमा और एम्बार्क्ड शेष को बैंक जमा के रूप में पुनः शुरू किया गया है

7. आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं निम्नलिखित के कारण हैं :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	(1,878.36)	**(1,672.09)**
पट्टा देयता का उपयोग करने का अधिकार	(12.00)	**(8.74)**
उप जोड़	**(1,890.36)**	**(1,680.83)**
एमएटी क्रेडिट पात्रता		
एमएटी क्रेडिट	1,242.43	**1,637.18**
उप जोड़	**1,242.43**	**1,637.18**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयता)	**(647.93)**	**(43.65)**

7.1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेषों का संचलन

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	लाभ और हानि में मान्य	31 मार्च, 2022 को शेष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	(1,672.09)	(206.28)	(1,878.36)
उपयोग करने का अधिकार और पट्टा दायित्व	(8.74)	(3.26)	(12.00)
कुल	**(1,680.83)**	**(209.53)**	**(1,890.36)**

7.2 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेषों का संचलन

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को शेष	लाभ और हानि में मान्य	31 मार्च, 2021 को शेष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	(1,394.48)	(277.61)	(1,672.09)
उपयोग करने का अधिकार और पट्टा दायित्व	(5.66)	(3.08)	(8.74)
कुल	**(1,400.14)**	**(280.69)**	**(1,680.83)**

7.3 लाभ और हानि विवरण में मान्य कर

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान आयकर		
वर्तमान वर्ष	1,268.48	**445.20**
घटा : पिछले वर्ष के लिए कर का समायोजन	0.10	-
घटा : एमएटी क्रेडिट	-	-
उप जोड़ (क)	**(1,268.58)**	**(445.20)**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

7.3 लाभ और हानि विवरण में मान्य कर (जारी..)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतरों की उत्पत्ति और व्युत्क्रम	(209.53)	**(280.69)**
उप जोड़ (ख)	**(209.53)**	**(280.69)**
कुल (क + ख)	**(1,478.11)**	**(725.90)**

7.4 प्रभावी कर दरों का विनियोजन

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पूर्व लाभ	5,046.71	2,202.42
निर्धारित कर दर*	29.12%	29.12%
परिकलित संभावित कर व्यय	1,469.60	641.35
कर प्रभाव :		
एमएटी भुगतान	-	-
आयकर के तहत अस्वीकरण	25.78	20.78
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	(0.54)
मूल्यह्रास का प्रभाव	(205.47)	(209.30)
आयकर के तहत भत्ते	(21.43)	(7.09)
वर्तमान कर प्रावधान (क)	**1,268.48**	**445.20**
वर्तमान वर्ष कर घाटे, जिसके लिए कोई आस्थगित कर स्वीकार्य नहीं है		
अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर		
कर दर में परिवर्तन का प्रभाव*		
अग्रेषित हानियों पर आस्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता		
आस्थगित कर प्रावधान (ख)	-	-
लाभ और हानि में स्वीकार्य कर व्यय (क + ख)	**1,268.48**	**445.20**

*वर्तमान वर्ष के लिए अधिनियमित कर की दर 25 प्रतिशत कर दर सहित 12 प्रतिशत अधिभार सहित 4 प्रतिशत उपकर और पिछले वर्ष के लिए 25 प्रतिशत कर दर सहित 12 प्रतिशत अधिभार सहित 4 प्रतिशत उपकर है।

8. माल सूची

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्टॉक और कलपुर्जे	6.66	7.23
कुल	**6.66**	**7.23**

8.1 स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन 31.03.2021 को किया गया है और कोई विसंगति नहीं मिली है।

9. व्यापार प्राप्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
व्यापार प्राप्य – प्रतिभूतिकृत – अच्छा माना जाता है	392.05	359.35
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूतिकृत – अच्छा माना जाता है	125.74	297.45
घटाएं : अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	(16.75)	-
कुल	**501.05**	**656.80**

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणिया

9.1 कंपनी के मतानुसार, लेखों में उल्लिखित अनुसार व्यापार प्राप्य की वसूली व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की जाएगी।

10. नकद एवं नकद समतुल्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंकों में शेष	15.94	15.29
सावधि जमा (3 महीने से कम मूल परिपक्वता)	570.00	**1,198.00**
कुल	**585.94**	**1,213.29**

10.1 पिछले वर्ष 2020–21 के लिए बैंक जमा (3 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ) को इंड एएस की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार 868.00 लाख रुपए से 1198.00 लाख रुपए तक बहाल किया गया है।

10.2 सावधि जमा और एम्बार्क्ड बैलेंस को बैंक जमा के रूप में पुनः शुरू किया गया है।

11. नकद एवं नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष		
बैंक जमा (3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम मूल परिकल्पना)	16,638.84	**17,192.82**
बैंक जमा (12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता)	**6655.39**	**1,213.40**
कुल	**23,294.23**	**18,406.22**

11.1 31.03.2022 को सावधि जमा पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं।

11.2 पिछले वर्ष 2020–21 के लिए 1213.40 लाख रुपए की बैंक जमा को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता से 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता तक पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

11.3 सावधि जमा और एम्बार्क्ड शेष को बैंक जमा के रूप में पुनः शुरू किया गया है।

12. अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(प्रतिभूतिकृत, अच्छा माना जाता है)		
अनबिल्ड राजस्व	509.07	395.99
(अप्रतिभूतिकृत, अच्छा माना जाता है)		
पक्षों से वसूली योग्य	11.91	199.52
एन.ए.एस.एफ.टी. से प्राप्त राशि	143.97	559.54
जमा पर प्राप्य ब्याज	354.29	369.30
प्रतिभूति जमा प्राप्य – सरकार से	305.24	302.54
कुल	**1,324.48**	**1,826.88**

वित्तीय विवरणों के भाग रूप में टिप्पणियाँ

13. वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्रोत पर कर कटौती – आकलन वर्ष 2020–21 (आयकर के प्रावधानों का निवल)	-	276.04
स्रोत पर कर कटौती – आकलन वर्ष 2021–22 (आयकर के प्रावधानों का निवल)	91.82	79.97
स्रोत पर कर कटौती – आकलन वर्ष 2022–23 (आयकर के प्रावधानों का निवल)	5.53	-
कुल	**97.35**	**356.01**

13.1 वित्तीय वर्ष 2017–18 (आकलन वर्ष 2018–19) तक का आयकर निर्धारण पूरा कर लिया गया है और उसके लिए निर्धारण आदेश प्राप्त हो गया है।

14. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
जीएसटी इनपुट	23.78	9.39
पूर्वदत्त व्यय	4.93	9.43
कुल	**28.71**	**18.83**

15. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
शेयर पूंजी		
प्राधिकृत	120,000.00	120,000.00
प्रति 10 रु. के 1,20,00,00,000 इक्विटी शेयर		
जारी, अंशदायित एवं पूर्ण प्रदत्त	96,944.94	96,944.94
प्रति 10 रु. के 96,94,49,405 इक्विटी शेयर		
कुल	**96,944.94**	**96,944.94**

शेयर पूंजी का मिलान :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2021 को शेयरों की संख्या
आरंभिक इक्विटी शेयर	96,94,49,405	96,94,49,405
जमा :– वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या, जारी शेयर पूंजी / अंशदायी	-	-
अंत शेष	96,94,49,405	96,94,49,405

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2021 को शेयरों की संख्या
आरंभिक इक्विटी शेयर	96,94,49,405	96,94,49,405
जमा :– वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या, जारी शेयर पूंजी / अंशदायी	-	-
अंत शेष	96,94,49,405	96,94,49,405

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर वाले प्रमोटरों का विवरण

(लाख रु. में)

प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.)	49,44,19,195.00	51%	-
ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए)	23,75,15,105.00	24.50%	-
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)*	23,75,15,105.00	24.50%	-
कुल	**96,94,49,405.00**	**100%**	**-**

(लाख रु. में)

प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.)	49,44,19,195.00	51%	-
ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए)	23,75,15,105.00	24.50%	-
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)*	23,75,15,105.00	24.50%	-
कुल	**96,94,49,405.00**	**100%**	**-**

15.1 *पूर्ववर्ती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)

15.2 अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों के अनुसार पिछले वर्ष 2020–21 के लिए प्रमोटरों की शेयरधारिता के संबंध में प्रकटन किया गया है।

16. अन्य इक्विटी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिधारित उपार्जन		
आरंभिक शेष	5,372.31	3,895.78
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	(2,908.35)	-
96,94,49,405 शेयरों के लिए 0.15 रुपए प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2020–21)		
96,94,49,405 शेयरों के लिए 0.15 रुपए प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2021–22)		
लाभ और हानि विवरण में अतिरेक / (घाटा)	3,568.60	1,476.53
कुल	**6,032.56**	**5,372.31**

17. ऋण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**

18. लीज देयता

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा दायित्व	16.25	36.08
कुल	**16.25**	**36.08**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

18.1 अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों के अनुसार पिछले वर्ष 2020–21 के लिए लीज देयता को अन्य मौजूदा वित्तीय देयताओं से पुनर्वर्गीकृत किया गया है और एक अलग लाइन मद के रूप में प्रकट किया गया है।

19. अन्य गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा	1,584.38	569.48
कुल	**1,584.38**	**569.48**

20. अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित उचित मूल्यनिर्धारण लाभ – प्रतिभूति जमा	454.72	156.16
कुल	**454.72**	**156.16**

21. पट्टा देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा देयता	19.83	17.87
कुल	**19.83**	**17.87**

21.1 अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों के अनुसार लीज देयता को अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय देयताओं से पुनर्वर्गीकृत किया गया है और वर्ष 2020–21 के लिए पिछले एक अलग लाइन मद के रूप में प्रकट किया गया है।

22. अन्य गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा	1,384.91	2,118.05
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	727.87	66.82
भाविप्रा कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लि.	62.94	59.47
वेतन एवं भत्तों की देयता	6.21	6.71
देय व्यय	614.51	854.08
रोककर रखी गई **	138.62	317.40
कुल	**2,935.06**	**3,422.53**

22.1 **रोककर रखी गई राशि में कटौती की गई राशि शामिल है और यह राशि व्यवसाय की सामान्य कार्यकर्ताओं में पूंजी लेनदारों के साथ–साथ अन्य आपूर्तिकताओं को संविदा संबंधी दायित्वों की पूर्ति के बाद देय होगी।

22.2 व्यापार देय में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की वेतन और भत्तों तथा देय व्यय देयता शामिल है।

22.3 व्यापार देयताओं की एजिंग बढ़ने के लिए चलनिधि जोखिम के तहत नोट संख्या 31.3 (सी) देखें।

23. अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
शुल्क एवं कर	126.76	92.61
आस्थगित उचित मूल्य लाभ – प्रतिभूति जमा	25.16	91.88
आस्थगित राजस्व – सरकारी अनुदान	563.00	281.00
सरकारी अनुदान – वापसी योग्य ब्याज	11.24	32.62
अन्य देयताएं	0.10	0.08
कुल	**726.26**	**498.20**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

23.1 वर्तमान वर्ष के शुल्कों और करों में टीडीएस संबंधी 27.21 लाख रु. (पिछले वर्ष 13.68 लाख रु.) की, जीएसटी संबंधी 99.55 लाख रूपए (पिछले वर्ष 78.54 लाख रूपए) की, श्रम उपकर देय संबंधी (पिछले वर्ष 0.30 लाख रूपए) की और कार पार्किंग पर टीसीएस संबंधी 0 (पिछले वर्ष 0.39 लाख रूपए) की सांविधिक देयताएं शामिल हैं।

23.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष में अन्य देयता मुख्य रूप से खोया और पाया संबंधी देयता के कारण है।

24. वर्तमान प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अन्य प्रावधान*	25.31	107.55
कुल	**25.31**	**107.55**

24.1 05 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सीएचआईएएल और मे. रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 12.07.2016 को एक ऊर्जा क्रय करार निष्पादित किया गया, जिसे दो चरणों में निष्पादित किया जाएगा। प्रथम चरण में, 3 मेगावॉट क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा और भविष्य में आवश्यकता के आधार पर शेष 2 मेगावॉट संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल) से नेट मीटरिंग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण एजेंसी ने बताया कि वे पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने संयंत्र की क्षमता के अनुसार पूरी राशि के लिए दावा किया है और बताया है कि वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप संयंत्र के उपयोग से वंचित हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधों के कारण उत्पादन में नुकसान हुआ है और इसलिए कम क्षमता को डीम्ड विद्युत उत्पादन माना जा सकता है। मेसर्स रिन्यू सोलर पावर लिमिटेड द्वारा डीम्ड विद्युत उत्पादन के लिए दावा की गई राशि 3.21 करोड़ रूपए है जबकि सीएचआईएएल ने वास्तव में खपत की जा रही बिजली के संबंध में दावा को स्वीकार किया और भुगतान किया है। इस संबंध में एजेंसी अर्थात मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विवाद समाधान समिति का गठन किया गया था और विस्तृत विचार–विमर्श के बाद डीआरसी ने दावा स्वीकार करने की पद्धति पर निर्णय दिया है जो कि डीम्ड बिजली उत्पादन हानि के दावा के संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा तैयार और प्रमाणित राशि का 50 प्रतिशत जोकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है। मेसर्स रिन्यू पावर द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे की जांच प्रभारी अभियंता द्वारा की गई है और देय राशि 1.07 करोड़ रु. तक की है जो एजेंसी द्वारा दावे की स्वीकृति के बाद सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में एजेंसी ने पूर्ण दावे के रूप में 1.07 करोड़ रूपए की स्वीकृति पर असहमति व्यक्त की और अंतरिम भुगतान के रूप में 1.07 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तुत की और सिफारिश की कि निवल मीटरिंग के साथ वास्तविक सौर उत्पादन की समान अवधि को आधार के रूप में लिया जाए और उसके बाद अंतिम आंकड़ा जारी किया जा सकता है। डीआरसी द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा के अधीन सीएचआईएएल द्वारा एजेंसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। एजेंसी ने दावा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाने के लिए भी सहमति व्यक्त की है अर्थात उनके 3.21 करोड़ रूपए के मूल दावे में शामिल लागू ब्याज का 50 प्रतिशत। अब इस वित्त वर्ष 2021–22 में 1.07 करोड़ रूपए की राशि, जो पहले से ही वित्त वर्ष 2019–20 में प्रावधान के रूप में दिखाई गई थी, इसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 में पार्टी को किया गया था और अधिकतम सीमा की शेष राशि जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था अर्थात पिछले वर्ष 2020–21 में 0.30 करोड़ रूपए, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 0.25 करोड़ रूपए (पूर्ण और अंतिम निपटान) की राशि को वर्तमान देयता के रूप में स्वीकार किया गया है और लाभ और हानि के विवरण में वर्तमान प्रावधानों के तहत दिखाया गया है और विद्युत शुल्क के रूप में व्यय किया गया है। यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद भारतीय लेखा मानक–37– प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति के साथ–साथ भारतीय लेखा मानक 10 स्थितियों के अनुरूप है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

25. प्रचालनों से राजस्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं की बिक्री		
I. वैमानिक राजस्व		
पार्किंग एवं आवास	32.89	36.86
प्रयोक्ता विकास शुल्क	6537.00	3,787.99
सेवा घंटों का विस्तार	-	3.24
ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं	141.15	53.33
बैगेज समाधान प्रणाली प्रभार	25.73	11.76
समान प्रयोक्ता टर्मिनल उपकरण प्रभार	194.86	113.96
कार्गो राजस्व	92.49	46.18
कुल	**7024.12**	**4,053.31**
II. गैर-वैमानिक राजस्व		
प्रवेश शुल्क/वाणिज्यिक पास	12.26	9.14
कार पार्किंग	202.38	165.02
किराया एवं सेवाएं	1,020.75	1,200.05
व्यापार रियायत	1,161.42	777.60
खाद्य और पेय पदार्थ'	438.40	304.80
इन–फ्लाइट कैटरिंग सर्विस	33.47	15.84
होर्डिंग और प्रदर्शन''	263.74	187.86
अन्य विविध राजस्व'''	-	2.13
कुल	**3132.40**	**2,662.43**
कुल (I+II)	**10156.52**	**6,715.75**

25.1 *रेस्तरां / स्नैक बार और स्टाफ कैंटीन लाइसेंस शुल्क से होने वाली आय 300.91 लाख रूपए और 3.90 लाख रूपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दोनों) को व्यापार रियायत से खाद्य और पेय पदार्थों में पुनर्समूहित किया गया है।

25.2 **होर्डिंग और प्रदर्शन से होने वाली आय 187.86 लाख रूपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए) को अन्य विविध राजस्व से होर्डिंग और प्रदर्शन में पुनर्समूहित किया गया है

26. अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	1,023.83	902.29
आयकर विभाग से ब्याज	27.64	90.56
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	1.86
उचित मूल्य लाभ	227.23	117.76
विविध आय	135.06	37.36
कुल	**1413.76**	**1,149.82**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

27. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं भत्ता	67.34	72.50
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	10.98	13.14
भा.वि.प्रा. के तैनात कार्मिकों की लागत	911.53	466.74
कुल	**989.85**	**552.38**

28. वित्तीय लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
उचित मूल्यांकन के कारण ब्याज		
– प्रतिभूति जमा राशि	227.23	117.76
– पट्टा	4.37	5.70
कुल	**231.60**	**123.46**

29. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	2,935.14	3,050.87
अमूर्त परिसंपत्ति परिशोधन	5.43	5.28
राइट टू यूज परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	6.69	6.69
कुल	**2,947.27**	**3,062.84**

30. अन्य व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण		
– सिविल	257.57	274.63
– विद्युत	256.49	197.96
– सुरक्षा उपकरण और फर्नीचर	246.53	62.65
– इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी अवसंरचना	1.41	1.86
हाउसकीपिंग एवं सफाई कार्य	373.92	373.63
विज्ञापन एवं प्रचार	0.44	0.38
भंडारण एवं पुर्जों का उपभोग	29.73	54.18
बिजली एवं पानी के प्रभार	511.30	393.25
ई–पीओएस प्रभार	3.25	1.82
सुविधा व्यय	59.30	59.31
किराया प्रभार–अन्य	186.90	139.75
यूडीएफ पर वसूली प्रभार	34.40	20.47
अभिदान (पेशेवर निकाय)	15.46	19.02
स्क्रीनिंग व्यय	118.68	103.31
चिकित्सा कक्ष व्यय	40.95	17.70

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सुरक्षा संबंधी व्यय		
वेतन एवं भत्ते तथा अन्य स्टाफ लागत	0.91	69.84
अन्य प्रशासनिक व्यय		
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स	0.04	0.10
छपाई और स्टेशनरी	4.93	4.29
टेलीफोन प्रभार	4.95	3.41
यात्रा व्यय	5.04	3.88
परामर्श प्रभार	29.62	41.79
बीमा खर्च	3.03	2.80
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	16.75	-
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
– लेखा परीक्षा शुल्क – वैधानिक लेखा परीक्षा	1.00	1.00
– लेखा परीक्षा शुल्क – अन्य लेखा परीक्षा	2.45	2.00
प्रशिक्षण और संगोष्ठी व्यय	0.37	0.18
अन्य शुल्क	0.50	0.10
विविध कार्यालय संबंधी व्यय	4.44	2.48
किराया, दर एवं कर	77.12	7.00
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	63.13	65.67
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	4.28	-
कुल	2,354.86	1,924.46

31. भारतीय लेखा मानक 107 के संबंध में प्रकटीकरण - वित्तीय प्रपत्र

31.1 श्रेणीवार वित्तीय प्रपत्र

श्रेणीवार में वित्तीय प्रपत्रों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य श्रेणीवार निम्नानुसार थे :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022			कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
	परिशोधित लागत	उचित मूल्य			
		अन्य वृहत आय द्वारा	लाभ और हानि द्वारा		
वित्तीय परिसंपत्तियां :					
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	585.94	-	-	585.94	585.94
बैंक शेष, अन्य रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	23,434.23	-	-	23,434.23	23,434.23
व्यापार प्राप्य	501.05	-	-	501.05	501.05
प्राप्य प्रतिभूति जमा – अन्य	32.94	-	-	32.94	32.94
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,324.48	-	-	1,324.48	1,324.48
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**25,878.63**	**-**	**-**	**25,878.63**	**25,878.63**
वित्तीय देयताएं					
पट्टा देयता	36.08	-	-	36.08	36.08
प्रतिभूति जमा (आस्थगित उचित मूल्यांकन भाग को छोड़कर)	2,969.29	-		2,969.29	2,969.29
अन्य वित्तीय देयताएं	1,550.14	-	-	1,550.14	1,550.14
कुल वित्तीय देयताएं	**4,555.51**	**-**	**-**	**4,555.51**	**4,555.51**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021			कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
	परिशोधित लागत	उचित मूल्य			
		अन्य वृहत आय द्वारा	अन्य वृहत आय द्वारा		
वित्तीय परिसंपत्तियां :					
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	1,213.29	-	-	1,213.29	1,213.29
बैंक शेष, अन्य रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	18,406.22			18,406.22	18,406.22
व्यापार प्राप्य	656.80	-	-	656.80	656.80
प्राप्य प्रतिभूति जमा – अन्य	32.94			32.94	32.94
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,826.88	-	-	1,826.88	1,826.88
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**22,136.12**	**-**	**-**	**22,136.12**	**22,136.12**
वित्तीय देयताएं					
पट्टा देयता	53.95			53.95	53.95
प्रतिभूति जमा (आस्थगित उचित मूल्यांकन भाग को छोड़कर)	2,687.53	-		2,687.53	2,687.53
अन्य वित्तीय देयताएं	1,304.48	-	-	1,304.48	1,304.48
कुल वित्तीय देयताएं	**4,045.96**	**-**	**-**	**4,045.96**	**4,045.96**

31.2 उचित मूल्य पदानुक्रम

उचित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के इनपुट पर आधारित है जो उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो या तो अवलोकन योग्य और गैर अवलोकनीय हैं और निम्नलिखित तीन स्तरों के होते हैं :

- स्तर 1 – स्तर 1 अनुक्रम में सक्रिय बाजारों में कोट किए गए मूल्यों (असमायोजित) का प्रयोग करके मापित वित्तीय प्रपत्र शामिल हैं।
- स्तर 2 – स्तर 2 अनुक्रम में स्तर 1 के अंदर शामिल कोट किए गए मूल्यों से इतर इनपुटों का प्रयोग करके मापित वित्तीय प्रपत्र शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों या देयताओं, प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्मित) के लिए अवलोकन योग्य।
- स्तर 3– स्तर 3 अनुक्रम में इनपुटों का प्रयोग करके मापित वित्तीय प्रपत्र शामिल हैं, जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़ों (गैर अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित हैं।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापित परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्तमान उचित मूल्य अनुक्रम को प्रस्तुत करती है:

(लाख रु. में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	मूल्यांकन तकनीक	मुख्य इनपुट एवं महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट
31 मार्च, 2022 को						
परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं:						
प्रतिभूति जमा	-	2,969.29	-	2,969.29	रियायती नकदी प्रवाह का उपयोग करके	01/04/2021 के अनुसार एसबीआई की एमसीएलआर दर 7.30 प्रतिशत पर
31 मार्च, 2021 को						
परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं :						
प्रतिभूति जमा	-	2,687.53	-	2,687.53	रियायती नकदी प्रवाह का उपयोग करके	01/04/2020 के अनुसार एसबीआई की एमसीएलआर दर 8.05 प्रतिशत पर

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का परिशोधित लागत पर मापित उचित मूल्य :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	उचित मूल्य से पहले राशि	उचित मूल्य	उचित मूल्य से पहले राशि	उचित मूल्य
वित्तीय देयताएं :				
प्रतिभूति जमा	3,449.17	2,969.29	2,935.57	2,687.53

प्रतिभूति जमा राशि के अतिरिक्त वित्तीय साधनों की वहन राशि जैसे कि व्यापार प्राप्य, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार अदायगी और अन्य वित्तीय देयताओं को उनके अल्पकालिक स्वभाव, किसी लेन–देन लागत की अनुपस्थिति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

31.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियों को विभिन्न वित्तीय जोखिमों : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा चलनिधि जोखिमों की संभावना रहती है। कंपनी का प्रमुख ध्येय वित्तीय बाजारों की अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाना है और कंपनी के वित्तीय निष्पादन में संभावित प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है।

जोखिम	उत्पन्न होने वाला	माप	प्रबंधन
बाजार जोखिम – ब्याज दर	ऐसा कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं		
ऋण जोखिम	रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, व्यापार प्राप्य	ऐजिंग विश्लेषण	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और व्यापार देनदार में बैंक जमा का विविधीकरण प्रतिभूति जमा या बैंक गारंटी आदि द्वारा सुरक्षित किया जाता है।
चलनिधि जोखिम	उधार एवं अन्य देयता	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	पर्याप्त रोकड़ और रोकड़ के बराबर बनाए रखना
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	वित्तीय देनदारियां भारतीय रूपए में मूल्यवर्गित नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेशण	पर्याप्त रोकड़ और रोकड़ के बराबर बनाए रखना। हालांकि ऐसा कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है

ए) बाजार जोखिम

कंपनी को कोई बाजार जोखिम नहीं है।

बी) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम से तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों पर चूक का जोखिम है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटा होता है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम को अधिकतम खतरा प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्यों और गैर–बिलयुक्त राजस्व से होता है। तदनुसार, व्यापार प्राप्यों से ऋण जोखिम को निम्नलिखित पैराग्राफों में सभी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से पृथक रूप से मूल्यांकन किया गया है।

(i) व्यापार प्राप्य और गैर-बिलयुक्त राजस्व

कंपनी के पास 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को क्रमशः 501.05 लाख रु. और 656.80 लाख रु. की राशि के व्यापार प्राप्य बकाया और 509.07 लाख रु. और 395.99 लाख रु. की बिल नहीं की गई आय है। व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व या तो बैंक गारंटी या नकद या दोनों में प्रतिभूति जमा द्वारा सुरक्षित हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। भारतीय लेखा मानक 109 को स्वीकार करने के कारण, कंपनी क्षति घाटे या लाभ का आकलन करने के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग कर रही है। कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके एक व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि को ध्यान में रखता है और अग्रेषित जानकारी को समायोजित करता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता प्राप्ति के दिनों के एजिंग पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

ऋण जोखिम संभावना

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यापार प्राप्यों की एज का विश्लेषण निम्नानुसार सारबद्ध है :

(लाख रु. में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	123.77	337.47	31.26	2.54	2.87	3.35	501.25
अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	-	1.63	6.96	7.96	-	16.54
विवादित व्यापार प्राप्तियां – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल	123.77	337.47	32.89	9.49	10.83	3.35	**517.79**
घटाएं : अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	0.14	1.40	0.68	0.34	10.83	3.35	**16.75**
कुल	123.63	336.07	32.20	9.15	-	-	**501.05**

(लाख रु. में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	29.55	379.22	37.77	163.72	9.91	23.06	643.24
अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	-	5.60	7.96	-	-	13.56
विवादित व्यापार प्राप्तियां – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल	29.55	379.22	43.38	171.68	9.91	23.06	**656.80**

i. 31 मार्च, 2022 को बिल नहीं किया गया बकाया राजस्व 509.07 लाख रूपए और 31 मार्च, 2021 को 395.99 लाख रूपए था।

ii. पिछले वर्ष 2020–21 के लिए व्यापार प्राप्तियों की एजिंग का प्रकटन अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों के अनुसार बदल दिया गया है।

iii. वर्तमान वर्ष 2021–22 के लिए अपेक्षित ऋण हानि की गणना आधार वर्ष 2019–20 के रूप में की गई है क्योंकि वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 के कारण व्यापार प्राप्तियों के व्यापार के लिए अनुमत क्रेडिट अवधि सामान्य क्रेडिट अवधि से अधिक थी। आगे देखते हुए समायोजन दर को 5.20 प्रतिशत के रूप में लिया गया जो 2021–22 के लिए संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति दर है।

iv. पिछले वर्ष 2020–21 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना नहीं की गई है क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्य व्यापार के लिए अनुमत क्रेडिट अवधि कोविड –19 के कारण सामान्य क्रेडिट अवधि से अधिक थी

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

(ii) व्यापार प्राप्य और बिल नहीं किए गए राजस्व के अलावा अन्य वित्तीय संपत्ति

रोकड़ और रोकड़ समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि हमारे प्रतिस्थानी (काउंटर पार्टी बैंक हैं। हम ऐसे बैंकों के साथ सावधि जमा की क्रेडिट गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों की समीक्षा जारी रखते हैं। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के खिलाफ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कोई हानि प्रावधान नहीं हैं। हम अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तारीखों को अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता वाले मानते हैं। कंपनी के पास अपने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से जुड़े क्रेडिट जोखिमों को कवर करने के लिए कोई संपार्श्विक या अन्य उपाय नहीं रखती है।

सी) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि की जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की चलनिधि के मुख्य स्रोत रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, प्रचालन से सृजित नकदी और शेयर पूंजी के रूप में योगदान हैं।

हम नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त रोकड़ और रोकड़ समतुल्य बनाए रखकर हमारी चलनिधि की जरूरतों का प्रबंधन करते हैं। किसी प्रकार की कमी के निर्धारण हेतु निवल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालीन चलनिधि आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, व्यय देय, कर्मचारी बकाया और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के रूप में व्यापार के सामान्य प्रक्रिया के दौरान आने वाले प्रतिधारण और जमा राशियां शामिल हैं। हम अपनी अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों का पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं। हम दीर्घकालिक चलनिधि आवश्यकताओं का आंकलन आवधिक आधार पर करते हैं और आंतरिक अभिवृद्धि के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में किसी भी स्रोत से कोई ऋण नहीं लिया है। हमारी गैर–वर्तमान देयताओं में केवल प्रतिभूति जमा शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की रियायती संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। तालिका में मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(लाख रु. में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022						
पट्टा देयता*	9.91	9.91	16.25	-	-	36.08
प्रतिभूति जमा राशि	1,166.60	218.32	1,309.50	179.79	95.09	2,969.29
अन्य वित्तीय देयताएं	1,550.14	-	-	-	-	1,550.14
कुल	**2,726.65**	**228.23**	**1,325.75**	**179.79**	**95.09**	**4,555.51**
31 मार्च, 2021						
पट्टा देयता*	8.94	8.94	36.08	-	-	53.95
प्रतिभूति जमा राशि	848.32	1,269.73	277.71	240.99	50.77	2,687.53
अन्य वित्तीय देयताएं	1,304.48	-	-	-	-	1,304.48
कुल	**2,161.74**	**1,278.66**	**313.79**	**240.99**	**50.77**	**4,045.96**

*भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत प्रकटन का संदर्भ लें

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

नीचे दी गई तालिका गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की गैर रियायती संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। तालिका में मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(लाख रु. में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022						
पट्टा देयता*	11.38	11.38	17.28			40.03
प्रतिभूति जमा राशि	1,176.73	233.34	1,620.65	250.00	168.45	3,449.17
अन्य वित्तीय देयताएं	1,550.14	-	-	-	-	1,550.14
कुल	**2,738.25**	**244.72**	**1,637.93**	**250.00**	**168.45**	**5,039.35**
31 मार्च, 2021						
पट्टा देयता*	11.12	11.12	40.03	-	-	62.28
प्रतिभूति जमा राशि	851.24	1,358.69	319.48	321.77	84.39	2,935.57
अन्य वित्तीय देयताएं	**1,304.48**	-	-	-	-	**1,304.48**
कुल	**2,166.84**	**1,369.81**	**359.51**	**321.77**	**84.39**	**4,302.33**

*भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत प्रकटन का संदर्भ लें

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर देय व्यापार की एजिंग का विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है :

ए) 31 मार्च 2022 तक वर्तमान व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(लाख रु. में)

विवरण	अनबिल्ड राशि	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से अधिक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से कम	
एमएसएमई	121.95	124.83	-	-	-	246.78
अन्य	765.28	399.47	-	-	-	1,164.75
विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**887.23**	**524.30**	**-**	**-**	**-**	**1,411.53**

बी) 31 मार्च 2021 तक वर्तमान व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(लाख रु. में)

विवरण	अनबिल्ड राशि	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से अधिक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से कम	
एमएसएमई	476.04	188.26	-	-	-	664.30
अन्य	169.44	153.34	-	-	-	322.78
विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**645.48**	**341.60**	**-**	**-**	**-**	**987.08**

पिछले वर्ष 2020–21 के लिए देय ट्रेड की एजिंग का प्रकटन अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों के अनुसार जोड़ा गया है

डी) बाजार जोखिम - विदेशी विनिमय

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के एक्सपोजर में है, मुख्य रूप से रोकी गई राशि (व्यापार देय) के संबंध में। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और मान्यता प्राप्त देनदारियों से

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी के एक्सपोजर को भारतीय रूपए में व्यक्त किया गया है :–

	31 मार्च, 2022 को	
	यूएसडी लाख में	रूपए लाख में
व्यापार प्राप्य- रोका हुआ		
यूएसडी यूएस	1.52	115.01

	31 मार्च, 2021 को	
	यूएसडी लाख में	रूपए लाख में
व्यापार प्राप्य- रोका हुआ		
यूएसडी यूएस	2.23	163.33

संवेदनशीलता

संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक वस्तुएं शामिल हैं एवं विदेशी मुद्रा दरों में प्रतिशत परिवर्तन की अवधि के अंत में उनके बदलाव को समायोजित किया जाता है। एक धनात्मक संख्या नीचे लाभ में वृद्धि को दर्शाती है जहां भारतीय रूपए संगत मुद्रा की तुलना में कुछ प्रतिशत मजबूत दिखाई पड़ता है। संगत मुद्रा के मुकाबले भारतीय रूपए के कमजोर होने की स्थिति में एक निश्चित प्रतिशत का तुलनात्मक प्रभाव लाभ पर दिखाई देगा एवं नीचे की शेष राशि ऋणात्मक हो जाएगी।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	लाभ पर प्रभाव	
यूएसडी–यूएस संवेदनशीलता		
भारतीय रूपए/यूएसडी – 5 प्रतिशत तक वृद्धि	-5.75	-8.17
भारतीय रूपए/यूएसडी – 5 प्रतिशत तक कमी	5.75	8.17

32. पूंजी प्रबंधन

एक उभरती हुई कंपनी के रूप में कंपनी का पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्य है अपनी इस क्षमता की रक्षा करना और अपने शेयर धारकों को प्रतिफल अनुकूलन लाभ पहुंचाना। कंपनी अपने तुलन–पत्र के निम्नलिखित घटकों को प्रबंधित पूंजी मानती है :

1) शेयर पूंजी 2) प्रतिधारित कमाई सहित अन्य रिजर्व।

कंपनी की पूंजी संरचना कार्यनीतिक निर्णयों और दैनंदिन की गतिविधियों को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण तत्वों के संतुलन के प्रबंधन के आकलन पर आधारित है। कंपनी की पूंजी संरचना को समग्र मैक्रो आर्थिक स्थितियों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के दृष्टिकोण से प्रबंधित किया जाता है।

कंपनी की नीति है सभी मौजूदा और संभावित जोखिमों को कम करते हुए शेयरधारकों, विक्रेता और बाजार में विश्वास बनाए रखना एवं निरंतर विकास की प्रक्रिया को जारी रखते हुए कंपनी का विकास करना।

कंपनी का मुख्य बल कंपनी के जोखिम रूपरेखा को प्रभावित किए बिना एक मजबूत पूर्ण इक्विटी बेस बनाए रखने पर है जिससे स्वतंत्रता, सुरक्षा, और साथ ही उच्च वित्तीय लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। पूंजी संरचना को बनाए रखने अथवा समायोजन हेतु कंपनी द्वारा यथावाश्यक कदम उठाए जाएंगें। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज या वित्तीय प्रसंविदा नहीं है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

33. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-108 'प्रचालन श्रेणी' के संबंध में प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक–108 में परिभाषित के अनुसार 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है और व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा विभिन्न कार्यनिष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। कंपनी मोहाली में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में हवाई अड्डे के प्रचालन के व्यवसाय में है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की पृथक व्यापार श्रेणी नहीं है।

(i) प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना

यदि एक इकाई द्वारा एक बाह्य ग्राहक के साथ लेनदेन से प्राप्त राजस्व 10 प्रतिशत से अधिक है तो उस ईकाई द्वारा ऐसे प्रत्येक ग्राहक के संबंध में राजस्व की प्राप्ति की कुल राशि और राजस्व की रिपोर्ट करने वाले खंड या खंड की पहचान के संबंध में तथ्य को उजागर किया जाएगा। उक्त को निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करना अपेक्षित है।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों की संख्या'	2	2
उपरोक्त ग्राहकों से प्राप्त कुल राजस्व	6,099.72	3,831.74
कुल राजस्व	10,156.52	6,715.75
कुल राजस्व का प्रतिशत	60%	57%

*प्रमुख ग्राहक मैसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और मेसर्स गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड हैं।

(ii) भौगोलिक सूचना

प्रचालन के स्थान के आधार पर बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व एवं स्थान के आधार पर इसकी गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी इस प्रकार है :

(लाख रु. में)

विवरण	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		बाहरी ग्राहकों से राजस्व	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
भारत	83,375.88	84,650.58	10,156.52	6,715.75
कुल	**83,375.88**	**84,650.58**	**10,156.52**	**6,715.75**

(iii) प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं से प्राप्त राजस्व

प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के ब्यौरे के लिए नोट सं. 25 का संदर्भ लें।

34. इंड एएस 16 के संबंध में प्रकटीकरण - संपत्ति संयंत्र और उपकरण

वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

- विद्युत संस्थापन को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विद्युत संस्थापन और उपकरण के रूप में बताया गया है।
- ऐसी परिसंपत्ति की प्रकृति के कारण प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार ऋण अचल परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को लेखांकन नीति में परिभाषित उपयोगी जीवन से अलग जीवन के रूप में लिया गया है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति में भी इसका प्रकटन किया गया है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

35. भारतीय लेखा मानक 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण

35.1सरकारी संबंधित निकायों के अतिरिक्त अन्य हेतु प्रकटीकरण

ए. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन प्रक्रिया आरंभ की गई जो निष्पक्ष और व्यापार के सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत थी।

बी. संबंधित पक्ष की सूची

(लाख रु. में)

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
श्री अजय कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	✓	✓
श्री राकेश डेम्बला	मुख्य वित्तीय अधिकारी'	✓	✓
श्रीमती अवनीत कौर	कंपनी सचिव	✓	✓
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.)	हितधारक	✓	✓
ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए)	हितधारक	✓	✓
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	हितधारक	✓	✓
भा.वि.प्रा. कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)	सहायक कंपनी	✓	✓

*वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 07.01.2022 से 31.03.2022 की अवधि के लिए कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सी. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की प्रतिपूर्ति

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालीन लाभ	67.34	72.50
रोजगार पश्चात लाभ	10.98	13.14
कुल	**78.32**	**85.64**

डी. वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष 2021-22				
पार्टी का नाम	जारी शेयर	परिसंपत्तियों का प्रापण	स्टाफ की तैनाती की लागत	विप्रेषण/अन्य
भा.वि.प्रा.	-	-	911.53	79.94
जीएमएडीए	-	-	-	-
एएएआईसीएलएएस	-	-	-	118.68

डी. वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष 2020-21				
पार्टी का नाम	जारी शेयर	परिसंपत्तियों का प्रापण	स्टाफ की तैनाती की लागत	विप्रेषण/अन्य
भा.वि.प्रा.	-	-	466.74	19.32
जीएमएडीए	-	-	-	1.12
एएएआईसीएलएएस	-	-	-	103.31

ई. इतिशेष

(लाख रु. में)

पार्टी का नाम	31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	31 मार्च, 2021 तक शेष राशि
भा.वि.प्रा. को देय शेष राशि	727.87	66.82
भा.वि.प्रा. से देय शेष राशि'	-	186.50
एएआईसीएलएएस को देय शेष राशि	62.94	59.47

35.2 *पिछले वर्ष भा. वि. प्रा. से वसूली योग्य 186.50 लाख रूपए में से, 175.08 लाख रूपए की राशि भा. वि. प्रा. द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान सेवा कर विभाग को भुगतान किए गए सेवा कर के लिए है, जिसे बाद में भा. वि. प्रा. द्वारा सेवा कर विभाग से पूर्वव्यापी प्रभाव से मूल कार्य पर छूट अधिसूचना संख्या 09/2016 दिनांक 01.03.2016 के परिणामस्वरूप वसूल किया गया है। इस संबंध

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

में, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (सीएजी) ने दिनांक 10.02.2021 को एक पत्र जारी कर मामले को सीएचआईएएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और बताया कि कंपनी सीएचआईएएल की बहियों में से 175.08 लाख रूपए का प्रावधान कर सकती है और भारतीय लेखा मानक एएसएस 24 (अर्थात संबंधित पक्ष प्रकटीकरण) के संबंध में प्रकटीकरण की समीक्षा करने हेतु भी अवगत करा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त के संबंध में सीएचआईएएल बोर्ड की 49वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया गया और बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 175.08 लाख रु. का प्रकटीकरण पिछले वर्ष की तुलनपत्र के अनुरूप अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों अर्थात पक्षों से वसूली योग्य के अंतर्गत किया जाना है। वर्तमान वर्ष में 186.50 लाख रूपए की राशि पूरी तरह से वसूल की गई है। चूंकि भा. वि. प्रा. सीएचआईएएल का प्रमुख हितधारक है, इसलिए इसका प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक एएस 24 के अनुपालन हेतु किया गया है।

36. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 और 117 ''पट्टे'' के संबंध में प्रकटीकरण

36.1 पट्टेदार के रूप में

(ए) पट्टे की व्यवस्था का विवरण : कंपनी को एक्स–रे बैगेज मशीन की आपूर्ति करने की व्यवस्था और भुगतान 6 वर्षों के कार्यकाल में किया जाएगा। उक्त पट्टा एक रद्द करने योग्य पट्टा है और इसमें पट्टेदार को पट्टे की अवधि की समाप्ति पर स्वामित्व का हस्तांतरण जैसे शब्द और मशीन के मुख्य आर्थिक उपयोगिता जीवन को कवर करना भी सम्मिलित है। तदनुसार, कंपनी ने इस पट्टे को वित्त वर्ष 2018–19 में भारतीय लेखा मानक 17 के प्रावधानों के अनुसार वर्गीकृत किया है। एमसीए ने भारतीय लेखा मानक 116 को अधिसूचित किया है और यह 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। सीएचआईएल ने इसे लागू किया है और संपत्ति व संबंधित देयता के उपयोग के अधिकार को मान्यता देता है।

1 अप्रैल, 2019 को 97.36 लाख रूपए की संपत्ति के उपयोग के अधिकार (निवल) और 85.17 लाख रूपए की लीज देनदारियों को मान्यता दी गई है। परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के लिए केवल एक वर्ग–संयंत्र और मशीनरी है।

(बी) पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण

नोट 30.3 में चलनिधि जोखिम खंड के तहत परिपक्वता विश्लेषण का पहले ही प्रकटीकरण किया जा चुका है।

36.2 पट्टाकार के रूप में

ए) प्रचालन पट्टा

गैर–रद्दीकरण प्रचालन पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान

(लाख रु. में)

पार्टी का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
एक वर्ष तक	692	443
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	शून्य	शून्य
5 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य

37. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 ''प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)'' के संबंध में प्रकटीकरण

ए) मूल ई.पी.एस

मूल ई.पी.एस. के परिकलन में प्रयुक्त साधारण शेयरों के संबंध में अर्जन और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3,569	1,477
प्रति शेयर मूल अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त अर्जन (क)	**3,569**	**1,477**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन हेतु साधारण शेयरों की औसत संख्या (ख)	9,694	9,694
मूल ईपीएस (क/ख)	**0.37**	**0.15**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

बी) विलयित ई.पी.एस.

विलयित विलयित ई.पी.एस. के परिकलन में प्रयुक्त साधारण शेयरों के संबंध में अर्जन और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	3,569	1,477
प्रति शेयर मूल अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त अर्जन (क)	**3,569**	**1,477**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन हेतु साधारण शेयरों की औसत संख्या (ख)	9,694	9,694
विलयित ईपीएस (क/ख)	**0.37**	**0.15**

38. घटकों, कलपुर्जो और स्टोर का मूल्य :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) आयातित	-	-
(ii) स्वदेशी	6.66	7.23

39. सांविधिक लेखा परीक्षक

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखा परीक्षक शुल्क–सांविधिक लेखा परीक्षा	1.00	1.00
कुल	**1.00**	**1.00**

40. आकस्मिक देयताएं :

40.1 मैसेर्स सीआईटीसीओ को हवाई अड्डे के प्रचालन के बाद अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर एक्जिक्यूटिव लाउंज बनाने का कार्य दिया गया। तत्पश्चात, मैसेर्स सीआईटीसीओ के अनुरोध पर, उनकी परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए क्योंकि प्रचालन ने अनुरोध पर विचार किया तथा यह देखते हुए कि अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों की अपर्याप्त संख्या के कारण, सीएचआईएएल द्वारा अंतर्देशीय टर्मिनल का एक्जिक्यूटिव लाउंज बनानेका कार्य भी सौंपा गया। बाद में दिनांक 25.4.2018 को, मैसर्स सीआईटीसीओ द्वारा केवल अंतर्देशीय टर्मिनल पर एक्जिक्यूटिव लाउंज के कार्य की संविदा को समाप्त करने हेतु 30 दिनों का नोटिस दिया गया। वे केवल अंतर्देशीय टर्मिनल पर लाउंज के कार्यों को जारी रखना चाहते थे। सीएचआईएल द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अंतर्देशीय टर्मिनल कार्य की संविदा केवल अंतरराश्ट्रीय टर्मिनल के क्षतिपूर्ति के एवज में प्रदान किया गया था एवं दोनों एक्जिक्यूटिव लाउंज के कार्य की देखरेख हेतु अनुरोध किया गया था। यद्यपि, सीआईटीसीओ ने 25.05.2018 को अंतररराश्ट्रीय क्षेत्र में स्थित लाउंज को खाली कर दिया। इसके बाद, सीएचआईएल के पास अंतर्देशीय टर्मिनल में स्थित लाउंज के लाइसेंस को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए सीआईटीसीओ ने मोहाली जिला अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

40.2 सीआईएएल ने मैसर्स थ्री वी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 07 वर्ष की अवधि के लिए 13.08.2018 को टर्मिनल भवन में सामान्य आउटलेट के विकास, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव के लिए मास्टर रियायतकर्ता के रूप में एक अनुबंध दिया है। वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण समझौते के फोर्स–मेजर उपखंड का प्रयोग करते हुए प्रमुख ने 20.11.2020 से अनुबंध को समाप्त कर दिया है। थ्री वी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अब सीओवीआईडी –19 और अन्य कारकों के कारण 11.37 करोड़ रूपए के कारोबार के की हानि का दावा करने के लिए सीएचआईएएल के साथ मध्यस्थता और समझौता अधिनियम रियायतकर्ता की

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

धारा 9 के अन्तर्गत एक याचिका को रद्द कर दिया है। मध्यस्थता की कार्यवाही वित्त वर्ष 2021–22 में आरंभ की गई है और यह विचार के लिए लंबित है।

41. पूंजी प्रतिबद्धताएं

(ए) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: 31 मार्च, 2022 तक पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि 32.29 लाख रुपये है।

(बी) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: 31 मार्च, 2021 तक पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 1387.95 लाख रुपये है।

42. सरकारी अनुदान

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, वाणिज्य मंत्रालय ने ''एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) के लिए व्यापार बुनियादी संरचना'' के अन्तर्गत ''चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो (सीपीसी) की स्थापना'' नामक परियोजना हेतु 563 लाख रु. की सरकारी अनुदान को मंजूरी दी। जिसमें से कंपनी को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 281.00 लाख रूपए और वित्त वर्ष 2021–22 को 282.00 लाख रूपए की राशि प्राप्त हुई थी। सीएचआईएएल ने आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना के लिए भारतीय लेखा मानक 20 के अनुपालन में लेखांकन नीति को अपनाया है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है। उक्त नीति उस वर्ष से अपनाई गई है जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ है। सरकारी अनुदान/सहायता से जुड़ी कोई पूरी न हुई शर्त या अन्य आकस्मिकताओं को चिन्हित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, उक्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 742.02 लाख रूपए की राशि खर्च की गई है और यह चल रहे पूंजीगत कार्य में परिलक्षित किया गया है।

43. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण :-

ए. वर्तमान वर्ष 2021–22 में

1. एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रशिक्षण व्यय (यूएसडी 1588.50) 1.22 लाख रूपए

बी. पिछले वर्ष 2020–21 में

1. आपूर्ति स्थापना परीक्षण और 02 नग इन–लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (यूएसडी 6,21,499.34) की कमीशनिंग 457.11 लाख रूपए
2. 03 यात्री बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) और एडवांस विजुअल डॉकिंग सिस्टम (एवीडीजीएस) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (यूएसडी 1,22,199.71) 92.63 लाख रूपए
3. एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा आगमन एवं प्रस्थान सर्वेक्षण (सीएडी 27,183.81) 15.69 लाख रूपए

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115 - ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटीकरण

44.1 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व :

ए) सभी सेवाओं का वर्णन

(i) वैमानिक राजस्व

वैमानिक राजस्व में सम्मिलित सीएचआईएएल पर लगाए गए सभी विनियमित शुल्क अर्थात पार्किंग शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क और कार्गो (एक्स–बिस स्क्रीनिंग शुल्क) को विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा निर्धारित दर पर चिन्हित किया जा रहा है और कॉमन यूजर टर्मिनल उपकरण शुल्क (सीयूटीई) और बैगेज रिकॉन्सिलेशन सिस्टम (बीआरएस) शुल्क संविदा दरों के अनुसार चिन्हित किया गया है। वॉच आवर्स का विस्तार लागू दरों पर प्रभारित किया जाता हैं। प्रयोक्ता विकास शुल्क एईआरए द्वारा अनुमोदित निर्धारित दर पर प्रत्येक आरोहणकर्ता यात्री के संबंध में स्वीकार किया जाता है।

(ii) गैर–वैमानिक राजस्व

गैर–वैमानिक राजस्व से तात्पर्य वैमानिक राजस्व से इतर अन्य सभी राजस्व क्षेत्रों से है। इसमें सम्मिलित हैं (1) रियायतों से राजस्व (2) किराए और भूमि पट्टा (3) खाद्य और पेय रियायतें (4) उपयोगिता शुल्क और (5) अन्य गैर–विमानन प्रभार, जिन्हें संविदागत अनुबंध की शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

बी) राजस्व का वर्गीकरण

1 कंपनी ने अपने राजस्व को वैमानिक राजस्व और गैर–वैमानिक राजस्व के रूप में चिन्हित किया है। हमने ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व के विस्तृत वर्गीकरण का प्रकटन नोट सं. 25 'प्रचालनों से राजस्व' प्रकटन किया है।

2 कंपनी का सभी राजस्व अंतरर्देशीय बाजार से है।

3 कंपनी ने मुख्य रूप से एक समयावधि में राजस्व को स्वीकार किया गया है।

सी) व्यापार प्राप्य और संविदा शेष

निम्नलिखित तालिका संविदाओं से प्राप्यों और संविदागत दायित्वों के संबंध में सूचना प्रदान की गई है

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्य (निवल)- आरंभिक	656.80	1,314.40
योग	**10213.78**	**7,363.17**
घटाएं	10,369.53	8,020.77
समापन	**501.05**	**656.80**
संविदागत परिसंपत्तियां - आरंभिक		
- बिल नहीं की गई प्राप्य राशियां	**395.99**	**201.81**
योग	509.07	395.99
घटाएं	395.99	201.81
समापन	**509.07**	**395.99**

डी) व्यापार प्राप्य सामान्य रूप से गैर-ब्याज धारक हैं और यह निम्नलिखित शर्तों पर आधारित हैं :-

वैमानिकी और गैर–वैमानिकी राजस्व ऋण अवधि 10 दिन है। यद्यपि, महामारी के दौरान, बोर्ड ने ऋण अवधि के विस्तार के निर्णय सहित रियायतदारों को राहत प्रदान करने हेतु बोर्ड की बैठकों में कई निर्णय लिए हैं।

ई) वर्ष के दौरान, प्रबंधन को अपरिशोधित राजस्व संविदा के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

45. धारा 135 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तैयार नियमों के अनुसार; कंपनी सी.एस.आर गतिविधियों पर न्यूनतम 62.92 लाख रु. तक खर्च करेगी। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत की गणना 3146.23 लाख है। कंपनी ने सी.एस.आर. गतिविधियों पर अपेक्षित राशि व्यय की है। वर्ष के दौरान कोई भी अव्ययित राशि नहीं है।

45.1 जिन गतिविधियों पर सी.एस.आर. व्यय किया गया :

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष 2021-22		
संगठन	**किया गया कार्य**	**राशि**
ए. स्वास्थ्य अवसंरचना		
नूह (प्रेरक जिला)	एम्बुलेंस का वितरण	12.13
बी. अन्य उद्देश्यों पर		
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंतरित की जाने वाली राशि		**51.00**
कुल		**63.13**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

45.2 जिन गतिविधियों पर सी.एस.आर. व्यय किया गया :

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष 2020-21		
संगठन	**किया गया कार्य**	**राशि**
ए. स्वास्थ्य अवसंरचना		
सिविल अस्पताल मोहाली	**एम्बुलेंस का वितरण**	16.47
सिविल अस्पताल फिरोजपुर		10.91
सिविल अस्पताल मोगा		**10.91**
सिविल अस्पताल नूह		**10.91**
सिविल अस्पताल अंबाला		**16.47**
कुल		**65.67**

46. कोविड–19 महामारी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित एक उभरती मानव त्रासदी है।

हवाई अड्डे पर महामारी की स्थिति और रियायत ग्राहियों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, सीएचआईएएल बोर्ड ने रियायतग्राही के लाइसेंस शुल्क और सीएएम शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया है और इसलिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क/एमएमजी से यात्री थ्रुपुट आधारित लाइसेंस शुल्क/एमएमजी के लिए लाइसेंस शुल्क/एमएमजी की प्रभार्यता का विकल्प देकर छूट रियायतग्राहियों के लिए राहत योजना शुरू की।

सीएचआईएएल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड वित्तीय रूप से स्थिर है और निकट भविष्य के लिए व्यापार की निरंतरता के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

47. अनुपात विश्लेषण युक्त विवरण अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है।

48. विविध व्ययों में कंपनी के कुल राजस्व का 1 प्रतिशत या दस लाख रूपए से अधिक खर्च की वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, जो भी अधिक हो।

49. वित्तीय विवरणों में आंकड़ों को निकटतम लाख (शेयरों की संख्या को छोड़कर) में पूर्णांकित किया गया है और पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनःसमूहित, पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

50. वित्तीय विवरणों की स्वीकृति

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई और 13 अगस्त 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

बलविंदर एसोसिएट्स हेतु
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए गौरव थापर)
भागीदार
सदस्य सं. 095710
एफआरएन 014822एन
स्थान : मोहाली
दिनांक : 16.08.2022
यूडीआईएन : 22095710एपीडीवायईएफ3295

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश रंजन सहाय)
एसएचओ

हस्ता/-
(के. विनायक राव)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(आर.के.दास)
सीएफओ

हस्ता/-
(अवनीत कौर)
कंपनी सचिव

अनुपातों के संबंध में प्रकटीकरण

अनुलग्नक-ए
(लाख रु. में)

अनुपात	अंश	विभाजक	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	भिन्नता का प्रतिशत	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	6.97	5.56	25%	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी की कार्यशील पूंजी 18439.11 लाख रुपए से बढ़ाकर 22131.97 लाख रुपए कर दी गई है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुनाफा बढ़ा है और शून्य ऋण कंपनी होने के कारण बैंक जमा में भी वृद्धि हुई है।
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (पट्टा देयताओं सहित)	कुल इक्विटी	0.00	0.00	-34%	चालू वित्त वर्ष 2021–22 में लीज देनदारी 53.95 लाख से घटा कर रु. 36.08 लाख कर दी गई है।
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	-	-	-	-
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद निवल लाभ	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	3.48%	1.46%	139%	महामारी का प्रभाव कम होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी का निवल लाभ 1476.53 लाख रुपए से बढ़कर 3568.60 लाख रुपए हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुनाफे में वृद्धि हुई है।
मालसूची कारोबार अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	मालसूचियां	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
व्यापार प्राप्तियों का कारोबार अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्तियां	17.52	6.80	158%	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में महामारी का प्रभाव कम होने के कारण निवल क्रेडिट बिक्री 6706.61 लाख रुपए से बढ़ा कर 10144.27 लाख रुपए कर दी गई है और वर्ष के दौरान कंपनी के ग्राहकों से अच्छे संग्रह के कारण कंपनी की औसत व्यापार प्राप्तियां 985.60 लाख रुपए से घटकर 578.90 लाख रुपए हो गई हैं।
व्यापार भुगतान योग्य कारोबार अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	4.44	2.91	53%	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में निवल क्रेडिट खरीद 2411.18 लाख रुपए से बढ़ाकर 3260.55 लाख रुपए कर दी गई है, क्योंकि महामारी का प्रभाव कम होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी के व्यय में वृद्धि हुई है।
निवल पूंजी कारोबार अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	0.46	0.36	26%	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में निवल बिक्री 6715.75 लाख रुपए से बढ़कर 10156.52 लाख रुपए हो गई है, क्योंकि महामारी का प्रभाव कम होने के कारण बिक्री में वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2021 –22 में अनुपात में वृद्धि हुई है।
निवल लाभ अनुपात	कर के बाद निवल लाभ	निवल बिक्री	0.35	0.22	60%	कंपनी द्वारा कर के बाद निवल लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1476. 53 लाख रुपए से बढ़कर 3568.60 लाख रुपए हो गया है, बिक्री में वृद्धि के परिणामस्वरूप लागू किए गए मितव्ययिता उपायों के कारण अन्तर (मार्जिन) में सुधार हुआ है।
नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और कर से पहले आय	नियोजित पूंजी	4.99%	2.26%	121%	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में ब्याज और कर से पहले की आय 2325.88 लाख रुपए से बढ़कर 5278.32 लाख रुपए हो गई है, राजस्व में वृद्धि और बेहतर मार्जिन के कारण अनुपात अपेक्षाकृत अच्छा हुआ है।
निवेश पर वापसी	निवेश से निवल आय	औसत निवेश	4.70%	5.77%	-19%	

CHANDIGARH INTERNATIONAL AIRPORT
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

हमारी दिनांक 16 अगस्त, 2022 की रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के अन्तर्गत किए गए पूरक लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए अनुलग्नक सी में उच्च प्रकटीकरण हेतु संशोधित किया गया है।

मत

1. हमने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र है और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना सम्मिलित है।

2. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और कुल व्यापक आय (लाभ / हानि और अन्य व्यापक आय सहित) हेतु समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और उसके नकदी प्रवाह में परिवर्तन पर उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार एक सत्य और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व'' खंड में किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार साथ ही उन आचार आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, के तहत कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य जानकारी

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। इस लेखा परीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद निदेशक की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने की आशा है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्श को व्यक्त नहीं करते हैं।

   वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्या बताया गया प्रतीत होता है।

   जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्श निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन दिया गया है, तो हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन पर प्रशासन का आरोप है और संबंधित कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत लागू होने वाली उचित कार्रवाई करें।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों हेतु अभिशासन से प्रभारित अधिकारी

5. कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों हेतु उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन की सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित

लेखांकन नीतियों का चयन और लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरूपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी शामिल है।

6. वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी को चालू संगठन के तौर पर जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चालू संगठन से संबंधित मामलों और लेखांकन चालू संगठन से संबंधित आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व भी कंपनी का है।

वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिंगत आश्वासन आश्वासन का उच्चस्तर होता है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा में हमेशा एक तथ्यात्मक गलत विवरण का पता लगाया जाएगा जब वह विद्धमान हो। तथ्यात्मक गलत विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग–अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

8. एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यवसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण का निर्धारण करना होता है। हमारे द्वारा निम्न प्रक्रियाएं की जाती है:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार करके लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाया जा सके ऐसे किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम, किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए चालू संगठन के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे चालू संगठन के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार के प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को सम्मिलित किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को चालू संगठन के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है।

9. हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्ष और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान

पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण से जुड़े खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

10. हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. भारत सरकार द्वारा (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') द्वारा जारी, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में हम यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण में अनुलग्नक–ए के रूप में दे रहे हैं।

12. हमने कंपनी की बहियों और अभिलेखों के उक्त जांचों के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 (5) की शर्तों के अनुसार रिपोर्ट संलग्न की है, जैसा कि हमने उपयुक्त समझा और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप निदेशों पर ''अनुलग्नक–सी'' के रूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार है।

13. अधिनियम की धारा 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी. हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

सी. तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट में दिए गए नकद प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

डी. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानक से संगत हैं।

ई. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर तथा निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2022 तक लिए गए रिकॉर्ड के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को काई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

एफ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक बी'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

जी. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में :

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमे नहीं हैं जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें।

ii. कंपनी को लागू कानून या लेखा मानकों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 तक के प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लंबी अवधि के अनुबंध पर इसका कोई भौतिक अनुमानित नुकसान नहीं है। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

iii. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (ए) प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि, अपने विवेकानुसार लेखा की टिप्पणियों में बताए गए विवरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थों''), सहमति से किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में कोई धनराशि उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से), चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, यह कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करेगा (''अंतिम लाभार्थी'') या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा या अंतिम लाभार्थियों

की ओर से (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 53 (एफ) देखें);

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने विवेकानुसार, खातों की टिप्पणियों में बताए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''निधिकृत पक्षों'') सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस सहमति से, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकृत पक्षों (''अंतिम लाभार्थियों'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 53 (एफ) देखें); तथा

(सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप–खंड (ए) और (बी) के अन्तर्गत अभ्यावेदनों में कोई सामग्री असंगत है।

v. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के उल्लंघन में कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

14. कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान किया है।

कृते बलविंदर एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 014822एन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ता./–
गौरव थापर
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. 095710
यूडीआईएन : 22095710APDYEF3295

स्थान : मोहाली
दिनांक : 16 अगस्त, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का ''संलग्नक - ए''

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर सीमित चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में संदर्भित।

i. ए. (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

(ख) कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

बी. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वास्तविक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई है। हमारी राय में, सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

सी. सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अतिरिक्त जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं), संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर टिप्पणी 3 और वित्तीय विवरणों के उपयोग के अधिकार पर टिप्पणी 5 में प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी के नाम पर हैं।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। परिणामस्वरूप, हमारी टिप्पणी पर प्रश्न है कि क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है, या परिवर्तन की मात्रा निर्दिष्ट करता है, यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के निवल वहन मूल्य के योग में परिवर्तन 10 प्रतिशत या अधिक है, तो उत्पन्न नहीं होता है।

ई. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निशेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम के अन्तर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है और इसलिए कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में उचित रूप से विवरण प्रकट किया है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता।

ii. (ए) कंपनी सेवा व्यापार में है और फलस्वरूप, कोई इन्वेंट्री नहीं रखती है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और तदनुसार, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता है कि क्या तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी के लेखा की अलेखापरीक्षित पुस्तकों के साथ मेल खाते हैं।

iii. (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) और (iii) (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(बी) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में प्रतिभूत / अप्रतिभूत ऋण / अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या गारंटी नहीं दी है, या किसी भी पक्ष को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (iii) (सी), (iii) (डी), (iii) (ई) और (iii) (एफ) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iv. कंपनी ने धारा 185 और 186 के अन्तर्गत सम्मिलित पार्टियों को कोई ऋण या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, आदेश के खंड 3(iv) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 के अर्थ में किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है और अधिसूचित सीमा तक नियम बनाए गए हैं।

vi. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खातों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, जो हवाई अड्डे के निर्माण या सेवा से संबंधित है, और मानना है कि प्रथम दृष्टया, निर्दिष्ट खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। यद्यपि, हमने इसकी विस्तृत जांच नहीं की है।

vii. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के पास लागू होने वाले अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में सामान्यता नियमित है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, उप–खंड (क) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, खाता बहियों में कोई लेन–देन नहीं हुआ है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे खाता बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

ix. (ए) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अल्पावधि के आधार पर निधि नहीं जुटाई है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं थीं।

(एफ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं थीं।

(x) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ग) (ए) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x) (बी) कंपनी ने अधिनियम की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताओं के अनुपालन में वर्ष के दौरान अधिमान्य आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (सी) (बी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (ए) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की हमारी जांच के दौरान, वर्ष के दौरान हमें न तो कंपनी द्वारा या कंपनी पर वास्तविक धोखाधड़ी का कोई मामला देखने को मिला है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(xi) (बी) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार और जानकारी के अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की हमारी जांच के दौरान कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में अधिनियम की धारा 143(12) के अन्तर्गत एक रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) (बी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (सी) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की हमारी जांच के दौरान, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) (सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 उस पर लागू नहीं होते हैं, आदेश के खंड 3(xii) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन किया है। अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' के रूप में इस तरह के संबंधित पक्ष के लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(बी) लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

(xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ए) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान गैर–बैंकिंग वित्तीय / आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार,

आदेश के खंड 3(xvi) (बी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(डी) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समूह के पास समूह में कोई सीआईसी नहीं है। यद्यपि, हमने अलग से मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक और पूर्ण है या नहीं।

(xvii) वित्तीय वर्ष में या ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और तदनुसार खंड (xviii) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं का हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे समक्ष कुछ भी ऐसा विवरण नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जो तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर आती हैं। हमारा कथन है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा, वे जब देय होंगी।

(xx) अधिनियम की धारा 135 (5) और 135 (6) के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली जारी परियोजनाओं के अलावा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और 3(xx) (बी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं होती है। तदनुसार, उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी इस रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई है।

कृते बलविंदर एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 014822एन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ता./–
गौरव थापर
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. 095710
यूडीआईएन : 22095710APDYEF3295

स्थान : मोहाली
दिनांक : 16 अगस्त, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का ''संलग्नक - बी''

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सीमित चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 13 में संदर्भित।

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

1. हमने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (''कंपनी'') के उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, कंपनी का प्रबंध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सम्मिलित है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और इनका पता लगाने, सहित अपने आवश्यक लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करने के लिए व्यापार के व्यवस्थित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ सहित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी उत्तरदायित्वों है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार और अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी तरीके से संचालित होते हैं।

4. हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इस वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

5. हमारा यह मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जोकि: (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो समुचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि, लेनदेन को आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति

देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान पर रोक या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन अवहेलना, त्रुटि या धोखे के कारण सामग्री का गलत विवरण सम्मिलित हो सकते हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कारण कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

मत

8. हमारी राय में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

कृते बलविंदर एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 014822एन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ता./–
गौरव थापर
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. 095710
यूडीआईएन : 22095710APDYEF3295

स्थान : मोहाली
दिनांक : 16 अगस्त, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का ''संलग्नक - सी''

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 12 में संदर्भित।

1.	क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन का प्रक्रमण करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली से इतर लेखांकन लेनदेन के प्रक्रमण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की सत्यता पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका उल्लेख किया जा सकता है।	हाँ, कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन का प्रक्रमण करने की व्यवस्था है। चूंकि कंपनी की आईटी प्रणाली से इतर कोई लेखांकन लेनदेन नहीं है, इसलिए खातों की सच्चाई पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से इतर लेखांकन लेनदेन के प्रक्रमण का कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है?	प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण या जमा नहीं लिया है और इसलिए यह कंपनी पर लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	**निधियों के लेखांकन के संबंध में :** प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और अभ्यावेदन के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ''पेरिशेबल कार्गो (सीपीसी) के लिए केंद्र की स्थापना'' के लिए ''निर्यात के लिए व्यापार बुनियादी संरचना योजना (टीआईईएस)'' के अन्तर्गत 563 लाख रुपए की अनुदान राशि की मंजूरी दी है। जिसमें से कंपनी को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 282 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। इंड –20 के अनुसार इसे गैर–वर्तमान देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए। यद्यपि, सीएचआईएएल के वित्तीय विवरण में उक्त राशि को अन्य वर्तमान देयताओं के अन्तर्गत दिखाया गया है और इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है क्योंकि प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में कार्गो कॉम्प्लेक्स को आईक्लास (भा.वि.प्रा. की सहायक कम्पनी होने के नाते) को सौंपने के लिए विचार कर रहा है। यदि कार्गो कॉम्प्लेक्स आईक्लास को सौंप दिया जाता है तो अनुदान राशि आईक्लास से प्राप्त भुगतान से घटा दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप सीएचआईएएल द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में अपनी लेखा बहियों में बनाए गए सरकारी अनुदान और सीडब्ल्यूआईपी को बंद कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 31.03.2022 को 11.24 लाख रुपए की ब्याज राशि को ''सरकारी अनुदान–ब्याज वापसी योग्य'' के तहत अन्य वर्तमान देयताओं में अलग लाइन मद के रूप में प्रकट किया गया है। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में अर्जित ब्याज राशि 32.62 लाख रुपए है, जिसमें से वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विभाग को 28 लाख रुपए वापस कर दिया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के 4.62 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2021–22 के 6.62 लाख रुपए को वित्तीय वर्ष 2021–22 में अन्य मौजूदा वित्तीय देयताओं के अन्तर्गत वापसी योग्य सरकारी अनुदान–ब्याज के रूप में प्रकट किया गया है। यहां यह उल्लेख करना है कि सीएचआईएएल द्वारा ब्याज का लेखा–जोखा सही तरीके से सीएचआईएएल के आधिकारिक बैंक के ब्याज की लागू फ्लेक्सी दर के अनुसार किया गया है।

		निधियों के प्रयोज्यता के संबंध में : वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उक्त परियोजना का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्रमशः 288.06 लाख रुपए एवं 453.96 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है जो सीएचआईएएल के वित्तीय विवरणों में प्रगति में पूंजीगत कार्य में परिलक्षित होता है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, कंपनी को प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था, लेकिन बाद में 31.03.2020 के बाद नहीं और पीएफएमएस (ईएटी) मॉड्यूल पर उपयोग प्रमाण पत्र भी अपडेट करना था। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2020 तक कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र या पीएफएमएस (ईएटी) मॉड्यूल में अपलोड नहीं किया जा सका क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का कोई उपयोग नहीं हुआ। अनुदान का उपयोग बाद में वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 02.06.2021, उस तिथि तक 523.38 लाख रुपए की राशि का व्यय दिखाते हुए इकाई द्वारा जारी किया गया है। यहां यह उल्लेख किया जाना है कि अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 28.12.2018 के अनुसार, सीएचआईएएल कार्गो परियोजना पर खर्च की गई राशि के केवल 50 प्रतिशत अनुदान के लिए पात्र है। अतः 02.06.2021 को जिस पर उपयोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, कार्गो परियोजना के प्रयोजन के लिए कार्गो अनुदान का उपयोग 261.69 लाख रुपए (अर्थात् 523.38 लाख रुपए का 50 प्रतिशत) है और 19.31 लाख रुपए की शेष राशि 02.06.2021 तक अप्रयुक्त है। तत्पश्चात अनुदान राशि पर दिनांक 31.03.2021 तक उपार्जित ब्याज 32.62 लाख रुपए है जिसमें से 28 लाख रुपए दिनांक 07.07.2021 को विभाग को वापस कर दिया गया है। कुछ तकनीकी कारणों से कंपनी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र पीएफएमएस पर अपलोड नहीं किया गया था और इसे रिकॉर्ड के लिए मेल के माध्यम से भेजा गया है। वर्तमान वर्ष के लिए उपयोग प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है क्योंकि टीआईईएस की बैठक होनी शेष है। 31.03.2022 को कार्गो परियोजना का शेष 742.02 लाख रुपए के सीडब्ल्यूआईपी और 563 लाख रुपए के सरकारी अनुदान (फरवरी 2019 में प्राप्त 281 लाख रुपए और दिसंबर 2021 में प्राप्त 282 लाख रुपए) के अन्तर्गत अन्य आस्थगित राजस्व सरकारी अनुदान के रूप में वर्तमान देयताओं के अन्तर्गत दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि 742.02 लाख रुपए में से सीआईएएल ने 50 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग किया है, अर्थात 371.01 लाख रुपए और 31.03.2022 तक 191.99 लाख रुपए अप्रयुक्त राशि है।

कृते बलविंदर एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 014822एन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ता./–
गौरव थापर
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. 095710
यूडीआईएन : 22095710APDYEF3295

स्थान : मोहाली
दिनांक : 16 अगस्त, 2022

बलविंदर एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

कार्यालय का पता :
एफ–549, चौथा तल,
फेज 7–ए,
सेक्टर – 75
मोहाली – 160 071

फोन : 91 172 4644163
फैक्स : 91 172 4631125
(मो.) : 98140 68636, 81948 82007
ई–मेल : admin@balwinderassociates.in
वेबसाइट : www.balwinderassociates.com

अनुपालन रिपोर्ट

हमने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) और (6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों / उप–निदेशों के अनुसार की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निदेशों / उप–निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते बलविंदर एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 014822एन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ता./–
गौरव थापर
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. 095710
यूडीआईएन : 22095710APDYEF3295

स्थान : मोहाली
दिनांक : 16 अगस्त, 2022

गोपनीय

CIAP/AAI/CHIAL/6-103/22-23/Vol-II/303

संख्या/No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,

कार्यालय,प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इनफ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), NEW DELHI

दिनांक/Dated: 7/11/2022

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सेवा मे,

अध्यक्ष,
चंडीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
रूम न0-1, परियोजना कार्यालय भवन
सिविल एयरपोर्ट,
चंडीगढ-160003

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु चंडीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की '**टिप्पणियाँ**' अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षको की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखी जाती है।

10/11/2022

CFO
CFO
17/11/22

Chandigarh International Airport Ltd. Receipt 51 Signature with Date 16/11/22

भवदीया,

संलग्नः टिप्पणियाँ

अतूर्वा सिन्हा
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक

तृतीयतल,ए-स्कन्ध,इंद्रप्रस्थएस्टेट,नईदिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, 011-23370871

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण संबंधी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत लेखा परीक्षा के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरण पर अभिमत प्रकट करने की उत्तरदायित्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत नियुक्त संविधिक लेखा परीक्षक की है। उनके दिनांक 16 अगस्त 2022 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कार्य निष्पादित किया होगा।

मेरे द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है। इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य से संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता के बिना किया गया है और इसे प्राथमिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों तथा लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित रखा गया है। लेखा परीक्षा अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान बताई गई मेरे अवलोकन के कुछ प्रभाव में दिए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रकट करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं :

क. नकद प्रवाह पर टिप्पणियां

i निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह

निवेश गतिविधियों से निवल नकद - (56.62 करोड़ रुपए)

उपरोक्त में वर्ष 2021–22 के दौरान बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए 1.82 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। यह परिसंपत्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से खरीदी गई थी और भा. वि.प्रा. को 31 मार्च 2022 तक 1.82 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। इंड एएस 7 के पैरा 16 के अनुसार निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान सम्मिलित है।

इसलिए, संपत्ति का हिस्सा जिसके लिए भुगतान लंबित है, को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, अन्य मौजूदा वित्तीय देयताओं के अन्तर्गत दिखाए गए शेष 1.82 करोड़ रुपए के संबंधित प्रभाव को भी परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन के अन्तर्गत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि प्रचालन गतिविधियां संस्था की प्रमुख राजस्व–उत्पादक गतिविधियां हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी और निवेश गतिविधियों से निवल नकदी बहिर्वाह को 1.82 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है।

ii प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद - 79.86 करोड़ रुपए

निवेश गतिविधियों से निवल नकद - (56.62 करोड़ रुपए)

कंपनी को वर्ष 2021–22 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 2.82 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। 'नकद प्रवाह के विवरण' पर इंड एएस–7 के पैरा 6 के अनुसार, प्रचालन गतिविधियां संस्था की प्रमुख राजस्व–उत्पादक गतिविधियां हैं और निवेश गतिविधियां लंबी अवधि की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और निपटान हैं और अन्य निवेश नकद समकक्षों में सम्मिलित नहीं हैं।

प्राप्त अनुदान पूंजीगत व्यय के लिए पूंजीगत अनुदान की प्रकृति का था। इस प्रकार, प्राप्त अनुदान को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था जबकि कंपनी ने इसे प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है। आगे, इंड एएस 20 के पैरा 28 में प्रावधान है कि 'परिसंपत्ति की खरीद और संबंधित अनुदान की प्राप्ति को नकदी प्रवाह के विवरण में अलग–अलग मदों के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अधिक बताया गया है और निवेश गतिविधियों से निवल नकदी बहिर्वाह को 2.82 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

अतूर्वा सिन्हा

अतूर्वा सिन्हा
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 नवम्बर, 2022

एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एण्ड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3ए	23,766.92	18,544.32
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3बी	1,785.24	1,828.43
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	4	93.94	25.07
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	5	-	21.05
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	6	581.16	256.65
कुल गैर - मौजूदा परिसंपत्तियां		**26,227.26**	**20,675.52**
वर्तमान परिसंपत्ति			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्तियां	7	4,039.05	6,447.04
नकद और नकदी के समतुल्य	8	11,960.76	8,500.37
अन्य बैंक में शेष राशि	9	10,000.00	9,000.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	279.31	167.33
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	2,023.41	2,795.79
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**28,302.54**	**26,910.53**
कुल परिसंपत्तियां		**54,529.79**	**47,586.05**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	12	2,500.00	2,500.00
अन्य इक्विटी	13	36,314.81	33,006.24
कुल इक्विटी		**38,814.81**	**35,506.24**
देयताएं			
गैर-मौजूदा देनदारियां			
अन्य वित्तीय देयताएं	14	262.47	312.80
प्रावधान	15	94.26	44.93
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	5	261.74	-
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	16	13.48	29.26
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**631.95**	**386.99**

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय	17		
(ए) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि*		152.58	214.43
(बी) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		9,692.72	7,402.87
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	2,969.29	2,105.44
अन्य वर्तमान देनदारियां	19	2,266.88	1,969.94
प्रावधान	20	1.56	0.14
कुल वर्तमान देनदारियां		**15,083.03**	**11,692.82**
कुल देनदारियां		**15,714.99**	**12,079.81**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**54,529.79**	**47,586.05**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

यह हमारी सम तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते यूसीसी एंड ऐसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन 500017

हस्ता/–
सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2022

एएआई कार्गो लॉजिटिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
किशोर कुमार सेनापति
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एपीयूपीएस 3057जी

हस्ता/–
गरिमा जौहरी
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए28015

हस्ता/–
अजय कुमार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन : एसीएसपीबी 2799पी

हस्ता/–
संजीव कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 01866640

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि विवरण

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार
प्रचालनों से राजस्व	21	48,067.03	35,468.45
अन्य आय	22	1,052.70	1,994.89
कुल आय		**49,119.73**	**37,463.34**
व्यय			
प्रचालन व्यय	23	27,023.03	18,078.32
कर्मचारी लाभ व्यय	24	4,113.40	3,294.28
वित्त लागत	25	28.98	32.33
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	26	1,556.59	1,307.53
अन्य व्यय	27	2,084.22	5,058.51
कुल व्यय		**34,806.22**	**27,770.98**
आयकर पूर्व लाभ		**14,313.51**	**9,692.36**
वर्तमान कर		3,513.86	2,740.47
आस्थगित कर	5	278.59	(274.08)
आय कर व्यय		**3,792.46**	**2,466.39**
वर्ष हेतु लाभ		**10,521.05**	**7,225.97**
अन्य व्यापक आय			
मदें जिन्हें बाद में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ देयता का पुनर्माप		16.71	0.41
उपर्युक्त मद से संबंधित आयकर		(4.20)	(0.10)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक हानि, आयकर के निवल		**12.51**	**0.30**
वर्ष के लिए कुल व्यापक (हानि), आयकर का निवल		**10,533.56**	**7,226.27**
भारतीय रुपए 10 प्रत्येक की प्रति इक्विटी शेयर आय			
मूल और तनुकृत आय प्रति शेयर	30	42.13	28.91

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।
यह हमारी सम तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते यूसीसी एंड ऐसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन 500017

हस्ता/–
सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2022

एएआई कार्गो लॉजिटिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
किशोर कुमार सेनापति
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एपीयूपीएस 3057जी

हस्ता/–
गरिमा जौहरी
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए28015

हस्ता/–
अजय कुमार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन : एसीएसपीबी 2799पी

हस्ता/–
संजीव कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 01866640

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि हेतु नकद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ए.	**प्रचालनीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ	**14,313.51**	**9,692.36**
	समायोजन हेतु :		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,556.59	1,307.53
	प्राप्य राशियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान	409.36	1,671.75
	ब्याज आय	(597.28)	(1,655.16)
	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन पर (लाभ) / हानि	8.62	9.58
	वित्त लागत	28.98	32.33
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**15,719.78**	**11,058.39**
	समायोजन हेतु :		
	व्यापार से प्राप्य राशियों में उतार–चढ़ाव	1,998.62	(894.12)
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव	772.38	647.81
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव	(111.98)	(7.97)
	चालू और गैर–चालू प्रावधानों में उतार–चढ़ाव	67.45	31.97
	गैर चालू देयताओं में उतार–चढ़ाव	(15.77)	29.26
	व्यापार प्राप्य राशियों और अन्य चालू देयताओं में उतार–चढ़ाव	2,524.90	(29,057.83)
	वित्तीय देयताओं में उतार–चढ़ाव	461.48	472.10
	प्रचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**21,416.91**	**(17,720.39)**
	आयकर रिफंड / (प्रदत्त)	(3,838.37)	2,174.43
	प्रचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	**17,578.53**	**(15,545.96)**
बी.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हेतु भुगतान	(6,481.82)	(3,870.87)
	अन्य बैंक बैलेंस में कमी–वृद्धि	(1,000.00)	6,310.75
	प्राप्त ब्याज	597.28	2,056.35
	निवेश गतिविधियों में उपयोग निवल नकद	**(6,884.53)**	**4,496.23**
सी	**निधिकरण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	(7,225.00)	(2,770.00)
	निधिकरण गतिविधियों में उपयोग निवल नकद	**(7,225.00)**	**(2,770.00)**
डी	**विदेशी मुद्रा के परिवर्तन पर (लाभ) / हानि**	**(8.62)**	**(9.58)**
	नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी (क+ख+ग)	**3,460.38**	**(13,829.31)**

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि हेतु नकद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ई.	**नकद और नकद समतुल्य - आरंभिक शेष**		
	चालू खातों में बैंकों में शेष	6,334.85	82.22
	उपलब्ध नकद	0.27	0.39
	उपलब्ध चैक	18.34	27.13
	तीन महीने से कम की परिपक्वता के साथ जमा राशियां	2,146.92	22,219.96
		8,500.38	**22,329.69**
एफ	**नकद और नकद समतुल्य - अंतिम शेष**		
	चालू खातों में बैंकों में शेष	1,421.20	6,334.85
	उपलब्ध नकद	0.13	0.27
	उपलब्ध चैक	13.91	18.34
	तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा राशियां	10,525.53	2,146.92
		11,960.76	**8,500.38**
	नकद और नकद समतुल्य (डी-ई) में निवल वृद्धि /(कमी)	**3,460.38**	**(13,829.31)**

जी. भारतीय लेखा मानक 7 में संशोधन :

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में गैर–नकद परिवर्तन उचित मूल्य परिवर्तन और विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के प्रभाव से संबंधित हैं जिन्हें नगण्य माना जाता है।

एच. उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण ''स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो'' पर भारतीय लेखा मानक 7 (इंड एएस 7) में निर्धारित ''अप्रत्यक्ष विधि'' के तहत तैयार किया गया है।

आई. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं।

जे. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद में पूंजीगत कार्य–प्रगति, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति, पूंजीगत अग्रिम और वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए देय राशि शामिल है।

यह हमारी सम तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह विवरण है।

कृते यूसीसी एंड ऐसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन 500017

हस्ता/–
सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2022

एएआई कार्गो लॉजिटिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
किशोर कुमार सेनापति
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एपीयूपीएस 3057जी

हस्ता/–
अजय कुमार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन : एसीएसपीबी 2799पी

हस्ता/–
गरिमा जौहरी
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए28015

हस्ता/–
संजीव कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 01866640

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार

1. कंपनी विवरण

एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 11 अगस्त, 2016 को सम्मिलित की गई थी। कंपनी मुख्य रूप से कार्गो रसद और संबद्ध सेवाओं के कारोबार में शामिल है।

कार्गो व्यवसाय पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (मूल कंपनी) का एक व्यापार प्रभाग था। इस प्रभाग से संबंधित पूरी व्यावसायिक गतिविधि को 01.04.2017 से मूल कंपनी से इस कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ए) **वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार** वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013, (''अधिनियम'') की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों (''भारतीय लेखा मानक'') के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को ऑन गोईंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किया गया है और कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

इन वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और माप के आधार पर तैयार किया गया है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के दौरान इन लेखांकन नीतियों का लगातार उपयोग किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और अधिनियम की अनुसूची 3 के खंड 2 में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने बारह माह के रूप में अपने सामान्य प्रचालन चक्र का पता लगाया है। यह सेवाओं की प्रकृति और सेवाओं के प्रावधान और नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय पर आधारित है।

बी) कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण मुद्रा भारतीय रुपए (रु.) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। जब तक अन्यथा इंगित न किया जाए, सभी राशियों को दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है। शून्य '0.00' 5,000 रुपए से कम राशि को दर्शाता है।

सी) माप का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

मदें	माप आधार
कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	उचित मूल्य
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य में से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य को घटाकर

डी) प्राक्कलनों और निर्णयों का उपयोग

प्रबंधन ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निर्णय, प्राक्कलन और अनुमान लगाए हैं जो लेखांकन नीतियों के लागू होने और संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। उन क्षेत्रों का सिंहावलोकन जिसमें निर्णय या जटिलता का एक उच्च स्तर शामिल था और उन मदों का जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों से भिन्न होने के अनुमानों और मान्यताओं के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना है, नीचे उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण प्राक्कलनों या निर्णयों वाले क्षेत्र हैं :

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जानी है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके आधार पर आस्थगित कर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान कर व्यय और देय का प्राक्कलन।

परिभाषित लाभ दायित्व का प्राक्कलन।

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान और माप : संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना और परिमाण के बारे में प्रमुख धारणाएं।

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण : वसूली योग्य राशियों में अंतर्निहित प्रमुख धारणाएं

इन प्राक्कलनों और निर्णयों में से प्रत्येक के बारे में विस्तृत जानकारी वित्तीय विवरणों में प्रत्येक प्रभावित लाइन मद के लिए गणना के आधार के बारे में जानकारी के साथ संगत टिप्पणियों में शामिल है। प्राक्कलनों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन प्राक्कलनों में संशोधन को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

ई) उचित मूल्य मापन

कंपनी की कई लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों में वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में उचित मूल्यों को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है :

स्तर 1 : समान परिसंपत्तियों या देताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) मूल्य।

स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) विचार योग्य हैं।

स्तर 3 : परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो कि विचार योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

जहां तक संभव हो, कंपनी किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापते समय, विचार योग्य बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को पूरी तरह से उचित मूल्य पदानुक्रम के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जोकि संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी उस रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच अंतरण को मान्यता देती है जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा, उचित मूल्यों को मापने में किए गए अनुमानों के बारे में जानकारी टिप्पणी 28 – वित्तीय साधन में शामिल हैं।

एफ) चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियां

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करती है :

ए) यह कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में साधित होने या बिक्री या उपभोग हेतु समाधान होने की संभावना होती है;

बी) यह व्यापार करने के उद्देश्य हेतु मुख्य तौर पर धारित होता है;

सी) इसकी रिपोर्टिंग तारीख से 12 महीने के अंदर समाधान होने की संभावना होती है; या

डी) यह नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए इसे विनिमय किए जाने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

चालू परिसंपत्तियों में गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्तमान भाग शामिल है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

देयताएं

एक देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करती है :

ए) इसकी कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान होने की संभावना होती है;

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

बी) यह मुख्य तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य हेतु धारित होता है;

सी) इसकी रिपोर्टिंग तारीख से 12 महीने के अंदर निपटान होने की संभावना होती है;

डी) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक दायित्व की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणामित हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय देयताओं का वर्तमान भाग शामिल है। अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है

प्रचालन चक्र

प्रचालन चक्र प्रसंसाधन के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और नकद या नकद समतुल्य में उनकी वसूली के बीच का समय है।

जी) वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी गई है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा गया है। लेन–देन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं (लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) को जैसा उपयुक्त हो, प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया गया है।

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उनकी संपूर्णता में या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण</u>

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले ऋण लिखतों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है (ऋण लिखतों को छोड़कर जिन्हें प्रारंभिक मान्यता पर लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट किया जाता है) :

- परिसंपत्ति को एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत रखा गया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारित करना है; तथा
- लिखत की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तारीखों को बनती हैं जो केवल पूरी तरह मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले ऋण साधनों को बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है (ऋण लिखतों को छोड़कर जिन्हें प्रारंभिक मान्यता पर लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में नामित किया जाता है)

- परिसंपत्ति को एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत रखा गया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया गया है; तथा
- लिखत की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तारीखों को बनती हैं जो केवल पूरी तरह मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों के लिए लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है।

प्रभावी ब्याज विधि

प्रभावी ब्याज पद्धति एक ऋण साधन की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो अपेक्षित भविष्य की नकद प्राप्तियों (भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए सभी शुल्कों और बिंदुओं सहित जो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग है) को सटीक रूप से छूट देती है। ऋण लिखत का जीवनकाल या जहां उचित हो प्रारंभिक मान्यता पर मिलने वाली अग्रणीत राशि के लिए एक छोटी अवधि में होता है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत उन वित्तीय संपत्तियों के अलावा अन्य ऋण उपकरणों के लिए आय को प्रभावी ब्याज के आधार पर मान्यता दी गई है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है और 'अन्य आय' लाइन आइटम में शामिल किया जाता है।

लाभ और हानि विवरणी (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां

इक्विटी उपकरणों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी इक्विटी उपकरणों में निवेश के लिए अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के बदलावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर अपरिवर्तनीय रूप से चुनाव नहीं करती है जो व्यापार के लिए आयोजित नहीं होते हैं।

ऋण साधन जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है । इसके अलावा, ऋण साधन जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसी मानदंड को पूरा करते हैं लेकिन एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट हैं, उन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है

एक वित्तीय संपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या ऋण उपकरणों को पूरा करती है जो एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करती है, प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है यदि ऐसा पदनाम किसी माप या मान्यता की असंगति को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो संपत्ति या देनदारियों को मापने या लाभ को पहचानने से उत्पन्न होगा। और उन पर होने वाले नुकसान या उन पर अलग–अलग आधार पर लाभ और हानि। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी भी ऋण साधन को नामित नहीं किया है

एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त पूर्व माप पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि सहित। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हानि का शुद्ध लाभ वित्तीय संपत्ति पर अर्जित किसी भी लाभांश या ब्याज को शामिल करता है और अन्य आय रेखा मद में शामिल होता है। एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियों पर लाभांश की पहचान तब की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे, लाभांश निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और लाभांश की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी परिशोधन लागत, एफवीटीओसीआई में ऋण लिखतों, व्यापार प्राप्य, नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए अन्य संविदात्मक अधिकारों, और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट वित्तीय गारंटी पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर असमर्थता हानि को चिन्हित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू करती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि, भार के रूप में होने वाले चूक से संबंधित जोखिमों के साथ क्रेडिट हानियों का भारित औसत है।

संतुलित करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को संतुलित किया जाता है और तुलन पत्र में निवल राशि केवल तभी और तभी दशाई जाती है जब कंपनी के पास वर्तमान में कानूनी रूप से राशि को संतुलित करने का अधिकार हो और इसका इरादा या तो उन्हें निवल आधार पर निपटाने या संपत्ति को चिन्हित करने का और देनदारियों को एक साथ निपटाने का हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब अमान्य करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करता है और तदनुसार परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित हो जाते हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्था के सार के अनुसार और एक वित्तीय देयता और एक इक्विटी साधन की परिभाषा के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी लिखत

एक इक्विटी लिखत कोई भी संविदा होती है जो किसी इकाई की सभी देयताओं में कटौती के बाद एक इकाई की संपत्ति में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य देती है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए धारित नहीं हैं और जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया गया है, को बाद की लेखा अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशियां जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। ब्याज व्यय जिसे किसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया है, उसे 'वित्त लागत' के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

प्रभावी ब्याज पद्धति एक वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और संगत अवधि में ब्याज व्यय आबंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जिस पर वित्तीय देयता के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान (सभी शुल्क और भुगतान किए गए या प्राप्त अंक सहित प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग सहित) को छूट दी जाती है।

सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति या एफवीटीपीएल का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों को अमान्य करना

कंपनी वित्तीय देयताओं को तब अमान्य करती है और केवल जब, कंपनी के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है।

मिश्रित वित्तीय लिखतें

एक मिश्रित वित्तीय लिखत के देयता घटक को शुरू में समान देयता के उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसमें इक्विटी रूपांतरण विकल्प नहीं होता है। इक्विटी घटक को शुरू में समग्र रूप से मिश्रित वित्तीय साधन के उचित मूल्य और देयता घटक के उचित मूल्य के अंतर पर पहचाना जाता है। किसी भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों को देयता और इक्विटी घटक में उनकी प्रारंभिक वहन राशियों के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, एक मिश्रित वित्तीय लिखत के देयता घटक को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। एक मिश्रित वित्तीय लिखत के इक्विटी घटक का बाद में पुनर्माप नहीं किया जाता है।

वित्तीय दायित्व से संबंधित ब्याज को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है (जब तक कि यह किसी परिसंपत्ति की लागत में शामिल होने के योग्य न हो)। परिपक्वता पर रूपांतरण के मामले में, वित्तीय देयता को इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और कोई लाभ या हानि नहीं मानी जाती है।

एच) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i. स्वीकृति एवं मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीकृत उधार लागत, कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, शामिल होती हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद की लागत में व्यापार रियायत और छूटों की कटौती के बाद आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद कीमत, मद को उपयोग में लाने के इराने से उसे कार्यशील अवस्था में लाने के लिए कोई लागत और मद को तोड़ने और हटाने की अनुमानित लागत और जिस स्थल में वह है, उसे ठीक करने की लागत शामिल है। लीजहोल्ड परिसर में सुधार की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं, को पूंजीकृत किया गया है और लीजहोल्ड सुधार के तहत अलग से प्रकटीकरण किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत जो रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, पूंजीगत कार्य–प्रगति के रूप में प्रकट किए जाते हैं।

ii. अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

iii. मूल्यह्रास

प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर, सीधी–रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्धारित उपयोगी जीवन काल को सांकेतिक उपयोगी जीवन माना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

क्र. सं.	परिसंपत्ति श्रेणी	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
1	फर्नीचर और फिक्सचर	10
2	कार्यालय उपकरण : विद्युत उपकरण और अधिष्ठापन	10
	अन्य	5
3	भवन	60
4	संयंत्र और मशीनरी	15
5	कंप्यूटर	
	वास्तविक प्रयोक्ता	3
	सर्वर	6
6	अमूर्त परिसंपत्तियां	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन काल के उसके अनुमान, उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर प्रबंधन इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। संवर्धन/(निपटान) पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है, अर्थात, उस तिथि से/(तक) जब परिसंपत्ति उपयोग/(निपटान) के लिए तैयार है।

परिसंपत्ति की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। उन परिसंपत्तियों के लिए जो अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर वसूली योग्य का अनुमान लगाया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि क्षति की पहचान की जाती है। हानि क्षतियों को लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि क्षति को रिवर्स कर दिया जाता है। एक हानि क्षति को केवल उस सीमा तक रिवर्स कर दिया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो, यदि कोई हानि क्षति की पहचान नहीं की गई थी।

आई) अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन

मान्यता और मापन

अर्जित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति के कारण संभावित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्ति को अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक लागत सहित अधिग्रहण की लागत पर दर्ज किया जाता है और लागत को हटाकर संचित परिशोधन और हानि क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है। एक अमूर्त परिसंपत्ति की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और अमूर्त परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति जो अलग से अर्जित की जाती है, लागत को हटाकर संचित परिशोधन और संचित हानि क्षति पर ले जाया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन की गणना स्ट्रेट–लाइन पद्धति का उपयोग करके उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर अमूर्त परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाता डालने के लिए किया जाता है, और लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन में शामिल किया जाता है।

परिशोधन पद्धति, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है। निम्नलिखित उपयोगी जीवन के आधार पर परिशोधन की गणना की गई है :

जे) सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए)

ए) मान्यता और मापन

कंपनी ने निर्दिष्ट हवाई अड्डों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर–अनन्य अधिकार प्राप्त किए हैं जहां वह विशिष्ट अवधि के लिए सुविधाओं को लेने और उपयोग करने के लिए प्रयोक्ताओं से शुल्क वसूल करेगी और एकत्र करेगी। इन व्यवस्थाओं में 30 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कंपनी द्वारा किए गये सेवा रियायत समझौते (''एससीए'') के संदर्भ में बुनियादी संरचना का उपयोग शामिल है। कंपनी व्यवस्था की शुरुआत में या एससीए के कार्यकाल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निर्माण या उन्नयन लागत को वहन करने के लिए बाध्य नहीं है और कंपनी द्वारा एससीए के संदर्भ में केवल एक ''प्रचालक'' के रूप में कार्य करने और शुल्क के बदले प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

रियायत समझौते के लिए लेखांकन, संविदा की विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है और निम्नलिखित मॉडलों के संदर्भ में भारतीय लेखा मानक 115 के तहत निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है :

वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल : वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब कंपनी के पास निर्माण सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता से या उसके निर्देश पर नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार होता है। अनुदानकर्ता से देय राशि एक प्राप्य की परिभाषा को पूरा करती है जिसे उचित मूल्य पर मापा जाता है। बाद में इसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल : अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब कंपनी को सार्वजनिक सेवा के प्रयोक्ताओं से शुल्क लेने का अधिकार प्राप्त होता है। सार्वजनिक सेवा के प्रयोक्ताओं से शुल्क लेने का अधिकार नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि राशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि जनता सेवा का किस सीमा तक उपयोग करती है। एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिसंपत्ति हासिल करने के लिए प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो प्रदान की गई निर्माण सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है। इसके अतिरिक्त, यदि व्यवस्था के आरम्भ में ''प्रचालन के अधिकार'' सेवाओं के बदले में असमान वस्तुओं और सेवाओं का आदान–प्रदान नहीं होता है, तो ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को अर्जित के रूप में मान्यता दी जाती है, और रियायत शुल्क सहित संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

यदि प्रचालक को निर्माण सेवाओं के लिए आंशिक रूप से एक वित्तीय परिसंपत्ति द्वारा और आंशिक रूप से एक अमूर्त परिसंपत्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक घटक को प्रचालक हेतु अलग से हिसाब में लिया जाता है। दोनों घटकों के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार मान्यता दी गई है।

बी) सेवा क्षमता के एक निर्दिष्ट स्तर पर बुनियादी संरचना को बहाल करने के लिए संविदात्मक दायित्व

इस तरह के दायित्वों को उस व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है जो तुलन पत्र की तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा। अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल के अन्तर्गत एससीए के मामले में, राशि का समय और इस तरह की लागत का अनुमान लगाया जाता है और व्यवस्था की अवधि के दौरान राजस्व की लागत वसूल कर रियायती आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसके अंत में स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर ओवरले का अनुमान किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल के तहत एससीए के मामले में, ऐसी लागतों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसी लागतें वास्तव में व्यय की जाती हैं।

सी) राजस्व मान्यता

कंपनी को मुख्य रूप से कार्गो लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं से राजस्व प्राप्त होता है। प्रचालन और सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्रत्येक अवधि में तब मान्यता दी जाती है

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

जब सेवाओं को ग्राहकों के साथ संविदाओं द्वारा भारतीय लेखा मानक 115 राजस्व के अनुसार प्रदान किया जाता है।

प्रदान की गई सेवाओं के लिए निष्पादन दायित्व की संतुष्टि में प्रगति को मापकर सेवाओं से प्राप्त राजस्व को समय के साथ मान्यता दी जाती है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो कि ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट मात्रा में छूट, निष्पादन बोनस, मूल्य रियायतें और प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के लिए समायोजित प्रतिफल है। राजस्व में ग्राहकों से एकत्र किए गए कर भी सम्मिलित नहीं हैं। कंपनी समय, प्रकृति और भौगोलिक के आधार पर ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को अलग करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों (बैंकों में जमा राशि सहित) पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

के) कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर इसका विस्तार किया जाता है। भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है, और दायित्व की राशि का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना रोजगार पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत एक इकाई एक अलग इकाई में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। कंपनी सरकार द्वारा प्रशासित भविष्य निधि योजना के लिए निर्दिष्ट मासिक अंशदान करती है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में लाभ या हानि में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार पश्चात लाभ योजना होती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग भविष्य के लाभ की राशि को निकालकर और किसी भी योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कटौती कर राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अर्जित की है।

अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए सालाना एक योग्य बीमांकक द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व की गणना की जाती है। जब परिकलन के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए एक संभावित परिसंपत्ति होती है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से भविष्य में किसी भी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है या योजना में भविष्य के अंशदान में कटौती ('परिसंपत्ति की सीमा') होती है। आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए, किसी भी न्यूनतम वित्त पोषण आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।

निवल परिभाषित लाभ देयता के पुनर्माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभाव को ओसीआई में मान्यता दी गई है। अंशदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उस समय की निवल परिभाषित लाभ देयता के लिए वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू कर कंपनी उस अवधि के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त किए जाते हैं।

जब किसी योजना के लाभों में परिवर्तन किया जाता है या जब किसी योजना में कटौती की जाती है, तो लाभ में परिणामी परिवर्तन जो पिछली सेवा ('पिछली सेवा लागत' या 'पिछली सेवा लाभ') से संबंधित होता है या कटौती पर लाभ या हानि होती है उसे तुरंत लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है। जब समझौता होता है तो कंपनी परिभाषित लाभ योजना के निपटान पर लाभ और हानि को मान्यता प्रदान की जाती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

अन्य दीर्घकालिक लाभ

रोजगार पश्चात के लाभों के अतिरिक्त लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी की शुद्ध देयता भविष्य के लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित किया है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए निकाल दी जाती है, और किसी भी संबंधित परिसंपत्ति का उचित मूल्य काट लिया जाता है। दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनःमाप लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ या हानि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं।

एल) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित कर सम्मिलित होते हैं। इसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त किसी वस्तु से संबंधित है।

i) वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन सम्मिलित होता है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात संभावित भुगतान या प्राप्त की गई कर राशि का सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को केवल तभी संतुलित किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेटऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार होता है, और इसका उद्देश्य परिसंपत्ति को मान्यता देना और देयता को निवल आधार पर या एक साथ निपटान करना है।

ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर को अग्रेषित कर घाटे और कर क्रेडिट के संबंध में भी मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर को निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है :

- लेन–देन में परिसंपत्ति या देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतर, जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं;
- सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक पहचाना जाता है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति उनका उपयोग किया जा सकता है। अप्रयुक्त कर घाटे का अस्तित्व इस बात का ठोस साक्ष्य है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए, हाल के नुकसान के पिछले मामले में, कंपनी एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता प्रदान करती है कि इसके पास पर्याप्त कर योग्य अस्थायी अंतर हैं या अन्य ठोस साक्ष्य हैं कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूल किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां गैर–मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इसे क्रमशः संभावित/अब संभावित नहीं होने की सीमा तक पहचाना/घटाया जाता है जिससे संबंधित कर लाभ प्राप्त किया जाएगा।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है या देयता का निपटान किया जाता है, जो कानूनों के आधार पर लागू होते हैं या रिपोर्टिंग तिथि तक वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियां ऑफसेट की गई हैं यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है,

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन उनका निहित है वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करें या उनकी कर परिसंपत्ति और देनदारियां एक साथ वसूल की जाएंगी।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (''एमएटी'') को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और जिस हद तक इस बात के ठोस साक्ष्य हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। जिस वर्ष में एमएटी क्रेडिट एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होने के योग्य हो जाता है, उस परिसंपत्ति को लाभ और हानि के विवरण में क्रेडिट के माध्यम से बनाया जाता है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर वहन मूल्यों की समीक्षा करती है और एमएटी पात्रता की वहन राशि को इस हद तक बट्टे खाते में डाला जाता है कि इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

एम) नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह को रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

एन) प्रति शेयर उपार्जन

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष/अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना डाइल्यूटिड संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय के प्रति लाभांश, ब्याज और अन्य प्रभारों हेतु समायोजित के तौर पर कर पश्चात लाभ को प्रति शेयर मूल आय हेतु माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित संख्या जिन्हें सभी डाइल्यूटिड संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किया जा सकता है, से विभाजित कर की जाती है।

ओ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी एक प्रावधान तब बनाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित देयता या एक वर्तमान देयता होती है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सम्भवतः न हो। जब कोई संभावित देयता या वर्तमान देयता होती है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता

प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि यह अब संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को वापस ले लिया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक परिसंपत्ति का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह वस्तुतः निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंर्तवाह उत्पन्न होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

पी) नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंकों और उपलब्ध नकद, उपलब्ध चेक और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा सम्मिलित हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

क्यू) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंड को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता निदेशक मंडल का माना जाता है जो रणनीतिक निर्णय लेता है और संसाधनों के आबंटन और प्रचालन खंड के निष्पादन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

आर)हाल की लेखांकन घोषणाएं

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अन्तर्गत नए मानक

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

या वर्तमान मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 23 मार्च 2022 को, (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू था, जैसा कि नीचे दिया गया है :

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 23 मार्च 2022 की अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किया गया है :–

1. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–101) को प्रथम बार अपनाना :– इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार, अनुच्छेद डी1 (एफ) में संशोधन और अनुच्छेद डी 13 ए जोड़ा गया। एक इकाई में 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद प्रारम्भ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए उस संशोधन को लागू किया जाएगा।

2. व्यापारिक संयोजन (इंड एएस–103) :– अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य परिसंपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तिथि पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखा मानक (वैचारिक रूपरेखा) के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक संरचना में परिसंपत्ति और देनदारियों की परिभाषा को पूरा करना चाहिए।

3. वित्तीय साधन (इंड एएस–109) : वित्तीय देनदारियों की अमान्यता के लिए '10 प्रतिशत' परीक्षण में शुल्क। संशोधन में शुल्क को स्पष्ट किया जाता है जिसमें एक इकाई सम्मिलित है यह आकलन करते समय कि क्या नए या संशोधित वित्तीय दायित्व की शर्तें मूल वित्तीय दायित्व की शर्तों से बहुत अलग हैं। इन शुल्कों में केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच भुगतान या प्राप्त शुल्क सम्मिलित हैं, जिसमें उधारकर्ता या ऋणदाता द्वारा दूसरे की ओर से भुगतान या प्राप्त शुल्क सम्मिलित हैं।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस –16) :– संशोधन में निर्दिष्ट किया जाता है कि 'संविदा को पूरा करने की लागत' में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे संविदा से संबंधित हैं'। एक संविदा से सीधे संबंधित लागतें या तो उस संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होगी) या अन्य लागतों का आबंटन जो सीधे संविदाओं को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण एक संपत्ति, संयंत्र और संविदा को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण की मद के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आबंटन होगा)

5. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति (इंड एएस–37) :– संशोधन में निर्दिष्ट किया जाता है कि 'संविदा को पूरा करने की लागत' में वे लागतें सम्मिलित हैं जो सीधे संविदा से संबंधित हैं'। एक संविदा से सीधे संबंधित लागतें या तो उस संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होगी) या अन्य लागतों का आबंटन जो सीधे संविदाओं को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण एक संपत्ति, संयंत्र और संविदा को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण की मद के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आबंटन होगा)

6. कृषि (इंड एएस–41) :– एक इकाई में फसल के बाद परिसंपत्ति के वित्तपोषण या जैविक परिसंपत्ति को फिर से स्थापित करने के लिए किसी भी नकदी प्रवाह को सम्मिलित नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, फसल के बाद वृक्षारोपण वन में पेड़ों को फिर से लगाने की लागत)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं होने का अनुमान लगाया गया है।

कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

ए. इक्विटी शेयर पूँजी : (टिप्पणी 12 भी देखें)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

	शेयरों की संख्या	राशि
जारी, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त प्रति 10 रु. के इक्विटी शेयर	**25,000,000**	**2,500.00**
01 अप्रैल 2020 के अनुसार	25,000,000	2,500.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	-	-
01 अप्रैल 2021 के अनुसार	**25,000,000**	**2,500.00**
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**25,000,000**	**2,500.00**

बी. अन्य इक्विटी : (टिप्पणी 13 का भी संदर्भ लें)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष	
	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2019 को शेष	28,549.97	28,549.97
पूर्व अवधि त्रुटि	-	-
वर्ष के लिए लाभ	7,225.97	7,225.97
अन्य व्यापक आय/(व्यय) (कर का निवल)	0.30	0.30
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**35,776.24**	**35,776.24**
लाभांश	(2,770.00)	(2,770.00)
कॉर्पोरेट लाभांश कर शेष	-	-
चालू वर्ष के लिए अधिशेष (20–21)	-	-
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**33,006.24**	**33,006.24**
लाभांश	(7,225.00)	(7,225.00)
कॉर्पोरेट लाभांश कर (21–22)	-	-
चालू वर्ष के लिए अधिशेष (21–22)	10,533.56	10,533.56
31 मार्च, 2022 को शेष	36,314.81	36,314.81

यह हमारी सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

कृते यूसीसी एंड ऐसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन 500017

हस्ता/–
सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2022

कृत एएआई कार्गो लॉजिटिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
किशोर कुमार सेनापति
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एपीयूपीएस 3057जी

हस्ता/–
अजय कुमार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन : एसीएसपीबी 2799पी

हस्ता/–
गरिमा जौहरी
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए28015

हस्ता/–
संजीव कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 01866640

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	सड़क	कंप्यूटर	विद्युतीय अधिष्ठापन	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक									
01 अप्रैल, 2020 को	**9,404.03**	**8,661.59**	**98.78**	**682.10**	**70.92**	**223.08**	**369.79**	**-**	**19,510.29**
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**9,404.03**	**8,661.59**	**98.78**	**682.10**	**70.92**	**223.08**	**369.79**	**-**	**19,510.29**
वर्ष के दौरान जोड़	2,390.40	1,526.16	67.99	8.69	-	88.62	543.82	-	4,625.68
निपटान	-	(776.10)	-	-	-	-	-	-	(776.10)
31 मार्च, 2021 को	**11,794.43**	**9,411.65**	**166.77**	**690.78**	**70.92**	**311.71**	**913.61**	**-**	**23,359.87**
1 अप्रैल 2021 को शेष	**11,794.43**	**9,411.65**	**166.77**	**690.78**	**70.92**	**311.71**	**913.61**	**-**	**23,359.87**
वर्ष के दौरान जोड़	3,739.09	1,110.28	92.41	179.13	-	124.22	638.06	870.11	6,753.30
पुनवर्गीकरण समायोजन	(211.04)	(423.46)	-	-	-	1.62	211.04	421.84	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-		-
31 मार्च, 2022 को	**15,322.48**	**10,098.46**	**259.18**	**869.91**	**70.92**	**437.55**	**1,762.71**	**1,291.95**	**30,113.17**
संचयी मूल्यह्रास									
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**1,812.85**	**1,327.51**	**16.84**	**287.01**	**50.61**	**120.23**	**137.41**	**-**	**3,752.48**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	324.69	660.79	11.13	129.81	9.82	53.29	76.68	-	1,266.22
निपटान	-	(203.15)	-	-	-	-	-	-	(203.15)
31 मार्च, 2021 को	**2,137.54**	**1,785.16**	**27.97**	**416.83**	**60.44**	**173.52**	**214.09**	**-**	**4,815.55**
01 अप्रैल, 2021 को शेष	**2,137.54**	**1,785.16**	**27.97**	**416.83**	**60.44**	**173.52**	**214.09**	**-**	**4,815.55**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	400.38	688.32	19.41	128.10	4.59	76.23	149.51	64.16	1,530.69
पुनवर्गीकरण समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को	**2,537.93**	**2,473.48**	**47.37**	**544.93**	**65.03**	**249.75**	**363.60**	**64.16**	**6,346.24**
निवल ब्लॉक									
31 मार्च, 2021 को	**9,656.88**	**7,626.48**	**138.80**	**273.96**	**10.48**	**138.19**	**699.52**	**-**	**18,544.32**
31 मार्च, 2022 को	**12,784.55**	**7,624.98**	**211.81**	**324.99**	**5.89**	**187.80**	**1,399.11**	**1,227.79**	**23,766.92**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

3बी. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

31 मार्च 2022 को 1,785.24 लाख रुपए (31 मार्च 2021 को 1,828.43 लाख रुपए) का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, जिसमें सिविल और अन्य कार्य सम्मिलित हैं।

जीएल विवरण	सकल ब्लॉक				विवरण				निवल ब्लॉक	
	01.04-2021 को आरंभिक शेष सीडब्ल्यू आईपी	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03-2022 को अंतिम शेष सीडब्ल्यूआईपी	01.04-2021 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03-2022 तक	31.03-2022 तक	31.03-2021 तक
पूंजी डब्ल्यू आईपी के लिए ओ.भा. वि. प्रा./ 636001001 जी/एल	1,828.43	3,155.45	-3,198.64	1,785.24	-	-	-	-	1,785.24	1,828.43

ए) पूंजी कार्य-प्रगति एजिंग की अनुसूचि

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2022 तक	1,701.99	5.35	77.89	-	1,785.24
31 मार्च 2021 तक	1,392.97	435.46	-	-	1,828.43

बी) पूंजीगत कार्य-प्रगति जिसका पूर्ण होना अतिदेय है

विवरण	पूर्ण किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना 1	-	-	6.96	-	6.96
परियोजना 1	77.89	-	-	-	77.89
परियोजना 1	-	-	54.23	-	54.23

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

4 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
सकल अग्रेनीत राशि		
01 अप्रैल, 2020 को	**129.36**	**129.36**
वर्ष के दौरान वृद्धि	17.63	17.63
निपटान	-	-
31 मार्च, 2021 को	**146.99**	**146.99**
31 मार्च, 2021 को शेष	**146.99**	**146.99**
वर्ष के दौरान वृद्धि	94.77	94.77
निपटान	-	-
31 मार्च, 2022 को	**241.76**	**241.76**
संचयी परिशोधन		
01 अप्रैल, 2020 को	**80.61**	**80.61**
वर्ष के दौरान वृद्धि	41.31	41.31
निपटान	-	-
31 मार्च, 2021 को	**121.92**	**121.92**
31 मार्च, 2021 को शेष	121.92	121.92
वर्ष के दौरान वृद्धि	25.90	25.90
निपटान	-	-
31 मार्च, 2022 को	**147.82**	**147.82**
निवल ब्लॉक		
31 मार्च, 2021 को	25.07	25.07
31 मार्च, 2022 को	93.94	93.94

5 आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली मदों पर कर प्रभाव		
– कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	24.12	56.65
– भुगतान के आधार पर अनुमत खर्चों के लिए समय का अंतर	107.94	3.07
– अन्य	0.24	1.35
– प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	544.13	647.13
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ए)	**676.43**	**708.20**
आस्थगित कर देयताओं पर कर प्रभाव उपस्कर पर		
– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास और परिशोधन	937.49	683.07
– प्रतिभूति जमा	0.68	0.44
– अन्य	-	3.64
आस्थगित कर देयताएं (बी)	**938.16**	**687.15**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) (निवल) (ए+बी)	**(261.74)**	**21.05**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

उपरोक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं देयताओं में उतार-चढ़ाव

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान लाभ या हानि में चिन्हित	अन्य वृहत आय में चिन्हित	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर देयताओं का गठन करने वाली मदों पर कर प्रभाव				
– संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास और परिशोधन	683.07	254.42	-	937.49
– प्रतिभूति जमा राशियां	0.44	-	-	0.68
– अन्य	3.64	(3.64)	-	-
	687.14	**250.78**	**-**	**938.16**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली मदों पर कर प्रभाव				
– कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	(56.65)	36.74	(4.20)	(24.12)
– अन्य	(1.38)	1.14	-	(0.24)
– प्रत्याशित ऋण हानि के लिए अनुमेय	(647.13)	103.01	-	(544.13)
– भुगतान आधार पर अनुमत व्यय हेतु समय अंतर	(3.04)	(104.91)	-	(107.94)
	(708.20)	**35.98**	**(4.20)**	**(676.43)**

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान लाभ या हानि में चिन्हित	अन्य वृहत आय में चिन्हित	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर देयताओं का गठन करने वाली मदों पर कर प्रभाव				
– संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास और परिशोधन	499.61	183.46	-	683.07
– प्रतिभूति जमा राशियां	0.52	(0.08)	-	0.44
– अन्य	-	3.64	-	3.64
	500.13	**187.02**	**-**	**687.15**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली मदों पर कर प्रभाव				
– कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	(15.52)	(41.02)	(0.10)	(56.65)
– अन्य	(5.29)	3.91	-	(1.38)
– प्रत्याशित ऋण हानि के लिए अनुमेय	(226.39)	(420.74)	-	(647.13)
– भुगतान आधार पर अनुमत व्यय हेतु समय अंतर	0.00	(3.04)	(3.04)	(107.94)
	(247.20)	**(460.90)**	**(0.10)**	**(708.20)**

6 आयकर परिसंपत्तियां (निवल)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आयकर परिसंपत्तियां (प्रावधानों का निवल)	581.16	256.65
	581.16	**256.65**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

7. व्यापार प्राप्तियां

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
व्यापार प्राप्तियां अच्छे माने गये- (असुरक्षित)	1,414.99	3,523.20
व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	2,161.98	2,571.35
	3,576.97	**6,094.55**
घटाएं : अपेक्षित ऋण हानि हेतु भत्ता	2,161.98	2,571.35
	1,414.99	**3,523.20**
बिल रहित राजस्व	2,624.07	2,923.83

***संबंधित पार्टियों से देय राशि सम्मिलित है (टिप्पणी 34 देखें)**

टिप्पणियां :

(i) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में उचित मूल्यों के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी देखें और अपेक्षित क्रेडिट हानि में बदलाव करें।

(ii) व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 38 देखें।

8. नकद और नकद समतुल्य

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंकों में शेष		
– चालू खाते	1,421.20	6,334.85
तीन माह से कम की मूल परिपक्वता अवधि की जमा राशियां	10,525.53	2,146.92
उपलब्ध नकद	0.13	0.26
उपलब्ध चैक	13.91	18.34
	11,960.76	**8,500.37**

(i) रिपोर्टिंग अवधि और पूर्व अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

(ii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में उचित मूल्यों के प्रकटीकरण और अपेक्षित क्रेडिट हानि में बदलाव के लिए टिप्पणी 28 देखें।

9. अन्य बैंक शेष

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
रिपोर्टिंग तिथि से 3 माह से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाले जमा खाते	10,000.00	9,000.00
	10,000.00	**9,000.00**

10. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज	270.58	156.16
प्रतिभूति जमा	8.74	8.74
अन्य वसूलियां	-	2.44
	279.31	**167.33**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

11. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आपत्ति के अधीन जमा	14.03	14.03
सरकारी प्राधिकरणों में शेष	1,624.17	1,855.20
विक्रेताओं को अग्रिम	363.59	906.64
पूर्वदत्त व्यय	21.63	19.92
	2,023.41	**2,795.79**

12. शेयर पूंजी

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्राधिकृत		
10 रुपए का प्रत्येक 225,000,000 इक्विटी शेयर	22,500	22,500
निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त राशि		
10 रुपए का प्रत्येक 225,000,000 इक्विटी शेयर	2,500	2,500

वित्तीय वर्ष की शुरूआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का विनियोजन

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
शुरूआत में शेयरों की संख्या	2,50,00,000	2,500	2,50,00,000	2,500
जोड़ें : वर्ष के दौरान निर्गमित शेयर	-	-	-	-
अंत में शेयरों की संख्या	2,50,00,000	2,500	2,50,00,000	2,500

(बी) इक्विटी शेयर से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य 10 रुपए प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर के धारक को कंपनी द्वारा घोषित प्रति शेयर लाभांश के साथ प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। परिसमापन की स्थिति में, कंपनी द्वारा अधिमान्य परिसंपत्तियों के वितरण के बाद, इक्विटी शेयर धारक अपनी शेयरधारित के अनुरूप कंपनी की शेष परिसंपत्तियों (सभी अधिमानी राशियों के संवितरण के बाद) को पाने के पात्र हैं।

(सी) धारक कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयर

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा धारित 10 रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए हैं।	100%	2,50,00,000	100%	2,50,00,000

*कंपनी में नामांकित शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों सहित

(डी) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता का विवरण :

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा धारित 10 रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए हैं।	100%	2,50,00,000	100%	2,50,00,000

*कंपनी में नामांकित शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों सहित

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ई) कंपनी ने बिना नकद प्रतिफल या किसी बोनस शेयर के कोई शेयर जारी नहीं किया है और तुलन पत्र की तिथि से ठीक पहले के पांच वर्षों में शेयरों की कोई पुनर्खरीद नहीं हुई है।

(एफ)

31 मार्च 2022 तक प्रमोटरों द्वारा आयोजित शेयर			
प्रमोटर का नाम	**शेयरों की संख्या**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**	**वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव**
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	24,999,993	99.99%	शून्य

13. अन्य इक्विटी

(इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिधारित उपार्जन	36,314.81	33,006.24
	36,314.81	**33,006.24**

प्रतिधारित आय

कंपनी द्वारा किए गए सभी लाभ या हानियों को लाभ और हानि के विवरण से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया जाता है।

14. अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-वर्तमान)

(परिशोधन लागत पर)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा	262.47	312.80
	262.47	**312.80**

(i) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों के संबंध में उचित मूल्यों के प्रकटीकरण के लिए नोट 28 देखें और अपेक्षित क्रेडिट हानि में बदलाव।

15. प्रावधान (गैर-वर्तमान)*

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
उपदान के लिए प्रावधान	60.57	44.93
मुआवजा अनुपस्थिति के लिए प्रावधान	33.69	-
	94.26	**44.93**

'कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान टिप्पणी 32 देखें।

16. अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित आय	13.48	29.26
	13.48	**29.26**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

17. व्यापार देय

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि (टिप्पणी नीचे दी गई है)	152.58	214.43
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों की कुल बकाया राशि	9,692.72	7,402.87
	9,845.30	**7,617.29**
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।	152.58	214.43
बकाया मूल राशि	152.58	214.43
उस पर लगने वाला ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-
उपार्जित ब्याज और अवैतनिक शेष		
आने वाले वर्षों में देय और देय राशि की शेष राशि, तब तक भी जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में भुगतान करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है।		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों को बकाया राशि का विवरण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार है।		
(i) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के संबंध में उचित मूल्यों के प्रकटीकरण और उनकी परिपक्वता रूपरेखा के विश्लेषण के लिए टिप्पणी 28 देखें।		
(ii) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 34 देखें।		
(iii) ट्रेड देय के पुरानी अनुसूची के लिए टिप्पणी 37 देखें।		

18. अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)

(परिशोधन लागत पर)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी संबंधित देय	32.78	84.75
प्रतिभूति जमा राशियां	1,658.19	1,065.43
पूंजीगत परिसंपत्ति हेतु लेनदार	1,278.33	955.26
	2,969.29	**2,105.44**

(1) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के संबंध में उचित मूल्यों के प्रकटीकरण और उनकी परिपक्वता रूपरेखा के विश्लेषण के लिए टिप्पणी 28 देखें।

(2) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 34 देखें।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

19. अन्य वर्तमान देयताएं

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ग्राहकों से अग्रिम	1,300.59	1,263.98
सांविधिक बकाया	957.58	697.77
अग्रिम प्राप्त राजस्व	1.15	1.28
आस्थगित आय	7.55	6.91
	2,266.88	**1,969.94**

20. प्रावधान (वर्तमान)*

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
उपदान हेतु प्रावधान	0.18	0.14
परोक्ष्य क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान	1.38	-
	1.56	**0.14**

*कर्मचारी लाभ दायित्व' पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 32 देखें

21. प्रचालनों से राजस्व

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवाओं की बिक्री		
कार्गो सेवाओं से राजस्व		
कार्गो सेवाओं से राजस्व	47,264.97	35,023.02
	47,264.97	**35,023.02**
अन्य प्रचालनीय राजस्व		
– अन्य प्रचालनीय आय	802.06	445.43
	802.06	**445.43**
	48,067.03	**35,468.45**

इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' के अनुसार राजस्व का प्रकटीकरण :

ए. संविदात्मक मूल्य के साथ सेवाओं की बिक्री और अन्य प्रचालन राजस्व से राजस्व का मिलान

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संविदात्मक मूल्य	47,264.97	35,023.02
घटा : छूट और रियायत	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**47,264.97**	**35,023.02**

बी. राजस्व का पृथक्करण

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
कार्गो सेवाओं से राजस्व	47,264.97	35,023.02
	47,264.97	**35,023.02**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी ने सेवाओं/बेचे गए सामानों की प्रकृति के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को अलग–अलग किया है। कंपनी का मानना है कि बेची गई सेवाओं/सामानों के रूप के आधार पर राजस्व के पृथक्करण का राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सी. संविदा की शेष राशियां

निम्नलिखित तालिका में ग्राहकों के साथ अनुबंध की संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है :

संविदा देयताएं*

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों से अग्रिम (आस्थगित राजस्व सहित)	1,301.74	1,265.26
	1,301.74	**1,265.26**

संविदा परिसंपत्तियां*

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य	3,576.97	6,094.55
घटाएं : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(2,161.98)	(2,571.35)
	1,414.99	**3,523.20**

संविदा परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। संविदा देयता एक ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए इकाई का दायित्व है, जिसके लिए इकाई को ग्राहक से अग्रिम रूप से प्रतिफल प्राप्त हुआ है।

डी. वर्ष के दौरान संविदा देयताओं और संविदा परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1,265.26	1,591.83
राजस्व मान्यता प्राप्त (संग्रह का निवल)	36.48	(326.57)
अंतिम शेष	**1,301.74**	**1,265.26**

संविदा परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	3,523.20	3,071.77
चालान की गई राशि, एकत्र और अन्य समायोजन (निवल)	(2108.22)	451.43
अंतिम शेष	**1,414.99**	**3,523.20**

22. प्रावधान (वर्तमान)*

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	597.28	1,655.16
विविध आय	21.71	308.25
आस्थगित आय	24.34	31.48
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट भत्ते का प्रत्यावर्तन	409.36	-
	1,052.70	**1,994.89**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

23. प्रचालन व्यय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
रियायत शुल्क	13,528.96	9,794.18
भा. वि. प्रा. कर्मचारी सहायता लागत	3,172.64	3,290.02
पर्यावेक्षण एवं निगरानी व्यय	1,724.99	1,462.07
विद्युत एवं जल प्रभार	1,565.49	1,438.32
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
– संयंत्र एवं अनुरक्षण	447.89	275.92
– भवन	397.68	113.22
– अन्य	1,190.79	1,230.50
बीमा	21.28	22.19
विज्ञापन एवं प्रचार	9.75	6.20
स्टोर की खपत	2.72	0.66
ड्यूटी एवं कर	9.63	0.26
किराया प्रभार	4,506.01	31.99
यात्रा व्यय	139.56	67.98
प्रशिक्षण व्यय	68.66	178.88
रखरखाव व्यय	236.98	165.93
	27,023.03	**18,078.32**

24. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस	4,018.93	2,981.05
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान (टिप्पणी 32 देखें)	67.43	286.48
कर्मचारी कल्याण व्यय	27.04	26.75
	4,113.40	**3,294.28**

25. वित्तीय लागत

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय	25.29	31.77
जीएसटी पर ब्याज	3.66	0.53
टीडीएस पर ब्याज	0.02	-
वित्तीय देयताओं के निपटान पर हानि	-	**0.03**
	28.98	**32.33**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

26. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	1,530.69	1,266.22
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	25.90	41.31
	1,556.59	**1,307.53**

27. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
किराया, दरें एवं कर	27.82	131.75
किराया प्रभार	739.04	1,275.13
व्यापार प्रचार व्यय	8.60	3.31
प्रशिक्षण व्यय	-	1.20
लेखा परीक्षक को भुगतान	10.55	10.00
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क (नीचे टिप्पणी (ए) को देखें)	227.57	222.95
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	173.67	59.23
यात्रा और परिवहन	27.17	14.93
संचार व्यय	39.96	29.07
ड्यूटी और कर	31.11	2.03
कस्टम स्टाफ लागत और अन्य व्यय	434.89	1,220.85
व्यापार प्राप्यों पर अपेक्षित क्रेडिट भत्ता	-	1,671.75
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय (नीचे टिप्पणी (बी) को देखें)	210.88	289.95
विदेशी अस्थिरिता के कारण हानि	8.62	-
विविध व्यय	144.33	126.37
	2,084.22	**5,058.51**

टिप्पणी (ए) : लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (पूर्व-सांविधिक लेखा परीक्षक सहित) (लागू करों को छोड़कर)

लेखा परीक्षक के अनुसार

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक	9.45	9.00
कराधान के मामलों हेतु	1.10	1.00
कंपनी कानून मामलों हेतु	-	-
अन्य सेवाएं	-	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.38	-
	10.93	**10.00**

टिप्पणी (बी) : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत निर्धारित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की विभिन्न योजनाओं के लिए कंपनी ने 210.88 रुपए (31 मार्च 2021 रुपए 289.95) खर्च किए हैं। विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पीएम केयर फंड में दान	210.88	200.00
स्वच्छ गंगा कोष में दान	--	44.95
स्वच्छ भारत कोष में दान	--	45.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

28. वित्तीय लिखत - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन

I. उचित मूल्य माप

ए. श्रेणीवार वित्तीय लिखत

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	पदानुक्रम का स्तर	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		एफवीटीपीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां							
व्यापार प्राप्य	3	-	-	4,039.05	-	-	6,447.04
नकद और नकद समतुल्य	3	-	-	11,960.76	-	-	8,500.37
अन्य बैंक शेष	3	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	279.31	-	-	167.33
		-	-	**26,279.12**	-	-	**24,114.74**
वित्तीय देयाएं							
व्यापार प्राप्य	3	-	-	9,845.30	-	-	7,617.29
अन्य वित्तीय देयताएं	3	-	-	3,231.77	-	-	2,418.24
		-	-	**13,077.07**	-	-	**10,035.54**

बी. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में लिए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

(ए) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त और मापे गए हैं और

(बी) परिशोधन लागत मापे गए हैं और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की गई जानकारी की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को इंड एस. 113 के अन्तर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में नीचे है।

स्तर 1 : स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय लिखत सम्मिलित हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखित, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड सम्मिलित हैं जिनकी मूल्य उद्धृत है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी लिखत (बॉन्ड सहित) के उचित मूल्य का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 : वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए, ट्रेडेड बॉन्ड, ओवर–द काउंटर डेरिवेटिव) मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और यथासंभव इकाई–विशिष्ट अनुमानों पर उतना कम भरोसा करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण निविष्ट अवलोकनीय हैं, तो लिखत को स्तर 2 में सम्मिलित किया जाता है।

स्तर 3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्ट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह गैर–सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों के मामले में है।

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्षों के लिए उपरोक्त में से किसी भी स्तर के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है।''

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

''वित्तीय साधनों को महत्व देने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में सम्मिलित है :–

– वित्तीय साधनों का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करते हुए किया जाता है।''

मूल्यांकन प्रक्रिया

स्तर 3 के मूल्यांकन पर प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सीएफओ और वित्तीय टीम के साथ चर्चा की जाती है।

कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य स्तर 3 की निविष्टियाँ निम्नानुसार प्राप्त और मूल्यांकन किए जाते हैं :

– जोखिम समायोजित छूट दरों का अनुमान लिखत से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी प्रवाह और व्यापार के बारे में इकाई के ज्ञान और वर्तमान आर्थिक वातावरण के इसे प्रभावित करने की संभावना के आधार पर लगाया जाता है।

सीएफओ और वित्तीय टीम के बीच वार्षिक मूल्यांकन चर्चा के दौरान प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्तर 2 और 3 उचित मूल्यों में परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है।

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं की अग्रणी राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है। गैर–वर्तमान ऋण प्रतिभूति जमा, वहन मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष मूल्य के लगभग होता है।

II. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

''कंपनी के पास वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों का विवरण है :

जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

कंपनी के जोखिम प्रबंधन संरचना की स्थापना और निगरानी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की समग्र जिम्मेदारी है। निदेशक मंडल ने संबंधित व्यवसाय प्रबंधकों को प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी प्रबंधन ठीक से परिभाषित संरचना के तंत्र के माध्यम से जोखिमों को नियंत्रित करता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां कंपनी द्वारा उठाएं जाने वाले जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और जोखिमों की निगरानी और सीमाओं के पालन के लिए स्थापित की जाती हैं। बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में बदलाव को दर्शाने हेतु समय–समय पर व्यापार प्रबंधकों द्वारा जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों की समीक्षा की जाती है। कंपनी, अपने प्रशिक्षण और प्रबंधन मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक अनुशासित और रचनात्मक नियंत्रण वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य रखती है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाओं और दायित्वों को समझते हैं।

i. क्रेडिट जोखिम

यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम होता है और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। कंपनी बाजार में ऋण जोखिम की सुक्ष्मता से निगरानी करती है। प्रबंधन के प्रभाव विश्लेषण में क्रेडिट जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन को कम दिखाया जाता है।

नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक शेष पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि कंपनी आम तौर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ जमा में निवेश करती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है :

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2022 तक

विवरण	डिफॉल्ट पर अनुमानित सकल वहन राशि	संभावित क्रेडिट हानियां	हानि प्रावधान की निवल अग्रेनीत राशि
नकद और नकद समतुल्य	11,961	-	11,961
अन्य बैंक शेष	10,000	-	10,000
व्यापार प्राप्य	3,577	2,161.98	1,415
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	279	-	279

31 मार्च 2021 तक

विवरण	डिफॉल्ट पर अनुमानित सकल वहन राशि	संभावित क्रेडिट हानियां	हानि प्रावधान की निवल अग्रेनीत राशि
नकद और नकद समतुल्य	8,500.37	-	8,500.37
अन्य बैंक शेष	9,000.00	-	9,000.00
व्यापार प्राप्य	6,094.55	2,571.35	3,523.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	167.33	-	167.33

ii. चलनिधि जोखिम

''चलनिधि जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कंपनी को वित्तीय देनदारियों, जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति द्वारा निपटान की जाती है, से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चलनिधि के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम को नुकसान पहुंचाए बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि होगी।

कंपनी का मानना है कि इसकी चलनिधि की स्थिति, जिसमें कुल नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक शेष शामिल हैं, जो भविष्य में प्रचालन से आंतरिक रूप से उत्पन्न निधियों का अनुमान लगाते हैं, यह व्यापारों के सामान्य प्रचालन में अपने भविष्य के ज्ञात दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होगी। जबकि, यदि एक चलनिधि की जरूरत पैदा होती है, तो कंपनी का मानना है कि उसके पास वित्तपोषण व्यवस्था, ऋण–रहित परिसंपत्ति का मूल्य है, जो इसे अपनी जारी पूंजी, प्रचालन और अन्य चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।''

(क) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर शेष ब्याज सहित वित्तीय देयताओं की बिना छूट वाली संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं :

विवरण	अग्रेनीत राशि 31 मार्च, 2022	संविदात्मक नकद प्रवाह			
		मांग पर देय	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
वित्तीय देयताएं					
व्यापार प्राप्य	9,845.30	-	9,845.30	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	3,231.77	-	2,969.29	262.47	-
कुल देयताएं	**13,077.07**	**-**	**12,814.60**	**262.47**	**-**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	अग्रेनीत राशि 31 मार्च, 2021	संविदात्मक नकद प्रवाह			
		मांग पर देय	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
वित्तीय देयताएं					
व्यापार प्राप्य	7,617.29	-	7,617.29	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,418.24	-	2,105.44	312.80	-
कुल देयताएं	**10,035.54**	**-**	**9,722.73**	**312.80**	**-**

iii. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय लेखपत्र के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार जोखिम में कंपनी के लिए ब्याज दर जोखिम और उत्पाद मूल्य जोखिम शामिल हैं

(ए) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होती है जो जमा कराते समय बाजार की ब्याज दर पर किया जाता हैं। इसमें कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को दर्शाया जाता है। जबकि ब्याज की बाजार दर में भिन्नता काफी अधिक नहीं है और कंपनी की ब्याज वहन करने वाली परिसंपत्ति भी काफी अधिक नहीं है, इसलिए उसके प्रभाव को नगण्य के रूप में मूल्यांकन किया गया है।

(बी) उत्पाद कीमत जोखिम

जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी के पास ब्याज दर जोखिम के अलावा कोई अन्य मूल्य जोखिम नहीं है।

29. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण इक्विटी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह प्रभावी पूंजी संरचना बनाए रखे और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करे। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों और वित्तीय प्रसंविदा की आवश्यकताओं में बदलाव के आलोक में समायोजन करती है। कंपनी किसी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

30. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ की गणना और प्रति शेयर मूल /डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना इस प्रकार है –

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i. प्रति शेयर मूल/डाइल्यूटेड आय के लिए इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ	**10,533.56**	**7,226.27**
ii. प्रति शेयर मूल/डाइल्यूटेड आय के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)	**2,50,00,000**	**2,50,00,000**
क. 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय (रुपए में)	42.13	28.91
ख. 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की डाइल्यूटेड आय (रुपए में)	42.13	28.91

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31. प्रभावी कर समाधान

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर पूर्व लाभ	14,313.51	9,692.36
अंतर्देशीय कर दर	25.17%	25.17%
अपेक्षित कर व्यय (ए)	**3,602.71**	**2,439.37**
आयकर में अनुमन्य नहीं मदों का प्रभाव	53.08	27.02
अन्य	33.66	-
कुल समायोजन (बी)	**86.74**	**27.02**
वास्तविक कर व्यय (सी=ए+बी)	3,689.45	2,466.39
कुल कर दर	3,792.46	2,466.39
लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित कर व्यय (डी)	**3,792.46**	**2,466.39**

32. कर्मचारी हित लाभ योजना

परिभाषित अंशदान योजनाएं

उपदान योजना कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।

ए. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	45.08	13.11
ब्याज लागत	3.05	0.89
वर्तमान सेवा लागत	29.34	31.49
देय हित लाभ	-	-
अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्राप्त पुनःमाप हानि	(16.71)	(0.41)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**60.75**	**45.08**

बी. दायित्वों के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्त पोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व को वर्तमान मूल्य	60.75	45.08
तुलन पत्र में दर्शायी गई निवल देयता	**60.75**	**45.08**
देयता - वर्तमान	0.18	0.14
देयता - गैर वर्तमान	60.57	44.93
	60.75	**45.08**

सी. लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया व्यय

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान सेवा लागत	29.34	31.49
हित लाभ दायित्वों पर ब्याज लागत	3.05	0.89
कर्मचारी हित लाभ व्यय सहित कुल व्यय	**32.38**	**32.37**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

डी. अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्राप्त का पुनः माप

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अनुमानित लाभ दायित्व पर वर्ष के लिए बीमांकिक हानि	(16.71)	(0.41)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	**(16.71)**	**(0.41)**

ई. छुट्टी नकदीकरण योजना भारतीय लेखा मानक के अनुसार कंपनी के नियमों के अनुसार सेवा में और बाहर निकलने पर कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।

दायित्वों के वर्तमान मूल्य और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
गैर निधिकृत देयता	35.07	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	**35.07**	-
देयता - वर्तमान	**1.38**	-
देयता - गैर-वर्तमान	**33.69**	-

लाभ और हानि के कथन में मान्यता प्राप्त व्यय

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कुल सेवा मूल्य	**35.07**	-
निवल ब्याज	-	-
वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल कुल व्यय	**35.07**	-

एफ. परिभाषित हित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1. अगले 12 माहों (अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि) के अंदर	0.18	0.14
2. 1 से 2 वर्ष के बीच	0.02	0.07
3. 2 से 5 वर्ष के बीच	3.82	6.07
4. 6 से 10 वर्ष के बीच	56.73	38.80

जी. महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रत्मक संवेदनशीलता विश्लेषण :

वर्ष के अंत में परिभाषित हित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर वृद्धि / (कमी)

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए. छूट दर		
0.5 प्रतिशत वृद्धि	(4.56)	(3.36)
0.5 प्रतिशत कमी	5.06	3.74
बी. भावी वेतन वृद्धि दर		
0.5 प्रतिशत वृद्धि	5.26	3.86
0.5 प्रतिशत कमी	(4.76)	(3.49)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेशण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित हित लाभ दायित्व पर प्रभाव को बहिर्वेशित किया जाता है।

एच. बीमांकिक धारणाएं

ए. आर्थिक धारणाएं

प्रमुख धारणाएं छूट दर और वेतन वृद्धि दर हैं। छूट की दर आम तौर पर देयताओं से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है। वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के रूप में कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और संगत लेखा मानक में प्रदान किए गए अनुसार दीर्घावधि के आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यापार योजना, मानव संसाधन नीति और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखता है। ये मूल्यांकन धारणाएं इस प्रकार हैं :

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	उपदान		अनुपस्थिति की प्रतिपूर्ति	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
छूट दर (प्रतिशत में)	7.26%	6.76%	7.26%	नोट देखें (ए)
भावी वेतन वृद्धि (प्रतिशत में)	3.00%	3.00%	3.00%	नोट देखें (ए)

बी. जनसांख्यिकीय धारणाएं

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	उपदान		अनुपस्थिति की प्रतिपूर्ति	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i) सेवानिवृत्त आयु (वर्ष)	58	58	58	नोट देखें (ए)
(ii) दिव्यांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)	नोट देखें (ए)
(iii) उम्र का ह्रास (ह्रास)				
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	नोट देखें (ए)
31 से 44 तक	2.00%	2.00%	2.00%	नोट देखें (ए)
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%	1.00%	नोट देखें (ए)

(क) पहली बार बीमांकिक मूल्यांकन 31 मार्च, 2022 को किया गया, जिसे अनुमान के आधार पर किया गया था।

ज. जोखिम एक्सपोजर का विवरण

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं।

इस प्रकार, कंपनी निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है :

(i) वेतन वृद्धि

(ii) निवेश जोखिम

(iii) छूट की दर

(iv) मृत्यु दर और निःशक्तता

(v) निकासी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

33. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं

ए) प्रतिबद्धताएं

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पूंजीगत खाते पर निष्पादित होने वाली अनुबंधों की प्रदान नहीं की गई शेष अनुमानित राशि (पूंजीगत अग्रिमों का निवल)	4,300.34	4,257.88

बी) कंपनी के खिलाफ दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं जिस हद तक निम्न हेतु प्रदान नहीं किए गए हैं -

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सीमा शुल्क आयुक्त–सीमा शुल्क की वसूली के मामले में	188.09	188.09
सीमा शुल्क आयुक्त – सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभार के मामले में	-	-
सीमा शुल्क आयुक्त – सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभार के मामले में – ब्याज शुल्क	341.68	228.02
ग्राहक हर्जाने का दावा करता है	1,268.04	1,870.81
विलंब – प्रभार	137.27	34.36
अन्य मामले'	2.00	40.78
	1,937.08	**2,362.06**

*इसमें व्यापार के सामान्य क्रम में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न अन्य दावे शामिल हैं।

सी) आकस्मिक परिसंपत्तियां

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
विलंब – प्रभार	34.35	-
अन्य मामले*	832.12	-
	866.47	-

*इसमें व्यापार के सामान्य क्रम में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न अन्य दावे शामिल हैं।

इसके विस्तृत मूल्यांकन और विशेषज्ञ बाहरी सलाह के आधार पर, जहां लागू हो, प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त मामलों में कंपनी के पास मजबूत विशेषताएं हैं और इन वित्तीय विवरणों पर किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

34. भारतीय लेखा मानक 24- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार संबंधित पार्टी के लेनदेन पर जानकारी

ए. संबंधित पार्टियां और उनके संबंध

संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण पर इंड एएस–24 की पुनर्रचना के अनुसार जहां नियंत्रण मौजूद है और जहां लेनदेन हुआ है और प्रबंधन द्वारा पहचाने और प्रमाणित किए गए संबंध का विवरण निम्नानुसार है :

(क) नियंत्रक कंपनी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)

(ख) अन्य समूह संस्थाएं

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1.	स्व. श्री अनुज अग्रवाल (06/04/2021 से निदेशक पद से हटे)	अध्यक्ष एवं निदेशक
2.	श्री संजीव कुमार (11 मई 2021–वर्तमान से नियुक्त)	अध्यक्ष एवं निदेशक
3.	सुश्री वंदना अग्रवाल (31/05/2022 को सेवानिवृत्त)	नाविम निदेशक
4.	श्री पीयूश श्रीवास्तव (06/09/2021 को नियुक्त–वर्तमान)	नाविम निदेशक
5.	श्री अनिल कुमार पाठक	निदेशक
6.	सुश्री वी. विद्या	निदेशक
7.	श्री केकू बोमी गजदेर (15/03/2022 को सीईओ पद से हटे)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	श्री अजय कुमार (15/03/2022 को नियुक्त – वर्तमान)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
9.	श्री जे.बी. सैनी (7 अक्टूबर 2020 से नियुक्त)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
10.	श्री कपिल अग्रवाल (21/01/2022 से सीएस पद से विरत)	कंपनी सचिव
11.	सुश्री गरिमा जौहरी (02.03.2022 से नियुक्त – वर्तमान)	

बी. संबंधित पार्टी लेनदेन

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को अनुलाभ सहित पारिश्रमिक		
हित लाभ सहित पारिश्रमिक	95.64	85.43
रोजगार पश्चात लाभ – उपदान	1.19	1.96
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
2. नियंत्रक कंपनी		
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)		
रियायत शुल्क	13,528.96	9,794.18
देय लाभांश	7,225.00	2,770.00
राजस्व अंतरण (जीएसटी सहित)	-	1,620.90
व्यय अंतरण (जीएसटी को छोड़कर)	4,849.93	4,821.53
जमा कार्य	187.51	1,126.57
अचल परिसंपत्ति हस्तांतरण (निवल)	2,040.15	246.85
आईएलबीएचएस – भा. वि. प्रा. (जीएसटी को छोड़कर 31 मार्च को बुक किए गए, बिल न किए गए राजस्व सहित वर्ष हेतु राजस्व	2,064.89	2,294.77
आईएलबीएचएस – सीएचआईएएल (जीएसटी को छोड़कर 31 मार्च को बुक किए गए, बिल न किए गए राजस्व सहित वर्ष हेतु राजस्व	119.16	101.25

तालिका में दी गई राशियां प्रमुख प्रबंधन कर्मियों से संबंधित रिपोर्टिंग अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशियां हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सी. वर्ष के अंत में बकाया शेष

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
व्यापार देय		
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)	2,471.28	1,142.31
व्यापार प्राप्य		
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	69.90	72.67

35. खंड सूचना

''भारतीय लेखा मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित ''प्रबंधन दृष्टिकोण'' के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता ('सीओडीएम') एक खंड अर्थात ''कार्गो प्रबंधन सेवाएं'' के रूप में समग्र कंपनी स्तर पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल को सीओडीएम के रूप में चिन्हित गया है, क्योंकि वे व्यापार योजना की तैयारी और निष्पादन, बजट की तैयारी, योजना, निर्देशन और व्यापार विस्तार के संबंध में सभी प्रमुख निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं।

कंपनी भारत की अधिवासी है और अपना संपूर्ण राजस्व भारत में सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त करती है। इसके अलावा, सभी परिसंपत्तियां/ देयताएं कंपनी के अधिवास वाले देश, अर्थात् भारत में स्थित हैं। जबकि, कंपनी ने कंपनी के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण स्थानों में राजस्व के आधार पर भौगोलिक खंड की पहचान की है।''

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	वित्तीय वर्ष	पूर्व	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	गैर-आबंटित	कुल
खंड राजस्व	2021-22	11,583.23	1,721.24	32,177.54	2,273.93	311.09	48,067.03
	2020-21	7,702.76	1,497.68	22,917.12	3,263.91	86.98	35,468.45
खंड परिणाम (लाभ/हानि)	2021-22	2,273.90	(229.01)	12,106.47	560.08	19.51	14,730.95
	2020-21	1,848.19	(33.05)	8,775.51	1,123.38	(1,132.56)	10,581.47
गैर–आबंटित निगमित व्यय	2021-22	-	-	-	-	1,470.15	1,470.15
	2020-21	-	-	-	-	2,883.99	2,883.99
प्रचालन लाभ	2021-22	2,273.90	(229.01)	12,106.47	560.08	(1,450.64)	13,260.80
	2020-21	1,848.19	(33.05)	8,775.51	1,123.38	(4,016.55)	7,697.48
अन्य आय	2021-22	1.85	596.99	21.48	0.85	431.54	1,052.71
	2020-21	-	-	-	-	1,994.89	1,994.89
कर पूर्व लाभ	2021-22	2,275.75	367.98	12,127.95	560.93	(1,019.10)	14,313.51
	2020-21	1,848.19	(33.05)	8,775.51	1,123.38	(2,021.67)	9,692.36
कर व्यय	2021-22	-	-	-	-	3,513.86	3,513.86
	2020-21	-	-	-	-	2,740.46	2,740.46
आस्थगित कर	2021-22	-	-	-	-	278.59	278.59
	2020-21	-	-	-	-	(274.19)	(274.19)
कर पश्चात लाभ	2021-22	-	-	-	-	12.51	12.51
	2020-21	-	-	- -	-	0.30	0.30
अन्य सूचना	2021-22	2,275.75	367.98	12,127.95	560.93	(4,799.05)	10,533.56
	2020-21	1,848.19	(33.05)	8,775.51	1,123.38	(4,487.75)	7,226.27

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	वित्तीय वर्ष	पूर्व	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	गैर-आबंटित	कुल
खंड परिसंपत्ति							
खंड देयताएं	2021-22	728.58	1,690.30	3,142.65	348.50	938.04	6,848.07
	2020-21	714.38	2,462.91	516.82	118.73	36.74	3,849.58
मूल्यह्रास और परिशोधन	2021-22	308.72	100.22	1,069.39	43.40	34.86	1,556.59
	2020-21	182.06	43.51	960.87	67.63	53.46	1,307.53

36. वित्तीय अनुपात

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	परिवर्तन
i)	**वर्तमान अनुपात (ए/बी)**	**1.88**	**2.30**	**-18%**
	वर्तमान परिसंपत्ति (ए)	28,302.54	26,910.53	नोट देखें 7 (ए)
	वर्तमान देयताएं (बी)	15,083.03	11,692.82	
ii)	**इक्विटी अनुपात पर वापसी (ए/बी)**	**28.35%**	**21.71%**	**31%**
	वर्ष के लिए निवल लाभ (ए)	10,533.56	7,226.27	नोट देखें 7 (बी)
	औसत इक्विटी (बी)	37,160.53	33,278.11	
iii)	**व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (ए/बी)**	**9.94**	**7.05**	**41%**
	क्रेडिट बिक्री (ए)	48,067.03	35,468.45	नोट देखें 7 (सी)
	औसत व्यापार प्राप्य (बी)	4,835.76	5,032.96	
iv)	**व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (ए/बी)**	**3.33**	**1.04**	**220%**
	क्रेडिट खरीद (ए)	29,107.25	23,136.84	नोट देखें 7 (डी)
	औसत व्यापार देय (बी)	8,731.30	22,230.30	
v)	**निवल पूंजी कारोबार अनुपात (ए/बी)**	**3.64**	**2.33**	**56%**
	प्रचालन से राजस्व	48,067.03	35,468.45	नोट देखें 7 (ई)
	कार्यशील पूंजी (बी)	13,219.50	15,217.71	
vi)	**निवल लाभ अनुपात (ए/बी)**	**21.91%**	**20.37%**	**8%**
	कर के बाद निवल लाभ	10,533.56	7,226.27	
	प्रचालन से राजस्व	48,067.03	35,468.45	
vii)	**नियोजित पूंजी पर रिटर्न (ए/बी)**	**27.14%**	**20.35%**	**33%**
	पीएटी कार्यशील पूंजी (बी) (ए)	10,533.56	7,226.27	नोट देखें 7 (एफ)
	कार्यशील पूंजी (बी)	38,814.81	35,506.24	
viii)	**निवेश पर वापसी (ए/बी)**	**3.77%**	**6.80%**	**-45%**
	ब्याज आय	597.28	1,655.16	नोट देखें 7 (जी)
	औसत बैंक जमा	15,836.22	24,338.82	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणियां :

1. तुलन पत्र मदों से संबंधित अनुपात 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को प्रस्तुत किए गए हैं। जबकि, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के विवरण की मदों से संबंधित अनुपात प्रस्तुत किए गए हैं।
2. कंपनी के लिए लागू सीमा तक अनुपातों को प्रकट किया गया है।
3. कर के बाद निवल लाभ में अन्य व्यापक आय शामिल नहीं है।
4. निवल परिसंपत्ति इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी का योग है।
5. क्रेडिट खरीद में वर्ष के दौरान खरीदारी और अन्य खर्च शामिल हैं।
6. ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध कमाई में ब्याज और मूल्यह्रास से पहले की कमाई शामिल है।
7. 25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण

   क) वर्ष के दौरान उच्चतर चालू देयताओं के कारण कमी

   ख) पिछले वर्ष में लिए जा रहे सीटीओ परिचालनों के पूरे वर्ष के प्रभाव के कारण वृद्धि

   ग) वर्ष के दौरान ग्राहकों से बेहतर संग्रह के कारण वृद्धि

   घ) वर्ष के दौरान व्यापार लेनदारों को समय पर भुगतान करने के कारण वृद्धि

   ङ) पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व के कारण वृद्धि

   च) पिछले वर्ष की तुलना में नियोजित लगभग समान पूंजी के साथ प्रचालन से वर्ष के दौरान अधिक लाभ के कारण वृद्धि

   छ) कम निवेश और निवेश पर कम प्रतिफल के कारण कमी

37. व्यापार देय एजिंग अनुसूची

31 मार्च 2022 को

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	बिना बिल किया हुआ	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया				कुल
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	144.10	6.14	2.34	-	152.58
(ii) अन्य	-	-	1,980.63	280.20	1,157.78	-	3,418.62
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
बिना बिल किया हुआ	6,274.10	-	-	-	-	-	6,274.10
कुल	**6,274.10**	**-**	**2,124.74**	**286.34**	**1,160.12**	**-**	**9,845.30**

31 मार्च 2021 को

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	बिना बिल किया हुआ	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया				कुल
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	214.43	-	-	-	214.43
(ii) अन्य	-	-	991.66	1,722.85	-	-	2,714.51
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
बिना बिल किया हुआ	4,688.36	-	-	-	-	-	4,688.36
कुल	**4,688.36**	**-**	**1,206.08**	**1,722.85**	**-**	**-**	**7,617.29**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

38. व्यापार देय एजिंग अनुसूची

31 मार्च 2022 को

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	बिना बिल किया हुआ	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 वर्ष से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित								
(i) अच्छा माना गया	-	319.75	886.88	208.36	-	-	-	1,414.99
(ii) ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	9.74	220.44	262.24	345.05	706.37	618.14	2,161.98
विवादित								
(i) अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
बिना बिल किया हुआ	2,624.07	-	-	-	-	-	-	2,624.07
कुल	**2,624.07**	**329.49**	**1,107.32**	**470.60**	**345.05**	**706.37**	**618.14**	**6,201.04**

31 मार्च 2021 को

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	बिना बिल किया हुआ	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 वर्ष से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित								
(i)अच्छा माना गया	-	-	2,721.13	444.42	286.64	37.89	33.22	3,523.30
(ii) ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	231.11	312.05	1,302.40	647.37	78.31	2,571.25
विवादित								
(i) अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
बिना बिल किया हुआ	2,923.83	-	-	-	-	-	-	2,923.83
कुल	**2,923.83**	**-**	**2,952.24**	**756.47**	**1,589.04**	**685.26**	**111.53**	**9,018.38**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

39. ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

''भारतीय लेखा मानक एएस 115, ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व, यह निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व को मान्यता दी जाती है और ग्राहक संविदाओं से उत्पन्न होने वाले राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता के बारे में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक–115 में प्रत्येक राजस्व संविदाओं के मूल्यांकन के लिए एक पांच चरण मॉडल प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार हैं :

- ग्राहक के साथ संविदा की पहचान करना
- निश्पादन दायित्व ('पीओ') की पहचान करना
- लेनदेन की कीमत निर्धारित करना
- पीओ को लेनदेन मूल्य आबंटित करना
- निष्पादन दायित्व संतोषजनक होने पर राजस्व की पहचान करना''

40. भा.वि.प्रा. को रियायत शुल्क

कंपनी के बोर्ड ने 7 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक की कार्यसूची मद सं. 20.20 के माध्यम से विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग और अन्य संबंधित सेवाओं से संबंधित भा. वि. प्रा. के कारोबार और भूमि/स्थल के हस्तांतरण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.) के साथ रियायत समझौता करने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एएआईसीएलएएस और भा.वि.प्रा. के बीच सहमत समझौते के अनुसार, कंपनी को 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से भा. वि. प्रा. को एएआई सीएलएएस के प्रचालन (आईएलबीएचएस लागत की प्रतिपूर्ति पर कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व को छोड़कर जोकि मूल कंपनी से लागत आधार और बिजली हेतु वसूला जाता है) से प्राप्त राजस्व के 30 प्रतिशत की दर से रियायत शुल्क देना होगा। इस संबंध में, एएआईसीएलएएस ने मान्यता प्राप्त राजस्व के आधार पर 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल 1,352,896,236 रुपए और 97,94,18,476 रुपए के लिए भा.वि.प्रा. के पक्ष में रियायत शुल्क का प्रावधान दर्ज किया है।

प्रबंधन ने इंड एएस 115: ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'', अधिक विशेष रूप से, ''सेवा रियायत व्यवस्था''के रूप में, के तहत निर्धारित मार्गदर्शन के मद्देनजर इस व्यवस्था का मूल्यांकन किया और इसे एक ऐसी व्यवस्था के रूप में माना जहां हालांकि एएआईसीएलएएस (प्रचालक) ने किसी भी अवसंरचना के निर्माण या उन्नयन पर कोई खर्च नहीं किया है, चूंकि इसे भा. वि. प्रा. द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होकर 30 वर्षों तक ऐसी मूल संरचना/जगह के उपयोग के आधार पर अपने ग्राहकों (प्रयोक्ताओं) से शुल्क वसूलने का अधिकार देती है। तदनुसार, भा. वि. प्रा. और एएआईसीएलएएस के बीच समझौते की शुरूआत पर ''प्रचालन का अधिकार'' कार्गो सेवाओं के बदले असमान वस्तु एवं सेवाओं की अदला–बदली नहीं हुई है। इसके परिणास्वरूप एएआईसीएलएएस ग्राहकों से राजस्व को उपार्जन के तौर पर चिन्हित करती है और रियायत शुल्क सहित संबंधित लागतों को खर्च किए अनुसार प्रभारित करती है।

41. चेन्नई और कोलकाता में पूर्व जमा खाता (पीडीए) में शेष राशि

''कंपनी की निर्दिष्ट कार्गो सेवाओं के संबंध में ग्राहकों से अग्रिम राशि लेने की नीति है, इस तरह के ग्राहक से ली गई अग्रिम राशि को पूर्व जमा खाता (पीडीए) में रखा गया है और कंपनी द्वारा प्रदान की गई कार्गो सेवाओं के लिए अग्रिम राशि को समायोजित किया जा रहा है। ऐसे पीडीए खातों को आईसीएमएस सॉफ्टवेयर (बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो मुख्य लेखांकन सॉफ्टवेयर से अलग है) में सहायक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। लेखा बहियों (एसएपी के तहत) के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक चेन्नई और कोलकाता में पीडीए शेष राशि 11,47,75,377 रुपए और आईसीएमएस (सहायक रिकॉर्ड) के अनुसार शेष राशि 11,92,91,891 रुपए है। इसमें 45,16,513 रुपए का अंतर मूल कंपनी के साथ विनियोजन के अधीन है, आईसीएमएस के अनुसार ग्राहक शेष राशि का विनियोजन भी नियत समय पर किया जाना है।''

42. इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आईएलएचबीएसएस)

कंपनी ने लागत वसूली के आधार पर अपनी मूल कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसकी संबंधित कंपनी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) को इन–लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आईएलबीएचएसएस) प्रदान किया है। (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण देखें – टिप्पणी संख्या 34बी)

43. सीमा शुल्क प्रभार

अधिसूचना के अनुसार भा. वि. प्रा. को 2005 से अमृतसर, त्रिची, इंदौर, भुवनेश्वर और मदुरै हवाई अड्डों पर कार्गो सेवाओं को संभालने के लिए संरक्षक के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत सीमा शुल्क विभाग के कुछ अधिकारियों को ऐसी कार्गो सेवाओं के प्रचालन में तैनात किया गया है, जिन्हें विशेष रूप से केवल कस्टोडियन के लिए तैनात किया गया है। इसलिए, तदनुसार, जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, समय–समय पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किए गए मांग पत्र के अनुसार उनकी लागत की प्रतिपूर्ति कस्टोडियन द्वारा

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सीमा शुल्क विभाग को की जानी चाहिए। अब तक भा. वि. प्रा. द्वारा एएआईसीएलएएस के साथ इस तरह की लागत को माफ करने के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा ब्याज की मांग सहित मामले का निपटान किया जा रहा था। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्रबंधन का मानना है कि ऐसे अधिकारियों की लागत के लिए इस तरह का मांग नोटिस कंपनी की स्थापना के बाद से अर्थात् 11.08.2016 से एएआईसीएलएएस द्वारा वहन किया जा सकता है क्योंकि कार्गो सेवाओं को एएआईसीएलएएस द्वारा उनके प्रचालन के हिस्से के रूप में संभाला जा रहा है। वहीं, ब्याज की मांग को लेकर कंपनी अपनी मूल कंपनी के साथ कमिश्नर के पास पहले ही छूट के लिए आवेदन कर चुकी है। मामला आज की तिथि तक विचाराधीन है और अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तद्नुसार तुलन पत्र की तारीख तक के ब्याज को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

44. कार्मिक लाभ

''कंपनी के सभी कर्मचारी मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर हैं। जबकि, सीईओ, क्षेत्रीय/प्रधान कार्यालय में प्रतिनियुक्त कुछ कर्मचारियों को संविदा के आधार पर 5 वर्ष से कम अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान संविदात्मक आधार पर 5 वर्ष से कम अवधि के लिए स्क्रीनर्स और मल्टीटास्करों को भी नियुक्त किया है। सीएफओ की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा स्टैंड पोस्ट प्रतिनियुक्ति के रूप में की गई है। मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के सभी सेवानिवृत्ति लाभ (जैसे ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण) मूल कंपनी द्वारा वहन किए गए और अपनी लेखा बहियों (सांविधिक बकाया राशि सहित) में दर्ज किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अनुबंधित कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व के लिए प्रावधान किया है।

मूल कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार कंपनी के सीएफओ के सेवानिवृत्ति दायित्व का अनुमान लगाया गया है और कंपनी द्वारा मान्यता दी गई है और ऐसी सभी देयता मूल कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई है क्योंकि सीएफओ को स्टैंड पोस्ट प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है।''

45. कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीएसआर हेतु आवश्यक व्यय किया है :

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	210.88	289.95
ख) खर्च की गई राशि	210.88	289.95
– पिछले वर्ष से खर्च की गई अतिरिक्त राशि को आगे लाया गया	-	-
ग) वर्ष के अंत में कमी	-	-
घ) अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि	-	-
	-	-

31 मार्च 2022 को

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र और परियोजना का स्थान	परियोजना पर खर्च की गई राशि	परियोजना की अवधि	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि
पीएम केयर फंड	सामाजिक आर्थिक विकास	नई दिल्ली	210.88	2021-22	सीधे	लागू नहीं

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2021 को

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो)

परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII की गति. विधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र और परियोजना का स्थान	परियोजना पर खर्च की गई राशि	परियोजना की अवधि	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि
पीएम केयर फंड	सामाजिक आर्थिक विकास	नई दिल्ली	200.00	2020-21	सीधे	लागू नहीं
स्वच्छ गंगा कोष	सामाजिक आर्थिक विकास	नई दिल्ली	44.95	2020-21	सीधे	लागू नहीं
स्वच्छ भारत कोष	सामाजिक आर्थिक विकास	नई दिल्ली	45.00	2020-21	सीधे	लागू नहीं

46. अतिरिक्त नियामक जानकारी

(i) (ए) कंपनी ने इस समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन का प्रकार) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि मध्यस्थ ये कार्य करेगा (1) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें (वास्तविक लाभार्थी) या (2) वास्तविक लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही कुछ प्रदान करें।

(बी) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (1) निधिकरण पार्टी (वास्तविक लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या (2) वास्तविक लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही कुछ प्रदान करें।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कोई लेनदेन आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया गया है जो लेखा की बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई किसी भी कंपनी के साथ कंपनी का कोई लेन–देन या संबंध नहीं है।

(iv) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के प्रति कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(v) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वेच्छा से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(vi) कंपनी ने वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(vii) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(viii) वर्ष के दौरान कंपनी के पास ऋण के रूप में कोई अग्रिम नहीं है।

47. रिपोर्ट के बाद की तिथि परघटनाएं

31 मार्च, 2022 और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच कोई समायोजन या महत्वपूर्ण गैर–समायोजन घटनाएं नहीं हुई हैं।

48. उन लेखांकन नीतियों को प्रकट नहीं किया गया है जो वर्तमान में कंपनी के लिए संगत नहीं हैं। जब ऐसी लेखांकन नीतियां संगत हो जाती हैं, तो उनको प्रकट किया जाएगा।

49. 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची 3 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	पुराने शीर्ष	पुनर्गठित शीर्ष	राशि (लाख रु. में)
प्रतिभूति जमा राशि	अन्य वित्तीय देयता (वर्तमान)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान)	8.74
देनदार	व्यापार प्राप्तियां	ग्राहक से अग्रिम	1255.04
बिल न किया गया राजस्व	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	2624.07
ग्राहक से अग्रिम	व्यापार प्राप्तियां	ग्राहक से अग्रिम	1255.04
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	नकद और नकद समकक्ष	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान)	270.58

50. एएआईसीएलएएस के प्रचालन चलाने के लिए यह भा. वि. प्रा. की भूमि का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा, एएआईसीएलएएस, भा. वि. प्रा. की भूमि के बदले रियायत शुल्क के रूप में संचालन से राजस्व का 30 प्रतिशत भुगतान करता है। जबकि, रियायत समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

51. एएआईसीएलएएस द्वारा बंद की गई कंपनियों के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया।

52. एक निजी फर्म भा. वि. प्रा. के तत्वावधान में 18.02.2021 से पहले कोलकाता और चेन्नई स्टेशन पर सीटीओ संचालन कर रही थी। नागरिक विमानन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार 18.02.2021 से एएआईसीएलएएस द्वारा सीटीओ संचालन को अपने हाथ में ले लिया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राजस्व और व्यय का कुल प्रभाव 87 करोड़ रुपए और 39 करोड़ रुपए है। इसलिए, एएआईसीएलएएस द्वारा सीटीओ संचालन को अपने हाथ में लेने से संगठन की लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

53. वर्ष 2018 में अग्रिम भुगतान के तहत जमा राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन अब एएआईसीएलएएस के पक्ष में मामला घोषित किया गया और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने से पहले 14.03 लाख रुपए प्राप्त हुए।

54. समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की गैर–वित्तीय संपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार किसी भी परिसंपत्ति की हानि नहीं हुई है।

55. एएआईसीएलएएस बागडोगरा और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के बीच पेरिशेबल कार्गो (सीपीसी) के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए 12.07.2019 को राजस्व साझा करने के आधार पर लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन संबंधित भवन में प्रचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

56. अडानी लखनऊ को 15 मई 2021 तक किराए पर दी गई परिसंपत्ति और तदनुसार उस तिथि तक हमारे लेखा की बहियों में किराए की आय दर्ज की गई। 15.05.2021 के बाद अडानी से परिसंपत्तियां वापस प्राप्त की गईं और दूसरे स्टेशन पर भेज दी गईं।

57. 13 अक्तूबर 2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई थी।

कृते यूसीसी एंड ऐसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन 500017

हस्ता/–
सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2022

कृते एएआई कार्गो लॉजिटिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
किशोर कुमार सेनापति
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एपीयूपीएस 3057जी

हस्ता/–
गरिमा जौहरी
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए28015

हस्ता/–
अजय कुमार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन : एसीएसपीबी 2799पी

हस्ता/–
संजीव कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 01866640

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भा.वि.प्रा. कार्गो लॉजिस्टिक्स एवं अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण हेतु
एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने मैसर्स भा.वि.प्रा. कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड कंपनी लिमिटेड (मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (''मूल कंपनी'') के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994) (''कंपनी'') के अंतर्गत स्थापित एक निगमित निकाय है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक का तुलन पत्र और लाभ और हानि का विवरण सहित अन्य व्यापक आय के विवरण और तत्कालीन समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह के विवरण और इक्विटी में बदलाव के विवरण शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात ''वित्तीय विवरणी'' के तौर पर संदर्भित किया जाएगा) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में योग्य राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण को तरीके से कंपनियों के अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख पर समाप्त वर्ष में लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसकी नकदी प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निश्पक्ष दृश्टिकोण देते हैं।

योग्य राय के आधार

1. नियंत्रक कंपनी अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में हमें प्रदान किए गए समाधान के अनुसार 3,669.72 रुपए का महत्वपूर्ण अंतर है। साथ ही, कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और फॉर्म 26 एएस के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संबंध में 254.87 लाख रुपए की राशि के प्रचालन से राजस्व में अंतर है। हमें प्रदान किए गए विवरण के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अर्जित और प्राप्त राजस्व की राशि 2064.89 लाख रुपए जबकि, फॉर्म 26 एस में दिखाई देने वाली राशि 2,319.76 लाख रुपए है।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कंपनी को हस्तांतरित अचल परिसंपत्तियों के कार्गो खंड के निवल ब्लॉक के संबंध में हमें प्रदान किए गए समाधान के अनुसार 182 लाख रुपए का अंतर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कंपनी को हस्तांतरित 2,222 लाख रुपए की कार्गो खंड अचल संपत्ति का निवल ब्लॉक, जबकि कंपनी में बुक की गई संपत्ति का निवल ब्लॉक 2,040 लाख रुपए है। इसलिए अचल परिसंपत्तियों के संबंध में गैर–वर्तमान परिसंपत्ति का मूल्य कम बताया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया। उन लेखा परीक्षा मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए संगत नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे योग्य मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर ध्यान

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्शित करते हैं :

1. टिप्पणी संख्या 21, वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के प्रचालन से मिले राजस्व और फॉर्म 26 एएस में आने वाले वित्तीय विवरणों में प्रचालनों के राजस्व की राशि की राशि में 9,218.71 रुपए का बड़ा अंतर है। वर्ष के दौरान वित्तीय विवरणों के अनुसार प्रचालन (बिल न किए गए राजस्व का निवल) से राजस्व 44,642.05 रुपए है, जबकि फॉर्म 26 एएस के अनुसार प्रचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व 35,423.34 रुपए है। हमने कुछ उदाहरण देखे हैं, नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है, जहां पार्टियां कंपनी द्वारा जारी किए गए चालानों की बुकिंग नहीं कर रही हैं और जहां कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार राजस्व प्राप्त या अर्जित किया गया है, फॉर्म 26एएस के अनुसार राजस्व से कम है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के अंतर हैं :

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

तालिका 1 : कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार जिन ग्राहकों से प्राप्त या अर्जित राजस्व राशि फॉर्म 26एएस के अनुसार राजस्व की राशि से अधिक है

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क्र. सं.	पार्टी का नाम	कंपनी के वित्तीय रिकार्ड्स के अनुसार राजस्व की राशि (लाख रुपए में)	फॉर्म 26एएस के अनुसार राजस्व की राशि (लाख रुपए में)	अंतर (लाख रुपए में)
		(क)	(ख)	(ग)
1	स्पाइस जेट लिमिटेड	1,617.14	-	1,617.14
2	जीएसईसी लिमिटेड	997.37	922.84	74.53
3	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	4,268.50	4,260.29	8.21
4	केरी इंडेव लॉजिस्टिक्स प्रावइेट लिमिटेड	1309.30	1,115.62	193.68
5	एमिरेट्स एयरलाइन्स	2444.34	2,139.67	304.67
कुल		**10,636.65**	**8,438.42**	**2,198.23**

इसके अलावा, ऐसे उदाहरण हैं जहां कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार कुछ पार्टियों से प्राप्त या अर्जित राजस्व फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित राजस्व से कम है। कुछ पार्टियां जिनके लिए कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए विवरण के अनुसार प्राप्त या अर्जित राजस्व फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित राजस्व राशि से कम है, नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

तालिका 2 : कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार जिन ग्राहकों से प्राप्त या अर्जित राजस्व राशि फॉर्म 26एएस के अनुसार राजस्व की राशि से कम है

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क्र. सं.	पार्टी का नाम	कंपनी के वित्तीय रिकार्ड्स के अनुसार राजस्व की राशि (लाख रुपए में)	फॉर्म 26एएस के अनुसार राजस्व की राशि (लाख रुपए में)	अंतर (लाख रुपए में)
		(क)	(ख)	(ग)
1	एयर इंडिया लिमिटेड	2,328.24	3,510.62	1,182.38
2	कैथे पैसिफिक एयरवेज लिमिटेड	1,588.79	1,690.18	101.39
3	डीएचएल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड	243.49	283.79	40.30
4	फ्लाईजैक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड	465.52	574.12	108.60
5	एतिहाद एयरवेज़	493.00	571.00	78.00
6	टाटा सिया एयरलाइन्स लिमिटेड	511.95	555.79	43.84
7	एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड	447.74	456.99	9.25
कुल		**6,078.73**	**7,642.49**	**1,563.76**

2. कोलकाता स्टेशन पर 31 मार्च 2021 तक विलंब शुल्क के संबंध में बिल न किए गए राजस्व को 140.83 लाख रुपए कम बताया गया है। जिसके कारण, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व को 140.83 लाख रुपए से अधिक बताया गया है और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व को उसी राशि से कम बताया गया है।

3. टिप्पणी 23 और 50 – भा.वि.प्रा. को रियायत शुल्क : 11 अगस्त, 2016 से पहले कंपनी के निगमन की तारीख से पहले कार्गो व्यवसाय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा. अर्थात होल्डिंग इकाई) द्वारा किया जा रहा था। भा.वि.प्रा. ने कार्गो प्रचालन के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एएआईसीएलएएस का गठन किया और भा.वि.प्रा. ने कार्गो बिजनेस

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

से संबंधित अनुबंधों और परिसंपत्तियों को एएआईसीएलएएस को हस्तांतरित कर दिया। कंपनी ने एक बोर्ड संकल्प पारित किया जिसके तहत भा.वि.प्रा. को सालाना 30 प्रतिशत कार्गो राजस्व का भुगतान रियायत शुल्क के रूप में किया जाना था। उपरोक्त व्यवस्था को सेवा रियायत व्यवस्था (भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार सिद्धांतों का उपयोग करके लेखांकन) के रूप में लेखा बहियों में शामिल किया गया है। कंपनी और मूल कंपनी के निदेशक मंडल ने इस व्यवस्था के लिए सहमति दे दी थी और तदनुसार कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भी खर्चों का लेखा–जोखा जारी रखा है। अब पार्टियों के बीच 12 अक्टूबर, 2022 को सेवा रियायत समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

4. नोट संख्या 7 और 17, 31 मार्च 2022 को 3,576.97 लाख रुपए की व्यापार प्राप्तियों और 9,845.30 लाख रुपए की व्यापार देय राशि के मामले में, केवल कुछ शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है, और शेश राशि 31 मार्च 2022 तक पुष्टि के लिए लंबित है।

5. टिप्पणी 14 और 18 – अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर–वर्तमान) : कंपनी ने कुछ पार्टियों को किराए पर कार्गो टर्मिनलों पर जगह प्रदान की है, हमने यह देखा है कि कुछ किरायेदारों से प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण कंपनी द्वारा संपत्ति के उपयोग या ऐसे किरायेदारों से जगह खाली करवाने के संबंध में कंपनी का ऐसे किरायेदारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई प्रतिभूति जमा राशि अपर्याप्त है। हमने अपनी समीक्षा के दौरान यह पाया कि तीन हवाई अड्डों अर्थात चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद से संबंधित कुल 44.52 लाख रुपए की प्रतिभूति जमा राशि एयर इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, थाई एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज और स्पाइस जेट से प्राप्त नहीं हुई है।

6. टिप्पणी संख्या 40 – भा.वि.प्रा. को रियायत शुल्क : कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) को अपने कुल प्रचालन राजस्व के 30 प्रतिशत की दर से रियायत शुल्क का भुगतान करती है। यह रियायत शुल्क भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी और अन्य उपयोगिताओं जैसी सामान्य सुविधाओं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व और नियंत्रण में जो सेवाएं हैं, उनके उपयोग के कारण दिया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और कंपनी के बीच 12 अक्टूबर, 2022 को रियायत शुल्क के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 13,528.96 लाख रुपए की रियायत शुल्क का भुगतान किया है।

7. टिप्पणी संख्या 3ए – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण : आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निर्दिष्ट स्थान पर परिसंपत्ति की पहचान नहीं की गई थी या यह कम मात्रा में पाई गई थी। वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक/अतिरिक्त संपत्तियों का उल्लेख किया गया था जिसे बहियों में पूंजीकृत नहीं किया गया है। वास्तविक सत्यापन के दौरान अप्रचलित और निष्क्रिय संपत्तियां पाई गईं। कंपनी के कब्जे में भूमि को किसी भी स्थान के लिए पूंजीकृत नहीं किया गया था और ऐसे कई मामले हैं जहां इमारतों को कंपनी की बहियों में पूंजीकृत नहीं किया गया था। अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में जीवन के लिए उपयोगी संपत्ति की मात्रा, विवरण, स्थान के संबंध में सुधार की आवश्यकता है।

अन्य मामले

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. कंपनी ने अहमदाबाद शाखा के लिए व्यावसायिक कर पंजीकरण अभी तक नहीं कराया है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी को एयर इंडिया लिमिटेड से वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान बनाए गए चालानों के लिए 2,552.88 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि की वसूली के प्रति अनिश्चितता के कारण, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक बकाया राशि के लिए 419.78 लाख रुपए के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान प्रदान किया है।

3. टिप्पणी संख्या 33, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्ति और प्रतिबद्धताएं : कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दायर विभिन्न मंचों पर 33 कानूनी मामले लंबित हैं। इन मामलों में से, 8 कानूनी मामलों में जो कंपनी और कानूनी सलाहकार के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय में लंबित हैं, एएआईसीएलएएस को इन मामलों में पक्षकार बनाया गया है, लेकिन यह मुद्दा और वित्तीय दायित्व दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) पर होगा न कि एएआईसीएलएएस पर क्योंकि यह दिल्ली हवाई अड्डे पर विलंब शुल्क शुल्क से संबंधित है जो एएआईसीएलएएस के नियंत्रण में नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

तालिका 1 : कानूनी मामलों की सूची जिसमें किसी वित्तीय राशि को प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी और कानूनी सलाहकार की राय के अनुसार कंपनी पर कोई वित्तीय देयता नहीं होगी

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क्र. सं.	मामले का शीर्षक	प्राधिकरण जिसमें मामला लंबित है	मामले के तथ्य
1	लिखित याचिका (सी) 3022/2020 सागा फ्रेट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य	दिल्ली उच्च न्यायालय	लॉकडाउन के दौरान विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।
2	लिखित याचिका (सी) 3162/2020 अजय कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य।	दिल्ली उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।
3	लिखित याचिका (सी) 3201/2020 एरोमैट्रिक्स फ्लोरा प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।	दिल्ली उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।
4	लिखित याचिका (सी) 3251/2020 यूरो कॉफी मशीन बनाम एमओसीए और अन्य	दिल्ली उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।
5	लिखित याचिका (सी) 3259/2020 मैसर्स वेहंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।	दिल्ली उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।
6	लिखित याचिका (सी) 4054/2020 यूरो सेफ्टी फुटवियर बनाम भारत संघ और अन्य।	दिल्ली उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।
7	लिखित याचिका (सी) 3884/2020 एरोमैट्रिक्स फ्लोरा बनाम भारत संघ और अन्य।	दिल्ली उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में याचिकाकर्ता एफएसएसएआई विनियमों, कार्गो रियायतग्राही द्वारा विलंब शुल्क प्रभारों और नागर विमानन मंत्रालय विनियमों के बीच सामंजस्यपूर्ण निर्माण की मांग कर रहा है।
8	मैसर्स हेमकांत एंटरप्राइजेज बनाम यूओआई और अन्य डब्ल्यूपीए 8720/2020	कोलकाता उच्च न्यायालय	विलंब शुल्क के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2020 के आदेश को चुनौती।

तालिका 2 : ऐसे विधिक मामलों की सूची जिनमें विधिक मामले भा.वि.प्रा. से एएआईसीएलएएस में हस्तांतरित किए गए हैं, लेकिन यह एएआईसीएलएएस को निगमित किए जाने से पहले की अवधि से संबंधित है। प्रबंधन के अनुसार इन मुकदमों के कारण होने वाले किसी भी वित्तीय प्रभाव का एएआईसीएलएएस द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित है :

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क्र. सं.	शीर्षक	प्राधिकरण जिसमें मामला लंबित है	मामले के तथ्य
1	सीडब्ल्यूपी 5216/1998 दिल्ली आर्मरी बनाम यूओआई और अन्य। (एएआई से एएआईसीएलएएस में हस्तांतरित)	दिल्ली उच्च न्यायालय	भा.वि.प्रा. पर विलम्ब शुल्क दावा
2	लिखित याचिका (सी) 5415/2014 दिल्ली कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स बनाम यूओआई और अन्य। (एएआई से एएआईसीएलएएस में हस्तांतरित)	दिल्ली उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने भा.वि.प्रा. (कार्गो, कूरियर और एक्सप्रेस गुड्स और पोस्टल मेल का भंडारण और प्रसंस्करण) विनियम 2003 को चुनौती दी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

तालिका 3 : कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों की सूची जिसमें वित्तीय देयता जो कंपनी पर जा सकती है, कंपनी के अनुसार और कंपनी के कानूनी सलाहकार की राय के अनुसार निश्चित नहीं है :

(आंकड़े लाख रुपए में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क्र. सं.	शीर्षक	प्राधिकरण जिसमें मामला लंबित है	मामले के तथ्य
1	सीएस (सीओएमएम) 532 / 2021 एएआईसीएलएएस बनाम कूरियर और एलायंस	दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण, तीस हजारी जिला न्यायालय	कोलकाता हवाईअड्डे पर विलंब शुल्क / प्रभार का कम भुगतान
2	सीएस (सीओएमएम) 315 / 2021 एएआईसीएलएएस बनाम ट्रिनिटी एक्सप्रेस	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारका जिला न्यायालय	कोलकाता हवाईअड्डे पर विलंब शुल्क / प्रभार का कम भुगतान
3	जेपी एविएशन बनाम एएआईसीएलएएस (2744 / 2021)	कोलकाता उच्च न्यायालय	सीटीओ निविदा रद्द करना
4	जेपी एविएशन बनाम एएआईसीएलएएस (3756 / 2021)	कोलकाता उच्च न्यायालय	सीटीओ निविदा रद्द करना
5	बकाया राशि के लिए माध्यस्थम मामला संख्या 01 / 2020	अहमदाबाद में सीएससी बनाम भा.वि.प्रा. / एएआईसीएलएएस	दलीलें पूरी कर ली गई हैं
6	समझौते की समाप्ति के लिए माध्यस्थम मामला संख्या 01 / 2021	अहमदाबाद में सीएससी बनाम भा.वि.प्रा. / एएआईसीएलएएस	दस्तावेजीकरण प्रक्रियाधीन है
7	डी मुगीलन, डीजीएम, कार्गो बनाम एएआई डब्ल्यूपी संख्या 6060 / 2021	मद्रास उच्च न्यायालय	पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरण आदेश को चुनौती देना
8	मेसर्स एसवीसी इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम एएआई सिविल मामले 58992 / 2016	पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली	दावा मामला
9	भद्रा इंटरनेशनल बनाम यूओआई, एएआई	मद्रास उच्च न्यायालय	औद्योगिक विवाद अधिनियम
10	लिखित याचिका 2019 की संख्या 1081 और 1031	मणिपुर इंफाल का उच्च न्यायालय	दिनांक 11.12.2019 के आक्षेपित पत्र को रद्द करने / सैट करने की प्रार्थना करना
11	जी.ए. 2022 का नंबर 2 2022 का कस्टमा नंबर 9	उच्च न्यायालय कोलकाता	आयुक्त सीमा शुल्क–कोलकाता बनाम एएआईसीएलएएस
12	लिखित याचिका (एमडी) संख्या 4668 / 2022 9444 / 2022	मदुरै उच्च न्यायालय खंडपीठ	मेसर्स एबीएस एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड बनाम एआईसीएलएएस

4. टिप्पणी संख्या 55, 12 जुलाई, 2019 को, कंपनी ने बागडोगरा और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के साथ सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो (सीपीसी) के प्रचालन और प्रबंधन के लिए राजस्व बंटवारे के आधार पर 30 साल की अवधि के लिए 1 रुपये की सांकेतिक राशि पर एक समझौता किया था, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रचालन शुरू नहीं किया जा सका।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्श को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर चिन्हित गई अन्य जानकारी जब उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ा जाए और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ यह अन्य जानकारी वास्तव में असंगत है या नहीं अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है या नहीं। यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य सूचनाओं पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्श निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, लाभ / हानि और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। इस जिम्मेदारी में शामिल हैं :– कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाना, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति ऐसे संगत जो सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और जो, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार के गलत विवरण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, उसकी प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, वर्तमान कंपनी से संबंधित मामले और लेखांकन के चालू कंपनी आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी का परिसमापन करने या उसका प्रचालन बंद करने का इरादा नहीं करता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व।

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा हमेशा किसी तथ्यात्मक गलत विवरण जब वह मौजूद हो तो उसका पता लगाएगा। तथ्यात्मक गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें तभी तथ्यात्मक माना जाता है अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, ऐसे वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी स्पष्ट करते हैं :

(ए) वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले तथ्यात्मक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत विवरण से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

(बी) परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस संदर्भ में भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की क्षमता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है।

(सी) उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

(डी) प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन के संबंध में उपयोग में लाए गए चालू संस्था के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के बारे में यह तय करना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तथ्यपरक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तथ्यपरक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्श हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भावी घटनाएं या परिस्थितियाँ कंपनी की प्रक्रियाओं की चालू कंपनी के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकती हैं।

(ई) प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, और यह कि क्या ये वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

तथ्यात्मकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तथ्यात्मकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्श और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण से जुड़े खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

हम शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों से संप्रेषित मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हितलाभ पीछे छूट जाएंगे।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') द्वारा लागू सीमा तक अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण में ''संलग्नक–क'' के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी रिपोर्ट के योग्यता प्राप्त अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(बी) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया गया है हमारी रिपोर्ट के योग्यता प्राप्त राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामलों के संभावित प्रभावित प्रभाव के अतिरिक्त, जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(सी) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

(डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण हमारी रिपोर्ट के योग्यता प्राप्त राय अनुभाग में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुपालन में हैं।

(ई) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, नैगम कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(एफ) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक–बी'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

(जी) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की उप–धारा (16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2022 को लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 33 देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थे, जिनके कारण कोई महत्त्वपूर्ण पूर्वानुमान में नुकसान हुआ हो;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

iv. (ए) प्रबंधन ने अभ्यावदेन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ के साथ, किसी भी निधि को (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हैं) विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थों'') सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में अग्रिम के तौर पर या उधार या निवेश के रूप में नहीं दिया गया है (या तो उधार ली गई निधि राशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या किसी प्रकार की निधि में से) कि इसे चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, यह कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या वास्तविक लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा (''वास्तविक लाभार्थी'') या कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

(बी) प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हैं) को किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (''निधिकृत पार्टियां'') शामिल हैं, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टियों द्वारा या वास्तविक लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (''वास्तविक लाभार्थी'') या कोई गारंटी, सुरक्षा या प्रदान करेगी।

(सी) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो गया है कि उपरोक्त उप–खंड डी (1) और डी (2) के तहत अभ्यावेदन में कोई सामग्री गलत कथन है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया है और कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अधिनियम की धारा 143 (5) की शर्तों के तहत जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हुए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन ''अनुलग्नक–सी'' में निर्धारित किया गया है।

कृते यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन500017

हस्ता/-
सीए सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316
यूडीआईएन :– 22088316बीबीडीकेयूसी1395

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2022

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अनुलग्नक - ए

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खंड के अन्तर्गत अनुच्छेद 1 का संदर्भ)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक ए के संदर्भ में, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :

i) ए. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए अभिलेखों का उचित रूप से रखरखाव किया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी. सभी अचल संपत्तियों को पिछले वर्षों में प्रबंधन द्वारा, दो साल में एक बार सत्यापित करने के एक नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है। हालांकि, कंपनी की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान इस संबंध में अनेक कमियां पाई गई हैं जिन्हें हमारी रिपोर्ट के 'अनुच्छेद मामलों के महत्त्व की टिप्पणी संख्या 5' में उल्लिखित किया गया है।

(सी) कोई अचल संपत्ति नहीं है (भूमि और संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है), कंपनी द्वारा धारित है जो कंपनी के नाम पर नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(1) (सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। नतीजा यह हुआ कि हमारी टिप्पणी का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है यदि पुनर्मूल्यांकन एक रजिस्टर मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है, या इसमें परिवर्तन की मात्रा निर्दिष्ट की जाती है, यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के निवल वहन मूल्य के योग में परिवर्तन 10 प्रतिशत या उससे अधिक है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45)) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है और इसलिए कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में उचित रूप से विवरण का प्रकटन किया है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता।

ii) (ए) कंपनी के पास कोई सूची नहीं है और फलस्वरूप, आदेश का खंड 3 (2) (ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(बी) कंपनी को मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (2) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण, ऋण की प्रकृति में अग्रिम, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (3) (ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को निवेश नहीं किया है, गारंटी प्रदान नहीं की है, प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (3) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (3) (सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में कंपनी ने (कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों) को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (3) (डी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ई) कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया था। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (3) (ई) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(एफ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या तो मांग या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (3) (एफ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के संबंध में कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (4) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा स्वीकार किया है और न ही किसी ऐसी राशि को स्वीकार किया है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जमा माना जाता है, जहां तक लागू हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (5) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं और लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी पर लागू होता है, हालांकि, हमें प्रदान किए गए किसी भी रिकॉर्ड के अभाव में, हम कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

vii) (ए) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर के अपवाद के साथ आयकर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि सहित अविवादित वैधानिक देय राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में आम तौर पर नियमित है। मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, अधिकांश कर्मचारी स्टैंडबाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, इसलिए, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक देय राशि, जैसे कि भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, को मूल कंपनी द्वारा काटा और जमा किया जा रहा है। हालांकि, कर्मचारी जो कंपनी के पे–रोल पर हैं, उनसभी

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

कर्मचारियों के लिए वैधानिक देय राशि से संबंधित राशि, जैसे कि भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, को कंपनी द्वारा नियमित आधार पर काटा और जमा किया जा रहा है, नीचे दी गई तालिका में प्रदान किए गए मामलों की उदाहरण सूची के अतिरिक्त :

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे विवादित सांविधिक बकाया, जिन्हें 31 मार्च, 2022 तक जमा नहीं किया गया है, और उनका विवरण निम्नानुसार है :

विधान का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	अवधि जिसके लिए संबद्ध राशि है	फोरम जिसके अन्तर्गत मामला लंबित है	टिप्पणी, यदि कोई हो
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क अधिनियम, कोलकाता स्टेशन में कार्गो को अनधिकृत निष्कासन	धारा 117 के अन्तर्गत 1.00 लाख रुपए का जुर्माना और धारा 45 (3) के अन्तर्गत 187.09 लाख रुपए की ड्यूटी की मांग	सी/79259/2018 द्वारा 2018	उच्च न्यायालय, कोलकाता	मामला ''सीमा शुल्क आयुक्त–कोलकाता बनाम आईक्लास'' के मामले में सीईएसटीएटी कोलकाता के समक्ष लंबित था। सीईएसटीएटी ने दिनांक 29.07.2021 को कंपनी के पक्ष में आदेश पारित किया था, जिसमें शुल्क और जुर्माना लगाने की मांग को माफ कर दिया गया था। हालांकि, कोलकाता उच्च न्यायालय में सीमा शुल्क विभाग ने उसके बाद अपील का मामला दायर किया है।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण में खाते की बहियों में पूर्व में दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन का अभ्यर्पण या प्रकटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (8) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ix) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड (9) (ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड (9) (सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई, इसलिए आदेश के खंड (9) (डी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (9) (ई) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(एफ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (9) (एफ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x). (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव / अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से वर्ष के दौरान कोई निधि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(10) (ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान शेयरों / पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आबंटन या निजी नियोजन नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (10) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

xi) (ए) कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा के मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के पास फॉर्म एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(सी) प्रबंधन और / या लेखापरीक्षा समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (12) लागू नहीं होता है।

xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और संबंधित पक्ष के लेन–देन के विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं, जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

xiv) (ए) हमें और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों के दायरे में प्रमुख वित्तीय क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे प्रभावी वित्तीय रिपोर्टिंग की जाती है।

(बी) हमने 31 मार्च 2022 तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है जो हमें प्रस्तुत की गई है।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

है और इसलिए आदेश के खंड 3(15) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvi) (ए) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (16)(ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास हेतु वित्तीय गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(16) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(डी) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह का कोई अन्य कंपनी हिस्सा नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3(16) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii) कंपनी ने वर्तमान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 36 भी देखें) के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की एजिंग और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देयताओं का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास दिलाया जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय हों। यद्यपि, हमारा कथन है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हमारा आगे कथन है कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देयताएं कंपनी द्वारा देय होने पर पूरी की जाएंगी।

xx) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी को चल रही / चालू सीएसआर परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी भी राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (20) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन500017

हस्ता/-
सीए सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316
यूडीआईएन :– 22088316बीबीडीकेयूसी1395

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2022

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अनुलग्नक - बी

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अन्तर्गत उपरोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 (ए) (एफ) में संदर्भित)

हमने 31 मार्च 2022 तक मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ("कंपनी"), साथ ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सम्मिलित है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शक टिप्पणी और लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना लेखा परीक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी तरीके से प्रचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि कोई प्रत्यक्ष कमी विद्यमान है और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा यह मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी योग्य लेखा परीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जोकि: (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो समुचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि, लेनदेन को आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान पर रोक या समय पर पता

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन अवहेलना, त्रुटि या धोखे के कारण सामग्री का गलत विवरण सम्मिलित हो सकते हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योकि वित्तीय विवरणों के संदर्भ सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कारण कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

योग्य मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित प्रत्यक्ष कमियों की पहचान की गई है :

ए. 31 मार्च 2022 तक देनदारों के साथ समाधान के संबंध में प्रणाली / तंत्र त्रुटिपूर्ण है, आवधिक अंतराल पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

बी. विश्वसनीय और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न सूचना सृजन और रिकॉर्डिंग नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए एकीकृत लेखा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

एक 'प्रत्यक्ष कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों के एक महत्वपूर्ण गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित प्रत्यक्ष कमियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के प्रचालित वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') द्वारा जारी किया गया।

कृते यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन500017

हस्ता/-
सीए सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316
यूडीआईएन :– 22088316बीबीडीकेयूसी1395

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2022

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अनुलग्नक - सी

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

क्र. सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट
1.	क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन का प्रक्रमण करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली से इतर, लेखांकन लेनदेन के प्रक्रमण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की सच्चाई पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका उल्लेख किया जा सकता है।	नहीं, पूर्ण एकीकृत प्रणाली लागू नहीं है, इसलिए, हम खातों के गैर–एकीकरण और उनकी अखंडता के बारे में वित्तीय प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
2.	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं है या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार / ऋणों /ब्याज आदि को माफ करने / बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई/ प्राप्त करने योग्य नहीं थी।

कृते यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 010585एन/एन500017

हस्ता/-
सीए सुनीता उमेश
भागीदार
सदस्यता सं. 088316
यूडीआईएन :– 22088316बीबीडीकेयूसी1395

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2022

विजयनगर (आरसीएस हवाई अड्डा)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003
https://www.aaiaero